PRESENTED
M.P.
24 MAR 2006

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष का

वाणिज्यिक

मध्यप्रदेश सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		**(ix)**
विहंगावलोकन		**(xi से xvi)**
अध्याय-I		
सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	1.2 - 1.13	2-9
विद्युत क्षेत्र में सुधार	1.14-1.15	9-10
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	1.16 -1.20	10-12
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति	1.21	13
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.22	13
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम	1.23-1.29	13-16
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देश पर आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में सुधार हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन	1.30	16-17
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुशंसायें	1.31	17
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.32	17-18
619-बी कंपनियाँ	1.33	18
अध्याय-2		
सरकारी कंपनियों से संबंधित समीक्षायें		
मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा विकासात्मक एवं वित्तीय सहायता	**2.1**	**19-66**
मुख्यांश		19-20

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना	2.1.1	20-22
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.1.2	22
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1.3	22-23
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.1.4	23-24
लेखापरीक्षा विधि	2.1.5	24
लेखापरीक्षा निष्कर्ष		**24**
लक्ष्यों की प्राप्ति	2.1.6	24-25
योजनाओं का कार्यान्वयन		**25-36**
कर्ज सहायता की संस्वीकृति	2.1.7	25-27
योजनाओं का निष्पादन	2.1.8-2.1.24	27-33
वसूली निष्पादन	2.1.25	34
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का क्रियान्वयन	2.1.26	34-35
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की योजनाओं का कार्यान्वयन	2.1.27	35-36
आंतरिक नियंत्रण/लेखापरीक्षा		**36-38**
लेखा नियंत्रण	2.1.28	36-37
परिचालन नियंत्रण	2.1.29	37
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.1.30	38
उपसंहार		38
अनुशंसा		38-39
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास	**2.2**	**40-66**
[illegible]		40-41
[illegible]	2.2.1	41
[illegible]	2.2.2	42

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	2.2.3	42
लेखापरीक्षा के मापदण्ड	2.2.4	42-43
लेखापरीक्षा पद्धति	2.2.5	43
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.2.6	43-44
विकास केन्द्र विकसित करना	2.2.7-2.2.9	44-47
भूखण्डों का आबंटन	2.2.10-2.2.12	47-49
विकास केन्द्रों का संधारण	2.2.13-2.2.17	49-52
विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र	2.2.18-2.2.21	52-56
खाद्य प्रसंसकरण औद्योगिक पार्क	2.2.22-2.2.30	57-62
एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र	2.2.31-2.2.39	62-65
उपसंहार		65-66
अनुशंसाएं		66
अध्याय-3		
सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा		
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन एवं रख-रखाव		**67-92**
मुख्यांश		67-68
प्रस्तावना	3.1	68-69
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.2	69
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	3.3	69
लेखापरीक्षा मापदण्ड	3.4	69-70
लेखापरीक्षा विधि	3.5	70
लेखापरीक्षा निष्कर्ष		**70**
रुपान्तरण क्षमता में वृद्धि	3.6.1-3.6.3	70-73
त्रुटिपूर्ण नियोजन	3.6.4	73-74
अप्रभावी संविदा प्रबंधन	3.6.5-3.6.9	74-79

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अपूर्ण निष्पादन	3.6.10-3.6.15	79-83
निजी अभिकरणों से ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत	3.6.16-3.6.24	83-90
वितरण टांसफॉर्मरों की मरम्मत न करना	3.6.25-3.6.27	90-91
निष्कर्ष		92
अनुशंसाएं		92
अध्याय-4		
लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ		**93-138**
प्रस्तावना		93
सरकारी कम्पनियाँ		
मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज निगम मर्यादित		
परिवहन ठेकेदारों को किया गया अधिक भुगतान	4.1	93-94
अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ की अधिप्राप्ति के कारण हानि	4.2	94-95
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित		
विक्रय पर परिहार्य हानि	4.3	95-96
औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित		
अनियमित व्यय	4.4	97
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित		
इंटर-कॉरपोरेट कर्जे	4.5.1-4.5.9	98-107
बिघटन प्राय कंपनियों को बंद करने में विलंब	4.6.1-4.6.9	107-112
मध्यप्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में कॉरपोरेट गर्वनेन्स	4.7.1-4.7.9	112-117
सांविधिक निगम		
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल		
आधार हेतु इस्पात प्राप्त करने पर परिहार्य व्यय	4.8	117-118
पवन ऊर्जा के चक्रण में लाइन हानि के लिए अपर्याप्त क्षतिपूर्ति के कारण हानि	4.9	118-119
दरों का अनियमित संशोधन	4.10	119-120

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
देय धन का अनियमित अधित्याग	4.11	120-121
अविवेकपूर्ण रोकड़ प्रबंधन	4.12	122
एक ग्राहक को अनुचित लाभ	4.13	123-124
परिहार्य व्यय	4.14	125
अतिरेक प्रभारों का (ओवर रन चार्जेस) का भुगतान	4.15	126-127
प्रभारों की वसूली न होना	4.16	127
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में पर्यावरणीय प्रबंधन	4.17.1-4.17.10	128-133
मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन		
वित्तीय रूप से अव्यवहारिक परियोजना पर परिहार्य	4.18	134-135
माल के बीमे से संबंधित निर्णय का कार्यान्वयन करने में विफलता	4.19	135-136
मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम		
राजस्व की हानि	4.20	136
अतिरिक्त भांग प्रभार एवं शास्ति का परिहार्य व्यय	4.21	137
सामान्य		
निरीक्षण प्रतिवेदनों प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के प्रत्युत्तर	4.22	137-138

क्रम संख्या	परिशिष्टियाँ	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2005 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र	1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.17	139-143
2	सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होनें अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.6, 1.7, 1.13, 1.19 एवं 1.20	144-148

क्रम संख्या	परिशिष्टियाँ	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूजी में परिवर्तन तथा मार्च 2005 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.5 एवं 1.17	149-151
4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	152-154
5	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	155-157
6	सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.12	158-161
7	31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो में मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.1.6	162
8	31 मार्च 2005 के अनुसार अधि प्राप्त भूमि, आबंटन योग्य भूमि, अधिप्राप्ति एवं विकास की अवधि तथा उस पर किया गया व्यय	2.2.6,2.2.7, 2.2.10	163
9	नींव की परिकल्पना में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त व्यय के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.8	164
10	निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने में विलंब हेतु शास्ति वसूल किये जाने में विफलता के कारण राजस्व की हानियाँ दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.9	165
11	2001-02 में संयोजित अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में जारी आशय पत्र पर दिए गए प्रीमियम में छूट (40 प्रतिशत) का विवरण पत्र	2.2.10	166
12	कोने के एवं 80 फीट अथवा अधिक की चौड़ी सड़कों पर स्थिति भूखण्डों में अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित न किए जाने/कम प्रभारित किये जाने वाला विवरण पत्र	2.2.11	167
13	31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पांच वर्षो के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम पर वसूल नहीं किए गये पट्टा भाड़ा एवं संधारण प्रभारों के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.12	168

क्रम संख्या	परिशिष्टियाँ	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
14	औद्योगिक इकाईयों से बकाया राशि के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.16	169
15	विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र योजना के संबंध में अधिप्राप्त, विकसित भूमि एवं आबंटित भूखण्डों के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.18	170
16	विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र इंदौर में इकाइयों के संबंध में प्रीमियम की छूट के कारण राजस्व की हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.19	171
17	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर द्वारा विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र के कोने के एवं 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड के संबंध में अतिरिक्त् प्रीमियम प्रभारित करने में विफलता के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.20	172
18	खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्को के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.22	173
19	एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्रों के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.31	174
20	बंद कंपनियों के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.6	175
21	शोध पत्र घोषित किए जाने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.6.1	176
22	लेखाओं को अंतिम तथ्य दिए जाने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.6.2	177
23	बंद किए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किए जाने में विलंब	4.6.3	178
24	बंद कंपनियों के बंद किए जाने में विलंब का प्रभाव दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.6.8	179
25	लेखापरीक्षा में परीक्षण की गई सरकारी कंपनियों की सूची दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.7	180
26	सरकारी कंपनियों के संचालक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति का विवरण पत्रक	4.7.3	180
27	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी में उत्सर्जन का स्तर दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.17.4	181

क्रम संख्या	परिशिष्टियाँ	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
28	अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पर उत्सर्जन के स्तर का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.17.4	182
29	संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन विरसिंहपुर पर उत्सर्जन के स्तर को विस्तृत विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.17.4	183
30	भाड़ा क्रय/पट्टा आधार पर मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों की अधि प्राप्ति हेतु वित्त-पोषण प्रदान करने वाली कंपनियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.20	184
31	प्रतीक्षित उत्तरो वाले बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों कंडिकाओं एवं प्रारूप कंडिकाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.22	185

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं, वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:

(i) सरकारी कंपनियां

(ii) सांविधिक निगम, तथा

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

यह प्रतिवेदन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल सहित सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है । विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) मध्यप्रदेश सरकार में समाविष्ट किए गए हैं ।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है । मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो कि सांविधिक निगम हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है । राज्य वित्त निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से निगम द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उन लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भी अधिकार है । मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखापरीक्षा करने का भी उनको अधिकार प्राप्त है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं । इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से प्रेषित किए जाते हैं ।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित किए गए हैं जो वर्ष 2004-05 के दौरान ज्ञात हुए और वे भी जो विगत वर्षों में प्रकाश में आए किंतु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नहीं किया गया । जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया 2004-05 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी समाविष्ट किए गए हैं ।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

31 मार्च 2005 को राज्य में 38 सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों सहित 42 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 38 सरकारी कंपनियों में से 29 कार्यशील कंपनियां थी जबकि नौ अकार्यशील कंपनियां थीं। सभी चार सांविधिक निगम कार्यशील निगम थे। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के नियमाधीन एक कंपनी थी।

(कंडिका 1.1 एवं 1.33)

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में 31 मार्च 2004 को 4,934.12 करोड़ रूपये का कुल निवेश बढ़कर 31 मार्च 2005 को 5,637.59 करोड़ रूपये हो गया। इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में कुल निवेश 198.99 करोड़ रूपये से बढ़कर 224.36 करोड़ रूपये हो गया।

(कंडिका 1.2 एवं 1.16)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को पूंजी, ऋणों एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया बजटीय योगदान 2003-04 में 56.38 करोड़ रूपये से बढ़कर 2004-05 में 1449.99 करोड़ रूपये हो गया। 2004-05 के दौरान राज्य सरकार ने कुल 63.92 करोड़ रुपये के ऋणों की गारंटी दी। राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों की कुल लंबित राशि 31 मार्च 2004 को 5,020.14 करोड़ रूपये से घटकर 31 मार्च 2005 को 646.35 करोड़ रूपये रह गई।

(कंडिका 1.5)

चार कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा दो सांवधिक निगमों ने वर्ष 2004-05 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है। शेष 22 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा दो सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2005 को एक वर्ष से छः वर्ष तक की अवधि के लिये लंबित थे। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एवं एक नई कम्पनी ने शुरू से अपने लेखे तैयार नहीं किये थे एवं तीन नई कम्पनियों के लेखे बकाया नहीं हुये थे। कोई भी अकार्यशील सरकारी कंपनी ने वर्ष 2004-05 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था तथा उनके लेखे 30 सितंबर 2005 को एक से 15 वर्षों तक की अवधि के लिये लंबित थे।

(कंडिका 1.6 एवं 1.19)

अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार नौ कार्यशील सार्वजनिक (सात सरकारी कंपनियों तथा दो सांविधिक निगम) ने कुल 118.30 करोड़ रुपये की हानि उठाई। दूसरी ओर, अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 15 कार्यशील उपक्रमों (13 सरकारी कंपनियों तथा दो सांविधिक निगमों) ने कुल 192.78 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान तीन कार्यशील सरकारी कंपनियों ने 72 लाख रूपये का लाभांश घोषित किया। हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियों की संचित हानियां कुल 650.77 करोड़ रूपये की थीं, जो उनकी 82.15 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थीं। हानि उठाने वाले दो सांवधिक निगमों की संचित हानियां 957.83 करोड़ रूपये थीं जो उनकी 219.95 करोड़ रूपये की प्रदत्त-पूंजी से अधिक थीं।

(कंडिका 1.7, 1.8, 1.9 एवं 1.11)

आठ कार्यशील सरकारी कंपनियों के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी उनका व्यक्तिगत टर्नओवर अंतिम रूप से संवरित उनके लेखाओं के अनुसार पूर्ववर्ती पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रूपये से कम था एवं एक सरकारी कम्पनी जो कि लगातार पांच सालों से हानि उठा रही थी के निवल मूल्य नकारात्मक हो गये थे। ऐसी स्थिति में उक्त नौ सरकारी कंपनियों के कार्यनिष्पादन में सरकार या तो सुधार के उपाय करे अथवा इनको बन्द करने पर विचार करे।

(कंडिका 1.31)

2. सरकारी कंपनीयों से संबंधित समीक्षाएँ

2.1 *मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा विकासात्मक एवं वित्तीय सहायता*

कम्पनी द्वारा इसके कथित लक्ष्यों के संदर्भ में इसका निष्पादन अत्यधिक कम रहा। यह एक भी आदिवासी परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में विफल रहा। कम्पनी द्वारा परिचालित समस्त योजनाओं के अंतर्गत 2000-05 के दौरान भौतिक के साथ वित्तीय उपलब्धियों को हानि हुई एवं वे अत्यधिक निम्न स्तर पर पहुंच गई।

(कंडिका 2.1.9 एवं 2.1.7)

कम्पनी के उपार्जित लाभों के संदर्भ में इसका निष्पादन इसकी व्यय राशि की तुलना में कम रहा। 2000-05 के दौरान कम्पनी ने 2.34 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने हेतु स्थापना व्यय पर 5.61 करोड़ रुपए का व्यय किया, यद्यपि कम्पनी को यह जानकारी थी कि योजना की विफलता कर्मचारियों के अनुत्तरदायित्व एवं भंयकर भ्रष्टाचार के कारण थी फिर भी इस कमी को ठीक करने के कोई भी सुधारात्मक उपाय करने में यह विफल रही।

(कंडिका 2.1.7 एवं 2.1.9)

कम्पनी 2000-05 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संस्वीकृति 33.89 करोड़ रुपए में से केवल 7.45 करोड़ (22 प्रतिशत) का आहरण कर सकी तथा हितग्राहियों को केवल 2.07 करोड़ रुपए (6 प्रतिशत) का भुगतान कर सकी। 18 योजनाओं के संबंध में कम्पनी द्वारा कर्जो का आहरण करने के उपरांत हितग्राहियों को पता लगाने में विफल रहने के कारण इसे 5.38 करोड़ रुपए का वापिस भुगतान करना पड़ा। कम्पनी द्वारा हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ने 12.01 करोड़ रुपए की कर्ज सहायता निरस्त कर दी।

(कंडिका 2.1.7)

कम्पनी ने इसके आरंभ से 51.29 लाख की आदिवासी जनसंख्या (20-59 वयवर्ग) के केवल 2520 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता दी, जो 0.05 प्रतिशत की अत्यधिक क्षीण विस्तार दर्शाती है।

(कंडिका 2.1.18)

2.2 मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास

औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने न तो भूमि की अधिप्राप्ति हेतु कोई दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत की है अथवा रणनीति तैयार की है न इस संबंध में कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है। 31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पांच वर्षो के दौरान 1994 तक विकसित किए जाने 23 विकास केन्द्रों की तुलना में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने केवल 14 विकास केन्द्र विकसित किए। भूमि की अधिप्राप्ति पर किया गया व्यय (6.63 करोड़ रुपए) एवं भूखण्डों के विकास पर किया गया (68.94 करोड़ रुपए) व्यय भूमि का विकास पूर्ण न किए जाने तथा भूखण्डों का आवंटन न किए जाने के कारण निष्फल रहा।

(कंडिका 2.2.6 एवं 2.2.7)

नींव की डिजाइन में अनियमित परिवर्तन के परिणामस्वरूप 87.56 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। आधारभूत सुविधाओं की पूर्णता में विलंब हेतु दण्ड आरोपित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 1.06 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। अविकासक्षम जल आपूर्ति योजना की निरंतरता के परिणामस्वरूप 1.45 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.8, 2.2.9 एवं 2.2.13)

भूमि की अधिप्राप्ति/विकास तथा विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में भूखण्डों के आवंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप 27.45 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा। विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र की औधोगिक इकाईयों के संबंध में भूमि के प्रीमियम को कम करने के अनुचित निर्णय के परिणामस्वरूप 22.58 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.18 एवं 2.2.19)

खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क की अपूर्ण योजना तथा अक्षम परिचालन के परिणामस्वरूप 31.26 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.22 से 2.2.30)

क्षेत्र अध्ययन/सर्वेक्षण, सामान्य सुविधाओं तथा मांग का निर्धारण किए बिना एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र स्थापित करने पर 8.79 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।

(कंडिका 2.2.31 से 2.2.39)

3. विद्युतिक निगम से संबंधित समीक्षा

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन एवं संधारण

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल उप पारेषण में वृद्धि एवं वितरण पारेषण क्षमता के मध्य सन्तुलन रखने में विफल रहा। 31 मार्च 2004 को समाप्य वर्ष तक सम्बद्ध भार की तुलना में वितरण पारेषण 155 से 230 प्रतिशत तक उच्चतर थी। इस विसंगति की परिणिति अत्यधिक भार के साथ-साथ ट्रान्सफार्मरों एवं पारेषण वितरण हानियों की परिणामी विफलता के रूप में हुई जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई ऐसी हानियों के स्वीकार्य स्तर से 250 प्रतिशत अधिक थी।

(कंडिका 3.6.1 एवं 3.6.2)

मंडल को इन अत्यधिक पारेषण एवं विवरण हानियों के कारण 10619.31 करोड़ रुपये के सम्भावित राजस्व की हानि उठानी पड़ी। मंडल, नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार 2004-05 तक पारेषण एवं वितरण हानियों में 28 प्रतिशत तक की क्रमिक कमी के मर्यादित लक्ष्य को भी प्राप्त करने में विफल रहा।

(कंडिका 3.6.2)

बोली मूल्यांकन, ट्रांसफार्मर लगाने तथा उप केन्द्रों के निर्माण में विलम्ब के साथ अपूर्ण योजना एवं बोली मूल्यांकन प्रणाली क्षेत्रों के परिणामस्वरूप ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति पर 70.40 करोड़ रुपए का परिहार्य अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के पूर्णता में इन विलम्बों के कारण राजस्व में अपरिणामवाचकीय हानियां हुई।

(कंडिका 3.6.4, 3.6.5, 3.6.7, 3.6.8 एवं 3.6.9)

मंडल ने ऊंची कीमत वाले ई.एच.वी. ट्रांसफार्मरों की मरम्मत तथा अन्य ट्रांसफार्मरों की मरम्मत एवं परिवर्तन के लिए चार वर्षो तक कोई कार्यवाही नहीं की। 40 एम.वी.ए. के नौ एवं 20 एम.वी.ए. के 15 ट्रांसफार्मरों की समय पर मरम्मत करने की कार्यवाही से मंडल को क्रमशः 10.62 करोड़ एवं 12.00 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय की बचत हो सकती थी। मंडल द्वारा गारंटी सुरक्षा का लाभ न लेने, जोखिम एवं लागत की धारा के अंतर्गत कार्यवाही न कर पाने इत्यादि सहित ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के सम्बन्ध में अप्रभावी संविदा प्रबन्धन के कारण मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सुलभ न करा पाने के साथ-साथ ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के सम्बन्ध में 6.82 करोड़ रुपए की लागत को वहन करना पड़ा।

(कंडिका 3.6.6, 3.6.15, 3.6.21 एवं 3.6.23)

4. लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

- उन्नयन/सुधार कार्यो के निष्पादन के परिणामस्वरूप 1.84 करोड़ रुपए का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 4.4)

- एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिए जाने, पूर्व-प्रेषण की सुविधा का लाभ न उठा पाने एवं अतिरेक प्रयासों के भुगतान तथा मंडल द्वारा अविवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन के परिणामस्वरूप 96.13 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय एवं 50.97 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.13, 4.14, एवं 4.15)

- वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं के निष्पादन, भंडार सामग्री के बीमा कराने से सम्बन्धित निर्णय का कार्यान्वयन करने में विफल रहने [illegible] विनियमन करने में [illegible] 1.60 [illegible]

(कंडिका 4.18, 4.19 एवं 4.21)

- [illegible]

(कंडिका 4.20)

- [illegible]

(कंडिका 4.[illegible])

- **मध्य प्रदेश राज्य रिविल सप्लाईज निगम मर्यादित** द्वारा अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 1.37 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिका 4.2)

- **मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित** द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना, उधारगृहीता से प्रतिभूति प्राप्त किए बिना एवं वित्तीय स्थिति का सत्यापन किए बिना इंटर कॉरपोरेट ऋण देने तथा वसूली के लिए कार्यवाही करने में इसकी विफलता के परिणामस्वरूप 46.16 करोड़ रुपए के परिणामी ब्याज सहित 93.13 करोड़ रुपए के निधि-रोध के अतिरिक्त 187.44 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिका 4.5.1 से 4.5.9)

- **मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल** द्वारा प्रस्तावों की औचित्यता एवं बाजार-प्रवृत्ति की अवहेना करके दरों के भोल-भाव का आग्रह किए जाने के परिणामस्वरूप 4.34 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.8)

- निजी पवन ऊर्जा उत्पादकों द्वारा विद्युत उत्पादन के चक्रण में लाइन हानि के लिए केवल 4 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति के लिए **मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल** के प्रावधान के परिणामस्वरूप 2.47 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिका 4.9)

- **मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल** द्वारा दरों में अनियमित संशोधन के कारण ठेकेदारों को भुगतान के परिणामस्वरूप 1.66 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.10)

अध्याय एक

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, 34 सरकारी कंपनियों (25 कार्यशील एवं नौ अकार्यशील कंपनियां[1]) तथा चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) की तुलना में 31 मार्च 2005 को 38 सरकारी कंपनियाँ (29 कार्यशील कंपनियां तथा नौ अकार्यशील कंपनियां) तथा चार सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। वर्ष के दौरान निर्माण क्षेत्र में एक नई[2] सरकारी कम्पनी एवं मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, इंदौर की तीन[3] सहायक कम्पनियाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा सीमा में आई। सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित) के लेखाओ की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त करते हैं । इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भी करते हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा का व्यवस्था निम्नानुसार है:-

	निगम का नाम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्थापन
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185(2)(घ) के साथ पठित विद्युत आपूर्ति (वार्षिक लेखे) नियमावली 1985 के नियम 14 के अंतर्गत	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा
2.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतया लेखापरीक्षा
3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
4.	मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	मध्यप्रदेश भंडार गृह अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट द्वारा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया तथा उसकी लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(2) के अंतगर्त अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई।

---

1 अकार्यशील कंपनियां वे कंपनियां हैं जो परिसमापन/बंद होने/संविलियन की प्रक्रिया के अधीन है ।

2 मध्यप्रदेश रोड़ डेवलॉपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

3 पिथमपुरा ऑटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड, क्रिस्टल आई टी पार्क इंदौर लिमिटेड, एस.ई.जे.इंदौर लिमिटेड

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.2 मार्च 2004 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के 29 कार्यशील उपक्रमों (25 सरकारी कंपनियां तथा चार सांविधिक निगम) तथा मार्च 2005 के अंत में सार्वजानिक क्षेत्र के 33 कार्यशील उपक्रमों (29 सरकारी कंपनियां तथा चार सांविधिक निगम) में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश[4]			
		अंश पूंजी	अंश आवेदन राशि	कर्जे	योग
2003-04	29	530.74	90.34	4,313.04	4,934.12
2004-05	33	538.35	109.56	4,989.68	5,637.59

31 मार्च 2004 को कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के कुल निवेश में 12.59 प्रतिशत अंशपूजी तथा 87.41 प्रतिशत ऋणों की तुलना में 31 मार्च 2005 को ये क्रमशः 11.56 प्रतिशत एवं 88.44 प्रतिशत थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों में क्षेत्र-वार निवेश

31 मार्च 2005 तथा 31 मार्च 2004 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी तथा दीर्घावधि कर्जे) तथा उनकी प्रतिशतता नीचे वृत्त-चित्र में दर्शाए गए हैं:

31 मार्च 2005 को निवेश

(राशि: करोड़ रुपयों में)

(कोष्ठक में दर्शित आंकड़े निवेश का प्रतिशत इंगित करते हैं)

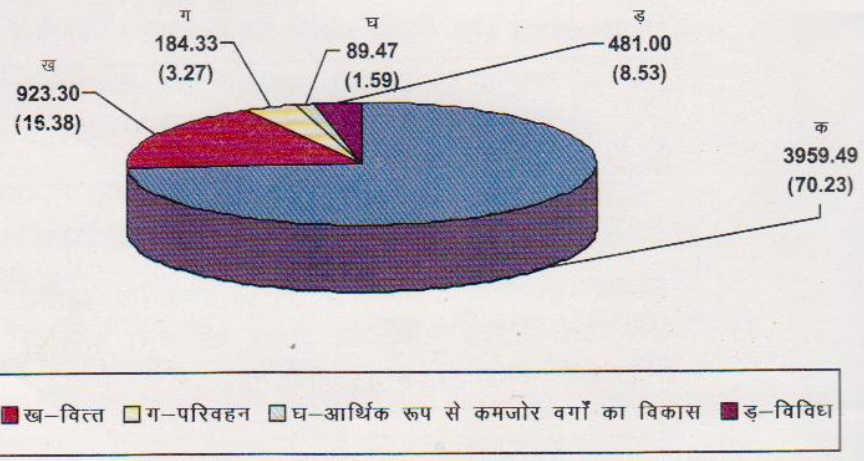

[4] *कार्यशील सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 1528.33 करोड़ रुपये (अन्य 4109.26 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखे के अनुसार 3493.72 करोड़ रुपय था अन्तर समायोजित किये जा रहे हैं।*

31 मार्च 2004 को निवेश
(राशिः करोड़ रुपयों में)
(कोष्ठक में दर्शित आंकड़े निवेश का प्रतिशत
इंगित करते हैं)

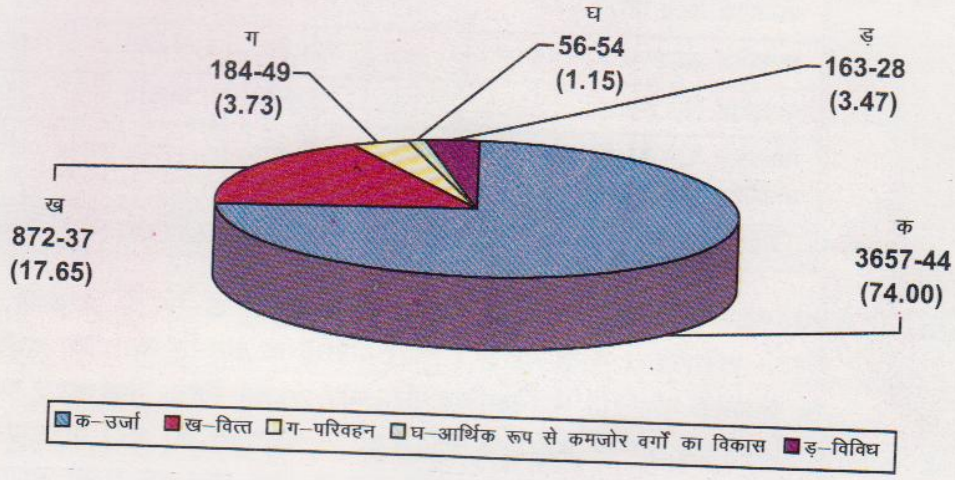

*(विविध में कृषि, उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स, निर्माण, क्षेत्र विकास, खनन, हथकरघा एवं हस्तकला, वन, पर्यटन तथा सार्वजनिक वितरण समाविष्ट है।)

कार्यशील सरकारी कंपनियां

1.3 मार्च 2004 एवं मार्च 2005 के अंत में कार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या	कार्यशील सरकारी कंपनियों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	कर्जे	योग
2003-04	25	221.65	6.15	419.37	647.17
2004-05	29	236.69	16.44	744.65	997.78

कार्यशील सरकारी कंपनियों में अंशपूंजी एवं कर्जों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दर्शाया गया है ।

31 मार्च 2004 को सरकारी कंपनियों में 35.20 प्रतिशत अंश पूंजी तथा 64.80 प्रतिशत कर्जों के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2005 को यह क्रमशः 25.37 प्रतिशत एवं 74.63 प्रतिशत था ।

दीर्घावधि ऋणों में कमी हो जाने के कारण कार्यशील सरकारी कंपनियों का ऋण-अंशपूंजी अनुपात 2003-04 में 1.84:1 से बढ़कर 2004-05 में 2.94:1 हो गया ।

कार्यशील सांविधिक निगम

1.4 मार्च 2005 एवं मार्च 2004 के अंत में चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार थाः

(करोड़ रूपए में)

निगम का नाम	2003-04		2004-05	
	पूंजी	कर्जे	पूंजी	कर्जे
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल[5]	169.62	3,486.81	169.62	3,788.86
मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	141.81	42.68	141.81	42.52
मध्यप्रदेश वित्त निगम	73.79	364.18	73.30	413.61
मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	8.06	--	8.06	0.04
योग	393.28	3,893.67	394.79	4,245.02

कार्यशील सांविधिक निगमों में अंश पूंजी एवं कर्जो के रूप में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति ***परिशिष्ट-1*** में दी गई है । सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को छः सरकारी कंपनियों में विभाजित (सितम्बर 2000) किया गया था । इनमें से केवल पाँच कंपनियों को नवम्बर 2001 से मई 2002 में पंजीकृत की गई। परिसंपत्तियों, देयताओं एवं कर्मचारियों के हस्तांतरण को अंतिम रूप न दिये जाने के चलते मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के संगठनात्मक ढांचे में तथापि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । कंपनियां क्योंकि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की अभिकर्ता के रूप में कार्य करतीं हैं इसलिये उत्तरदायित्व केन्द्रों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कार्यशील सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2004 को 9.17 प्रतिशत अंशपूंजी एवं 90.83 प्रतिशत कर्जों के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2005 को यह क्रमशः 8.51 प्रतिशत एवं 91.49 प्रतिशत था। ऋण-अंशपूंजी अनुपात 2003-04 में 9.90:1 से बढ़कर 2004-05 में 10.75:1 हो गया ।

बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायताएं, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोड़ना और ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

1.5 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट से दी गई राशियों, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियों देना, बकाया दायित्वों को छोड़ देने और राज्य सरकार द्वारा जारी ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन संबंधी ब्यौरे ***परिशिष्ट 1 व 3*** में दिए गए हैं ।

---

[5] *मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 2004-05 के लिये कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये। विगत वर्ष के आंकड़ों को ही चालू वर्ष के लिये लिया गया है।*

2004-05 तक तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को बजट से अंशपूंजी, कर्जों एवं अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में दी गई राशियां निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

	2002-03				2003-04				2004-05			
	कंपनियां		निगम		कंपनियां		निगम		कंपनियां		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से दी गई अंशपूंजी	2	3.02	1	1.00	1	0.90	1	1.34	2	10.30	1	1.50
बजट से दिए गए कर्जे	1	10.88	3	247.05	1	7.24	--	-	1	4.28	2	375.44
अन्य अनुदान/ आर्थिक सहायता	10	61.51	3	586.92	11	46.90	--	-	10	213.14	2	845.33
कुल दी गई राशि	**12[6]**	**75.41**	**4[6]**	**834.97**	**11[6]**	**55.04**	**1[6]**	**1.34**	**12[6]**	**227.72**	**3[6]**	**1,222.27**

वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार ने तीन कार्यशील सरकारी कंपनियों (48.92 करोड़ रूपए) तथा एक कार्यशील निगम (15.00 करोड़ रूपए) द्वारा लिए गए कुल 63.92 करोड़ रूपए के कर्जों के लिए गारंटियां दी थीं । पिछले वर्ष के अंत में पांच कार्यशील सरकारी कंपनियों (74.47 करोड़ रूपए) तथा तीन सांविधिक निगमों (4,945.67 करोड़ रूपए) से संबंधित 5,020.14 करोड़ रूपए की बकाया गारंटियों की तुलना में, इस वर्ष के अंत में पांच कार्यशील सरकारी कंपनियों (66.79 करोड़ रूपए) तथा दो कार्यशील सांविधिक निगमों (579.56 करोड़ रूपए) से संबंधित 646.35 करोड़ रूपए की गारंटियां बकाया थीं। मार्च 2005 के अंत में सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला गारंटी कमीशन क्रमशः 2.20 लाख रूपए एवं 87 लाख रूपए था।

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.6 जैसा कि ***परिशिष्ट-2*** से देखा जा सकता है, कि 29 कार्यशील सरकारी कंपनियों में से केवल चार कंपनियों ने एवं चार कार्यशील सांविधिक निगमों में से केवल दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने ही वर्ष 2004-05 के लेखे 30 सितम्बर 2005 तक तैयार किए थे। 21 कार्यशील सरकारी कंपनियों ने विगत वर्षों के 26 लेखाओं को अक्टूबर 2004 से सितम्बर 2005 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया । इसी प्रकार इस अवधि के दौरान चार कार्यशील सावंधिक निगमों ने भी विगत वर्षो के चार लेखाओं को अंतिम रूप दिया ।

---

[6] *ये कंपनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्होंने संबंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से अंशपूंजी, कर्जो, अनुदान एवं अथवा आर्थिक सहायता के रूप में बजट से सहायता प्राप्त की थी।*

मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एवं एक[7] नई कम्पनी ने प्रारंभ से ही अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है तथा तीन[8] कम्पनियों के लेखे अभी बकाया नहीं है।

30 सितंबर 2005 को 22 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं दो सांविधिक निगमों के लेखे एक से छः वर्षो की अवधि तक के लिये बकाया थे इनका विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	कार्यशील सरकारी कंपनियों/ निगमों की संख्या		अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिनके लेखे बकाया है	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ	
	सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगम			सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगम
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	1	--	1999-2000 से 2004-05	6	क-18	--
2.	2	--	2001-02 से 2004-05	4	क -7,19	--
3.	1	--	2002-03 से 2004-05	3	क-1	--
4.	6	--	2003-04 से 2004-05	2	क- 12,13,15,16, 17,21	--
5	12	2	2004-05	1	क-2,3,5,8,9, 10,14,22,23,24,27, 29	ख-1,2,
	22	**2**				

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.7 अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों) के वित्तीय परिणामों का सारांश ***परिशिष्ट-2*** में दिया गया है । इसके अतिरिक्त, निगमों द्वारा अंतिम रूप दिये गये उनके पिछले तीन वर्षों के लेखाओं में प्रत्येक की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम क्रमशः ***परिशिष्ट-4 एवं 5*** में दिए गए हैं ।

29 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों के अंतिम रूप दिए गए अद्यतन अंतिम लेखाओं के अनुसार, सात कंपनियों एवं दो निगमों को क्रमशः 64.31 करोड़ रूपए एवं 53.99 करोड़ रूपए की कुल हानि हुई और 13 कंपनियों तथा दो निगमों ने क्रमशः 36.35 करोड़ रूपए और 156.43 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया । वर्ष के दौरान गठित पांच[9] सरकारी कम्पनियों ने अपना कार्य आरंभ नहीं किया था एवं चार[10] नई कम्पनियों ने इस वर्ष हेतु कोई लाभ हानि लेखा तैयार नहीं किया।

---

7 परिशिष्ट-2 के क्रम संख्या क 17

8 परिशिष्ट-2 के क्रम संख्या क 4,6 एवं 11

9 परिशिष्ट - 2 की क्रम संख्या क-25,26,27,28 एवं 29

कार्यशील सरकारी कंपनियां

लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील कंपनियां और लाभांश

1.8 राज्य सरकार ने अंशपूंजी के न्यूनतम 12 प्रतिशत लाभांश के भुगतान के लिए एक लाभांश नीति बनाई(जुलाई 1998) थी । मध्य प्रदेश स्टेट सिविल स्पलाइज कारपोरेशन जिन्होनें सितम्बर 2005 तक 2004-05 के लिये अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, ने 1.01 करोड़ रुपये का लाभांश (8.42 प्रतिशत) घोषित किया।

इसी प्रकार जिन 21 कार्यशील सरकारी कंपनियों ने सितम्बर 2005 तक पिछले वर्षों के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया उनमें से 12 कंपनियों ने 16.66 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया तथा केवल आठ कंपनियों ने उत्तरोत्तर दो या दो से अधिक वर्षों के लिए लाभ अर्जित किया । तीन कंपनियों ने विगत वर्षों के लिए 72 लाख रूपए (13.03 प्रतिशत) का लाभांश वर्ष के दौरान घोषित किया। समस्त कार्यशील सरकारी कम्पनियों में सरकार की 220.55 करोड़ रुपये के कुल अंशपूंजी निवेश की तुलना में 2004-05 के दौरान लाभांश के रूप में राज्य सरकार को कुल प्रतिलाभ 0.78 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियां

1.9 हानि उठाने वाली सात कार्यशील सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियों को 650.77 करोड़ रूपए की कुल संचित हानि हुई जो उनकी 82.15 करोड़ रूपए की कुल प्रदत्त पूंजी से अधिक थी ।

खराब कार्य निष्पादन और प्रदत्त पूंजी के पूरी तरह क्षरण के बावजूद राज्य सरकार ने इन कंपनियों को अंशपूंजी, ऋण, ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन, आर्थिक सहायता आदि के रूप में वित्तीय समर्थन देना जारी रखा । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2004-05 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 12 कंपनियों को अंशपूंजी, ऋणों, अनुदान एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से प्रदत्त कुल 227.72 करोड़ रूपए का वित्तीय समर्थन दिया जिनमें से 6.41 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवम् हथकरधा विकास निगम लिमिटेड से संबंधित है जिसकी संचित हानि प्रदत्त पूँजी से अधिक हो चुकी है।

कार्यशील सांविधिक निगम

लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश

1.10 लाभ अर्जित करने वाली एक सांविधिक निगम जो कि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लोजिस्टिक्स कॉरपोरेशन है ने 2004-05 के अपने लेखाओं को वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया एवं 2003-04 में 27 लाख रुपए तथा 2004-05 में 30 लाख रुपये लाभांश की घोषणा की । मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल जिसने 2003-04 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया तथा तथा 151.05 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

---

[10] *परिशिष्ट - 2 की क्रम संख्या क-4,6,11 एवं 17*

हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

1.11 शेष दो हानि उठाने वाले निगमों (मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश वित्त निगम) की कुल संचित हानि 957.83 करोड़ रूपये थी जो उनकी 219.95 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी से चार गुना से भी अधिक थी ।

उनके खराब कार्य निष्पादन के बावजूद, वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सरकार ने दो सांविधिक निगमों को अंशपूजीं, ऋण एवं आर्थिक सहायता के रूप में 5.51 करोड़ रूपए की राशि का वित्तीय सहायोग प्रदान किया ।

कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन

1.12 कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन ***परिशिष्ट-6*** में दिया गया है । कार्यचालन निष्पादन के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुएः

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

1.12.1 2001-02 में 42.62 प्रतिशत की पारेषण एवं वितरण हानियाँ बढकर 2002-03 में 43.59 प्रतिशत हो गईं एवं लोड फैक्टर 2002-03 में 73.14 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में 70.21 प्रतिशत रह गई ।

1.12.2 कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिशतता 2001-02 में 12.47 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 14.81 प्रतिशत हो गई।

मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

1.12.3 मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या 2001-02 में 1,876 से घटकर 2003-04 में 1,269 रह गई तथा इसी अवधि के दौरान कर्मचारी एवं वाहन के अनुपात 6:1 वृद्धि होकर यह 8:1 हो गया तथा इसी आवधिक के दौरान परिचालित यात्री किलोमीटर 607.48 करोड़ किलोमीटर से घटकर 391.94 करोड़ किलोमीटर रह गई ।

मध्यप्रदेश वित्त निगम

1.12.4 2002-03 में कुल कर्जों की तुलना में चूक की प्रतिशतता 25.27 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 27.48 प्रतिशत हो गई।

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ

1.13 अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं (सितंबर 2005 तक) के अनुसार 29 कार्यशील कंपनियों में नियोजित पूंजी[11] 1,059.68 करोड़ रूपए संगणित की गई तथा उस

---

[11] *नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियों (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है । यह वित्त कंपनियों एवं निगमों को छोड़कर है जिनमें यह प्रदत्त पूंजी, निर्बाध आरक्षित*

पर कुल प्रतिफल[12] 15.61 करोड़ रूपये (1.47 प्रतिशत) था जबकि विगत वर्ष (सितम्बर 2004 तक के तैयार लेखाओं) में यह प्रतिफल (-)213.84 करोड़ रूपये था । इसी प्रकार कार्यशील सांविधिक निगमों के प्रकरण में उनके अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं (सितंबर 2005 तक) के अनुसार नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिफल क्रमशः 1,795.32 करोड़ रूपये और 533.75 करोड़ रूपये (29.73 प्रतिशत) था जबकि विगत वर्ष (सितंबर 2004 तक के तैयार लेखाओं) में यह प्रतिफल 299.91 करोड़ रूपये (4.78 प्रतिशत) था । कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के संबंध में नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिफल का विवरण ***परिशिष्ट-2*** में दिया गया है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सहमति पत्र के क्रियान्वयन की स्थिति

1.14 ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधारों हेतु संयुक्त प्रतिबद्धता के बतौर मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर (मई 2000) हस्ताक्षर हुए । सहमति पत्र में की गई संबंधित वचनबद्धता की तुलना में सुधार-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सहमति पत्र के अनुसार वचनबद्धताएं	लक्ष्य-निर्धारित पूर्णता अनुसूची	स्थिति (31 मार्च 2004 को)
1	2	3	4
	राज्य सरकार की वचनबद्धताएं	--	--
1	पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी	नहीं दी गई	33 के.वी. एवं 11 के.वी. नेटवर्क की ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु साफ्टवेयर विकास कार्य आरंभ किए गए। हानि में कमी की योजना का कार्यक्रम वित्तीय सहायता हेतु एशियन डवलपमेन्ट बैंक, पी.एफ.सी.एवं नाबार्ड की ओर भेजा गया। भारत सरकार ने एन.टी.पी.सी.को सलाहकार तथा परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया।
2	सभी 11 के वी वितरण फीडरों का शत प्रतिशत मीटरीकरण	दिसम्बर 2003	पूर्ण किया गया।
3	समस्त उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत मीटरीकरण	दिसम्बर 2004	पी.एफ.सी.ने 22.03.2002 को मीटरीकरण करने तथा उसके उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 211.00 करोड़ रुपये के स्कीम की स्वीकृति प्रदान की जिसे मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने निकाल लिया। 17 लाख सिंगल फेज, 3.41

निधियों, (बाण्ड्स) जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के आरंभिक तथा अंतिम शेषों के योग को औसत दर्शाती है ।

[12] नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज को लाभ-हानि लेखे में दर्शाए गए शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है/हानि में से घटाया गया है।

			लाख थ्री फेज मीटर एवं 7529 एच.टी.मीटर लगाये गये।
4	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों के बकाया प्राप्तव्यों का सुरक्षण (सिक्यूरिटीकरण)	अनुपलब्ध	सुरक्षण किया गया।
5	मण्डल का पुनर्गठन	अनुपलब्ध	पांच कम्पनी का निर्गमन किया गया
6	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2003 से आरंभ कर 2007 तक	51,806 ग्रामों में से 50,474 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया
7	ऊर्जा लेखापरीक्षा	जून 2001, पुनरीक्षित लक्ष्य सितम्बर 2002	132 के.वी. - 100 प्रतिशत 33 के.वी. - 92.46 प्रतिशत, 11 के.वी - 92.58 प्रतिशत
8	राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष के दौरान जारी किए गए टेरिफ आदेशों का क्रियान्वयन	प्रति वर्ष 31 दिसंबर को टेरिफ की स्थिति प्रस्तुत करना	मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु माननीय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को अगस्त 2004 में टैरिफ पिटिशन प्रस्तुत किया था। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 10-12-2004 को आदेश जारी कर दिये।
9	ग्रिड/उत्पादन स्टेशनों पर उर्जा मीटर संस्थापित करना	उपलब्ध नहीं	पूर्ण किया गया।
10	इलेक्ट्रोमेग्नेटिक मीटरों के बदले इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाना	उपलब्ध नहीं	26.62 लाख सिंगल फेज एवं 4.60 लाख थ्री फेज इलेक्ट्रोनिक मीटर मार्च 2004 तक संस्थापित किए गए ।
11	अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति	उपलब्ध नहीं	भारत सरकार ने 350 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया जिसमें से 50 मेगावाट विद्युत का आवंटन उत्तर क्षेत्र से किया जा चुका है।
12	जल विद्युत ऊर्जा विकास	उपलब्ध नहीं	मध्यप्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए । राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम नामक एक स्वतंत्र ज्वाइंट वेंचर यूटीलिटी पहले ही कार्य करना आरंभ कर चुकी है एवं उसने किसी तरह के प्रगति की रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को नहीं दिया है।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

1.15 राज्य में विद्युत शुल्क के निर्धारण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण आदि से संबंधित मामलों में परामर्श देने के उद्देश्य से विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (अधिनियम) की धारा 17 के अधीन अगस्त 1998 में किया गया था । इसने फरवरी 1999 से कार्य करना शुरू किया । आयोग एक कार्पोरेट निकाय है जिसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है । आयोग ने अभी तक (सितम्बर 2005) अपने प्रथम लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.16 मार्च 2004 तथा 2005 के अंत में नौ अकार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2003-04	9	59.69	0.19	139.11	198.99
2004-05	9	59.69	0.19	164.48	224.3[13]

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की स्थिति	कंपनियों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश	
			अंशपूंजी[14]	दीर्घावधि कर्जे
(i)	परिसमापनाधीन	5	12.39	--
(ii).	बंद होने वाले	4	47.49	164.48
	योग	**9**	**59.88**	**164.48**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्युक्त नौ अकार्यशील उपक्रमों मे से समस्त सरकारी कंपनियां एक से 22 वर्षो से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन परिसमापन अथवा बंद होने के कगार पर थीं और इन कंपनियों में 224.36 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश लगा हुआ था । इन कंपनियों के शीघ्र परिसमापन अथवा उन्हें पुनः चालू करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है ।

बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोड़ना तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

1.17 राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों को बजट के अंतर्गत प्रदत्त राशियों, अनुदानों/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियों, बकाया दायित्वों को छोड़ना तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन करने संबंधी विवरण ***परिशिष्ट 1 व 3*** में दिए गए हैं ।

---

13 *सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 153.12 करोड़ रुपये (अन्य 71.24 करोड़ रुपये) है। वित्त लेखे के अनुसार 38.04 करोड़ रुपये है। अन्तर का समायोजन किया जा रहा है।*

14 *अंशपूंजी में दो कम्पनियों के अंश आवेदन राशि का 0.19 करोड़ रुपये सम्मिलित है।*

1.18 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय

2004-05 तक के अंतिम तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों) पर कुल स्थापना व्यय एवं उनकी वित्त व्यवस्था के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि: लाख रुपए में)

वर्ष	सरकारी कंपनियों की संख्या	कुल स्थापना व्यय	निवेश/ परिसंपत्तियों का निर्वतन	वित्त के स्रोत		
				सरकार से प्राप्त		अन्य[15]
				ऋण	अनुदान	
2002-03	9	2,332.48	77.81	2195.66	--	59.01
2003-04	9	178.93	2.27	168.38	--	8.28
2004-05	9	97.55	85.85	--	--	11.70
योग	**--**	**2,608.96**	**165.93**	**2,364.04**	**--**	**78.99**

नोट:- स्थापना व्यय में वर्ष 2002-03 में असमान्य वृद्धि का कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लागू होना था। इस योजना पर हुये अत्यधिक खर्च को राज्य सरकार से प्राप्त ऋण से किया गया।

समापनाधीन नौ कंपनियों के स्थापना व्यय पर सरकार ने 2002-05 के दौरान 26.09 करोड़ रूपए का व्यय किया है । इन कंपनियों पर और अधिक अनुत्पादक व्यय को टालने के लिए इनको बंद करने हेतु त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.19 किसी भी अकार्यशील सरकारी कंपनी ने अपने 2004-05 के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया। नौ अकार्यशील कंपनियों के लेखे 30 सितंबर 2005 तक अंतिम रूप हेतु एक वर्ष से 15 वर्ष तक की अवधि के लिये बकाया थे जैसा कि ***परिशिष्ट-2*** में दिखाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.20 अंतिम अद्यतन लेखाओं के अनुसार अकार्यशील सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति का परिणाम ***परिशिष्ट-2*** में दिया गया है ।

नौं अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में अंशपूंजी के रूप में कुल निवेश 59.05[16] करोड़ रुपये का था। ये कम्पनियाँ हानि वहन कर रही थीं, जिसमें 12.03 करोड़ रुपये की नकद हानि तथा 124.88 करोड़ रुपये का ऋणात्मक निवल मूल्य था। इन कम्पनियों की 227.44 करोड़ रुपये की संचित हानि उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार उनकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना अधिक थी।

---

[15] वित्त व्यवस्था के अन्य स्त्रोत बैंकों से प्राप्त ब्याज, अनुदानों के व्यपवर्तन (डायवर्जन) तथा भण्डार के विक्रय से आय हैं ।

[16] मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की 1.04 करोड़ रुपये की अंशपूंजी समाविष्ट।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति

1.21 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (2001-02), मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (2002-03), मध्यप्रदेश वित्त निगम (2003-04) तथा मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (2002-03) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जा चुके हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

1.22 2004-05 के दौरान राज्य सरकार ने अपने किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन नहीं किया है ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

1.23 अक्टूबर 2004 से सितंबर 2005 के दौरान 27 सरकारी कंपनियों (22 कार्यशील एवं पांच अकार्यशील) तथा चार सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिये चुना गया था । सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अंतिम प्रभाव निम्नानुसार रहा:

क्रम संख्या	विवरण	लेखाओं की संख्या			(लाख रूपए में)		
		सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगम	सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगम
		कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील
1	लाभ में कमी	2	--	1	534.85	-	116.37
2	लाभ में वृद्धि	1	--	--	90.08	--	--
3	हानि में वृद्धि	5	3	3	54.49	517.46	149041.95
4	हानि में कमी	2	--	1	30.72	--	4.26
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	4	4	1	290.79	2567.71	4688.42
6	वर्गीकरण की त्रुटियां	4	--	--	120.87	--	--

सरकारी कंपनियों के संबंध में पाए गये दोष एवं चूकें

1.24 सरकारी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये कुछ दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	लेखावर्ष	दोष/चूकें	करोड़ रूपए में
1	मध्य प्रदेश स्टेट सिविल स्पलाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2002-03	भारतीय खाद्य निगम से अधिक परिवहन के लिये प्राप्त होने वाले क्लेम जिसे कि निरस्त किया जा चुका है के लिये प्रावधान नहीं बनाये गये।	1.94

2	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम मर्यादित	2003-04	कम्पनी के पास नगद साख उसके प्राप्त पूंजी से अधिक थी जिसका अनुमोदन अंशधारियों द्वारा वार्षिक आम सभा में नहीं किया गया था। जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 293(1) घ के विरूद्ध था।	85.92
3	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	2002-03	पूजीगत प्रगति पर कार्य में पिछले तीन सालों से परित्यक्त परियोजना सम्मलित है जिसके परिणामस्वरूप लाभ अधिक बताया गया।	1.31
4	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित	2002-03	कॉरपोरेट डिपौजिट पर प्राप्त होने वाले ब्याज का लेखा, जिसे मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मार्यादित (धारक कम्पनी) द्वारा अमान्य कर दिया गया है, के परिणामस्वरूप आय अधिक दिखाया गया एवं हानि को कम बताया गया।	0.12

सांविधिक निगमों के संबंध में पाए गये दोष एवं चूकें

1.25 सांविधिक निगमों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये कुछ महत्वपूर्ण दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	लेखावर्ष	दोष/चूकें	करोड़ रूपए में
1	मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2004-05	अंशधारियों के फण्ड पर ब्याज पर आयकर का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप दायित्व को कम तथा लाभ को अधिक बताया गया।	0.96
2.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल	2002-03	(1) उत्तर प्रदेश में रिहन्द हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के ऊर्जा में मंडल के हिस्सों को सम्मलित नहीं किया गया।	15.23
			(2) वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड के विवादास्पद क्लेम का ब्याज सहित लेखे नहीं किये गये।	188.45
			(3) वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा किये गये मूल्य वृद्धि के दावे पर दायित्व का प्रावधान न करना।	68.29

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन

1.26 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 2003-04 तक के तीन वर्षों के लिए कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन पर आधारित तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई प्रमुख अनियमितताओं एवं चूकों को ध्यान में रखते हुये और राज्य सरकार से प्राप्य आर्थिक सहायता/आर्थिक सहयोग को लेखाकरण में सम्मिलित न करते हुए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की नियोजित पूंजी पर शुद्ध आधिक्य/कमी तथा प्रतिफल की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2001-02[17]	2002-03	2003-04
1.	लेखापुस्तकों के अनुसार शुद्ध आधिक्य/(-) कमी	(-)1,160.50	(-)166.92	(+)151.05
2.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	542.96	668.39	818.39
3.	राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के पूर्व शुद्ध आधिक्य/(-) कमी (1-2)	(-)1,703.46	(-)834.92	(-)667.34
4.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों के कारण शुद्ध आधिक्य/ (-) कमी में शुद्ध वृद्धि/कमी	(-)573.11	(-)465.27	टिप्पणियों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
5.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परंतु राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता से पूर्व शुद्ध आधिक्य/(-) कमी (3-4)	(-)2,276.57	(-)1,300.19	--
6.	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल**	**(-) 23.17**	**(-)266.77**	--

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएं एवं प्रणालीगत कमियां

1.27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान उनके वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताओं एवं प्रणालीगत कमियों के संबंध में बार-बार इंगित किया गया परंतु इन उपक्रमों ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है ।

सांविधिक निगम

1.28 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

- मण्डल ने स्थाई परिसंपत्तियों (मण्डल के अस्पताल को छोड़कर) के विवरण यथा लोकेशन, मात्रा, मूल्य, अधिप्राप्ति/अधिष्ठापन तिथि, मूल्यह्रास प्रभार आदि दर्शाते हुए निर्धारित पंजियों को तैयार नहीं किया है । परिणामस्वरूप लेखाओं में प्रदर्शित मूल्य का लेखापरीक्षा में प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका । परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया ।
- अन्य सामग्री में सामग्री सस्पेंस लेखे के 51.00 लाख रुपये (डेविट) एवं 22.72 लाख रुपये के (क्रेडिट) शेष सम्मलित है जिसका समय अवधि विवरण उपलब्ध नहीं थे।
- इकाइयों की लेखापरीक्षा में बहुत से लेखे शीर्ष के शेष विपरित पाये गये।

---

[17] *मण्डल ने लेखापरीक्षा की प्रारंभिक टिप्पणियों के अनुसार अपने लेखाओं को संशोधित किया तथा इसके प्रभाव से इसकी हानि में 356.55 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई*

1.29 मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

- परिसंपत्तियों (बेड़े के अतिरिक्त) का भौतिक सत्यापन 1975-76 से नहीं किया गया है ।
- परिसंपत्तियों का विवरण तथा अधिग्रहण की तिथि, स्थान, स्थिति, आदि दर्शाते हुए परिसंपत्ति-पंजी का संधारण नहीं किया गया ।
- प्रगति पर निर्माण कार्यों के विवरण अर्थात प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान वृद्धि, स्थाई परिसंपत्तियों में अंतरित राशि तथा प्रतिवर्ष के अंत में अंतशेष आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यथाअपेक्षित लेखाओं में नहीं दर्शाए गए हैं ।
- अग्रिमों एवं जमाओं (डिपॉजिट) के वर्ष-वार तथा पार्टी-वार विवरण तैयार नहीं किए गए हैं ।
- अन्य राज्य सड़क परिवहन निगमों के विरुद्ध दस वर्षों के अधिक समय से 47.95 लाख रूपए बकाया हैं।
- देनदारों से अधिशेषों की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई तथा अवधि-वार एवं पार्टी-वार विवरण उपलब्ध नहीं था।
- कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया।
- निगम ने वर्ष 1991-92 में वेस्टर्न रेलवे से 18488 वर्ग मीटर जमीन मय भवन एवं रिहाइशी मकान अगार डिपों, उज्जैन के लिये अधिग्रहित किया था जिसके मूल्य के भुगतान न किये जाने के तथ्य का खुलास नहीं किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देश पर आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में सुधार हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन

1.30 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई कंपनियों के बारे में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं तथा ऐसे क्षेत्रों, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, की पहचान करने पर उन्हें विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है । उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को अक्टूबर 2004 से सितम्बर 2005 के मध्य 29 कार्यशील सरकारी कंपनियों के संबंध में निर्देश/उप निर्देश जारी किए गए थे । इस प्रकार से जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में 12 सरकारी कंपनियों के 14 लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए (सितम्बर 2005) ।

राज्य सरकार की कंपनियों की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की संभावना पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाओं/अभ्युक्तियों की प्रकृति के संबंध में विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई अनुशंसाओं की प्रकृति	उन कंपनियों की संख्या जिनके संबंध में अभ्युक्तियां है	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार एवं क्रियाकलापों के अनुरूप नहीं थी।	4	1,5,10,14
2	भण्डार की कमियों तथा हानि के दावों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था।	1	5
3	संपत्ति एवं परिसंपत्ति-पंजियां संधारित नहीं की गईं हैं।	4	1,8,11,12
4	भण्डार का अधिकतम, न्यूनतम तथा पुनरादेश-स्तर और मितव्ययी आदेश मात्रा निर्धारित नहीं की गई है	3	1,11,12
5	बकाया प्राप्तव्यों की समय से वसूली पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं।	3	11,12,20
6	मासिक बैंक समाधान कार्य नहीं किया गया।	2	1,23
7	लेखाओं के मानकों का अनुपालन न करना।	5	1,5,8,11,20
8	लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण न करना।	4	5,8,11,12
9	शक्तियों के प्रत्यायोजन में दोष	3	1,11,22

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुसंशाएं

1.31 आठ सरकारी कंपनियों (कार्यशील)[18] के अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी उनका टर्नओवर अंतिम रूप से संवरित लेखाओं के पूर्ववर्ती पांच वर्षो में प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रूपए से कम था । इसके अतिरिक्त एक[19] सरकारी कम्पनी जो निरन्तर पांच वर्षो से हानि उठा रही है उसका निवल मूल्य नकारात्मक रही। कम टर्नओवर एवं निरंतर हानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार या तो इन सरकारी कंपनियों के निष्पादन में सुधार के उपाय करे अथवा इनको बंद करने पर विचार करे ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

1.32 सितंबर 2005 के अंत में कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा तथा कोपू में चर्चा हेतु लंबित समीक्षाओं/कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

---

[18] *मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल), (जबलपुर), (रीवा), औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (ग्वालियर) मर्यादित, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, द प्रावीडेण्ट इन्वेस्टमेण्ट कंपनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।*

[19] *मध्य प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड*

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई समीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या		चर्चा हेतु बकाया समीक्षाओं/ कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षाएं	कंडिकाएं	समीक्षएं	कंडिकाएं
2000-01	02	15	01	04
2001-02	03	23	02	03
2002-03	03	20	03	12
200-04	02	17	02	17

619-बी कंपनियां

1.33 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अधीन आने वाली मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र मर्यादित नाम की एक कंपनी है जो अकार्यशील है । इसके 1989-90 तक उपलब्ध अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य सरकार की कंपनियों (1.26 करोड़ रूपए) तथा केन्द्र सरकार और इसकी कंपनियों (24 लाख रूपए) का अंशदान प्राप्त कर 1.50 करोड़ रूपए की कुल प्रदत्त पूंजी वाली इस कंपनी को वर्ष के दौरान 63 लाख रूपए की हानि हुई थी । वर्ष 1989-90 तक इसकी संचित हानि 3.78 करोड़ रूपए थी ।

दूसरा अध्याय

सरकारी कम्पनियों से संबंधित समीक्षायें

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा विकासात्मक एवं वित्तीय सहायता

मुख्यांश

कम्पनी द्वारा इसके कथित लक्ष्यों के संदर्भ में इसका निष्पादन अत्यधिक कम रहा। यह एक भी आदिवासी परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में विफल रहा। कम्पनी द्वारा परिचालित समस्त योजनाओं के अंतर्गत 2000-05 के दौरान भौतिक के साथ वित्तीय उपलब्धियों को हानि हुई एवं वे अत्यधिक निम्न स्तर पर पहुंच गई।

(कंडिका 2.1.9 एवं 2.1.7)

कम्पनी के उपार्जित लाभों के संदर्भ में इसका निष्पादन इसकी व्यय राशि की तुलना में कम रहा। 2000-05 के दौरान कम्पनी ने 2.34 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्थापना व्यय पर 5.61 करोड़ रुपए का व्यय किया। यद्यपि कम्पनी को यह जानकारी थी कि योजना की विफलता, कर्मचारियों के अनुत्तरदायित्व एवं भंयकर भ्रष्टाचार के कारण थी, फिर भी यह इन कमियों को ठीक करने के कोई भी सुधारात्मक उपाय करने में यह विफल रही।

(कंडिका 2.1.7 एवं 2.1.9)

कम्पनी 2000-05 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संस्वीकृति 33.89 करोड़ रुपए में से केवल 7.45 करोड़ (22 प्रतिशत) का आहरण कर सकी तथा हितग्राहियों को केवल 2.07 करोड़ रुपए (6 प्रतिशत) का भुगतान कर सका। कम्पनी द्वारा कर्जो का आहरण करने के उपरांत, हितग्राहियों का पता लगाने में विफल रहने के कारण 18 योजनाओं के संबंध में इसे 5.38 करोड़ रुपए का प्रति भुगतान करना पड़ा। इसके द्वारा हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ने 12.01 करोड़ रुपए की कर्ज सहायता निरस्त कर दी।

(कंडिका 2.1.7)

कम्पनी द्वारा क्रियान्वित कुछ योजनाएं हितकारी नहीं थी, उनका प्रर्याप्त रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया तथा संचालक मंडल ने उनका अनुमोदन नहीं किया था।

(कंडिका 2.1.14, 2.1.15 तथा 2.1.16)

2000-05 के दौरान वसूली योग्य कुल 30.05 करोड़ रुपए के प्राप्तव्यों में से कम्पनी केवल 5.81 करोड़ रुपए वसूल कर सकी। वसूली की प्रतिशतता 12.5 (2000-01) से घटकर 1.6 (2004-05) प्रतिशत रह गई।

(कंडिका 2.1.25)

यद्यपि 1.22 करोड़ आदिवासियों में 82.78 लाख (68 प्रतिशत) निरक्षर हैं तथापि कम्पनी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के मध्य विस्तृत रूप में प्रचार करने एवं तथा अपने क्रियाकलापों की जानकारी के सृजन हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की।

(कंडिका 2.1.12)

कम्पनी ने इसके आरंभ से 51.29 लाख की आदिवासी जनसंख्या (20-59 वय वर्ग) में से केवल 2520 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता दी, जो 0.05 प्रतिशत का अत्यधिक क्षीण विस्तार दर्शाती है।

(कंडिका 2.1.18)

26 जिलों में 1790 हितग्राहियों में से केवल 192 महिलाओं (10.7 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता दी गई। यद्यपि कम्पनी ने महिलाओं के लाभार्थ विशिष्ट योजनाएं निश्चित की थी (अगस्त 2001) तथापि इसने ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की (मार्च 2005)।

(कंडिका 2.1.19)

राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा हितग्राहियों को कर्जो का संवितरण करने हेतु निर्धारित 90 दिवस के समय की तुलना में कम्पनी ने कर्जो का संवितरण करने में 4.5 से 60 माह की अवधि लगाई जिसके परिणामस्वरूप हितग्राही स्वरोजगार के कारण समय से मिलने वाले लाभ से वंचित रहे।

(कंडिका 2.1.20)

प्रस्तावना

2.1.1 आदिवासियों के हितार्थ वित्तीय एवं आर्थिक विकासात्मक क्रियाकलापों को बढ़ाने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सरकार ने लाभ अनार्जित करने वाली एक सरकारी कम्पनी आरंभ की।

राज्य के आदिवासियों के स्वास्थ्य, स्वास्थ्य रक्षा एवं सफाई में सुधार, निरक्षरता एवं गरीबी को दूर करने, शोषण, नृशंसता, कुपोषण, अंधविश्वास, दीर्घकालिक ऋणग्रस्तता तथा उनमें बेरोजगारी का निवारण एवं उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु सामाजिक , आर्थिक और शैक्षणिक सुधार के लिए योजनाएं, परियोजनाएं व कार्यक्रम कार्यान्वित

करने के उद्येश्य से सितम्बर 1994 में मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) को निगमित किया गया।

अब तक कम्पनी केवल स्वरोजगार योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है। कम्पनी ने अपने कथित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कोई अल्पकालीन अथवा दीर्धकालीन स्वरूप दर्शाने वाली योजना अब तक (मार्च 2005) तैयार नहीं की है।

कम्पनी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का वित्त पोषण राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम करते थे। कम्पनी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से पुनवित्त योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में राज्य सरकार की आर्थिक सहायता जारी करने हेतु केन्द्र कि एजेन्सी के रूप में भी कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कम्पनी को प्रतिवर्ष कर्ज आवंटन के बारे में सूचना देती है। कम्पनी, आदिवासियों की आवश्यकता, उनकी रूचि, अनुभव, बाजार संभावना, जीवनक्षमता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कृषि, परिवहन, उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित पूर्णकालिक स्वरोजगार योजनाएं तैयार करती है। राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्वीकृति के उपरांत जिला कार्यालय उन आवासी आदिवासी हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 31,952 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 42,412 रुपए से अधिक नहीं होती। आवेदनपत्रों की संवीक्षा के उपरांत ये बाजार मांग, जीवनक्षमता इत्यादि जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों के चयन हेतु जिला योजना समिति की ओर अग्रेषित किए जाते हैं। तदुपरांत कर्ज निधियों हेतु हितग्राहियों की एक सूची राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की ओर भेजी जाती है। आहरित कर्ज निधियां जिला कार्यालयों के माध्यम से हितग्राहियों को संवितरित की जाती है तथा योजनाओं को कार्यान्वित करने के उपरंत उपयोग प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को भेजे जाते हैं। इसी प्रकार की कार्यप्रणाली राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में अपनाई जाती है सिवाय इसके कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम निधियों का वार्षिक आवंटन नहीं करता।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक योजनाएं कम्पनी के जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतों की सहायता से तैयार किये जाते हैं तथा कर्जो की संस्वीकृति हेतु वाणिज्यिक बैंकों में प्रस्तुत की जाती है। जैसे ही और जब भी हितग्राहियों को संवितरित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, कम्पनी उसे बैंक को जारी करती है।

प्रबंध संचालक कम्पनी का मुख्य कार्यपालक होता है तथा उसकी सहायता हेतु मुख्यालय में महाप्रबंधक एवं जिला स्तर पर प्रबंधक होते हैं।

31 मार्च 2005 के अनुसार कम्पनी की रांगठनतालिका निम्नानुसार है ;

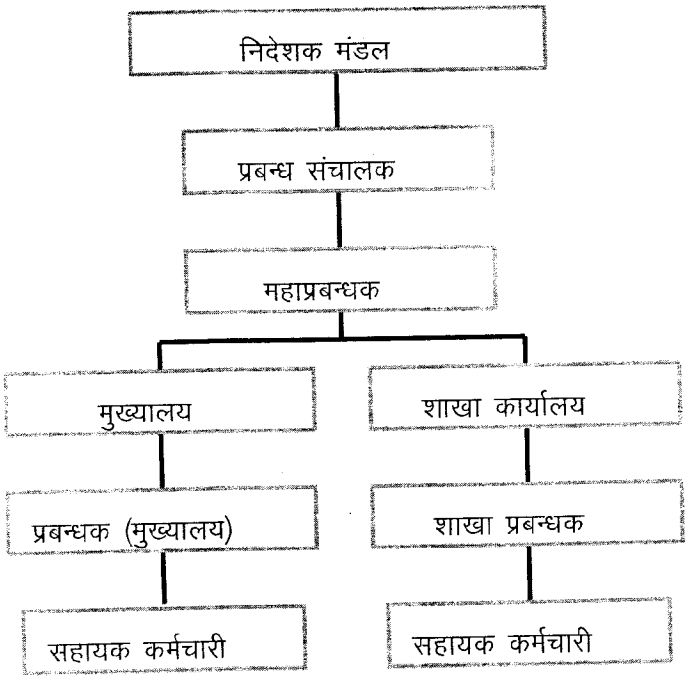

45 में से 31 जिलों में कम्पनी के क्रियाकलापों की देखभाल राज्य सरकार के आदेशों (जुलाई 1999) के अनुसार संबंधित जिला उद्योग केन्द्र करते हैं। शेष 14 जिलों में कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए प्रबंधकों के मुख्याधिकार में इसकी शाखाओं के माध्यम से व्यवस्थापन किया जाता है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1.2 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो में कम्पनी के विकासात्मक एवं वित्तीय सहायता गतिविधियों के सम्बन्ध में (संचयी वितरित कर्ज सहायता की मात्रा के आधार पर चयनित 45 जिला कार्यालयों में से 15* के नमूने सहित) निष्पादन की समीक्षा नवम्बर 2004 से अप्रैल 2005 के दौरान की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने की दृष्टि से लेखापरीक्षा की गई कि क्या :

---

* *झाबुआ, धार, बरवानी, होशंगाबाद, खरगौन, शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बेतुल, रायसेन, गुणा, सिवनी, भोपाल एवं सिहोर।*

- कम्पनी ने प्रभावकारी रूप में, मितव्ययता से एवं दक्षतपापूर्व अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया ;

- निर्धारित जनसंख्या को प्रर्याप्त रूप में समावेशित कर लिया गया था तथा उसके परिणाम आदेश के अनुरूप है;

- मूल्यांकन की प्रणाली ने न केवल कर्जो का प्रतिभुगतान सुनिश्चित करने वाली तथा पोषणीय आधार पर आय सृजन में सक्षम योजनाओं का चयन ही सुनिश्चित किया है बल्कि लक्ष्य निर्धारित संवर्ग का आर्थिक उत्थान भी सुनिश्चित किया;

- कम्पनी ने अपनी योजनाएं गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पूर्णकालिक स्वरोजगार चाहने वाले आदिवासियों के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर अथवा प्रखण्ड स्तर पर उपलब्ध आदिवासियों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए तैयार की;

- कम्पनी ने अपने दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं को व्यवस्थापित किया तथा हितग्राहियों का समावेशन राज्य में जनसंख्या के आकार/क्षेत्र/घनत्व के अनुरूप किया ;

- राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से आहरित निधियां कथित लक्ष्यों हेतु प्रभावकारी उपयोग में लगाई गई तथा उनमें से किसी की वापसी अथवा व्यपवर्तन नहीं किया गया;

- कम्पनी ने कर्जो के संवितरण के उपरांत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा बेहतर समावेशन हेतु नए हितग्राहियों को कर्ज के पुनर्चक्रन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को कर्जो का प्रतिभुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वसूली के लिए भी परिवीक्षण की प्रभावशाली प्रणाली अपनाई।

- व्यवस्थापित/कार्यान्वित योजनाओं की सक्षमता तथा परिणाम की आवधिक रूप में समीक्षा अथवा मूल्यांकन किया गया ताकि उनमें आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.4 हितग्राहियों के चयन, समावेशन की कार्यप्रणाली, योजनाओ के संघटन एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश, प्रशिक्षण दिए जाने की प्रणाली, कर्जे के आहरण, संवितरण प्रतिभुगतान तथा योजनाओं के कार्यान्वयन, का समयसूचक ढांचा राज्य सरकार को प्रेषित लक्ष्य के प्रति वचनबद्धता और विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत योजनाओं के लिए निधियों के आवंटन को प्राथमिकता दिए जाने हेतु मानकों, के विरूद्ध कम्पनी के निष्पादन का आकलन किया गया।

अप्रैल/मई 2004 के दौरान किए गए पथदर्शक अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षो के आधार पर विशेष प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र; कुल आदिवासी जनसंख्या की तुलना में समावेशित आदिवासियों की संख्या, पूर्व-संस्वीकृति तथा संवितरणोत्तर निरीक्षण में कमी, विलम्बित देयताएं, योजनाओं के मूल्यांकन की दक्षता एवं प्रभावकारिता, वसूली का परिवीक्षण तथा योजनाओं का अनुवर्तन व प्रभाव आकलन करना निर्धारित किए गए।

लेखापरीक्षा विधि

2.1.5 निम्नांकित मिलीजुली विधि अपनाई गई:

राज्य सरकार के साथ की गई मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैडिंग की संवीक्षा, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन की सीमा, शाखा/जिला कार्यालयों द्वारा योजना बनाने एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं चयन समितियों द्वारा हितग्राहियों के चयन की समीक्षा, उपयोग प्रमाणपत्रों के संदर्भ में हितग्राहियों कों कर्जे संस्वीकृत, किए जाने एवं जारी किए जाने की संवीक्षा, कर्जो के संवितरण के उपरांत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कार्यविधि की परीक्षा तथा राज्य सरकार को भेजे गए प्रतिवेदनों कें संदर्भ में आर्थिक सहायता की मांग, इसकी प्राप्ति एवं उपयोग की नमूना जांच।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार/प्रबंधन को जुलाई 2005 में सूचित किए गए तथा 16 अगस्त 2005 को हुई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई, जहां सचिव, आदिवासी विकास विभाग ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया तथा प्रबंधक (स्थापना) ने कम्पनी का प्रतिनिधित्व किया। तदुपरांत सरकार/प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न परिच्छेदों में वर्णित है:-

लक्ष्यों की प्राप्ति

2.1.6 31 मार्च 2005 को समाप्त पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी के लक्ष्य एवं उपलब्धियां ***परिशिष्ट - 7*** में दर्शाए गए हैं। परिशिष्ट में दृष्टव्य है कि :

कम्पनी लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही।

- कम्पनी समस्त संस्वीकृत योजनाओं के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। इसकी मुख्य गतिविधियों अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगग तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से वित्त पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्धियां बहुत कंम रही तथा इसकी वास्तविक उपलब्धियां 2000-01 के 66 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 10 प्रतिशत (राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम) एवं 64 प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत से कम (राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम) रह गई।

- राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के संबंध में वित्तीय उपलब्धि 2000-01 में 44 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 11 प्रतिशत रह गई तथा उसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की 60 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह गई।

वार्षिक योजना तैयार करने क्षेत्र, हितग्राहियों के समावेशन तथा कर्ज की राशि हेतु लक्ष्य निर्धारित करने वाली कोई प्रणाली नहीं थी।

- यद्यपि सरकार को लक्ष्यों का वचन दिया गया था तथापि कम्पनी ने हितग्राहियों की संख्या तथा संवितरित किए जाने वाले कर्जो की राशि के लिए कोई वर्षवार लक्ष्य तय नहीं किया क्योंकि वार्षिक योजना तैयार करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

- कम उपलब्धियां मुख्यतः कम मूल्यांकन, अप्रभावकारी परिवीक्षण तथा अत्यंत कम वसूली के कारण थी।

योजनाओं का कार्यान्वयन

कर्ज सहायता की संस्वीकृति

2.1.7 निम्नांकित तालिका, 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा किए गए आवंटन, प्रस्तुत की गई योजनाओं, संस्वीकृत कर्जो, जारी की गई राशि तथा कम्पनी द्वारा वापस की गई एवं शाखाओं को संवितरित राशियों के वर्षवार विवरण दर्शाती है।

वर्ष	राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा आवंटन	प्रस्तुत की गई योजनाएं		संस्वीकृत कर्ज		राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी निगम द्वारा आवंटित कर्ज		कम्पनी द्वारा वापस की गई कर्ज		शाखाओं को संवितरित राशि	
	राशि (लाख रुपए में)	हितग्राहियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	हितग्राहियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	हितग्राहियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	हितग्राहियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	हितग्राहियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
2000-01	914.18	372	851.90	190	474.80	190	341.80	201	235.82	558	557.37
2001-02	864.18	1493	1012.72	303	754.52	1	6.80	26	7.64	216	354.08
2002-03	1128.11	2750	1270.38	839	1201.12	355	281.93	67	50.97	116	149.69
2003-04	1411.00	50	198.32	2302	500.93	83	114.59	--	-	195	216.71
2004-05	1411.00	306	590.16	206	457.88	--	-	172	243.62	59	56.38
योग	**5728.47**	**4971**	**3923.48**	**4840**	**3389.25**	**629**	**745.12#**	**466**	**538.05 @**	**1144**	**1334.23***
प्रतिशत			68 (कॉलम 4 से 2)		86 (कॉलम 6 से 4)		22 (कॉलम 8 से 6)		72 (कॉलम 10 से 8)		23 (कॉलम 12 से 2)

*# 2000-01 से पूर्व संस्वीकृत योजनाओं से संबंधित 23.80 लाख रुपए समाविष्ट। @ 2000-01 के पूर्व आहरित कर्जो से संबंधित 238.88 लाख रुपए समाविष्ट। * पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त 11 करोड़ रुपए के कर्जे समाविष्ट।*

उपर्युक्त तालिका में दृष्टव्य है कि :

राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम से संस्वीकृत कर्जो का केवल 22 प्रतिशत प्राप्त किया गया।

- कम्पनी आवंटन राशि के केवल 68 प्रतिशत के लिए योजनाएं प्रस्तुत कर सकी इसने प्रस्तुत योजनाओं के केवल 86 प्रतिशत के लिए संस्वीकृति प्राप्त की तथा संस्वीकृत कर्जो के केवल 22 प्रतिशत के लिए निधियां प्राप्त की।
- कम्पनी द्वारा कर्ज के आहरण की प्रभावकारी राशि 2.07 करोड़ रूपए[a] रही अर्थात आबंटन (57.28 करोड़ रूपए) की केवल चार प्रतिशत एवं संस्वीकृत कर्ज (33.89 करोड़ रूपए) की छः प्रतिशत, जो योजनाओं के पूर्णरूपेण कम निष्पादन को दर्शाती है।
- शाखाओं को संवितरित 13.34 करोड़ रुपए में से केवल 2.34 करोड़ रुपए 2000-05 के दौरान संस्वीकृत योजनाओं से संबंधित थे तथा 11.00 करोड़ रूपए 2000-01 के पूर्व संस्वीकृत योजनाओं हेतु थे।
- शाखा/जिला कार्यालयों को संवितरित राशि 2000-01 में 5.57 करोड़ रुपए से घटकर 2004-05 में 56.38 लाख रुपये (10.1 प्रतिशत) रह गई।

हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने में कंपनी की विफलता के कारण राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ने 12.01 करोड़ रुपए के कर्ज निरस्त कर दिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कर्ज के आहरण एवं हितग्राहियों की संख्या में कम्पनी का निम्न निष्पादन, कर्ज जारी किए जाने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने में कंपनी की विफलता तथा परिणामतः संस्वीकृत 33.89 करोड़ रुपए में से 12.01[1] करोड़ रुपए तक के कर्ज निरस्त किए जाने के कारण रहा। इसी प्रकार 2000-05 के दौरान कम्पनी द्वारा आहरित किए 4.22[2] करोड़ रुपए के निवल कर्जो में से, इसने केवल 2.34 करोड़ रुपए 211 हितग्राहियों को संवितरित किए, जिसके लिए इसने स्थापना व्यय पर 5.61 करोड़ रुपए का व्यय किया। त्वरित संवितरण नियमित रखने हेतु हितग्राहियों को शाखाओं द्वारा निधियों का संवितरण मासिक/त्रैमासिक आधार पर सुनिश्चित करने एवं ब्याज की हानि टालने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को असंवितरित राशि समय से वापस करने के लिए मुख्यालय में कोई प्रणाली नहीं थी।

हितग्राहियों को कर्जो का त्वरित संवितरण करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि कर्ज सहायता में कमी राज्य सरकार से गारण्टी की निरंतरता के अभाव के कारण थी। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि कम वित्तीय

---

[a] *745.12 लाख रुपए - 538.05 लाख रुपये = 207.07 लाख रुपये*

[1] *745.12 लाख रुपए घटाव (23.80 लाख रुपये जोड़ः 299.17 लाख रुपये = 422.15 लाख रुपए)*

[2] *1334.23 लाख रुपये घटाव 1100.54 लाख रुपये = 233.69 लाख रुपये*

सहायता जारी किया जाना, कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को हितग्राहियों की सूचियां प्रस्तुत न की जाने तथा कर्जे के प्रतिभुगतान में चूक के कारण थी। इसके अतिरिक्त, इसी कारणवश कम्पनी द्वारा आहरित 5.38 करोड़ रुपए की कर्ज निधियां वापस की गई एवं 12.01 करोड़ रुपए के कर्जे निरस्त किए गए।

योजनाओं का निष्पादन

2.1.8 2000-05 के दौरान कम्पनी ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परिवहन उद्योग एवं अन्य सेवाओं से संबंधित में 25 योजनाएं निष्पादित की। 17 योजनाओं की संवीक्षा में योजनाओं के संघटन, कार्यान्वयन एवं परिवीक्षण तथा कर्जो के प्रबंधन में विभिन्न कमियां/चूकें प्रकट हुई। योजनाओं के संबंध में कतिपय बड़ी चूकें निम्नांकित हैं,

टेन्ट हाउस, डेरी फार्मिंग (डेरी उद्योग) तथा जीप टैक्सी

कम्पनी ने योजनाओं में भागीदार बनने के लिये हितग्राहियों की मांग/सहमति का आकलन किये बिना ही 1.43 करोड़ रुपए की लागत से 150 हितग्राहियों के लिये टेन्ट हाउस योजना तैयार की। मार्च 2000 में आहरित 1.11 करोड़ रुपए का ऋण 84.36 लाख रुपए की मात्रा तक (60 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा क्योंकि कम्पनी 73 हितग्राहियों (48.7 प्रतिशत) को ऋण वितरित करने में असफल रही।

इसी प्रकार कम्पनी ने मॉग का आकलन किये बिना 1.40 करोड़ रुपए की कुल लागत से डेयरी फार्मिंग इकाइयों की स्थापना के लिये 200 हितग्राहियों के लिये योजना तैयार की। कम्पनी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से 1.06 करोड़ रुपए की निधियां आहरित की (जनवरी 2000) परन्तु वह 126 हितग्राहियों में से 74 (58.73 प्रतिशत) की पहचान करने में असफल रही तथा 49.82 लाख रुपए की निधियां अप्रयुक्त रही।

इन दोनों योजनाओं के सम्बन्ध में, प्रबंध समिति ने बताया कि शाखा प्रबंधक अन्य विभागों से सम्बन्धित थे जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। यह उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि, कम्पनी को राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के माध्यम से शाखा प्रबंधकों की कार्यप्रणाली नियमित कर लेनी चाहिये थी।

जीप टैक्सी के लिये एक अन्य योजना में भी कम्पनी ने पूर्व चरणों की कार्यपूर्ति सुनिश्चित किये बिना इस योजना का (चरण -VIII)संस्वीकृत कराया जिसमें कि वसूली दर केवल 32 प्रतिशत थी। (चरण -VIII) भी सफल नहीं हुआ था क्योंकि मार्च 2001 में आहरित 1.25 करोड़ रुपए के ऋण का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका तथा हितग्राहीगण ऋण का नियमित प्रतिभुगतान नहीं कर रहे थे।

प्रबंध समिति ने बताया कि शाखाओं में अधिकारियों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण कमजोर वसूली हुई। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, कम्पनी को वसूली में सुधार करने के लिये कदम उठाने चाहिये थे।

बकरा फार्मिंग (गोट फार्मिंग)चरण -II

कम्पनी ने मार्च 2002 में संस्वीकृत योजना के विरूद्ध 1.40 करोड़ रुपए **(मार्च 2003)** आहरित किये। 60 हितग्राहियों की पहचान करने के पश्चात भी कम्पनी ने **समस्त** हितग्राहियों को सम्पूर्ण ऋण जारी नहीं किया। इसके कारण अभिलेख में **नहीं दर्शाये** गये थे। इसके परिणामस्वरूप 95.53 लाख रुपए की राशि (68 प्रतिशत) **अप्रयुक्त बची** रही। लेखापरीक्षा के दौरान यह भी जानकारी में आया कि इस योजना के चरण-1 में वसूली छः जिलों में केवल 10 प्रतिशत तक हुई जबकि चरण -II में भी वसूली **की दर** बहुत कम थी।

प्रबंध समिति ने बताया कि कम वसूली होने का कारण शाखाओं पर्याप्त कर्मचारी न होना था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है तथा इसमें पहचान किये गये हितग्राहियों को ऋण संवितरित करने में हुई असफलता का उल्लेख नहीं है।

छोटा डम्पर चरण II

यह योजना माँग को सुनिश्चित किये बिना तथा 25 हितग्राहियों के काल्पनिक नाम देकर 1.45 करोड़ रुपए संस्वीकृत कराई गई थी (जनवरी 2000) कम्पनी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से 1.14 करोड़ रुपए राशि की निधियां आहरित की (मार्च 2000)। 25 हितग्राहियों में से कम्पनी ने फरबरी 2001 में केवल छः हितग्राहियों (24 प्रतिशत) को 27.3 लाख रुपए के ऋण वितरित किये और 86.45 लाख रुपए (76 प्रतिशत) का वितरण ही नहीं किया गया। यह भी जानकारी में आया कि ऋण के वितरण में विलम्ब अर्थात 11 माह के कारण छः हितग्राहियों पर 4.37 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा क्योंकि उस समय तक डम्पर की कीमत बढ़ चुकी थी।

प्रबंध समिति ने बताया कि यह विलम्ब उसकी शाखाओं द्वारा किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, कम्पनी को विलम्ब का निवारण करने के लिये उसकी अपनी ही शाखाओं की कार्यप्रणाली को नियमित करने के लिये कदम उठाने चाहिये थे। यह भी कि हितग्राहियों की पहचान किये बिना ऋण निधियों का आहरण करने से योजना का उद्धेश्य ही निष्फल हो गया।

मुद्रणालय

कम्पनी ने 1.30 करोड़ रुपए (मियादी ऋण : 1.03 करोड़ रुपए कम्पनी द्वारा सीमांत धन (मार्जिन मनी) ऋणः 19.50 लाख रुपए, हितग्राही अंशदानः 6.50 लाख रुपए तथा आर्थिक सहायताः 1.20 लाख रुपए) की लागत से संस्वीकृत एक मुद्रणालय योजना के अधीन 1.03 करोड़ रुपए आहरित किये (मार्च 1998)। इस योजना की शर्तो में अनूसूचित जनजाति हितग्राहियों को प्रत्येक 4.36 लाख रुपए की लागत से पाँच स्टैप प्रिंटिंग स्पीड तथा पैरीफेरल्स (मशीनें) के साथ 20 रिजोग्राफ डिजिटल डुप्लीकेटर/प्रिन्टर डिजिटल स्केनर और एसेसरीज (उप साधर) सहित प्रदाय करने की योजना थी। कम्पनी ने 20 हितग्राहियों के चयन हेतु लक्ष्य के रूप में मार्च 1998 निर्धारित किया

तथा उसके साथ ही महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान दर संविदा पर एक प्रदायकर्त्ता को 20 मशीनों के प्रदाय के लिये आदेश जारी किया। गंतव्य पर पहुंचने हेतु हितग्राहियों के पते बाद में प्रदान किये जाने थे। यद्यपि कम्पनी ने हितग्राहियों के पते नहीं भेजे थे तो भी प्रदायकर्त्ता ने कम्पनी को मशीनें भेज दीं (अप्रैल एवं मई 1998) तथा संविदा की शर्तो के अनुसार, विक्रय मूल्य के 98 प्रतिशत के भुगतान हेतु अनुरोध किया। कम्पनी ने प्रदायकर्त्ता को 90.44 लाख रुपए का भी भुगतान किया (अप्रैल/जून 1998)। 6.15 लाख रुपए की शेष राशि का भुगतान नवम्बर 2002 में किया गया।

कम्पनी ने नवंम्बर 1998 से अप्रैल 2001 के दौरान 19 हितग्राहियों की पहचान की और उनका अंशदान प्राप्त होने पर कम्पनी ने उनको 19 मशीनें प्रदाय की। मार्च 2002 में सम्पन्न हुई बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त से, लेखापरीक्षा के दौरान यह जानकारी में आया कि यह योजना वाणिज्यिक रूप से जीवनक्षम नहीं थी और हितग्राही ऋण का प्रतिभुगतान नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके द्वारा मशीनों से अर्जित की गई आय प्रचालन की ऊँची लागत की पूर्ति करने के लिये अपर्याप्त थी। कम्पनी के बोर्ड ने मशीनों को जब्त करने तथा नीलामी के माध्यम से विक्रय करने का आदेश दिया (जुलाई 2002)।

इस प्रकार कम्पनी के द्वारा एक अजीवनक्षम योजना बनायी जाने के परिणामस्वरूप, मशीनों के क्रय पर किया गया एवं 98.95 लाख रुपए का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि मशीनें निष्कार्य पड़ी हुई थी। इससे अनुसूचित जाति हितग्राही इच्छित लाभ से वंचित रहे। कम्पनी ने लम्बे समय तक भण्डारण किये जाने के कारण इन मशीनों के मूल्य में ह्रास होने की जोखिम का भी सामना किया (इन मशीनों का तीन वर्ष से अधिक समय से निर्वर्तन नहीं किया गया है।) कम्पनी ने अजीवनक्षम योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिये कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया है।

कम्पनी, 2000-05 के दौरान एक आदिवासी परिवार को भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सकी।

2.1.9 कम्पनी ने विफलता का कारण (अप्रैल 2004) उसके कर्मचारियों के बीच अनुत्तरदायित्व एवं भयंकर भ्रष्टाचार का होना बताया। तथापि, यह कमियों को ठीक करने हेतु कोई सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अगर एक हितग्राही ने अपना व्यापार सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है एवं सम्पूर्ण कर्ज राशि का प्रतिभुगतान कर दिया है तो उसे आत्मनिर्भर माना जाता है एवं गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया मान लिया जाता है। वर्ष 2000-05 के दौरान यद्यपि 1144 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता दी गई तथापि एक भी हितग्राही ने इस कसौटी को पूरा नहीं किया। लेखापरीक्षा ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई हितग्राहियों की सूची की जांच की तथा पाया कि कम्पनी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 12.13 लाख परिवारों में से एक भी आदिवासी परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सकी।

औद्योगिक/रोजगार क्षमता तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासियों के ऊपर सर्वेक्षण नहीं किए गए।

2.1.10 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश के 45 जिलों में फैली 6.03 करोड़ की राज्य की जनसंख्या में से 1.22 करोड़ (20.3 प्रतिशत) आदिवासी जनसंख्या (पुरूष 61.95 लाख; महिला 60.38 लाख; ग्रामीण 1.14 करोड़ एवं शहरी 8 लाख) है। कम्पनी का गठन राज्य के आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नयन हेतु योजनाएं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से किया गया था। तथापि कम्पनी ने न तो

योजनाएं तैयार करने हेतु आधार बनाने की दृष्टि से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासियों का कोई सर्वेक्षण किया, न ही इंदौर स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार के पास उपलब्ध औद्योगिक क्षमताओं के आंकड़ों अथवा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के आंकड़ों का ही उपयोग किया। इस प्रकार कम्पनी द्वारा बनाई एवं क्रियान्वित की गई योजनाओं में इसके लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु वांछित ध्यानाकर्षण एवं निर्देश का अभाव है।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि सर्वेक्षण सामान्यतः शाखा प्रबंधकों द्वारा किए जाते थे। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि, लेखापरीक्षा को कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया यद्यपि उनसे यह मांगा गया था।

बनाई गई योजनाएं संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत नहीं थी।

2.1.11 2000-05 के दौरान कम्पनी ने संचालक मण्डल की स्वीकृति के बिना वित्त पोषण हेतु 39 योजनाएं राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को अग्रेषित की।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि मंडल ने प्रबंध संचालक को योजनाएं स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया था। तथापि जब ऐसा प्राधिकार मांगा गया तो लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

आदिवासियों के मध्य कंपनी की योजनाओं से संबंधित प्रचार एवं जानकारी का अभाव था।

2.1.12 यद्यपि 1.22 करोड़ आदिवासियों में से 82.78 लाख आदिवासी (68 प्रतिशत) निरक्षर हैं, तथापि कम्पनी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के मध्य व्यापक प्रचार करने एवं अपनी गतिविधियों के संबंध में जानकारी मंगाने हेतु कोई तंत्र नहीं बनाया। जानकारी मंगाने हेतु कोई संपर्क शिविर नहीं लगाए गए। यह केवल स्थानीय समाचारपत्रों के माध्यम से अपनी योजनाओं का विज्ञापन करती रही। इस प्रकार स्वरोजगार योजना के बारे में लक्षित जनसंख्या के मध्य जानकारी जगाने में विफलता के कारण जरूरतमंद आदिवासी योजनाओं के लाभ/अवसरों से वंचित रहे।

2.1.13 कम्पनी के दिशानिर्देशों के अनुसार (मई 1996) के अनुसार शाखा प्रबंधक परियोजना प्रस्ताव तैयार करने हेतु उत्तरदायी थे। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि योजनाएं केवल कर्मचारियों (परियोजना/योजना संघटन में कोई अनुभव न रखने वाले) की सहायता से एवं भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक घटकों, बाजार की मांग तथा जीवनक्षमता को ध्यान में रखे बिना मुख्यालय में तैयार की गई। यह कंपनी के स्वयं के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

कार्यान्वित योजनाओं का उचित रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया।

2.1.14 चूंकि योजनाएं मुख्यालय पर चयनित एवं तैयार की गई अतः शाखा प्रबंधकों को स्थल निरीक्षण के उपरांत जो विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने थे, उन्होंने परियोजना की पोषणीयता के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन कभी भी प्रस्तुत नहीं किए, जैसा कि प्रबंध संचालक ने स्वतः देखा (जुलाई 1999)। परिणामतः योजनाओं का मूल्यांकन आधारिक सच्चाई पर आधारित नहीं था अतः यह अपूर्ण था। यह समस्त योजनाओं की विफलता का एक कारण था जैसा कि कम्पनी ने स्वयं स्वीकार (जून 2004) किया। चयन समिति

ने भी हितग्राहियों का चयन करते समय वर्धन क्षमता, आवेदक की क्षमता तथा योजनाओं के अंतर्गत निर्मित उत्पादों हेतु बाजार मांग के पहलू पर विचार नहीं किया। इसके कारण चयन प्रक्रिया अपूर्ण रही।

2.1.15 कम्पनी के मुख्यालय ने हितग्राहियों की स्थानीय रूचि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में न रखते हुए योजनाओं का चयन किया। इस प्रकार हितग्राही अनुपयुक्त योजनाओं को स्वीकार करने के लिए विवश थे। इसने योजनाओं की विफलता में योगदान दिया।

आर्थिक सहायता का तत्व राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना योजना लागत में समाविष्ट किया गया।

2.1.16 मण्डल के निर्देशों (मई 2000) के बावजूद राज्य सरकार से निश्चित स्वीकृति प्राप्त किए बिना, कम्पनी ने योजनाओं की अनुमानित लागत में 10,000 रुपए प्रति हितग्राही आर्थिक सहायता का तत्व सम्मिलित किया। इसके कारण 2000-01 हेतु 50 लाख रुपए की परिहार्य अतिरिक्त वचनबद्धता बढ़ गई। कम्पनी ने 2001-05 के लिए आर्थिक सहायता तत्व की संगणना नहीं की है।

प्रबंधक ने बताया (अगस्त 2005) कि आर्थिक सहायता केवल उस समय भुगतान योग्य होती, जब राज्य सरकार वह उपलब्ध करा देती। उत्तर संगत नहीं है, क्योंकि कम्पनी द्वारा सरकार से आर्थिक सहायता के भुगतान की आशा करना उचित नहीं था जब सरकार ने उस पर अपनी स्वीकृति न दी थी।

2.1.17 कम्पनी ने विभिन्न जिलों में आदिवासी जनसंख्या के धनत्व की किसी सुसंगतता के बिना योजनाएं कार्यान्वित की, जैसा कि लेखापरीक्षा की नमूना जांच में प्रमाणित हुआ एवं जैसा कि निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है ;

जिला	आदिवासी जनसंख्या		संवितरित कर्ज	
	संख्या लाख में	प्रतिशत @	लाख रुपए में	प्रतिशत।
गुना	2.04	1.67	239.31	7.27
झाबुआ	12.11	9.93	262.82	7.98
धार	9.48	7.77	191.71	5.82
मंडला	5.12	4.20	201.56	6.12

@ राज्य में कुल आदिवासी जनसंख्या (1.22 करोड़) का प्रतिशत।

** राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम योजनाओं के अंतर्गत संवितरित कुल कर्ज (32.93 करोड़ रुपए) का प्रतिशत।*

2.1.18 कम्पनी ने विभिन्न योजनाओं के क्षेत्रों, संभागों, प्रकार एवं लागत को सहायता के आबंटन में किसी वरीयता का प्रावधान नहीं किया।

कृषि जैसे मुख्य क्षेत्र ने कर्ज का कम आवंटन प्राप्त किया।

आरंभ से लेकर 31 मार्च 2005 तक संवितरित कर्जो के संबंध में लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों को कर्ज सहायता के संवितरण में विसंगति रही, जिसके परिणामस्वरूप कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कम आवंटन एवं परिवहन क्षेत्र को अधिक आवंटन हुआ जैसा कि निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है;

क्षेत्र	योजना लागत		हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशतता
	राशि करोड़ रुपए में	प्रतिशतता		
कृषि एवं संबद्ध	13.51	33.74	683	27
परिवहन एव संबद्ध	19.89	49.67	784	31
उद्योग	3.33	8.32	457	18
अन्य सेवाएं	3.31	8.27	596	24
योग	40.04	100	2520	100

इसके साथ ही कम्पनी ने आरंभ से 51.29 लाख (20-59 वय वर्ग की) की जनसंख्या में से केवल 2520 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई जो 0.05 प्रतिशत का अत्यंत कम समावेशन दर्शाती है।

मंडल के निर्देशे के बावजूद महिलाओं एवं अत्यधिक उपेक्षित आदिवासियों को उचित वरीयला नहीं दी गई।

2.1.19 लेखापरीक्षा में यह देखा गया क 26 जिलों में 1790 हितग्राहियों में से केवल 192 महिलाओं (10.7 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता दी गई। यद्यपि कम्पनी ने महिलाओं के लाभार्थ विशिष्ट योजनाओं की पहचान की थी (अगस्त 2001) तथापि इसने ऐसी किसी योजना को कार्यान्वित नहीं किया (मार्च 2005)।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि महिला हितग्राहियों की उपेक्षा नहीं की गई। उत्तर सामान्य है एवं किसी साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं होती।

कम्पनी ने कर्ज संवितरण में तीन माह की तुलना में 4.5 से 60 माह का समय लगाया।

2.1.20 कम्पनी को, राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम से आहरण के पश्चात 90 दिनों में हितग्राहियों को कर्जे जारी कर देने थे। लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि कम्पनी ने कर्जो के संवितरण में 4.5 से 60 माह की अवधि लगाई परिणामतः हितग्राहियों को समय पर स्वरोजगार के समय से होने वाले लाभ से वंचित रखा गया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि विलम्ब, हितग्राहियों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण न किए जाने के कारण था। उत्तर विश्वासोत्पादक नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा सीमांत धन का भुगतान (एकमात्र औपचारिकता होने के कारण) करने में विफल रहने की स्थिति में कम्पनी को इसके दिशानिर्देशों के अनुसार कर्ज निरस्त कर देना चाहिए था तथा प्रतिक्षारत हितग्राही के लिए संस्वीकृति दी जानी चाहिए थी अथवा कर्ज वापस कर दिया जाना चाहिए था।

2.1.21 कम्पनी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं केवल परिवार आधारित आदिवासियों के लिए थी। यद्यपि कम्पनी ने (2000-05 के दौरान) स्व-सहायता संवर्ग गठित किया था, तथापि राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित ऐसी योजनाओं की सफलता को जानने (जून 2005) के बावजूद इसने स्व-सहायता संवर्गो हेतु योजनाओं की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गये।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि वे स्व-सहायता संवर्गो हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संभावित संभावनाओं की खोज कर रहे थे।

2.1.22 राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम पात्र हितग्राहियों को कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देने हेतु कम्पनी को अनुदान उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला 85 प्रतिशत आवर्ती व्यय, अनुदान के रूप में माना जाना था तथा शेष 15 प्रतिशत कम्पनी द्वारा वहन किया जाना था।

2520 हितग्राहियों में से केवल 213 को परिचालित योजनाओं में प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम से अनुदान की उपलब्धता होने के बावजूद कम्पनी 2520 हितग्राहियों में से केवल 213 को प्रशिक्षण दे (2000-05 के दौरान) सकी जिन्होनें सात योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, तथा शेष 2307 हितग्राही अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में अप्रशिक्षित रहे। प्रशिक्षण दिए जाने में कम्पनी की विफलता का कोई औचित्य नहीं था।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि निधियों की बचत करने हेतु ये केवल निर्धन हितग्राहियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि, कम्पनी द्वारा हितग्राहियों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने का कोई साक्ष्य नहीं था।

कंपनी हितग्राहियों को जैसी एवं जब आवश्यकता हो, तब जरूरी सहायता देने में असफल रही।

2.1.23 दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के परिचालन में हितग्राहियों को जैसी एवं जब भी आवश्यकता होगी कम्पनी उन्हें समस्त संभव सहायता देगी। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि व्यापारियों द्वारा वाहनों के साथ आपूरित दोषपूर्ण पुरानी बैटरियों को बदले जाने, पुलिस/वन/संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए वाहनों को मुक्त करवाने, अन्य के कब्जे में गए वाहनों को मुक्त करवा आवंटित हितग्राहियों के कब्जे में देना, आदि में हितग्राहियों द्वारा किए गए अनुरोध पर उन्हें आवश्यक सहायता देने में विफल रही।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि विफलता विधिक औपचारिकताओं का अनुपालन न किए जाने के कारण रही।

2.1.24 राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, परियोजना की पहचान करने, संघटन, कर्जो के मूल्यांकन, क्रियान्वयन, परिवीक्षण एवं ऋण वसूली इत्यादि के क्षेत्र में कम्पनी के अधिकारियों के कौशल का उन्नयन करने हेतु, अपनी लागत पर उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है।

कम्पनी, राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा आयोजित निगम निःशुल्क कार्यपालन अभिवर्द्धन प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ उठाने में विफल रही।

यद्यपि कम्पनी के पास इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित अधिकारी नहीं थे फिर भी इसने निःशुल्क सुविधा का लाभ नहीं उठाया, जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं दर्शाए गए।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2005) कि जैसे एवं जब भी आवश्यकता होती, सुविधा प्राप्त की जाती थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि मण्डल ने स्वतः यह स्वीकार किया है (जून 2004) कि हितग्राहियों के अनुचित चयन एवं इनके अनुचित मूल्यांकन एवं अनुचित संघटन मुख्यतः इसकी योजनाएं विफल रहीं।

वसूली निष्पादन

2.1.25 निम्नांकित तालिका 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों हेतु कम्पनी का वसूली निष्पादन दर्शाती है ;

(राशिः करोड़ रुपए में)

31 मार्च को	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली का प्रतिशत
2001	15.74	1.97	12.5
2002	19.86	1.30	6.5
2003	24.16	1.02	4.2
2004	29.12	1.04	3.6
2005	30.05	0.48	1.6

यह दृष्टव्य है कि

- वसूली की दर 2000-01 में 12.5 प्रतिशत से उत्तरोत्तर घटते हुए 2004-05 में 1.6 प्रतिशत रह गई।
- वसूली का प्रतिशत नमूना जांच के लिए चयन किए गए 23 जिलों में से छः जिलों में निरंक और पांच प्रतिशत, 13 जिलों में छः और 10 तथा 4 जिलों में 11 और 12.5 प्रतिशत के बीच रहा।
- 2002-05 के दौरान जिला भोपाल में वसूली निरंक रही जहां कि 70.71 रुपए का संवितरण किया गया तथा जिसमें से 37.35 लाख रुपए वसूली हेतु अतिदेय है। अन्य पांच जिलों* में भी 2001-05 के दौरान कोई वसूली नहीं हुई।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का क्रियान्वयन

2.1.26 1999-2000 से राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद विकलांग आदिवासियों में स्वरोजगार बढ़ाने तथा इकाईयों के परिचालन हेतु प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, कच्चा माल उपलब्ध करवाने एवं उनके उत्पादों के विक्रय में सहायता के उद्देश्य से विकलांग आदिवासियों के लाभार्थ कतिपय योजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत मध्यप्रदेश में निवास करने वाले शहरी क्षेत्र में एक लाख रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 80,000 रुपए से अनधिक वार्षिक आय सहित 40 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता युक्त (18 से 55 वर्ष वय के) आदिवासी पात्र होते हैं।

रायसेन, नरसिंहपुर, देवास, शिवपुरी एवं रेवा

निम्नांकित तालिका में 31 मार्च 2005 तक के विगत पांच वर्षो के दौरान राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य, स्वीकृति हेतु भेजे गए, संस्वीकृत तथा संवितरित कर्ज एवं कम्पनी द्वारा अपनी शाखाओं को संवितरित कर्ज के विवरण दर्शाए गए हैं।

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य		भेजे गए कर्ज प्रकरण		संस्वीकृत कर्ज प्रकरण एवं प्राप्त कर्ज		शाखाओं को संवितरित कर्ज	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
2000-01	50	25	76	101.68	33	18.05	32	15.12
2001-02	50	25	42	33.09	25	11.35	10	4.85
2002-03	50	25	27	22.61	22	12.23	13	5.55
2003-04	200	120	2	3.85	-	-	15	6.59
2004-05	200	100	12	52.87	-	-	3	1.50
योग	**550**	**295**	**159**	**214.10**	**80**	**41.63**	**73**	**33.61**
प्रतिशत				**73 (कॉलम 5 से 3)**		**19 (कॉलम 7 से 5)**		

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के प्रकरण में कम्पनी ने वचनबद्धता लक्ष्यों की केवल 13 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की।

उपर्युक्त तालिका से दृष्टव्य है कि कम्पनी लक्ष्य की केवल 73 प्रतिशत तक योजनाएं प्रस्तुत कर सकी; जिसमें से केवल 19 प्रतिशत स्वीकृत की गई। प्राप्त 41.63 लाख रुपए में से इसने (पांच हितग्राहियों से संबंधित) 1.93 लाख रुपए वापस किए, क्योंकि हितग्राही कर्ज प्राप्त करने में विफल रहे। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 33.61 लाख रुपए के मूल्य सहित केवल 73 हितग्राही रहे, अर्थात लक्ष्य निर्धारित मूल्य का केवल 13 प्रतिशत तथा दो हितग्राहियों से संबंधित 6.09 लाख रुपए कम्पनी के पास अवितरित पड़े थे।

मध्यप्रदेश हेतु जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में 2.38 लाख अनुसूचित आदिवासी लोग विकलांग थे। इनमें से 97720 आदिवासी 20 से 59 वर्ष के वयवर्ग के हैं। इस विशाय आंकड़े को ध्यान में रखते हुए कंपनी की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या (73) नगण्य (अर्थात 0.07 प्रतिशत) है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की योजनाओं का कार्यान्वयन

2.1.27 राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों को स्वरोजगार/आय का अतिरिक्त श्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से पुनवित्त योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आदिवासियों को संस्वीकृत योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता जारी करती है।

योजना के अंतर्गत कम्पनी सरकार द्वारा संस्वीकृत आर्थिक सहायता हेतु संवाहक अभिकरण है। बैंक आर्थिक सहायता को हितग्राही खाते में जमा के रूप में रखता है।

हितग्राही से प्राप्तव्य किस्तों की वसूली पहले की जाती है और तत्पश्चात बाद की किस्तों में आर्थिक सहायता समायोजित की जाती है।

31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही, लक्ष्य तथा जारी की गई निर्धारित/आर्थिक सहायता के विवरण ***परिशिष्ट-7*** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि हितग्राहियों के समावेशन के संबंध कम्पनी का निष्पादन 2000-04 के दौरान (2002-03 को छोड़कर) निर्धारित लक्ष्यों से कम रहा तथा 2004-05 में नगण्य (तीन प्रतिशत) रहा। कम्पनी लक्ष्य को प्राप्त करने हतु बैंक के माध्यम से योजनाओं को अपेक्षित संख्या में निष्पादित करवाने में विफल रही। कम्पनी लक्ष्य निर्धारित आर्थिक सहायता को पूरा करने हेतु अपनी निधियों की आवश्यकता का निर्धारण करने में भी विफल रही।

2.37 करोड़ रुपए की राशि की आर्थिक सहायता का राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के कर्जो के प्रति भुगतान के लिए व्यपवर्तन में किया गया।

यद्यपि सरकार के आदेशानुसार (दिसम्बर 1996) शाखा प्रबंधकों को हितग्राहियों की संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करना चाहिए था परंतु ऐसा सत्यापन नहीं किया गया। 2000-05 के दौरान 25 जिलों में बैकों द्वारा कम्पनी को वापस किए गए तथा सरकार को वापस की जाने हेतु अपेक्षित 90.90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता या तो हितग्राहियों को आगामी अवधि के लिए देय आर्थिक सहायता के विरूद्ध उपयोग में लाई गई अथवा शाखाओं में अभी जमा है। कम्पनी ने बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता का वापस किये जाने का आवधिक अंतराल पर परिवीक्षण किए जाने हेतु कोई कार्यविधि निर्धारित नहीं की। कम्पनी ने 2.37 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम से दिए जाने कर्जो प्रति भुगतान के रूप में व्यपवर्तित किया।

आंतरिक नियंत्रण/लेखापरीक्षा

2.1.28 कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नांकित कमियां दृष्टिगत हुई;

लेखा नियंत्रण

कम्पनी ने एक शताब्दी तक अस्तित्व में रहने के बावजूद मुख्यालय में अथवा शाखाओं में उपयुक्त लेखा प्रणाली नहीं अपनाई

लेखापरीक्षा में देखा गया कि :

- लेखापुस्तके लेखे की उपार्जन आधार पर नहीं रखी गई थी ,
- हितग्राहियों से संग्रहीत ब्याज मूलधन के विरूद्ध समायोजित किया गया था ,
- बैंक समाधान विवरण पत्र नियमित रूप में तैयार नहीं किए गए थे ,

- वित्त विवरण पत्रों में दर्शाए गए समेकित अधिशेषों के विवरणों के अभिलेख नहीं रखे गए थे ,
- मुख्यालय एवं शाखाओं में स्थाई संपत्ति पंजियां उचित रूप में संधारित नहीं की गई ,
- 1998-99 एवं 1999-2000 हेतु अंतिम रूप दिए गए लेखाओं में आय/व्यय तथा परिसपत्तियों/देयताओं की सही स्थिति प्रतिबिंबित नहीं होती।
- व्यय/व्यपहरण की नियमितता कम करने हेतु आंतरिक नियंत्रण अविद्यमान थे।

पूर्ववर्ती वर्षो के व्यय लेखाओं के अंतरों की जांच किए बिना उन्हें भारित किया गया।

- व्यय लेखाओं में 1.29 करोड़ रुपए के अंतरों (1997-98 से पूर्व की अवधि हेतु) की जांच पड़ताल किए बिना इसे 1999-2000 के लाभ एवं हानि विनियोग लेखे पर भारित किया गया। इसी प्रकार पूर्व अवधि से सम्बन्धित 81.90 लाख रुपए के को 2001-02 के लेखाओं में अपलेक्षित प्रस्तावित किया गया।
- वित्तीय अभिकरणों को देय ब्याज की जांच भुगतान जारी करने के पूर्व नहीं की गई।

परिचालन नियंत्रण

2.1.29 संचालक मण्डल ने योजनाओं की आयोजना एवं कार्यपालन की समीक्षा नहीं की एवं उचित लेखापुस्तकों का संधारण भी सुनिश्चित नहीं किया।

अप्रैल 2001 से मार्च 2005 तक शाखा कार्यालयों के लेखाओं का मुख्यालय के लेखाओं से समाधान कार्य नहीं किया गया।

- मुख्यालय एवं शाखा कार्यालयों की लेखाओं का सावधिक रूप में समाधान कार्य नहीं किया गया।
- बैंकों से नियमित रूप में लेखाओं का विवरण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
- लेखाओं में कर्ज एवं अग्रिम उनकी अवधि, वसूली क्षमता एवं सुरक्षा के अनुसार नहीं दर्शाये गये।
- हितग्राहियों की संपत्तियों का सावधिक अंतरालों पर सत्यापन नहीं किया गया।
- हितग्राहीवार निधियों की प्राप्ति को शाखा कार्यालयों द्वारा अभिस्वीकृत नहीं किया गया।
- मुख्यालय से निधियों की प्राप्ति को शाखा कार्यालयों द्वारा अभिस्वीकृत नहीं किया गया।
- व्यय का मासिक विवरण पत्र एवं संवितरित कर्जो तथा किस्तों की वसूली के विवरण शाखाओं से प्राप्त नहीं किए गए।

आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों पर सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

2.1.30 आंतरिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्षो की समाप्ति के अत्यंत दीर्घ अवधि के उपरांत नियुक्त किए गए। आंतरिक लेखापरीक्षा समय से पूर्ण की जाना सुनिश्चित नहीं किया गया। 1999-2000 का आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मंडल को प्रस्तुत नहीं किया गया। 1999-2000, 2000-01 एवं 2001-02 के प्रतिवेदनों में इंगित की गई कमियां विना कोई सुधारात्मक कार्यवाही किए जारी रही।

उपसंहार

कम्पनी ने आदिवासियों द्वारा सहन की जा रही समस्याओं की मात्रा का पता लगाने हेतु आवश्यकता आधारित योजनाओं के संघटन में वरीयता अपनाने हेतु कोई सर्वेक्षण कार्यवाही नहीं की। इसने न तो योजनाओं के कार्यपालन हेतु कोई स्वरूप/रणनीति प्रस्तुत किए न उनका प्रभावकारी रूप में मूलयांकन ही किया। कम्पनी ने वित्तीय अभिकरण को आबंटित निधियों की मात्रा तक योजनाएं प्रस्तुत नहीं की। साथ ही वित्तीय अभिकरण द्वारा संस्वीकृत कर्जो को हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत किए जाने में कम्पनी की विफलता के कारण निरस्त करना पड़ा। हितग्राहियों को कर्जो का संवितरण, प्राप्तव्यों की वसूली एवं योजनाओं के संपूर्ण कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यविधि नहीं थी। उपलब्धियों की मात्रा किए गए व्यय के अनुरूप नहीं थी। अभिलेख संधारण/लेखाकरण की प्रणाली में गंभीर कमियां थी। इन समस्त तथ्यों के परिणामस्वरूप आदिवासियों के लक्ष्य निर्धारित वर्ग का कम समावेशन, संस्वीकृति के विरूद्ध निधियों का कम आहरण, राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा कर्जो को निरस्त किया जाना, कम्पनी द्वारा निधियों की बड़ी मात्रा वापसी, प्राप्तव्यों की कम वसूली तथा इसके कारण अपने लक्ष्यों की नगण्य उपलब्धियां रही।

अनुशंसा

कम्पनी को निम्नांकित की आवश्यक है:-

- उपयुक्त रणनीति अपनाते हुए अपनी आयोजना स्वरूप को पुनर्निर्धारित करना,
- योजनाओं/हितग्राहियों के चयन एवं निष्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं के निष्पादनों में सुधार,
- कर्जो, संस्वीकृति एवं कर्जो को जारी किए जाने हेतु योजनाओं की प्रस्तुति के लिए तथा हितग्राहियों को कर्जो के संवितरण हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना,
- वसूली के निष्पादन तथा अभिलेखों के संधारण को सुधारने हतु प्रभावकारी कार्यवाही करना,
- आदिवासी जनसंख्या के मध्य सजगता को जागृत करना,

- आदिवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रभाव के निर्धारण हेतु एक तंत्र स्थापित करना।

उपर्युक्त कंडिका 2.1.9 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कम्पनी ने योजना के कमजोर कार्यान्वयन का कारण उसके कर्मचारियों का अनुत्तरदायी होना तथा अत्यधिक भ्रष्टाचारी होना बताया है। इस प्रसंग में यह अनुसंशा की जाती है कि कम्पनी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुत्तरदायित्व एवं भ्रष्टाचार के मामलों में सम्पूर्ण जाँच कराये तथा इसके लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध उपर्युक्त कार्यवाही करे। इसके साथ ही नियंत्रण एवं परिवीक्षण पद्धति स्थापित करने के लिये भी प्रभावीकदम उठाये जायें जो कि यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त प्रभावी है कि अनुत्तरदायित्व एवं भ्रष्टाचार के ऐसे मामले दुवारा घटित न होने पायें।

उपर्युक्त प्रकरण सरकार को सूचित किये (जुलाई 2005), उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास

मुख्यांश

औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने न तो भूमि की अधिप्राप्ति हेतु कोई दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत की अथवा रणनीति तैयार की न इस संबंध में कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये। 31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पांच वर्षो के दौरान 1994 तक विकसित किए जाने 23 विकास केन्द्रों की तुलना में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने केवल 14 विकास केन्द्र विकसित किए। भूमि की अधिप्राप्ति पर किया गया व्यय (6.63 करोड़ रुपए) एवं भूखण्डों के विकास पर किया गया व्यय (68.94 करोड़ रुपए) भूमि का विकास पूर्ण न किए जाने तथा भूखण्डों का आवंटन न किए जाने के कारण निष्फल रहा।

(कंडिका 2.2.6 एवं 2.2.7)

नींव की डिजाइन में अनियमित परिवर्तन के परिणामस्वरूप 87.56 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। आधारभूत सुविधाओं की पूर्णता में विलंब हेतु दण्ड आरोपित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 1.06 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। अविकासक्षम जल आपूर्ति योजना की निरंतरता के परिणामस्वरूप 1.45 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.8, 2.2.9 एवं 2.2.13)

भूमि की अधिप्राप्ति/विकास तथा विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में भूखण्डों के आवंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप 27.45 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा। विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र की औधोगिक इकाईयों के संबंध में भूमि के प्रीमियम को कम करने के अनुचित निर्णय के परिणामस्वरूप 22.58 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.18 एवं 2.2.19)

विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में कोने के भूखण्डों तथा/अथवा 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों पर अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 2.76 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। दो औद्योगिक इकाइयों के अनुचित पक्ष लिए जाने के परिणामस्वरूप 4.23 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.20 तथा 2.2.21)

खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क की अपूर्ण योजना तथा अक्षम परिचालन के परिणामस्वरूप 31.26 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.22 से 2.2.30)

क्षेत्र अध्ययन/सर्वेक्षण, सामान्य सुविधाओं तथा मांग का निर्धारण किए बिना एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र स्थापित करने से पर 8.79 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।.

(कंडिका 2.2.31 से 2.2.39)

प्रस्तावना

2.2.1 मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मार्यादित (कम्पनी) को राज्य में चयनित विकास केन्द्रों में आधारभूत संरचना विकसित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इस उद्देश्य हेतु कम्पनी ने 1981 से 1987 के दौरान कम्पनीज अधिनियम 1956 के अंतर्गत भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा* में मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के नाम से पांच सहायक निगम निगमित किए।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को विकास केन्द्रों में अपने नियंत्रण में सड़क, जल आपूर्ति सड़क पर प्रकाश व्यवस्था तथा प्रशासकीय एवं अन्य भवनों का संधारण कार्य करना था। इस उद्देश्य हेतु औद्योगिक इकाइयों से भाड़ा, संधारण प्रभार (वार्षिक) तथा जल प्रभार, विद्युत प्रकाश प्रभार (मासिक) की वसूली की जाती है।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने निर्यातोत्मुख, कृषि आधारित तथा लघु एवं लघुत्तर उद्योगों के विकास हेतु क्रमशः विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र परियोजना, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क तथा एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र के क्रियान्वयन के कार्य किए। धारक कम्पनी के प्रबंध संचालक प्रत्येक कम्पनी के अध्यक्ष हैं तथा इन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है। प्रत्येक सहायक निगम (औद्योगिक केन्द्र विकास निगम) के प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालक होते हैं तथा विकास, तकनीकी एवं लेखाशाखा में वरिष्ठ महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, कार्यपालन यंत्री एवं वित्तीय परामर्शदाता/लेखाअधिकारी इनके सहायक होते हैं।

समस्त पांच औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की 31 मार्च 1992 तक की अवधि की कार्यप्रणाली पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1991-92 में समीक्षा विशेषतः प्रस्तुत की गई थी। प्रतिवेदन के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समिति में चर्चा की गई (अप्रैल 1999) तथा अनुशंसाएं की गई (जुलाई 1999। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समिति की अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका हे।

** 1996-97 से समस्त मुख्य क्रिया कलाप बन्द कर दिये।*

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.2 दिसम्बर 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य की गई वर्तमान समीक्षा में 31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पांच वर्षो के दौरान (औद्योगिक केन्द्र विकास निगम रीवा को छोड़कर) के इन कम्पनियों के क्रियाकलापों को समाविष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.3 लेखापरीक्षा निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई -

- इन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा अधिप्राप्त भूमि की पर्याप्त एवं सीमा का आंकलन करना।
- योजना प्रक्रिया सहित भमि के विकास की अर्थव्यवस्था एवं इनके उपयोग की जांच करना।
- विकसित औद्योगिक भूखण्डों को आवंटित किए जाने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की सक्षमता सुनिश्चित करना, विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र परियोजना के संबंध में प्रीमियम के आधार की जांच करना तथा यह देखपा कि क्या कम्पनी के हित की देखभाल करने हेतु प्रथम दृष्टया में यह देखना कि क्या कम्पनी के हित में ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दर निर्धारित की गई थी।
- औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा मण्डल/कंपनी/सरकार के नियमों/अधिकारों/आदेशों के अनुपालन की सीमा सुनिश्चित करना।
- खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क तथा एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र के सम्बन्ध में कार्यो के कार्यपालन के निष्पादन का निर्धारण करना।
- कम्पनी/सरकार के अधिकतम हित में निधियों के प्रबंधन की समीक्षा करना।
- इन कम्पनियों द्वारा निधियों के पुनर्चक्रण की उचित एवं सहज निरंतरता बनाए रखने हेतु प्राप्तव्यों की वसूली के निष्पादन का निर्धारण करना।

लेखापरीक्षा के मापदण्ड

2.2.4 नवम्बर और दिसम्बर 2004 के मध्य किए गए मार्गदर्शक अध्ययन के आरंभिक निष्कर्षो के आधार पर अधिप्राप्त भूमि, सीमा की तुलना में आधारभूत सुविधाओं के सृजन एवं विकास तथा पता लगाए गए क्षेत्र की तुलना में विकसित विकास केन्द्रों की संख्या के संबंध में इन कम्पनियों के निष्पादन सहित

- विकसित भूखण्डों में से आबंटित भूखण्डों की संख्या।

- वित्तीय अधिकार दिया जाना, अनुबंधों की शर्तो एवं निबंधनों का अनुपालन।
- विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम आरोपित करने एवं उसके संग्रहण की सामान्य कार्यनीति तथा मानदण्ड।
- खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क तथा एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्रों हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश।
- औद्योगिक इकाइयों से प्राप्तव्यों की वसूली हेतु राज्य सरकार के प्रावधान।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.2.5 लेखापरीक्षा ने निम्नांकित मिलीजुली पद्धतियों का अनुपालन किया।

विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क, एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र हेतु भूमि की अधिप्राप्ति, विकसित क्षेत्र तथा आवंटित भूखंडों पर आकड़ों/सूचनाओं का विश्लेषण, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क एवं एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र के प्रशासकीय प्रतिवेदनों एवं उपयोग प्रमाणपत्रों की संवीक्षा, व्यक्तिक इकाइयों की स्थितियों का अध्ययन, विविध देनदारों की समीक्षा, सिविल निर्माण कार्यो की तुलना तथा निधियों के प्रबंधन के संबंध में अभिलेखों की संवीक्षा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष जुलाई 2005 में सरकार/प्रबंधकों को सूचित किए गए तथा 18 अगस्त 2005 में हुई राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति में चर्चा की गई जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व औद्योगिक आयुक्त ने किया तथा कम्पनियों का प्रतिनिधित्व उनके प्रबंध संचालक ने किया। सरकार/प्रबंधक के विचारों को ध्यान में रखकर समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा में निष्कर्ष निम्न परिच्छेदों में वर्णित है:-

विकास केन्द्रों हेतु भूमि की अधिप्राप्ति

2.2.6 राज्य सरकार औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु समर्थ बनने के लिए उन्हें निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराती है। 2000-05 के दौरान किसी भी औद्योगिक केन्द्र ने विकास केन्द्रों के लिए भूमि अधिप्राप्त नहीं की और पहले से ही अधिप्राप्त भूमि पर विकास कार्य जारी रहे। तथापि विगत पांच वर्षो के दौरान औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्को एवं एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्रों के लिए 998.881 हेक्टेयर भूमि अधिप्राप्त की। अधिप्राप्त एवं विकास पर किए गए व्यय के विवरण ***परिशिष्ट - 8*** में दर्शाए गए हैं लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि;

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने न तो भूमि की अधिप्राप्ति हेतु कोई **दीर्घवधि** योजना विकसित की न ही इस संबंध में कोई वार्षिक लक्ष्य ही निर्धारित **किए।**

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने राज्य सरकार से अधिप्राप्त **6777.43** हेक्टेयर भूमि में से केवल 4317.259 हेक्टेयर (63.7 प्रतिशत) भूमि **औद्योगिक** इकाइयों को आबंटित करने योग्य* थी।

1501.383 हेक्टेयर आबंटन योग्य भूमि नौ से 22 वर्षो की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अनाबंटित रही।

- आबंटित करने योग्य इस भूमि में से औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने मार्च 2005 तक केवल 2816.146 हेक्टेयर भूमि (65.2 प्रतिशत) ही आबंटित की तथा 9 से 22 वर्षो की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी 1501.383 हेक्टेयर (6.63 करोड़ रुपए) भूमि अनाबंटित रही।

- कम्पनियों के 63.7 आबंटन योग्य क्षेत्र के कुल प्रतिशत की तुलना में कुल भूमि का चैनपुरा, प्रतापपुरा (औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ग्वालियर) एवं मनेरी (औद्योगिक केन्द्र विकास निगम जबलपुर) स्थित विकास केन्द्रों के संबंध में आबंटित भूमि का प्रतिशत क्रमशः केवल 34.8, 34.5 एवं 45.7 प्रतिशत था।

अधिप्राप्त भूमि पर 6.63 करोड़ रुपए का व्यय अनुत्पादक रहा।

- इस प्रकार विकास हेतु नए क्षेत्र ग्रहीत करने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की विफलता ने राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बाधा पहुचाई इसके साथ ही अधिप्राप्त भूमि पर 6.63 करोड़ रुपए का व्यय भूमि का विकास/आबंटन नहीं किए जाने के कारण अनुत्पादक रहा।

विकास केन्द्र विकसित करना

2.2.7 विकास कार्यो में सड़कों नालियों, पुलियाओं एवं भवनों का निर्माण, पंपहाउसों/अंतर्ग्राही कूपों तथा विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण करते हुए क्रमशः जल आपूर्ति एवं विद्युत इत्यादि हेतु व्यवस्था करना एवं नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना समाविष्ट रहते हैं।

भारत सरकार की घोषणा (1984 से 1989) के अनुसार औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को पांच वर्षो में अर्थात 1994 तक 23 विकास केन्द्र विकसित करने थे। तथापि औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने 31 मार्च 2005 तक केवल 14 विकास केन्द्र स्थापित कर सके परिणामस्वरूप 9**(39 प्रतिशत) की कमी रही।

31 मार्च 2005 तक विकसित किए गए विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्र के विवरण ***परिशिष्ट- 8*** में दर्शाए गए हैं।

---

* *आवंटित करने योग्य भूमि से तात्पर्य नियत क्षेत्र जिसमें नागरिक सुविधाओं विद्युत एवं जल आपूर्ति सेवाओं हेतु उपयोग में लाया जाने वाला उपलब्ध क्षेत्र भी है।*

** *औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल-2, ग्वालियर-3 एवं जबलपुर-4*

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की 2000-01 के पूर्व विकसित 1501.383 हेक्टेयर भूमि मांग के अभाव में अनाबंटित रही। इसके परिणामस्वरूप विकास पर किया गया 68.94 करोड़ रुपए का व्यय अब तक (सितम्बर 2005) निष्फल रहा।

भूखण्ड आबंटित करने में विफलता के परिणामस्वरूप 68.94 करोड़ रुपए का विकास व्यय निष्फल रहा।

- कम्पनियों को आधारभूत सुविधाएं सृजित करना एवं विकसित करना अधिदिष्ट किया गया था परंतु उन्होंने दीर्घवधि कॉरपोरेट प्लान नहीं बनाया जिससे कि उन केन्द्रों को पहचाना जा सके एवं उन्हें प्रतिवर्ष विकसित किया जा सके।

- 2000-05 के दौरान औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने नए विकास केन्द्रों की पहिचान नहीं की।

- 1989 में भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत एवं 1994 में विकसित किए जाने हेतु निर्धारण मण्डीदीप - II स्थित विकास केन्द्र के संबंध में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल ने भूमि की अधिप्राप्ति तक आरंभ नहीं की संपूर्ण 324.43 हेक्टेयर भूमि 1996 में 93.90 लाख रुपए में अधिप्राप्त की गई तथा 31 मार्च 2005 तक 13.23 करोड़ रुपए का व्यय कर इसका विकास किया गया। कम्पनी ने मार्च 2005 तक किसी भूमि का आवंटन नहीं किया गया था।

- मालनपुर-धिरोंगी विकास केन्द्र के संबंध में 1985-92 के दौरान अधिप्राप्त 447.290 हेक्टेयर भूमि (55.7 प्रतिशत) में से अभी तक (मार्च 2005) कोई आबंटन नहीं हुआ।

- 1990 के पूर्व पीथमपुर (177.72 हेक्टेयर) तथा मेधनगर (132.81 हेक्टेयर) विकास केन्द्रों के संबंध में 310.53 हेक्टेयर मापभूमि के विकसित भूखंड, उन्हें विकसित किए जाने के 15 वर्षो के उपरांत भी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर ने आबंटित नहीं किए।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर ने बताया (अगस्त 2005) की लायसेंस नीति के उदारीकरण के कारण उद्योग आरंभ करने हेतु उद्यमियों को आकर्षित करना कठिन हो गया। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि उदारीकरण की नीति ने उद्यमियों को नई इकाइयां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित ही किया और यह बाधक नहीं थी।

नींव की डिजाइन में परिवर्तन के कारण अनियमित व्यय

2.2.8 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने साफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क एवं निर्माण का कार्य 37.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में 43.17 करोड़ मूल्य पर आबंटित किया (अगस्त 2003), अनुमान, डिजाइन एवं रेखाचित्र कम्पनी द्वारा 52 लाख रुपए के शुल्क पर काम पर लगाए की परमार्शदाता द्वारा तैयार किए गए तथा धारक कम्पनी ने इसे स्वीकृत किया।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि :

कम्पनी द्वारा नींव की परिकल्पना में अनियमित परिवर्तन के परिणामस्वरूप 87.56 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- मण्डल एवं धारक कम्पनी की स्वीकृति के बिना सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क भवनों के संबंध में कालांतर में नींव की परिकल्पना में परिवर्तन किया गया जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं दर्शाए गए परिणामस्वरूप 87.56 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आई ***(परिशिष्ट-9)***

- खुदाई की गई मिट्टी के भण्डारण हेतु भवनों से लगे हुए स्थल में स्थान उपलब्ध होने के बावजूद कम्पनी ने 500 मीटर से अधिक की दूरी पर मिट्टी पहुँचाने के लिये परिवहन पर अतिरिक्त भुगतान किया।

- कम्पनी खुदाई आरंभ करने के पूर्व परिवर्तन निश्चित करने में विफल रही।

- जेम्स ज्वेलरी पार्क भवनों के संबंध में परिकल्पना में कोई परिवर्तन न होने के बावजूद भी 34.79 लाख रुपए (3.18 प्रतिशत) की अतिरिक्त लागत आई।

प्रबंधकों ने बताया (फरवरी 2005) कि तत्कालीन प्रबंध संचालक ने डिजाइन के परिवर्तन का निर्णय लिया था तथा डिजाइन में परिवर्तन दो तहखाने, एकभूतल तथा आठ तलों से एक तहखाना, भूतल एवं नौ तलों के रूप में ढांचे में परिवर्तन के कारण हुआ।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि एक तहखाने की कमी के परिणामस्वरूप खुदाई की मात्रा में कमी होना चाहिए थी तथा बोर्ड एवं धारक कम्पनी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त स्तंभ नींव हेतु पता लगाए गए क्षेत्रों में खुदाई करने के बजाय कम्पनी ने सम्पूर्ण क्षेत्र की खुदाई की जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

अधारभूत सुविधाओं की पूर्णता में विलंब

निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हेतु शास्ति की वसूली नहीं किए जाने के कारण 1.06 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

2.2.9 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर ने सड़कों, नालियों, पुलियाओं इत्यादि जैसे अधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु दिसम्बर 2001 से अगस्त 2003 के दौरान नौ कार्यादेश जारी किए। इस संबंध में निर्माण हेतु निर्धारित 2 से 11 माह की अवधि की तुलना में ठेकेदारों ने निर्माण कार्य की पूर्णता में 6 से 33 माह तक का विलम्ब किया। तथापि कम्पनी ने 1.06 करोड़ रुपए की शास्ति वसूली नहीं की यद्यपि इन प्रकरणों में से किसी में भी सक्षम प्राधिकारी ने समय वृद्धि नहीं की थी। यह अनुचित पक्ष लिए जाने के बराबर था एवं इसके परिणामस्वरूप 1.06 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई ***परिशिष्ट - 10)।***

प्रबंधन ने बताया (मई 2005) कि समय वृद्धि हेतु प्रस्ताव की कार्यपालन यंत्री ने अनुशंसा की थी एवं सक्षम प्राधिकारी ने इसे स्वीकृत किया था। उत्तर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी के तीन[@] निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में ठेकेदारों ने समय वद्धि हेतु

[@] *तीन - क्रम संख्या 4,7 एवं 8*

आवेदन नहीं किया था तथा पांच@@ निर्माण कार्य प्रकरणों में प्रबंध संचालक ने समय वृद्धि नहीं की थी अतः इन प्रकरणों में शास्ति की वसूली की जानी चाहिए थी। इसके साथ ही एक@@@ निर्माण कार्य के संबंध में इस निर्माण कार्य हेतु अनुबंध किए जाते समय शर्तों के अनुसार शास्ति की वसूली के बिना समय वृद्धि की अनुमति का प्रावधान नहीं था।

भूखण्डों का आबंटन

2.2.10 उद्यमियों को भूखंड का आबंटन संबंधित कम्पनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रीमियम पर पट्टा भाड़ा आधार पर किया जाता है। आबंटिती को आबंटन हेतु शर्तों एवं निबधनों, आबंटित भूमि का क्षेत्र तथा जमा राशि दर्शाने वाला आशय पत्र जारी किया जाता है। आशयपत्र में समान्यतः प्रीमियम के साथ-साथ भूमि के मुख्य स्थल के संबंध में अतिरिक्त प्रीमियम, वार्षिक पट्टा भाड़ा तथा संधारण/विकास प्रभारों के भुगतान हेतु शर्ते समाविष्ट रहती है।

31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पांच वर्षो के दौरान औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के द्वारा आबंटित भूखंडों के विवरण ***परिशिष्ट-8*** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि

2000-05 के दौरान भूखण्डों के आबंटन में कम्पनी का निष्पादन अत्यंत कम (5.36 प्रतिशत) रहा क्योंकि 1 अप्रैल 2000 को आबंटन हेतु उपलब्ध 1586.436* हेक्टेयर भूमि में से विगत पांच वर्षो के दौरान केवल 85.053 हेक्टेयर भूमि के लिए आशयपत्र जारी किए गए जो आरंभिक वर्ष (1981) से 31 मार्च 2000 तक की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की तुलना में केवल औसतन एक प्रतिशत प्रतिवर्ष रहे।

- आवंटन की प्रतिशतता (आबंटन योग्य भूखण्डों से) केवल 64.8 थी अर्थात लगभग एक तिहाई भूखण्ड अनावंटित रहे। यह उपलब्धि भी 2001-04 के दौरान प्रीमियम में 40 प्रतिशत की अर्थात 1.99 करोड़ रुपए की छूट देकर प्राप्त की जा सकती थी ***(परिशिष्ट-12)***। 141 भूखंड में से 98 भूखंड (70 प्रतिशत) प्रीमियम में छूट देकर आबंटित किए गए थे।

- विगत पांच वर्षो के दौरान आबंटन योग्य भूखण्डों से आबंटित भूखण्डों का प्रतिशत विकास केन्द्र मण्डीदीप- II के संबंध में निरंक, प्रतापपुरा के संबंध में 26.1 प्रतिशत मेधनगर के संबंध में 20.9 प्रतिशत तथा मनेरी के संबंध में 22.9 प्रतिशत रहा।

@@ पांच - क्रम संख्या 1,2,3,5, एवं 6

@@@ एक - परिशिष्ट 12 की क्रम संख्या 9

** 31 मार्च 2005 को अनाबंटित भूमि और 2000-05 के दौरान जारी आशय पत्र = 1 अप्रैल 2000 को आबंटन हेतु उपलब्ध भूमि (1501.383+85.053=1586.436)*

- लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने व्यापार संबर्द्धन हेतु 2000-05 के दौरान 1.06 करोड़ रुपए का व्यय किया। इसके बावजूद औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उद्योगपतियों को आकर्षित करने में विफल रहा परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास की गति धीमी रही।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने पट्टा विलेख में मूल प्रीमियम के बजाय घटी हुई प्रीमियम (60 प्रतिशत) दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप प्रीमियम के आठ प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क की (15.98 लाख रुपए) तथा स्टाम्प शुल्क के 75 प्रतिशत के पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकार को उस सीमा तक हानि हुई।

अतिरिक्त प्रीमियम भारित न करने/कम भारित करने के कारण राजस्व की हानि

2.2.11 औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को आशयपत्रों की शर्तों के अनुसार लाभप्रद स्थलों के संबंध में अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित करना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्रभारित स्थलधारित प्रीमियम की दरों में कोई समानता नहीं थी। एक ओर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल कोने के भूखण्ड तथा 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड के लिए 10 प्रतिशत तथा 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित कोने वाली भूखण्ड पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम भी वसूल कर रहा है जबकि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मार्यादित कोने के भूखण्ड के लिए 15 प्रतिशत तथा 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड के लिए 10 प्रतिशत परन्तु 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित कोने के भूखण्ड के लिये 25 प्रतिशत की तुलना में केवल 15 प्रतिशत की ही वसूली कर रहा है।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर 20 प्रतिशत के बजाय दोनों में से किसी भी प्रकरण में केवल 10 प्रतिशत का संग्रहण कर रहा है। जबकि जबलपुर ने जुलाई 1992 के पूर्व आबंटित भूखण्डों पर कोई अतिरिक्त प्रीमियम वसूल नहीं किया तथा इसके उपरांत के भूखण्ड पर अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली कर रहा है।

लाभप्रद स्थलों हेतु अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली करने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की विफलता के परिणामस्वरूप 45.20 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार आशयपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की विफलता के परिणामस्वरूप 45.20 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ***(परिशिष्ट - 12)***.

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर ने बताया (नवम्बर 2004) कि प्रकरण अपने मंडल के समक्ष रखा जावेगा जिसके परिणाम की अभी भी (अगस्त 2005) प्रतीक्षा है। औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर एवं औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर ने अपने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए (अप्रैल 2005)

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा देयकों में पट्टा भाड़ा तथा संधारण प्रभारों को कम दर्शाना

2.2.12 कम्पनी द्वारा जारी किए गए आशयपत्र में एक शर्त यह समाविष्ट है कि इकाई द्वारा (प्रीमियम का दो प्रतिशत) वार्षिक भाड़ा एवं (प्रीमियम का ढाई प्रतिशत) वार्षिक संधारण प्रभार भी जमा किया जाना चाहिए था।

कुल प्रीमियम पर वार्षिक भाड़ा एवं संधारण प्रभारों की वसूली किए जाने में कंपनी की विफलता के कारण 19.95 लाख रुपए की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने वार्षिक पट्टा भाड़ा एवं वार्षिक संधारण प्रभारों की संगणना करते समय अतिरिक्त प्रीमियम की उपेक्षा की। इसके परिणामस्वरूप 2000-05 के दौरान (6.21 लाख रुपए की संचयी वार्षिक हानि सहित) पट्टा भाड़ा एवं संधारण प्रभारों के संबंध में 19.95 लाख रुपए की हानि हुई ***(परिशिष्ट -13)***।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा निष्कर्षो को स्वीकार करते समय (दिसम्बर 2004) बताया कि सुधारात्मक कार्यवाही की गई है।

विकास केन्द्रों का संधारण

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा अजीवनक्षय जल आपूर्ति योजना को जारी रखना

2.2.13 कम्पनी ने जल आपूर्ति व्यवस्था नियंत्रित करने के नियमों/स्थितियों को सुनिश्चित किए बिना योजना को जारी रखने की संभाव्यता को सुनिश्चित किए बिना ही मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से पम्प कूप, पम्प हाउस, जल उपचार संयंत्र, उपरली टंकी इत्यादि जैसी परिसम्पत्तियों के साथ योजना के संधारण एवं 49 कर्मचारियों को लिया (जुलाई 1995)। चूंकि योजना अत्यधिक पुरानी थी अतः मार्च 2000 तक 1.11 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी। तब भी कम्पनी ने परिचालन को सुधारने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। बाद में हाथीखेड़ा बांध जिससे कि पानी लिया जा रहा था से प्रदूषित पानी आने के कारण को बंद कर दिया गया (जुलाई 2002)। कम्पनी ने इकाइयों की जल की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु जल आपूर्ति करने के लिए नलकूपों से जल लेना आरंभ किया। यह महंगा था, क्योंकि 500 इकाइयों में से के 72 इकाइयों ने वाटर कनेक्शन लिया तथा शेष इकाइयों ने जल के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्थाएं की।

कम्पनी ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को योजना वापस अंतरित करने अथवा सरकार से हानि की प्रतिपूर्ति करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। अजीवनक्षण परिचालन जारी रखने के कारण मार्च 2005 तक 1.45 करोड़ रुपए की और हानि हुई।

कम्पनी द्वारा अजीवनक्षम परिचालन के कारण इसे 1.45 करोड़ रुपए की हानि हुई।

प्रबंधक ने बताया (सितम्बर 2004) कि अनुबंध में जल की आपूर्ति हेतु इकाइयों द्वारा अपनी स्वयं की व्यवस्था की जाने की समर्थकारी धारा की विद्यमानता की जानकारी नहीं थी क्योंकि ये जिला उद्योग केन्द्रों ने आबंटित किए थे तथा सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।.

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को योजना हस्तगत करते समय स्थितियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। इसके साथ ही अनुदान के संबंध में वित्तीय सहायता हेतु सरकार अब तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है (सितम्बर 2005)।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा नगर पंचायत से जल प्रभारों का संग्रहण न करना।

2.2.14 कम्पनी 1986 से नगर पंचायत मंडीदीप के माध्यम से पटेल नगर एवं इंदिरा नगर कॉलोनियों को जल की आपूर्ति कर रही है। नगर पंचायत द्वारा 1.15 करोड़ रुपए के जलप्रभार का भुगतान नहीं किए जाने के कारण जल आपूर्ति बंद कर दी गई (नवम्बर 1999)। नगर पंचायत के अनुरोध पर कम्पनी ने (क) (वाणिज्यिक दरों के बजाय) औद्योगिक दरों पर पुनर्संगना करने (ख) 49.64 लाख रुपए का दण्ड छोड़ने (ग) बकाया की भरपाई एवं चालू जल प्रभारों का प्रतिमाह की 10 तारीख के पूर्व नियमित भुगतान करने की मांग करने का निश्चय किया (फरवरी 2000)। नगर पंचायत इन निर्णयों से पर सहमत हो गई। तदनुसार कम्पनी ने 1.15 करोड़ रुपए की बकाया प्राप्तव्य राशि को संशोधित कर 65.02 लाख रुपए कर दिया तथा कालोनियों को जल की आपूर्ति पुनः आरंभ कर दी।

तथापि नगर पंचायत कम की गई बकाया राशि एवं चालू देयकों की राशि का भी नियमित भुगतान करने में विफल रही जिसके कारण प्राप्तव्य हेतु बकाया राशि 81 लाख रुपए (जुलाई 2004 तक) हो गई। परंतु कम्पनी ने बकाया की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की तथा स्थिति वही बनी रही (मार्च 2005)।

बकाया राशि वसूल किए जाने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 81.00 लाख रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई तथा परिणामतः 39.01 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार अधिदेश में असमावेशित इकाइयों को जल की आपूर्ति वढाने एवं बकाया राशि वसूल करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप उसे 39.01 लाख* रुपए के ब्याज की हानि सहित इसके 81 लाख रुपए अवरूद्ध हो गए। इसका 49.64 लाख रुपए का दण्ड छोड़ा जाना भी निष्फल रहा।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2004) के प्रकरण पर नगर पंचायत एवं सरकार के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

---

* *(65.02 लाख रुपये) X (60/12) X (12/100)= 39.01 लाख*

निष्क्रीय स्थापना लागत

2.2.15 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रीवा ने 1996-97 से अपने मुख्य क्रियाकलाप बंद कर दिए। तथापि कम्पनी ने कर्मचारियों के वेतन के संबंध में व्यय करना जारी रखा। 1999-2004 के दौरान ऐसा व्यय 2.41 करोड़ रुपए संगणित हुआ। कंपनी अभी बंद नहीं की गई है (अगस्त 2005)।

औद्योगिक इकाइयों से बकाया वसूल न करना

2.2.16 औद्योगिक इकाइयों द्वारा संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा, संधारण एवं विकास प्रभार, जल प्रभार इत्यादि का भुगतान करना आवश्यक होता है। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार (दिसम्बर 1981) औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को विकास केन्द्रों के संधारण/विकास पर व्यय को ऐसी प्राप्तियों से पूरा करना था। इसके साथ ही औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों का बकाया राशि राजस्व वसूली के रूप में वसूल करने तथा राजस्व वसूली प्रमाणपत्र, विधिक सूचना जारी करने, संपत्ती कुर्क करने तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा बकाया का भुगतान किए जाने में विफल होने की दशा में उनका निवर्तन करने का अधिकार था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के पास अधिकार होने के बावजूद वे वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाणपत्र, विधिक सूचना जारी करने जैसी कार्यवाही करने में विफल रहे।

- औद्योगिक इकाइयों से वसूली हेतु समय से कार्यवाही करने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा की विफलता के परिणामस्वरूप पहले ही बंद हो चुकी इकाइयों के विरूद्ध प्राप्तव्यों के संबंध में 3.18 करोड़ रुपए की हानि हुई ***(परिशिष्ट - 14)***

- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा मध्यप्रदेश वित्त निगम के साथ बैठक में यह निश्चित किया गया था (जुलाई 1998) कि सार्वजनिक क्षेत्र की इन दो इकाइयों द्वारा इकाइयों से लिए गए प्राप्तियों का औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को प्रतिभुगतान किया जाना चाहिए। तथापि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इकाइयों से प्राप्त होने वाले प्राप्तव्यों रुपये 72.50 लाख जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वसूल कर लिया गया था, को वसूल करने में विफल रहे।

प्राप्तव्यों की वसूली हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की विफलता के परिणामस्वरूप 3.91 करोड़ रुपए की हानि साथ-साथ 7.31 करोड़ रुपए अवरूद्ध हो गई।

इस प्रकार औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने के अभाव के परिणामस्वरूप 3.91 करोड़ रुपए (3.18 करोड़ रुपए + 0.73 करोड़ रुपए) की हानि के साथ ही 7.31 करोड़ रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई। इससे राज्य में द्रुत औद्योगिक विकास हेतु वांछित निधि के प्रवाह पर भी प्रभाव पड़ा।

आधारभूत सुविधाओं हेतु नियत निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा निधियों के व्यपव्यर्तन से आधारभूत सुविधाओं हेतु वांछित निधियों का आगम बाधित हुआ।

2.2.17 औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा प्रीमियम पट्टा भाड़ा, संधारण प्रभार इत्यादि से संबंधित संग्रहीत आय, विकास केन्द्रों के विकास कार्य एवं संधारण हेतु उपयोग में लाई जाती है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने ये निधियां अन्य उद्देश्यों के उपयोग लिये की तथा इसका धारक कम्पनी में इन्टर कॉरपोरेटेट डपॉजिट के रूप में निवेश किया। 31 मार्च 2004 को चार* औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा 18.70 करोड़ रुपए, (8.70 करोड़ रुपए के ब्याज सहित) की वसूली नहीं हुई। धारक कम्पनी ने इन जमाओं पर पहले ही ब्याज का भुगतान करने से मना कर दिया था। इस प्रकार विकास कार्यों हेतु नियत निधियों के अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु वांछित निधियों के आगम में बाधा पहुँचाई।

विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र

भारत सरकार ने देश में निर्यात का आधार बढ़ाने की दृष्टि से आर्थिक परिक्षेत्र पर एक नीति की घोषणा की (2000)। राज्य सरकार ने विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र नीति निर्धारित की तथा इसे इंदौर विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम 2003 के रूप में एक अधिनियम पारित किया। औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर, को में विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरण घोषित किया गया (अक्टूबर 2002)। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (अगस्त 2002) के आधार पर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर ने विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र मार्यादित की स्थापना की (फरवरी 2003)

विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में भूमि की अधिप्राप्ति एवं विकास तथा भूखण्डों के आवंटन में विलम्ब

2.2.18 योजना में परिकल्पित था कि इसके क्रियान्वयन पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, उद्योगों व्यापार को निम्नांकित आर्थिक एवं सामाजिक लाभ उपलब्ध होगें (क) निर्यात एवं व्यापार सुलभ करना-विदेश विनिमय उपार्जन (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ग) रोजगार सृजन, संपति अभिवर्द्धन, प्रर्वतको को वित्तीय उपार्जन के संबंध में दीधकालिक विकास करना था। ।

31 मार्च 2005 के अनुसार वांछित अधिप्राप्त, विकसित, आबंटन हेतु बंटित भूमि तथा आबंटन योग्य भूमि की लागत ***परिशिष्ट - 15*** में दर्शाई गई है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि

* *औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर*

- कंम्पनी ने योजना के अंतर्गत भूमि की अधिप्राप्ति/विकास तथा भूखण्डों के आंवटन हेतु दीर्धकालीन योजना निर्धारित नहीं की थी।

- राज्य सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2002) विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र योजना हेतु 1038 हेक्टेयर भूमि अधिप्राप्त की जानी थी। इसकी तुलना में कम्पनी ने चरण - 1 के रूप में इस योजना को निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क परियोजना से संबंधित कुल 138 हेक्टयर भूमि अंतरित करवाई (फरवरी 2003)। आबंटन योग्य 105 हेक्टेयर भूमि में से इसने 51.34 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक इकाइयों को आबंटित की तथा शेष 53.626 हेक्टेयर (लागत 7.65 करोड़ रुपए) अब तक (अगस्त 2005) आबंटित नहीं की गई।

- चरण- II के संबंध में अधिप्राप्त किए जाने वाले 900 हेक्टेयर की तुलना में कम्पनी ने 31 मार्च 2005 के अनुसार केवल 544 हेक्टेयर भूमि अधिप्राप्त की तथा परियोजना की अधिसूचना के तीन वर्ष पश्चात भी शेष 356 हेक्टेयर भूमि अब तक अधिप्राप्त नहीं की गई।

- अधिप्राप्त 544 हेक्टेयर भूमि में से केवल 308 हेक्टेयर (57 प्रतिशत) आबंटन योग्य थी। कंपनी ने 19.84 हेक्टेयर भूमि आबंटित की तथा शेष 288.16 हेक्टेयर माप की भूमि (लागत 19.80 करोड़ रुपए) अब तक आबंटित नहीं की गई (मार्च 2005)।

विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में भूमि की अधिप्राप्ति/विकास तथा भूखण्डों के आबंटन में विलंब के परिणामस्वरूप 27.45 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।

- कम्पनी ने भूमि की अधिप्राप्ति की लागत को पूरा करने हेतु बैंक ऑफ पंजाब से (दो प्रतिशत के दाण्डिक ब्याज सहित 8.5 प्रतिशत के ब्याज पर) 16.70 करोड़ रुपए का सावधि कर्ज स्वीकृत करवाया (जून 2004)। कम्पनी ने कथित उद्देश्य हेतु कर्ज का उपयोग करने के बजाय 16.20 करोड़ रुपए धारक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए। जून 2005 तक धारक कम्पनी ने 9.11 करोड़ रुपए का भुगतान किया तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर ने 2.12 करोड़ रुपए बैंक को प्रति भुगतान किया तथा मूलधन एवं ब्याज (4.97 करोड़ रुपए एवं ब्याज 1.39 करोड़ रुपए) से संबंधित 6.36 करोड़ रुपए बकाया रहे। इस प्रकार औधोगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा कर्ज को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग के परिणामस्वरूप भूमि (356 हेक्टेयर) की अधिप्राप्ति हेतु वांछित निधि से वंचित होना पड़ा।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा भूमि की अधिप्राप्ति/विकास तथा भूखण्डों के आबंटन में विलंब के परिणामस्वरूप 27.45* करोड़ रुपए का व्ययनिष्फल रहा। विलंब के कारण विशिष्ट परियोजना की स्थापना से होने वाले प्रत्याशित लाभ भी अस्थगित हो गए।

---

* *7.65 करोड़ रुपये + 19.80 करोड़ रुपये = 27.45 करोड़ रुपये*

प्रीमियम अनुचित रूप में कम किए जाने के कारण परियोजना (विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र) की जीवनक्षमता पर प्रभाव पड़ा

2.2.19 राज्य सरकार ने विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में भूखण्डों हेतु (क) औद्योगिक भूखण्डों के संबंध में पांच एकड़ से अधिक भूखण्ड हेतु 825 रुपए प्रति वर्गमीटर तथा पांच एकड़ से कम के भूखण्ड हेतु 1030 रुपए प्रति वर्ग मीटर एवं (ख) वाणिज्यिक भूखण्डों के संबंध में 4950 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम की दरों निर्धारित की थी। तथापि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर के प्रबंधक ने वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भूखण्डों के प्रीमियम के कमी हेतु कोई औचित्य प्रस्तुत किए बिना उसके लिए प्रस्तावित किया (फरवरी 2003) एवं मंडल से स्वीकृति ली।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों को कम करने के लिए मण्डल अधिकृत नहीं था तथापि इसने औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में पांच एकड़ से कम क्षेत्र के भूखण्डों के संबंध में प्रीमियम 1030 रुपए से कम कर 400 रुपए/500 रुपए प्रति वर्ग मीटर तथा पांच एकड़ से अधिक के भूखण्डों के संबंध में 825 रुपए से कम कर 400 रुपए प्रति वर्गमीटर एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के संबंध में 4950 रुपए प्रति वर्गमीटर से कम कर 600 रुपए/800 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम में कमी स्वीकृत की (फरवरी 2003)।

कम्पनी द्वारा अनधिकृत रूप में प्रीमियम में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप 22.58 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने फरवरी 2003 से जनवरी 2004 के दौरान 14 औद्योगिक एवं एक वाणिज्यिक भूखण्ड आबंटित किए। इस प्रकार प्रीमियम में अनियमित कमी किए जाने के परिणामस्वरूप हुई राजस्व की हानि क्रमशः 21.71 करोड़ रुपए एवं 87 लाख रुपए संगणित की गई ***(परिशिष्ट-16)***

प्रबंधन ने बताया (मई 2005) कि संचालक मण्डल विकासकर्त्ता की हैसियत से भूमि की दरें निश्चित करने हेतु अधिकृत था तथा मण्डल ने प्रीमियम की दरों में कमी को स्वीकृत किया (फरवरी 2003) था। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि (क) राज्य सरकार ने औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर को केवल कार्यान्वयक अभिकरण के रूप में नियुक्त किया था तथा विकासकर्त्ता के रूप नहीं (ख) राज्य सरकार ने प्रीमियम की कमी को स्वीकृति नहीं दी थी तथा (ग) प्रीमियम की दरों की कमी जो कि मण्डल की सक्षमता से बाहर थी, के लिए कोई औचित्य नहीं था।

अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित नहीं किए जाने के अनुचित निर्णय के कारण राजस्व की हानि

कम्पनी के अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित न करने के निर्णय के कारण 2.76 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

2.2.20 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम कोने के भूखंडों एवं अथवा 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों के संबंध में अतिरिक्त प्रीमियम के रूप में निर्धारित प्रतिशत का प्रभार कर रहे हैं क्योंकि ये लाभप्रद स्थिति के भूखंड हैं। तथापि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर के मण्डल ने विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में ऐसे भूखंडों के संबंध में अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित न करने का निश्चय किया (फरवरी 2003) जिसके लिए अभिलेख में कारण नहीं दर्शाए गए। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 2003 से दिसंबर

2004 के मध्य आबंटित आठ भूखण्डों के संबंध में 2.76 करोड़ रुपए की हानि हुई ***(परिशिष्ट -17)***

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर के प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2005) कि उनके मण्डल ने अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित न करने का निश्चय किया था। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि (क) ऐसे निर्णय हेतु अभिलेख में कोई औचित्य नहीं दर्शाया गया (ख) प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति नहीं दी थी (ग) यदि ऐसे भूखंडों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित नहीं किया गया तो प्रत्येक उद्यमी केवल कोने का/80 फीट चोड़ी सड़क पर स्थित भूखंड रखना चाहेगा। इसके कारण मध्यवर्ती भूखण्डों का अनाबंटन हो जावेगा और इसके कारण परियोजना की जीवनक्षमता प्रभावित होगी।

विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र इकाइयों के पक्ष में अनुचित पक्षपात को बढ़ावा

2.2.21 एस आर एफ लिमिटेड (इकाई) ने विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र इंदौर चरण 1 में 60000 वर्ग मीटर माप की भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया (सितम्बर 200। इकाई ने 120 रुपए प्रतिवर्ग मीटर की कम की गई दर पर क्षेत्र हेतु प्रीमियम के रूप में 72 लाख रुपए का भुगतान इस आधार पर किया कि इसने प्रीमियम को कम करने हेतु सरकार को पहले ही सूचित किया था तथा यह सरकार द्वारा अंतिम निर्णय के उपरांत अंतर का भुगतान कर देगा। कम्पनी ने इकाई को सूचित किया कि मामला सरकार की ओर भेजा गया है। सरकार के आदेश प्राप्त करने के पूर्व कंपनी ने भुगतान स्वीकार कर लिया तथा आबंटन पत्र जारी किए बिना 60672 वर्गमीटर माप की भूमि का कब्जा हस्तांतरित कर दिया (सितम्बर 2003)।

इस बीच राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से प्रभावकारी नई औद्योगिक संवर्द्धन नीति 2004 की घोषणा की (जून 2004) इस नीति के अनुसार बड़ी परियोजनाएं अर्थात 25 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक के निवेश के साथ वाले उद्योग भूमि पर 75 प्रतिशत प्रीमियम की छूट के पात्र होगें बशर्ते की 500 करोड़ रुपए तक के निवेश पर अधिकतम 20 एकड़ भूमि हो। कम्पनी ने इकाई को प्रीमियम में छूट दिए जाने हेतु तत्काल अपने अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त की (जुन 2004) तथा 1.82 करोड़ रुपए के प्रीमियम में छूट दिए जाने संबंधी आशयपत्र जारी किया (जुलाई 2004)। प्रीमियम में छूट सम्बन्धी प्रकरण पर सरकार ने निर्णय नहीं किया था (सितम्बर 2005)।

इसी प्रकार आई पी सी ए लेबोरेटरीज लिमिटेड (इकाई) ने विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र इंदौर,ब चरण 1 में नये शत प्रतिशत निर्यात वाले फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की स्थापना हेतु 52 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया (अगस्त 2004) तथा विद्युत लाइन के अंतर्गत आनेवाली 3.62 एकड़ भूमि (14628 वर्गमीटर) का चयन किया। इस इकाई को भी राज्य सरकार से स्वीकृति लिये विना कम्पनी ने प्रीमियम में 1.82 करोड़ रुपये की छूट दी। इसके साथ ही कम्पनी ने 3.62 एकड़ भूमि के संबंध में प्रीमियम प्रभारित न करने हेतु प्रस्ताव रखा जिसे अध्यक्ष महोदय से स्वीकृत करवा लिया गया तथा विद्युत

लाइन के नीचे आने वाले (14628 वर्गमीटर) क्षेत्र हेतु 58.51* लाख रुपए का प्रीमियम संग्रहित किए बिना संपूर्ण क्षेत्र का कब्जा हस्तांतरित कर दिया (जनवरी 2005)।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि

- चूंकि एस आर एफ ने सितम्बर 2003 में ही भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था अतः प्रीमियम तत्कालीन विद्यमान नियमों अर्थात 120 रुपए प्रति वर्गमीटर की तुलना में 400 रुपए प्रति वर्गमीटर के अनुसार वसूल किया जाना चाहिए था।
- चूंकि कम्पनी के पास विकसित भूमी थी अतः उसे नौ माह की विलम्ब करने के बजाय राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर आशयपत्र जारी कर देना चाहिए था।
- नई औद्योगिक नीति 2004, अप्रैल 2004 से प्रभावित हुई तथा इस कारणवश इसे 2003 में ही दी गई भूमि के संबंध में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि छूट हेतु एस आर एफ का आवेदन अभी भी लंबित है (सितम्बर 2005)।
- भूमि के आबंटन हेतु नियमों में ऐसे प्रकरणों (आई पी सी ए) में प्रीमियम प्रभारित न किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- विद्युत लाइन के नीचे आने वाले क्षेत्र पर प्रीमियम प्रभारित नहीं किए जाने तथा 75 प्रतिशत की छूट के प्रस्ताव (आई पी सी ए) को मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने स्वीकृति नहीं दी थी।

सरकार से स्वीकृति लिये बिना प्रीमियम में छूट देने तथा विद्युत लाइन के नीचे आने वाले क्षेत्र पर प्रीमियम प्रभारित नहीं किए जाने के कम्पनी के निर्णय के परिणामस्वरूप 4.23 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार प्रीमियम प्रभारित नहीं करने सम्बन्धी कम्पनी का अनियमित निर्णय अनुचित पक्ष लिए जाने के समान है तथा इसके परिणामस्वरूप 4.23** करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (मई 2005) के चूंकि इस बीच राज्य सरकार ने बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रीमियम में छूट की घोषण कर दी थी अतः एस आर एफ इकाई को लाभ दिया गया। आई सी पी ए के बारे में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि इकाई छूट प्राप्त करने की पात्र नहीं थी तथा इस पर सरकार द्वारा स्वीकृति भी नहीं दी गई थी।

---

* *क्षेत्र गुणित प्रत वर्ग मीटर प्रीमियम = 14628 X 400 रुपये = 58,51,200 रुपये*

** *प्रीमियम में छूट 1.82 करोड़ रुपये + विद्युत लाइन के नीचे आने वाले क्षेत्र का प्रीमियम 0.52 करोड़ रुपये = 2.41 करोड़ रुपए + एस.आर.एफ. के 1.82 करोड़ रुपए*

खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क

अपूर्ण योजना एवं अक्षम प्रचालन

2.2.22 खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क की योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने (दिसंबर 2000 एवं मार्च 2003 के मध्य) छः* खाद्य पार्कों की संस्वीकृति दी जिसका उद्देश्य निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, शीतगार (क्षमता 6000 मीटरिक टन), बरफ संयंत्र, भंडार गृह (3000 मीटरिक टन) मल निश्राव उपचार संयंत्र, परीक्षण प्रयोगशाला, फलों का रस निकालने, लुगदीकरण इकाई इत्यादि जैसी प्रसंस्करण सुविधाओं जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। भारत सरकार ने प्रत्येक ऐसी परियोजना हेतु अनुदान के रूप में चार करोड़ रुपए भी संस्वीकृत किए। औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने उनके द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर पांच पार्कों के निष्पादन का कार्य भी आरंभ किया। ये पार्क अप्रैल 2002 से मार्च 2004 के मध्य पूर्ण किये जाने थे।

31 मार्च 2005 के अनुसार छः में से निष्पादन हेतु लिए गए पांच पार्कों, भारत सरकार से संस्वीकृति, परियोजना लागत, वास्तविक व्यय, परिकल्पित लाभ प्रत्याशित एवं वास्तविक अर्जित राजस्व इत्यादि के विवरण ***परिशिष्ट - 18*** में दिए गऐ हैं।

योजना के निष्पादन में ध्यान में आई कमियों का नीचे उल्लेख किया गया है।

इन पांच पार्कों में से सामान्य सुविधाएं मंदसौर, बाबई-पिपरिया एवं बोरगांव पार्कों में पूर्ण की गई। निमरनी पार्क के संबंध में भंडारगृह एवं परीक्षण प्रयोगशाला सुविधाएं पूर्ण की गई। मार्च 2003 में निष्पादन कार्य आरंभ किए गए मनेरी पार्क के संबंध में सामान्य सुविधाओं के कार्य अभी आरंभ नहीं किए गए हैं। किसी भी पार्क में किसी भी उद्यमी को भूखंड आबंटित नहीं किया गया है। इन पार्कों पर 31 मार्च 2005 तक औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा 31.26 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इन पार्कों पर 31 मार्च 2005 तक 14.61 करोड़ रुपए का प्रत्याशित अर्जन अभी तक प्राप्त नहीं किया (अगस्त 2005)गया।

अवास्तविक परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर पार्कों की स्थापना

2.2.23 निष्पादन कार्य आरंभ किए गए पार्क अवास्तविक परियोजना प्रतिवेदन पर आधारित हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है

- जग्गाखेड़ी एवं निमरानी स्थित खाद्य प्रसंस्करण पार्कों हेतु परियोजना प्रतिवेदन संस्वीकृत अर्थात दिसम्बर 2000 (जग्गाखेड़ी) एवं सितम्बर 2001 (निमरानी) से पूर्व, बाद की अवधि में बाजार क्षमता को ध्यान में रखे बिना 1993-94 एवं 1994-95 हेतु सब्जी उत्पादन पर आधारित थे।

---

* *जग्गाखेड़ी, निमरनी, बाबई-पिपरिया, बोरगांवा, मनेरी एंड मालनपुर*

- जग्गाखेंडी हेतु परियोजना प्रतिवेदन को ही निगरानी एवं बाबई-पिपरिया स्थित पार्कों हेतु उस क्षेत्र की बाजार की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखे बिना स्वीकार कर लिया गया।

- जग्गाखेड़ी स्थित पार्क हेतु परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित किया गया कि 2 लाख लीटर पानी की अनुमानित मांग को पूराकर लिया जावेगा क्योंकि पार्क 5 लाख लिटर पानी/दिवस तक जल की आपूर्ति करेगा। यह दृष्टिगत हुआ कि कम्पनी ने एक औद्योगिक इकाई को पट्टे पर एक शीतागार संयंत्र दिया। इकाई ने शिकायत की कि जल की उपलब्धता उसकी आवश्यकता को पूरा करने में प्रर्याप्त नहीं थी यह दर्शाता है कि, पार्क का विकास आरंभ करने के पूर्व जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

- खाद्य प्रसंस्करण पार्क हेतु परीक्षण प्रयोगशाला तथा आर एण्ड डी उपकरण स्थापित करने हेतु परियोजना प्रतिवेदन इस धारणा पर आधारित था कि वे सुविधाएं चर्म, सीमेंट, औषधि निर्माण, धातुकर्म उद्योग, पेंटस, रंग सामग्री इत्यादि जैसे विभिन्न उद्योगों को भी उपलब्ध करा दी जावेगी। खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना हेतु इन संवर्गो के उद्योगों का समावेश कर औचित्यहीन है परीक्षण प्रयोगशाला हेतु बाजार क्षमता समस्त खाद्य पार्कों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला हेतु बाजार क्षमता भी ऊपर दर्शाए तथ्यानुसार यथानुरूप प्रायोजित की गई थी।

- इसके साथ ही परियोजना प्रतिवेदन में यह धारणा थी कि परीक्षण प्रयोगशाला सुविधाएं उत्तरप्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात जैसे राज्यों में औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता को पूरा करेगी। कम्पनी की यह प्रत्याशा कि उक्त सुविधाओं के लिए इन राज्यों के उद्योग खाद्य प्रसंस्करण पार्कों में पहुंचेंगे यह सिद्ध नहीं हुआ।

इन धारणाओं के आधार पर स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण पार्क परिणामतः विफल सिद्ध हुए।

स्थल का गलत चुनाव

2.2.24 खाद्य प्रसंस्करण पार्क ऐसे क्षेत्र के पास स्थित किए जाते हैं जहां फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है जिससे कि परिवहन के दौरान उनकी गुणवत्ता एवं लागत प्रभावित नहीं होती है। लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर द्वारा जग्गाखेड़ी में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण पार्क जिला मुख्यालय मंदसौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में स्थित है।

इसी प्रकार औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल ने 50 एकड़ भूमि क्षेत्र में पार्क स्थापित करने का निश्चय किया। चूंकि एक क्षेत्र में इतनी भूमि उपलब्ध नहीं थी अतः पिपरिया में 32 एकड़ एवं बाबई में 18 एकड़ की भूमि पर विचार किया गया तथा

बाबई-पिपरिया के नाम से पार्क प्रस्तावित किया गया एवं उसे स्वीकृत करवाया गया। चूंकि शीतागार एवं भण्डारगृह की सुविधाएं केवल पिपरियों में सृजित की गई थी तथा बाबई और पिपरिया के मध्य दूरी लगभग 40 किलोमीटर है अतः बाबई में प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई।

इस प्रकार परिवहन में अतिरिक्त लागत एवं जोखिम होने के कारण कोई उद्योगपति शीतागार तथा भण्डारगृह की सुविधाएं लेने हेतु तैयार एवं इच्छुक नहीं हुआ।

फसल की खेती को ध्यान में रखे बिना पार्क की स्थापना

2.2.25 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर ने जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर स्थित खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क में 6000 मीटरिक टन क्षमता का शीतागार संयंत्र स्थापित किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जिला मंदसौर में कृषि उत्पादन संभाग के जिलों के मध्य सबसे कम (2.5 प्रतिशत) है। शीतागार में भण्डारण हेतु मुख्य उत्पादन आलू की खेती निम्नलिखित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार केवल 600 मीटरिक टन थी

(उत्पादन मीटरिक टन में)

फसल	मंदसौर	उज्जैन	रतलाम	देवास	शाजापुर	योग
आलू	600	43700	6400	48600	43500	142800
गुड़	900	1400	4500	7400	4300	18500
प्याज	3300	6900	16400	6700	13900	47200
मिर्ची	600	100	600	100	100	1500
योग	**5400**	**52100**	**27900**	**62800**	**61800**	**210000**

यदि जिले में समस्त फसलों के उत्पादन (5400 मीटरिक टन) का भी (विक्रय एवं स्थानीय उपयोग न करते हुए) भण्डारण किया जावे तब भी भण्डारण क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सकता था। यदि पार्क अन्य जिले अर्थात वास्तविक क्षमता वाले देवास (आलू उत्पादन - 48600 मीटरिक टन) अथवा उज्जैन 43700 मीटरिक टन में स्थापित किया गया होता तो व्यय से सफल परिणाम पाप्त कर लिए होते।

इसके साथ ही पार्क के लिए परियोजना प्रतिवेदन 21 औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त जांच पड़ताल के आधार पर तैयार की गई थी। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि कम्पनी ने संभाग के पांच जिलों में टमाटर की फसल/उत्पादन पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण खेती में से एक है जिसे शीतागार सुविधा की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 21 औद्योगिक इकाइयों में से केवल तीन इकाइयां (टमाटर) शीतागार का लाभ अर्जित कर सकी जबकि अन्य इकाइयां ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता न होने वाले (पापड़, दाल, मैदा, नूडल्स, वेसन इत्यादि जैसे) उत्पादों में कार्यरत हैं।

इस प्रकार वास्तविक फसल उत्पाद एवं बाजार की क्षमता पर विचार किए **विना** शीतागार सुविधा के साथ पार्क की स्थापना की गई जिसके कारण सुविधाएं अप्रयुक्त रही।

अपूर्ण आधारभूत सुविधाएं

2.2.26 शीतागार संयंत्रों के प्रचालन हेतु जल एवं विद्युत की उपलब्धता एक आधारभूत आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि :

- जग्गाखेड़ी स्थित शीतागार संयंत्र उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में जल की उपलब्धता आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रर्याप्त नहीं थी।

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा स्थापित बाबई - पिपरिया हेतु परियोजना प्रतिवेदन में विद्युत के लिए उच्चदाब लाइन/उपकेन्द्र हेतु कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार कम्पनी को इस सम्बन्ध में एक करोड़ रुपए का व्यय और भी करना पड़ा क्योंकि विद्यमान उच्चदाब लाइन पिपरिया में लगभग 1.25 किलोमीटर दूर थी।

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर द्वारा निमरानी में स्थापित पार्क हेतु अनुमानपत्रक में विद्युत हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस कार्य की लागत 72 लाख रुपए अनुमानित की गई।

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर द्वारा फरवरी 2004 में बोरगांव में स्थापित पार्क का उपयोग नहीं हो सका क्योंकि कम्पनी ने अब तक (अगस्त 2005) विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं किया है।

पार्कों को पूर्ण किए जाने में विलंब

2.2.27 पांच खाद्य प्रसंस्करण पार्क अप्रैल 2002 से मार्च 2004 के मध्य तक पूर्ण किए जाने थे। जग्गाखेड़ी, बाबई,-पिपरिया एवं बोरगांव के पार्क क्रमशः 21, 19, एवं 11 माह के विलम्ब के पश्चात पूर्ण हुए। निमरानी स्थित पार्क जिसे सितम्बर 2002 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था, अब तक पूर्ण नहीं हुआ तथा मार्च 2003 में कार्य निष्पादन हेतु लिए गए मनेरी स्थित पार्क के संबंध में सामान्य सुविधाओं का कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया (सितम्बर 2005) जिसके लिए अभिलेख में कारण नहीं दर्शाए गए हैं। पार्कों के पूर्ण किए जाने में विलंब से औद्योगिक पार्कों एवं उससे हानि वाले लाभों में विलंब हुआ।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर ने बताया (अगस्त 2005) कि मनेरी में पार्क की स्थापना करने पर्याप्त संभावना है क्योंकि चार बड़ी एवं 40 लघु उद्योग इकाइयां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। उत्तर विश्वासेत्पादक नहीं है क्योंकि यदि ऐसी कोई बात है तो कम्पनी ने जून 2004 तक पार्क का निर्माण पूर्ण कर लिया होता जबकि

इसने अभी कार्य आरंभ नहीं किया है (अगस्त 2005)। इसके साथ ही इसने शीतागार, भण्डारगृह एवं दुग्ध प्रशीतन संयंत्र के लिए परामर्शदाता मार्च 2005 में अर्थात 24 माह के विलंब के पश्चात ही नियुक्त किया।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल ने बताया (अगस्त 2005) कि भण्डारगृह एवं शीतागार के क्रमशः 3.70 लाख रुपए एवं 16 लाख रुपए के भाड़े पर दिया गया। चूंकि यह केन्द्र सरकार की योजना थी तथा अनुदान किस्तों में दिए गए थे अतः निर्धारित समय का अनुपालन नहीं किया जा सका।. उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि (क) सुविधाओं को भाड़े पर दिया जाना योजना का उद्देश्य नहीं था (ख) इकाई के साथ पट्टे का अब तक अनुबंध नहीं किया गया तथा (ग) कम्पनी ने अब तक (सितम्बर 2005) विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं किया है।

वारंटी अवधि की सुविधाओं की हानि

2.2.28 शीतागार एवं दुग्ध प्रशीतन संयंत्र सुविधाएं दिए जाने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के विलम्ब/विफलता के परिणामस्वरूप संयंत्र और मशीनरी पर वारंटी अवधि की सुविधा खत्म हो गया। इस प्रकार अपनी ओर से ही विलंब किए जाने के कारण औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को उपकरणों की निःशुल्क मरम्मत/प्रतिस्थापन/सेवा की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल ने बताया (अगस्त 2005) के चूंकि इसने शीतागार के पूर्ण होने के प्रतिवेदनों को अंतिम रूप नहीं दिया है अतः वारंटी के खत्म होने का प्रश्न हीं नहीं उठता है। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण हो गया है एवं प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जाना केवल एक औपचारिकता है तथा यह उपकरणों की वारंटी अवधि बढ़ाए जाने के आधार नहीं जो कि समाप्त हो चुकी है।

उद्यमियों को आकर्षित करने में विफलता

2.2.29 खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित किए जाने के कारण औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को उद्योगपतियों को आकर्षित करने हुए पार्कों की सुविधा के उपयोग हेतु गंभीर कदम उठाने चाहिए थे जिससे कि निष्क्रिय अवधि को न्यूनतम किया जा सका होता एवं पार्कों पर किए गए व्यय का लाभ अर्जित किया जा सकता। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने (क) जल आपूर्ति, विद्युत एवं परीक्षण प्रयोगशाला की आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण करने (ख) पार्कों के आबंटन हेतु भावी उद्यमियों की पहचान करने हेतु कार्यवाही नहीं की थी।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर ने बताया (अगस्त 2005) कि सम्मेलन, ई मेल के माध्यम से उद्योगपतियों से संपर्क किया जा रहा है। इसने कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना होने के उपरांत अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, प्रदूषण उपचार संयंत्र के निर्माण कार्य आरंभ करने का निश्चित किया है। उत्तर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि सम्मेलन/सेमिनार के माध्यम से संपर्क पार्क स्थापित करने के पूर्व ही किया

जाना चाहिए था इसके साथ ही जब आधारभूत सुविधाएं पूर्ण नहीं हो जाती, कोई उद्योगपति इकाई स्थापित करने को इच्छुक नहीं होगा।

खाद्य प्रसंस्करण पार्क के निष्पादन हेतु प्राप्त अनुदान का अन्य कार्यों हेतु उपयोग

2.2.30 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर ने मनेरी स्थित खाद्य पार्क स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले चार करोड़ रुपए के अनुदान में से दो करोड़ रुपए जारी करवाए (मार्च 2003)। अनुदान का उपयोग इस उद्देश्य हेतु करने के बजाय कंपनी ने अनुदान रशि को सावधि जमा खाते में जमा कर दिया जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं दर्शाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप यह भारत सरकार से शेष दो करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी। इस प्रकार परियोजना में परिकल्पित सामान्य सुविधा अभी आरंभ नहीं हो सकी (अगस्त 2005)।

आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफलता के साथ अपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप 31.26 करोड़ रुपए का व्यय अनुत्पादक रहा।

इस प्रकार विद्युत, जल आपूर्ति जैसी अधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की विफलता के साथ अपूर्ण योजना एवं पार्कों के अव्यवसायिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 31.26 करोड़ रुपए का व्यय अनुत्पादक रहा। इसके साथ ही यह भावी कृषि आधारित उद्यमियों को अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु कोई प्रोत्साहन सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि वे कोई लाभ अर्जित नहीं कर सके। सर्वोपरि यह है कि न तो प्रत्याशित राजस्व और न रोजगार का सृजन की प्राप्त किया जा सका जिसके कारण इन पार्कों के संस्थापन का उद्देश्य विफल हो गया।

एकीकृत अधारभूत विकास केन्द्र

2.2.31 भारत सरकार औद्योगिक मंत्रालय ने ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु एवं छोटे ग्रामोद्योग के संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु नीतिगत उपायों के अनुपालन के लिए एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु एक योजना आरंभ की (1994) जिसका उद्देश्य निम्नानुसार था।

- रोजगार के अवसर सृजित करने तथा कृषि एवं उद्योग के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु लघु एवं छोटे उद्योग की इकाइयों के समूह को प्रोत्साहित करना।
- सामान्य सेवा सुविधाएं एवं तकनीकी समर्थक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा
- नए/विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत, जल, संचार इत्यादि जैसी आधारभूत सेवाएं सृजित करना।

योजना पांच करोड़ रुपए तक की परियोजना हेतु इसे भारत सरकार से अनुदान (40 प्रतिशत) , भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से कर्ज (60 प्रतिशत) के माध्यम से वित्त पोषण परिकल्पित था। पांच करोड़ से अधिक लागत को राज्य सरकार को वित्त पोषित करना था। परियोजना लागत में भूमि की लागत, सड़के बनाना एवं समतलीकरण करना, जल आपूर्ति, विद्युत, तालिया इत्यादि (3.05 करोड़ रुपए) सामान्य सुविधाएं, डाकघर, सभाकक्ष, बैंक, कच्चा गाल भण्डार, केन्टीन (50 लाख रुपए) प्रदूषण उपचार संयंत्र (50

लाख रुपए) , संचार (50 लाख रुपए), एवं सामान्य सुविधाओं हेतु भवन (45 लाख रुपए) समाविष्ट हैं।

2000-05 के दौरान औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर ने छः एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र स्थापित किए जिसमें 1204* भूखंड सन्निहित थे। इसमें से केवल तीन भूखण्ड औद्योगिक इकाइयों को आबंटित किए गए। 31 मार्च 2005 तक प्रत्याशित 14683 लोगों के लिए रोजगार सृजन एवं 12.05 करोड़ रुपए के राजस्व की तुलना में उपलब्धि नगण्य (0.12 करोड़ रुपए)। ***(परिशिष्ट - 20)*** थी। औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने इन एकीकृत अधारभूत विकास केन्द्रों पर (1998 के पूर्व नादान टोला स्थित केन्द्र पर 2.08 करोड़ रुपए सहित) 8.79** करोड़ रुपए का व्यय किया।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई कमियों पर आगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है :

क्षेत्र अध्ययन/सर्वेक्षण का अभाव

2.2.32 एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्रों के चयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार चयन के पूर्व क्षेत्र का व्यापक संभावना सर्वेक्षण होना चाहिए। लघु एवं छोटे उद्योगों हेतु संभाव्यता कृषि एवं उद्योग के मध्य स्वष्टतः संधटनात्मक जुड़ाव स्थापित करने वाला होना चाहिए। तथापि लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि प्रत्याशित औद्योगिक इकाइयों का कोई सर्वेक्षण/क्षेत्र अध्ययन नहीं किया गया जो इन केन्द्रों को लाभान्वित कर सकता था। सम्भावित लघु उद्योग इकाइयों अथवा इकाई समूहों का अध्ययन नहीं किया गया नहीं विद्यमान उद्योगों से कोई पूछताछ की गई एवं सहमति की अभिव्यक्ति ली गई। चूंकि मांग का निर्धारण किए बिना केन्द्रों का गठन किया गया था अतः औद्योगिक केन्द्र विकास निगम सशक्त औद्योगिक इकाइयों का पता नहीं लगा सके एवं बडी मात्रा में केन्द्र निष्क्रिय रहे।

परिवीक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययन का अभाव

2.2.33 योजना के अनुसार, औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को सुधारात्मक उपाय करने हेतु समवर्ती एवं कार्योत्तर मूल्यांकन अध्ययन करना चाहिए था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा 2000-05 के दौरान छः एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्रों में विकसित 1204 भूखण्डों में से 31 मार्च 2005 तक केवल तीन भूखण्ड आवंटित किए गए थे। फिर भी औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने नगण्य मांग हेतु कारणों का निर्धारण करने के लिए अपने कार्य निष्पादन का न कोई अध्ययन किया न हीं एवं समीक्षा की कोई सुधारात्मक कार्यवाही की गई। परिणामतः 8.79 करोड़ रुपए की लागत पर स्थापित केन्द्र सामान्य सुविधाओं पर ध्यान दिए जाने के अभाव जैसी उनकी त्रुटियों/कमियों के कारण निष्क्रिय रहे।

---

* *146 + 261 +199 + 358 - 112 + 128 = 1204*

** *1.97 + 1.16 + 0.44 + 2.27 + 0.36 + 0.51 = 6.71 + 2.08 = रुपये 8.79 करोड़*

योजना आरंभ किए जाने में विलम्ब

2.2.34 भारत सरकार ने लघु एवं छोटे उद्योगों के लिए मार्च 1994 में एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र निगम की योजना की घोषणा की थी। तथापि तीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने योजना दिसम्बर 2000 और नवम्बर 2003 के मध्य कार्यान्वित करना आरंभ किया इसके कारण उद्योगों के इन संवर्गो हेतु आधारभूत सुविधाओं क विकास छः से आठ वर्षो के विलंब से हुआ।

सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफलता

2.2.35 भारत सरकार के दिशानिर्देशों में यह समाविष्ट था कि केन्द्रों को 40 प्रतिशत अर्थात 2.00 करोड़ रुपए तक संचार, प्रदूषण उपचार संयंद्ध, सामान्य सेवा सुविधाओं हेतु भवन जैसी आधारभूत सुविधाओं के उपाय करना चाहिए थे। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जग्गाखेड़ी, निमारनी, नामतारा एवं जडेरूआ स्थित एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र की परियोजना अनुमानों में इन सुविधाओं हेतु काई प्रावधान समाविष्ट नहीं किया गया है तथा नौगांव एवं प्रतापपुरा हेतु अनुमानों में इन सुविधाओं हेतु अप्रर्याप्त प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। योजनाओं में परिकल्पित सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की विफलता के परिणामस्वरूप उद्यमियों को केन्द्रों की ओर आकर्षित नहीं किया जा सका।

समय ढांचे का अभाव

2.2.36 औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के परियोजना प्रतिवेदनों में केन्द्रों की पूर्णता हेतु किसी समय ढांचे को नहीं दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप दो से पांच वर्षो के उपरांत भी लामतारा केन्द्र के अलावा और केन्द्र पूर्ण नहीं हुए। फलतः योजना के प्रत्याशित लाभ अब तक प्राप्त नहीं हो सके।

योजना हेतु आहरित कर्ज का उपयोग न करना

2.2.37 लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर जग्गाखेड़ी केन्द्र हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से एक करोड़ रुपये का ऋण लिया था (नवम्बर 2002), जिसे मय ब्याज (रुपये 4.03 लाख) बिना उपयोग किये वापिस कर दिया। बिना उपयोग किये वापिस किये जाने का कारण का उल्लेख अभिलेख में नहीं है।

कर्ज सहायता को आहरित करने में असफल होना

2.2.38 योजना के अनुसार 60 प्रतिशत राशि अर्थात तीन करोड़ रुपए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से कर्ज के रूप में प्राप्त किए जाएंगें।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर ने अपने परियोजना प्रतिवेदन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से कर्ज सहायता को समाविष्ट

नहीं किया तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर ने बताया (अगस्त 2005) कि शेष कार्य राज्य सरकार से निधियों की प्राप्ति पर पूर्ण किए जावेगें। उत्तर विश्वोसोत्पादक नहीं है क्योंकि योजना भारत सरकार (अनुदान) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्ज) से 2 : 3 के अनुपात में निधियों से कार्यान्वित की जानी थी, जो प्राप्त नहीं की गई।

पहले ही विकसित केन्द्रों हेतु उद्यमियों की पहचान किए बिना और अधिक केन्द्रों की स्थापना

2.2.39 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर ने मई 1997 में नादानटोला स्थित एक एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र के निष्पादन का कार्य आरंभ किया तथा सड़कों के निर्माण में 2.08 करोड़ रुएए, पुलियाओं एवं नालियों पर (1.15 करोड़ रुपए) तथा समान्य सुविधाओं पर (51.45 लाख रुपए) जल संसाधन एवं वितरण पर (3.73 लाख रुपए) एवं आकस्मिकता पर (28.40 लाख रुपए) का व्यय किया। तथापि कम्पनी ने आठ वर्षो के उपरांत भी योजना को पूर्ण नहीं किया जिसके लिए कारण अभिलेख में दर्ज नहीं थे। परिणामतः उसे इन मदों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा क्योंकि आठ दर्ष पूर्ण सृजित आधारभूत निर्माण में या तो अवह्रास या नष्ट हो गए होंगे।.

योजना को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही किए बिना, उसके लिए सुधारात्मक उपाय किए बिना एवं भावी उद्यमियों की पहचान किए बिना औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर ने विभिन्न स्थलों पर तीन और एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र कार्यान्वित करना आरंभ किया तथा 3.14 करोड़ रुपए का और व्यय किया एवं 598 भूखण्ड विकसित किये जिसमें से केवल तीन भूखण्ड आवंटित किए गए (अगस्त 2005)। शेष भूखण्ड आबंटित नहीं किए जा सके क्योंकि कम्पनी ने योजना के अनुसार सामान्य सुविधाएं सृजित नहीं की थी। परिणामतः 5.22 करोड़ रुपए का संपूर्ण व्यय अनुउत्पादक रहा।

सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में तथा भावी उद्यमियों की पहचान करने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की विफलता के परिणामस्वरूप 8.79 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।

इस प्रकार औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की (क) भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने तथा कार्य को व्यावसायिक रूप में निष्पादित करने में (ख) बाजार की सम्भावना का निर्धारण करने एवं (ग) भावी उद्यमियों की पहचान करने में विफलता के परिणामस्वरूप 8.79 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा। इसने योजना के अंतर्गत छोटी इकाइयों के समूह गठित करने का उद्येश्य ही विफल हो गया।

उपसंहार

औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने न तो भूमि की अधिप्राप्ति हेतु कोई दीर्घकालीन योजना अथवा रणनीति बनाई न उन्होनें इस सम्बन्ध में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए। औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने 31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पांच वर्षो के दौरान कोई नये विकास केन्द्र की पहचान नहीं की तथा 1990 के पूर्व पहचान किए गए ऐसे विकास केन्द्र मार्च 2005 तक भी पूर्ण नहीं किए गए थे। मुख्यतः भावी उद्यमियों

को आकर्षित करने में विफलता का कारण भूमि अधिप्राप्त करने एवं विकसित करने, औद्योगिक इकाइयों को अधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं विकसित भूखण्ड आबंटित करने में हुआ विलम्ब था। अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित न किए जाने/कम वसूल किए जाने से राजस्व की हानि के उदाहरण प्रस्तुत हुए। केन्द्र सरकार की योजनाओं का व्यावसायिक रूप में प्रबंधन नहीं किया गया क्योंकि विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र, खाद्य पार्क एवं एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र बिना उचित सर्वेक्षण, बाजार की मांग का निर्धारण करने हेतु क्षेत्र अध्ययन, तथा क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के समकालन के बिना स्थापित किए गए थे। औद्योगिक इकाइयों से बकाया की वसूली में शिथिलता रही तथा आधारभूत सुविधाओं हेतु निर्धारित निधियों को अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग किया गया। इन कमियों/चूकों/अपूर्णता के परिणामस्वरूप लक्ष्य निर्धारित संवर्ग के उद्योगों अथवा इकाई समूहों को योजना के लाभों से वंचित होना पड़ा। राजस्व की हानि, रोजगार का सृजन न होना तथा राज्य सरकार/कम्पनियों को उससे होने वाले प्रतिलाभों नहीं हुए। इससे राज्य के द्रुत एवं व्यापक औद्योगीकरण का उद्देश्य विफल हो गया।

अनुशंसाएं

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को निम्नांकित उपलब्धियां प्राप्त करने हेतु सम्मिलित प्रयास करना चाहिए

- भूमि अधिप्राप्त करने, पहचान किए गए विकास केन्द्रों का विकास करने तथा विकसित भूखण्डों का आबंटन करने हेतु और
- विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र, खाद्य पार्क एवं एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्रों के अंतर्गत भूखण्डों का आबंटन वरीयता के आधार पर पूर्ण करने और उद्यमियों को आकर्षित करते हुए उपयोग करने हेतु।

उक्त प्रयास राज्य में औद्योगिक विकास की गति को द्रुतगामी बनाने हेतु समयवद्ध कार्यक्रम के आधार पर होने चाहिए।

उपर्युक्त प्रकरण सरकार की ओर भेजा गया (जुलाई 2005); इसका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

अध्याय तीन

सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में ट्रांसफार्मरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन एवं रख-रखाव

मुख्यांश

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, सम्बद्ध भार की उप पारेषण तथा वितरण व्यवस्था क्षमता की वृद्धि के मध्य सन्तुलन रखने में विफल रहा। 31 मार्च 2004 को समाप्य वर्ष तक वितरण व्यवस्था क्षमता सम्बद्ध भार की तुलना में 155 से 230 प्रतिशत तक उच्च थी। अनुरूप्ता न होने के कारण ओवरलोडिंग हुई जिसके परिणामस्वरूप ट्रान्सफार्मर खराब हुए और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसी हानियों के स्वीकृत स्तर से 250 प्रतिशत अधिक की पारेषण एवं वितरण हानि हुई।

(कण्डिका 3.6.1 एवं 3.6.2)

इस पारेषण एवं विवरण हानियों के कारण मण्डल को 10619.31 करोड़ रुपये के सम्भावित राजस्व की हानि हुई। यहां तक कि मण्डल, 2004-05 तक नियामक आयोग द्वारा निर्धारित उत्तरोत्तर 28 प्रतिशत तक की पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी का साधारण लक्ष्य भी प्राप्त करने में विफल रहा।

(कण्डिका 3.6.2)

त्रुटिपूर्ण योजना एवं बोली मूल्यांकन, ट्रान्सफार्मर लगाने तथा उप केन्द्रों के निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति पर 70.40 करोड़ रुपये का परिहार्य अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं की पूर्णता में विलंब के कारण राजस्व में अपरिणामवाचकीय हानियां हुई।

(कंडिका 3.6.4, 3.6.5, 3.6.7, 3.6.8 एवं 3.6.9)

ट्रान्सफार्मरों के खराब होने की दर वर्ष 2000-01 के 14.56 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 के दौरान 24.15 प्रतिशत हो गई जो गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में लापरवाही एवं विकृति की सूचक है।

(कण्डिका 3.6.12)

विद्युत वित्त निगम द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यह निर्दिष्ट करते हैं कि किसी भी ट्रान्सफार्मर पर उसकी क्षमता से 75 से 80 प्रतिशत से अधिक भार न डाला जाय तथापि 2000-05 के दौरान 211 ट्रान्सफार्मर, 100.02 से 124.37 प्रतिशत तक अधिभारित पाए गए।

(कण्डिका 3.6.13)

मण्डल ने हाई कॉस्ट ई.ए.बी. ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत के साथ ही अन्य ट्रान्सफॉर्मरों की मरम्मत एवं बदलने के लिए चार वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की। नौ 40 एम.वी.ए.तथा पंद्रह 20 एम.वी.ए.ट्रान्सफॉर्मरों की मरम्मत के लिए समय पर कार्यवाही करके मण्डल क्रमशः 10.62 करोड़ रुपये एवं 12.00 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि से बच सकता था। तथा ट्रान्सफॉर्मरों की मरम्मत में मण्डल द्वारा अप्रभावी संविदा प्रबंधन गारंटी कवर का लाभ न उठाने, जोखिम एवं मूल्य सम्बन्धी वाक्यांशों आदि का आह्वान् न करने के कारण मण्डल उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त आपूर्ति नहीं कर पाया तथा 6.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भी किया।

(कण्डिका 3.6.6, 3.6.15, 3.6.21 एवं 3.6.23)

प्रस्तावना

3.1 ट्रान्सफॉर्मर जो एक निश्चल उपकरण है, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं विवरण में वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत का उत्पादन सामान्यतः 11 के.वी. से 15.4 के.वी के लो वोल्टेज पर किया जाता है और तत्पश्चात इसे भार केन्द्रों तक बड़ी मात्रा में भेजने के लिए विद्युत ट्रान्सफॉर्मरों के माध्यम से 132 के.वी./220 के.वी./400 कें.वी. तक बढ़ाया जाता है। प्राप्त करने वाले उप केन्द्रों पर स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मरों का उपयोग कर वोल्टेज घटाया (220 के.वी./132 केवी./66 के.वी./33 के.वी.) जाता है और विभिन्न उपभोक्ताओं को प्रदाय करने के लिये वोल्टेज फिर से और कम (11 के.वी. से 0.4 के.वी.) किया जाता है। विद्युत उत्पादन केन्द्रों पर तथा हाई वोल्टेज उपकेन्द्रों पारेषण प्रणाली के रूप में जाने जाते है में प्रयुक्त ट्रान्सफार्मर पॉवर ट्रान्सफॉर्मर कहलाते हैं जबकि वितरण प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले ट्रान्सफॉर्मर वितरण ट्रान्सफॉर्मर कहलाते हैं। उपभोक्ताओं तथा लायसेन्सधारकों को विद्युत का वितरण 440 वोल्ट से 132 के.वी. के मध्य वोल्टेज पर पारेषण तथा वितरण लाइनों के माध्यम से किया जाता है। हाई वोल्टेज एवं एकस्ट्रा हाई वोल्टेज पर विद्युत पारेषण का लाभ लाइन हानियों की कमी के रूप में मिलता है। मण्डल की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :

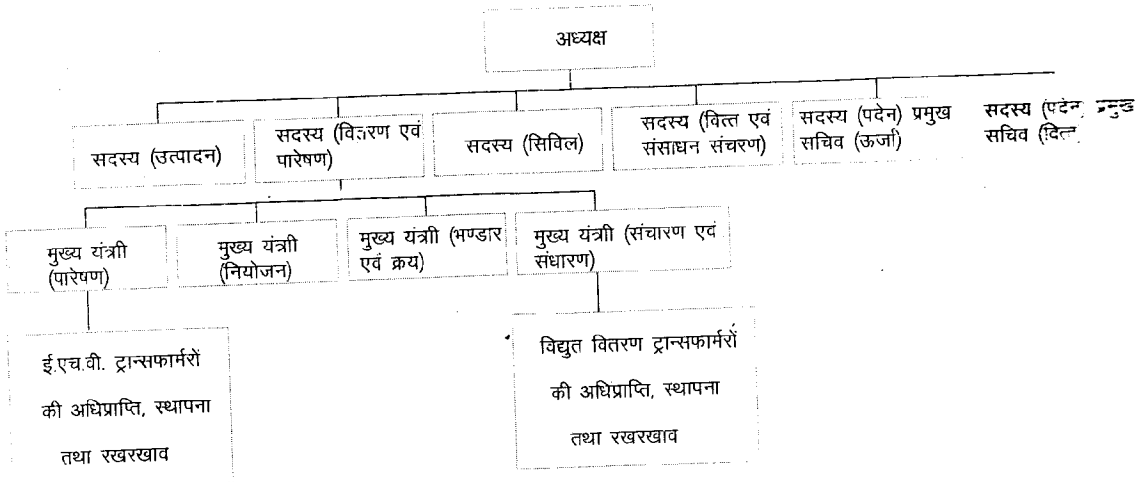

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन एवं मरम्मत की जो समीक्षा अन्तिमवार की गई थी और जिसे वर्ष 1987-88 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था, उस पर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा चर्चा (31 अक्टूबर 1995) की गई थी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की अनुशंसा एवं उस पर कार्यवाही प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (अगस्त 2005)।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2 वर्तमान समीक्षा में मार्च 2005 तक अन्तिम पांच वर्षो के लिए ट्रांसफॉमरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन तथा मरम्मत के सम्बन्ध में मण्डल का कार्य निष्पादन समाविष्ट किया गया है। जबलपुर स्थित मण्डल के मुख्यालय, दो प्रमुख ट्रान्सफार्मर मरम्मत इकाइयों में से एक, 142 संभागों में से 12 और 15 क्षेत्रीय भण्डारों में से 6 पर अभिलेखों की जांच के माध्यम से जनवरी एवं मई 2005 के मध्य लेखापरीक्षा कार्य किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्धेश्य

3.3 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन तथा मरम्मत की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिये की गई थी कि :

- रूपान्तरण क्षमता सम्बद्ध भार के अनुरूप थी ;
- विलम्ब न्यूनतम करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अतिरिक्त/ अधिक व्यय का परिहार करने के लिये ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति की एक समुचित प्रक्रिया विद्यमान थी;
- गारन्टी अवधि में या बाद में खराब हुए ट्रान्सफॉर्मरों की अविलम्ब मरम्मत कराई गई,
- विभिन्न उपक्रेन्द्रों पर स्थापित ट्रान्सफॉर्मरों की कठिनाई रहित सेवा तथा लम्बे समय तक चलना सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं की विशिष्टियों के अनुसार रखरखाव किया जाता है।
- मण्डल ने प्रणाली में स्थापित ट्रान्सफॉर्मरों की रखरखाव सूची के पालन की सीमा सुनिश्चित की है।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

3.4 निम्नांकित लेखापरीक्षा पद्धति अंगीकृत की गई थी

योजना की प्रणाली, प्रणाली संवर्धन हेतु कार्य प्रदान करना/संविदा प्रबन्धन, उपकेन्द्रों का निर्माण, सामग्री की अधिप्राप्ति और उनका भण्डारण, ट्रान्सफॉर्मर मरम्मत कर्मशालाओं की संख्या और अधिष्ठापित क्षमता, बेकार ट्रान्सफॉर्मरों के निष्पादन सहित मरम्मत एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में नियम, प्रक्रिया विशिष्टियां तथा मण्डल के अन्य अनुदेश। ट्रान्सफॉर्मर मरम्मत अनुबन्धों की निबन्धन एवं शर्तें, विशेषज्ञता प्राप्त के अनुदेशों सहित अधिकार प्रत्यर्पण आदि।

लेखापरीक्षा विधि

3.5 लेखापरीक्षा मुख्यालय तथा संभागों पर उपलब्ध ट्रान्सफॉर्मर सम्बन्धी अभिलेखों की अधिप्राप्ति के सत्यापन, रखरखाव कार्यक्रम, विफलता के कारण, खराब हुये ट्रान्सफॉर्मरों की मरम्मत में लगाया गया समय ताकि उनका प्रणाली में उपयोग किया जा सके, अनुशंसा फायलों, निविदा विशिष्टी फायलों, आदेश फायलों, अधिप्राप्ति में हानि/अधिक व्यय की जाँच।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की सूचना सरकार/प्रबन्धन को जून 2005 में दी गई थी तथा 18 अगस्त 2005 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गई जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व ऊर्जा विभाग के सचिव तथा प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया था। समीक्षा को अन्तिम रूप सरकार/प्रबन्धन के दृष्टिकोण पर विचार करने के उपरान्त दिया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आगे के परिच्छेदों में चर्चा की गई है:-

रूपान्तरण क्षमता में वृद्धि

3.6.1 उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के लिये पर्याप्त ग्रिड पावर ट्रान्सफॉरमेशन की आवश्यकता होती है। उपभोक्ताओं की विद्युत भार पूर्ति के लिये उप केन्द्र रूपान्तरण क्षमता, वितरण ट्रान्सफॉर्मरों को आपूर्ति के लिये बीच की कड़ी होती है।

निम्नांकत तालिका मार्च 2005 को समाप्य पांच वर्षों के दौरान विद्युत रूपान्तरण क्षमता, वितरण रूपान्तरण क्षमता, सम्बद्ध भार एवं उच्च तनाव/निम्न तनाव लाइनों की लम्बाई में वृद्धि दर्शाती है।

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05**
1.	ग्रिड विद्युत रूपान्तरण क्षमता (400/220/132/66/33 के.वी.)					
	ए.वी..ए	16615	16653	16975	19509	21812
	एम.डब्ल्यू.	14123	14155	14429	16583	18540

	ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	.362	362	372	399	430
2	उप-विद्युत रूपान्तरण क्षमता (220/132/66/33/11/ के.वी.)					
	एम.वी.ए.	8437	8601	9347	9935	11193
	एम.डब्ल्यू.	7171	7311	7945	8445	9514
	ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	2437	2470	2642	2758	2970
3.	वितरण रूपान्तरण क्षमता (11/0.4 के.वी.)					
	एम.वी.ए.	13816	13391	14087	15120	15162
	एम.डब्ल्यू.	11744	11382	11974	12852	12888
	ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	155280	158267	164687	168393	170860
4.	उप विद्युत रूपान्तरण क्षमता की तुलना में वितरण रूपान्तरण क्षमता का अधिक प्रतिशत	63.75	55.69	50.71	52.19	35.46
5.	कुल सम्बद्ध भार					
	एम.वी.ए.	9620	10061	10146	10209	10468
	एम.डब्ल्यू.	8177	8552	8624	8678	8898
6	(क) सम्बद्ध भार की तुलना में विद्युत रूपान्तरण की अधिक क्षमता (एम.डब्ल्यू.) (3-5)	3567	2830	3350	4174	3990
	(ख) वितरण रूपान्तरण क्षमता के आधिक्य का प्रतिशत (6/5)	43.62	33.09	38.85	48.1	44.84
7.	प्रति एम.वी.ए. सम्बद्ध भार के उप विद्युत रूपान्तरण क्षमता (2/5)	0.88	0.85	0.92	0.97	1.07
8.	प्रति एम.डब्ल्यू. सम्बद्ध भार के वितरण रूपान्तरण क्षमता (3/5)	1.44	1.33	1.39	1.48	1.45
9	लाइनों की लम्बाई (कि.मी.)					
	निम्न तनाव	319422	320406	331067	355062	337021
	उच्च तनाव	198720	199690	206836	209929	उ. नहीं
10	उच्च तनाव लाइनों की तुलना में निम्न तनाव लाइनों का अनुपात	1.61:1	1.60:1	1.60:1	1.75:1	उ. नहीं
	मिलियन वाट (एम.डब्ल्यू.)= मिलियन बोल्टेज एम्पीयर. (एम.वी.ए. x 0.85)					

** 2004-05 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि

उप-रूपान्तरण एवं वितरण रूपान्तरण क्षमता और सम्बद्ध भार के मध्य अनुरूपता नहीं थी।

- 31 मार्च 2004 को सम्बद्ध भार 10209 एम.वी.ए. की तुलना में उप विद्युत रूपान्तरण क्षमता 9935 एम.वी.ए. और वितरण रूपान्तरण क्षमता 15120 एम.वी.ए. थी। एक की आदर्श क्षमता की तुलना में 2000-01 से 2004-05 के दौरान सम्बद्ध भार की प्रति एम.वी.ए.उप विद्युत रूपान्तरण क्षमता 0.85 एम.वी.ए. एवं 1.07 एम.वी.ए. के मध्य थी। इसी प्रकार, सम्बद्ध भार की प्रति मेगावाट वितरण रूपान्तरण क्षमता मार्च 2005 को समाप्य अन्तिम पांच वर्षो के दौरान 1.33 से 1.48 एम.डब्ल्यू. के मध्य थी जिससे प्रकट होता है कि वितरण रूपान्तरण क्षमता उच्च थी। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि सात क्षेत्रों में से तीन (उज्जैन, इन्दौर, ग्वालियर) में 31 मार्च 2004 को समाप्त अन्तिम चार वर्षो के दौरान 795 एवं 2024.50 एम.डब्ल्यू. के मध्य सम्बद्ध भार की तुलना में वितरण रूपान्तरण क्षमता 1825 एवं 3131.73 एम.बी.ए. के मध्य थी। इस प्रकार 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष तक सम्बद्ध भार की तुलना में, वितरण रूपान्तरण क्षमता 155 से 230 प्रतिशत उच्च थी।

- उप रूपान्तरण क्षमता एवं सम्बद्ध भार में अनुरूपता न होने के परिणामस्वरूप उच्च वोल्टेज विद्युत ट्रान्सफॉर्मरों का ओवर लोडिंग हुआ जिसके कारण ट्रान्सफॉर्मर खराब हुए। इस प्रकार ट्रान्सफॉर्मरों का और नुकसान होने से रोकने के लिये उप रूपान्तरण क्षमता में अविलम्ब संवर्धन की आवश्यकता थी। दूसरी ओर वितरण रूपान्तरण क्षमता सम्बद्ध भार की तुलना में अधिक उच्च थी। मण्डल सम्बद्ध भार की तुलना में उप रूपान्तरण तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता की वृद्धि में सन्तुलन बनाए रखने में विफल रहा।

अत्यधिक पारेषण हानियां :

3.6.2 पारेषण हानियां उन कण्डक्टरों में बाधा के कारण उत्पन्न होती है जिनके माध्यम से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। रूपान्तरण हानियों में वे ताम्बा हानियां (भार हानियां) समाविष्ट है जो रूपान्तरित की जा रही विद्युत की मात्रा पर निर्भर होती है जबकि लौह हानियां (भार हानियां नहीं) ट्रान्सफॉर्मरों की अभिकल्पना सम्बन्धी अभिलक्षणों के कारण होती है और वह प्रणाली के भार के परिमाण का ध्यान किये बिना निरन्तर बनी रहती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण एवं वितरण हानियां 15.5 प्रतिशत (8.5 प्रतिशत पारेषण एवं उप पारेषण हानियां और 7 प्रतिशत वितरण हानियां) के स्वीकृत स्तर पर तय की है। इसके विरूद्ध मण्डल की प्रणाली में वास्तविक हानियां मार्च 2004 को समाप्य अन्तिम चार वर्षो के दौरान 43.99 एवं 50.97 प्रतिशत के मध्य थी जो ऐसी हानियों के स्वीकृत स्तर की 250 प्रतिशत थी। अत्यधिक पारेषण एवं वितरण हानियों के कारण मण्डल ने 10,619.31 करोड़ रुपये के सम्भाव्य राजस्व की हानि उठाई।

अत्यधिक पारेषण एवं वितरण हानियों के परिणामस्वरूप **10619.31** करोड रुपये के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल ने अपने शुल्क दर आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2002 में पारेषण एवं वितरण हानियों को 2003-04 में 32 प्रतिशत तक और 2004-05 में 28 प्रतिशत तक चरणवद्ध ढंग से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया था जो पूरा नहीं हुआ।

ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति

3.6.3 31 मार्च 2005 को समाप्य अन्तिम पांच वर्षो में मण्डल ने 104 ई.एच.वी. पावर ट्रान्सफॉर्मर (153.69 करोड़ रुपये) तथा 42522 वितरण ट्रान्सफार्मर (231.40 करोड़ रुपये) अधिप्राप्त किये। ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति की नमूना जांच के दौरान पाई गई कुछ प्रणालीगत कमियों का उल्लेख आगामी कण्डिकाओं में किया गया है।

त्रुटिपूर्ण नियोजन

132 के.वी. उपकेन्द्रों का निर्माण

3.6.4 राज्य की पारेषण प्रणाली पर 67 प्रतिशत तक अधिक भार था जिसके परिणामस्वरूप राज्य के अनेक क्षेत्रों में निम्न वोल्टेज की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या के निराकरण के लिये राज्य में विभिन्न पारेषण उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजनाएं आरम्भ करने हेतु मण्डल को एशियन डेवलपमेन्ट बैंक ने 588.98 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की थी (जुलाई 2001)। परियोजना की लागत-लाभ विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 132/33 के.वी.उप केन्द्रों की स्थापना के साथ निर्मित प्रत्येक 132 के.वी.उप केन्द्र पर 5 एवं 16 एम.डब्ल्यू. के मध्य हानि में कमी होगी। इसके आधार पर एक वर्ष में 132 के.वी. के 25 उप केन्द्रों के माध्यम से विद्युत की संभावित बचत 962 मिलियन युनिट आकलित की गई थी और मण्डल के 192.40 रुपये के वार्षिक लाभ की संभावना थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 132 के.वी. के चार उप केन्द्रों (अलीराजपुर, माधोताल, रोन एवं उमरिया) की स्थापना के लिये कार्य आदेश दिसम्बर 2002 में जारी किये गये थे और कार्य जून 2003 तक पूरा किया जाना था। ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति मार्च 2003 से आरम्भ हुई और अप्रैल 2004 तक पूरी हो गई परन्तु ठेकेदार को स्थल न सौंपने के कारण उप-केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा सकी। इस प्रकार ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति अनुसूची के साथ सम्बद्ध कार्य एक ही समय साथ-साथ करने में मण्डल की विफलता के कारण उप केन्द्रों की स्थापना में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ,

ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति अनूसूची के साथ सम्बद्ध कार्य एक ही समय साथ-साथ करने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप 30.78 करोड़ रुपये की हानि हुई।

जिसके परिणामस्वरूप चार उप केन्द्रों द्वारा एक वर्ष में 153.92 मिलियन यूनिटों की बचत न कर सकने के कारण 30.78 करोड़ रुपये (आनुपातिक) की हानि हुई।

मण्डल ने विलम्ब स्वीकार करते हुए यह सूचित किया कि रोन एवं माधोताल उप केन्द्रों का निर्माण कार्य भूमि अर्जन में विलम्ब के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका और अलीराजपुर उप-केन्द्र के निर्माण कार्य में स्थानीय आदिवासियों द्वारा पैदा की जाने वाली अड़चनों के कारण विलम्ब हुआ। उमरिया उप-केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के कारण लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किये गये।

अप्रभावी संविदा प्रबन्धन

निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

3.6.5 संमीक्षा अवधि के दौरान मण्डल ने ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति के लिये मात्र तीन घरेलू निविदाएं आमन्त्रित की थी। मण्डल ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसके भीतर निविदा प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाना था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में लिया गया समय 15 (निविदा विशिष्टी 16/1999) से 8 माह (निविदा विशिष्टी 9/2001 एवं 10/2001) के मध्य था और किसी भी प्रकरण में प्रस्ताव को आरम्भिक वैधता अवधि के भीतर अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

मण्डल ने लेखापरीक्षा स्वीकार की (अप्रैल 2005) और सूचित किया कि कम हानि वाले तथा उपयुक्त मूल्य पर अपेक्षाकृत अच्छे डिजायन वाले ट्रान्सफॉर्मर प्राप्त करके विलम्ब का लाभ प्राप्त कर लिया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तकनीकी बोली खोली जाती है और मूल्य बोली खोलने के पूर्व डिजायन तथा भार हानि आदि के तकनीकी पहलुओं के विषय में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली जाती है। मूल्य बोली प्रस्ताव की वैधता की समाप्ति के काफी पहले खोल ली जाती है फिर भी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ और मण्डल को ऐसे विलम्बों के कारण वृद्धि दर पर मूल्य भिन्नता का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। निविदाओं के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य भिन्नता दावों के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार और आपूर्ति पूरी करने में विलम्ब के कारण हानि भी विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा में संगणित नहीं की जा सकी।

चूककर्त्ता ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही न करना

3.6.6 मण्डल ने 2.24 करोड़ रुपये प्रति इकाई मूल्य के दो 220 के.वी./160 एम.वी.ए.ट्रासफॉर्मरों (टी.आर.-09/2001) के क्रय के लिये एमको. लिमिटेड, थाने को एक आदेश दिया (सितम्बर 2002) .

आपूर्तिकर्त्ता ने एक ट्रान्सफॉर्मर की सुपुर्दगी में आठ माह का विलम्ब किया और दूसरा ट्रान्सफॉर्मर सुपुर्द नहीं किया (मई 2005)। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मण्डल ने आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध न तो कोई वैधानिक कार्यवाही आरम्भ की और न जोखिम एवं

मूल्य वाक्य खण्ड का ही आह्वान किया। ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति न करने के कारण पाण्डुर्ना/राजगढ़ के उपकेन्द्रों की स्थापना/अधिष्ठापन कार्य अनुसूची के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका। मण्डल ने 71.40 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करके 220 के.बी./160 एम.वी.ए. ट्रान्सफॉर्मर अधिप्राप्त किया (सितम्बर 2002) जिसे ठेके की शर्तो के अनुसार चूककर्त्ता ठेकेदार से वसूल करना चाहिये था। यदि मण्डल ने वैधानिक कार्यवाही की होती और आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध जोखिम एवं मूल्य वाक्य खण्ड का आह्वान किया होता तो उसने 71.40 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय बचा लिया होता।

दूसरे प्रकरण में सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार (वाक्य खण्ड 5) दो ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति मई 2003 तक पूरी की जानी थी तथापि फर्म ने केवल एक ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति की और दूसरा ट्रान्सफॉर्मर अभी तक सुपुर्द नहीं किया गया (मई 2005)।

जोखिम एवं मूल्य वाक्य खण्ड के आहवान न करने के कारण 90.40 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

मण्डल ने चूककर्त्ता फर्म के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही आरम्भ नहीं की। मण्डल ने सितम्बर 2002 में उच्च दरों (1.41 करोड़ रुपये प्रति इकाई) पर वैसे ही ट्रान्सफॉर्मर की अपूर्ति के लिऐ ए.डी.बी.ऋण निधियों के अन्तर्गत क्रय आदेश जारी किये। जोखिम एवं मूल्य वाक्य खण्ड के आह्वान न करने के परिणामस्वरूप न केवल प्राथमिक पारेषण निर्माण कार्य पूर्ण करने में बिलम्ब हुआ अपितु मण्डल को 19.00 लाख रुपये (ए.डी.बी.के 1.41 करोड़ रुपये (-) टी.आर.-10/01 के.1.22 लाख रुपये) की हानि भी हुई।

मण्डल ने सूचित किया (मई 2005) कि जोखिम एवं मूल्य वाक्य खण्ड सम्बन्धी कार्यवाही केवल तभी आरम्भ की जायगी जब फर्म संशोधित स्वीकृत दिनांक तक ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति में विफल रहेगी (अप्रैल 2005 या मई 2005 का प्रथम सप्ताह)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध में सुपुर्दगी तिथि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था और कि मण्डल ने पूर्व में ही दण्डात्मक कार्यवाही में दो वर्षो तक का विलम्ब कर दिया था। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा आपूर्ति अंभी तक प्रतीक्षित थी (मई 2005)।

त्रुटिपूर्ण बोली मूल्यांकन और ए.डी.बी.ऋण के विरूद्ध 132 के वी. 40 एम.वी.ए.ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति

3.6.7 मण्डल ने सकल पैकेज के अन्तर्गत 315, 160 एवं 63 एम.बी.ए.पावर ट्रान्सफॉर्मर अधिप्राप्त किये जबकि 40 एम.बी.ए.ट्रान्सफॉर्मर तीन भिन्न-भिन्न दरों पर तीन पैकेजों में अधिप्राप्त किये गये।

कम भार हानि और भार एवं गौण हानि को महत्व दिये बिना 40 एम वी ए ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 14.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मण्डल की प्रचलित परम्परा के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता की उल्लिखित दर बराबरी पर रखने के लिये, हानि में अन्तर हेतु, प्रति के डब्ल्यू. 2.40 लाख पर कोई भार हानि नहीं और प्रति के डब्ल्यू 0.98 लाख रुपये की दर पर भार एवं गौण हानि की दर के अनुसार समायोजन किया जाता है। ए.डी.बी. ऋण के अन्तर्गत अधिप्राप्ति के प्रकरण में परम्परा का पालन नहीं किया गया और उसी दर के पावर ट्रान्सफॉर्मर तीन भिन्न भिन्न दरों पर तीन भिन्न-भिन्न पैकेजों के विरूद्ध अधिप्राप्त किये गये थे। यदि प्रचलित परम्परा का पालन किया गया होता तो मण्डल ने 14.17 लाख रुपये बचाये होते।

मण्डल ने सूचित किया (अप्रैल 2005) कि निर्माताओं की सीमित क्षमता और वांच्छित सुपुर्दगी तिथि के भीतर ट्रान्सफॉर्मर प्राप्त करने की दृष्टि से तीन भिन्न - भिन्न पैकेजों में 40 एम.वी.ए. ट्रान्सफॉर्मर प्राप्त किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उसी दर तथा तकनीकी विशिष्टियों के ट्रान्सफॉर्मर तीन भिन्न-भिन्न पैकेजों में प्राप्त किये जा सकते थे जिससे कि समय पर सुपुर्दगी प्राप्त की जा सके, परन्तु तीन भिन्न-भिन्न दरों पर नहीं। तीन पैकेजों के मध्य दर भिन्नता प्रति ट्रान्सफॉर्मर 31 लाख रुपये से 38 लाख रुपये के मध्य थी।

दोषपूर्ण निविदा मूल्यांकन

दो भिन्न दरों पर एक सी विशिष्टियों वाले 40 एम वी ए ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 14.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3.6.8 लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 160 एवं 40 एम.वी.ए. ट्रान्सफॉर्मरों की ए.डी.बी. निधि पोषित अधिप्राप्ति के विरूद्ध किया गया क्रय मण्डल पोषित निधियों से किये गये क्रय की तुलना में उच्च दर पर किया गया था। यह दर भिन्नता में इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में और बढ़ गई क्योंकि ए.डी.बी. क्रय को उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त थी। यद्यपि घरेलू तथा ए.डी.बी.टेण्डरों के विरूद्ध क्रय आदेश एक ही माह (सितम्बर 2002), में दिये गये थे तथापि ए.डी.बी.निधि पोषित तथा मण्डल निधि पोषित क्रयों की अधिप्राप्ति लागत के मध्य 14.60 करोड़ रुपये का दरगत अन्तर था, जिसके विवरण निम्नानुसार है :-

पावर ट्रान्सफॉमरों का विवरण	ए.डी.वी. निधि के विरूद्ध अधिप्राप्त मात्रा	मण्डल निधि के विरूद्ध प्राप्त इकाई दर (लाख रुपये में)	ए.डी.बी.निधि के विरूद्ध इकाई दर (लाख रुपयों में)	इकाई दर अन्तर (लाख रुपयों में)	कुल अन्तर (लाख रुपयों में)
160 एम.वी.ए.	10	284.97	330.84	45.87	4.59
40 एम.वी.ए. (पैकेज - 4)	20	122.00	141.24	19.24	3.85
40 एम.वी.ए. (पैकेज - 6)	21	122.00	151.34	29.34	6.16
					14.60

इस प्रकार दोषपूर्ण निविदा मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 14.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। मण्डल ने सूचित किया (अप्रैल 2005) कि ए.डी.बी.निविदाओं तथा धरेलू निविदाओं के विरूद्ध प्राप्त दरों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि तकनीकी विशिष्टियों तथा आपूर्ति के क्षेत्रों में भिन्नता थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि तकनीकी विशिष्टियों यथा ट्रान्सफॉर्मर की क्षमता, वोल्टेज अनुपात में कोई अन्तर नहीं था और बोली अभिलेखों के अनुसार दोनों प्रकरणों में कोई भार हानियां तथा पूर्ण भार हानियां भी नहीं थी।.

(ii) ए.डी.बी. द्वारा पोषित मध्यप्रदेश पावर सेक्टर डेव्लपमेन्ट प्रोजेक्ट्स के अधीन वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति के लिए अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (दिसम्बर 2002) के दूसरे प्रकरण में कुछ एक सी मदों वाले छः पैकेज थे। छटवें पैकेज हेतु बोली 25 जून 2003 में खोली गई थी और मूल्यांकन के अनुसार एक सी मदों के लिये सभी छः पैकेजों में न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य निम्नानुसार था:-

पैकेज संख्या	न्यूनतम बोलीकर्त्ता का नाम	वितरण ट्रान्सफॉर्मर की क्षमता (के.वी.ए.में)	मदों की संख्या	न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य (लाख रुपयों में)	प्रति इकाइ मूल्य (रुपये)	पैकेजों के मध्य मूल्य में अन्तर (रुपये)
1.	मैसर्स स्टार	10	2237	371.34	16,600	(2 – 1) 1036
2.	मैसर्स एफ.टी.एस.	10	3727	657.30	17636	
3.	मैसर्स आर.टी.एस.	100	1836	657.04	35787	(4 – 3) 421
4.	मैसर्स एक्यूरेट	100	3059	1107.59	36208	
5.	मैसर्स आर.के.ई.	200	892	601.92	67480	(6-5) निरंक
6.	मैसर्स एम.एण्ड बी.	200	1483	1000.73	67480	

मण्डल ने मूल्य में अन्तर की उपेक्षा के कारण एक ही प्रकार की मदों पर 51.49 लाख रुपये* का अतिरिक्त व्यय किया।

एक हीं निविदा के अन्तगत विभिन्न दरों पर ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति पर मंडल द्वारा 51.49 लाख रुपये का अत्यधिक

मण्डल ने सूचित किया (अप्रैल 2005) कि बोलीकर्त्ताओं के अनुदेशों के उप-वाक्य खण्ड 36.6 के अनुसार मण्डल को न्यूनतम मूल्य समुच्चय तक पहुंचने के लिये पैकेज या पैकेजों के समुच्चय या पैकेजों के योग के आधार पर बोली का मूल्यांकन एवं तुलना करनी थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मण्डल को सभी छः पैकेजों की एक सी मदों के न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य के लिये बोलीकर्ताओं से मोल भाव करना चाहिये था जिससे कि विभिन्न पैकेजों में एक सी मदों के मूल्य में अन्तर का परिहार किया जा सके।

(iii) दूसरे प्रकरण में भी मण्डल ने ए.डी.बी.ऋण के अधीन वित्त पोषित, 33 के.वी. एवं 11 के.वी.करेन्ट ट्रान्सफॉर्मर तथा 11 के.वी. पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरों की अधिप्राप्ति के लिये निबिदाएं आमन्त्रित की (नवम्बर 2002)। ए.डी.बी.द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिप्राप्ति की अनुशंसा सभी अनुमोदक प्राधिकारियों के समुचित हस्ताक्षरों से उनके पास भेजी जाना थी।

---

* *(1036 रुपए गुणित 3727) + (421 रुपए गुणित 3059) = 51.40 लाख रुपए*

निविदा सूचना की आपूर्ति क्षमता मानदण्ड के अनुसार बोलीकर्त्ताओं को गत पांच वर्षो के दौरान एक साथ कोई भी दो वर्षो में 33 के.वी. के 680 करेन्ट ट्रान्सफॉर्मर, 11 के.वी.के 2200 करेन्ट ट्रान्सफॉर्मर तथा 11 के.वी. के 300 पोटेशियल ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति करनी चाहिये थी। मण्डल ने यह भी स्पष्टीकरण दिया (नवम्बर 2002) कि आपूर्ति क्षमता मापदण्ड निश्चित करने हेतु उच्च श्रेणी के करेन्ट ट्रान्सफॉर्मर एवं पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति तथा निर्धारित / उच्च श्रेणी के संयुक्त करेन्ट ट्रान्सफॉर्मर/पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरों की इकाइयों की आपूर्ति देखी जायगी।

मण्डल ने बोलियों की जांच के उपरान्त मैक्रोप्लास्ट लिमिटेड के न्यूनतम प्रस्ताव की उपेक्षा करते हुए इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर कम्पनी भोपाल के द्वितीय न्यूनतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए ए.डी.बी. को यह सूचित करते हुए अनुशंसा किया कि फर्म आपूर्ति क्षमता मानदण्ड पूरा नहीं करती। ए.डी.बी. ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और मण्डल ने 4842 करेन्ट ट्रान्सफॉर्मरों तथा 510 पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति के लिये ई.टी.सी.को आदेश दिये (मई 2003) जिनकी आपूर्ति उसने अगस्त 2003 एवं फरवरी 2004 के मध्य की।

लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख किये जाने पर मुख्य-यंत्री ने सूचित किया (दिसम्बर 2003) कि उन्होंने न्यूनतम बोली लगाने वाले संयुक्त करेन्ट ट्रांसफॉर्मर/पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आपूर्ति सर्जक पर विचार नहीं किया क्योंकि बोली लगाने वाले ने प्रत्येक संयुक्त करेन्ट ट्रांसफॉर्मर/पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की गणना ऐसे की थी जैसे कि 3 करेन्ट ट्रांसफॉर्मर तथा 1 पोंटेशियल ट्रांसफॉर्मर जो कि स्वीकार्य नहीं थे। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने 22 नवम्बर 2002 को स्पष्टीकरण जारी करते समय कहीं भी ऐसा नहीं कहा था कि निर्धारित/ऊंची दरों की संयुक्त करेन्ट ट्रांसफॉर्मर/पोटेशियल ट्रांसफॉर्मर इकाइयों पर विचार करते समय एक संयुक्त करेन्ट ट्रांसफॉर्मर/पौटेंशियल ट्रांसफॉर्मर केवल एक करेंट ट्रांसफॉमर एवं एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के रूप में माना जायेगा। एशियन डवलमेंट बैंक ने भी यह स्वीकार किया था (मार्च 2003) कि तीन करेंट ट्रांसफॉर्मर युक्त संयुक्त करेंट ट्रांसफॉर्मर/पोंटेशियल ट्रांसफॉर्मर में कोर एवं वाइडिंग के तीन सेट होते हैं अतएव इनकी तीन करेंट ट्रांसफॉर्मर एवं एक पोंटेशियल ट्रांसफॉर्मर के रूप में गयना की जानी चाहिए।

इस प्रकार मैक्रोप्लास्ट लिमिटेड जो आपूर्ति क्षमता की कसौटी को पूर्ण करता है, के न्यूनतम प्रस्ताव पर विचार नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 18.65 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिसमापन हानियों की वसूली न होना

3.6.9 वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान मण्डल ने चार निविदाओं के अंतर्गत विभिन्न दरों के 104 ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति हेतु आदेश प्रस्तुत किए, जिसमें से 91 ट्रांसफॉर्मर 14 से 365 दिवस के विलम्ब के उपरांत प्राप्त किए गए तथा तीन ट्रांसफॉर्मर अदिनांक सुपुर्द नहीं किए गए (मई 2005)।

अनुबंध की परिसमापन हानि की धारा के अनुसार प्रति सप्ताह विलम्ब पर मण्डल को ट्रांसफॉर्मरों के मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर परंतु अधिकतम 10 प्रतिशत तक शास्ति वसूल करने की पात्रता थी। तदनुसार, 10.14 करोड़ रुपए की शास्ति वसूली योग्य थी। मण्डल ने अब तक आपूर्तिकर्त्ताओं से यदि कोई शास्ति वसूल की हो, तो उसके विवरण नहीं दिए

मण्डल ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति में विलम्ब हेतु 10.14 करोड़ रुपए की शास्ति वसूल करने में विफल रहा।

मण्डल ने बताया (अप्रैल 2005) कि घरेलु के साथ-साथ एशियन विकास बैंक के ठेकों की शर्तो के अनुसार, अंतिम निरीक्षण हेतु तैयार इकाइयों के दिनांक को सुपुर्दगी के दिनांक के रूप में माना जाना चाहिए था तथा सामग्री प्राप्ति प्रमाणपत्र के दिनांक से विलंब; जिसे कि लेखापरीक्षा ने अपनाया है, सही नहीं थे। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में आश्वासन दिए जाने के बावजूद लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए किसी भी प्रकरण में अंतिम निरीक्षण हेतु इकाइयों की तैयारी के दिनांक, मण्डल के कर्मचारियों द्वारा वस्तुतः किए गए निरीक्षण के दिनांक तथा प्रेषण निर्देश जारी किए जाने के दिनांक, लेखापरीक्षा के दौरान अथवा बाद में उपलब्ध कराए गए।

अपूर्ण निष्पादन

विद्युत ट्रांसफॉर्मर चालू किए जाने में विलंब

3.6.10 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान मण्डल ने विभिन्न दरों के 104 विद्युत ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति हेतु आदेश प्रस्तुत किए जिनमें से मे 101 की आपूर्ति की गई तथा 315, 160 एवं 40 एम.वी.ए.के प्रत्येक के एक-एक ट्रॉसफार्मर अनापूरित रहे (मई 2005)। यह दृष्टिगत हुआ कि 101 ट्रांसफॉर्मर में से 89 ट्रांसफार्मर (बोर्ड द्वारा ट्रांसफॉर्मर प्राप्त किए जाने के दिनांक से चालू किए जाने हेतु दिए जाने वाले 30 दिवस के उपरांत) 2 से 400 दिवस के विलंब से चालू किए गए तथा चार ट्रांसफॉर्मर अभी भी चालू किए जाने की स्थिति में हैं। इन बिलम्बों के परिणामस्वरूप इन ट्रांसफॉर्मरों में निष्क्रिय निवेश पर मण्डल को (12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर) 4.77 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

ट्रांसफॉर्मरों को चालू किए जाने में (30 दिवस का समय दिए जाने के उपरांत) 2 से 400 दिवस के विलंब के परिणामस्वरूप इन ट्रांसफॉर्मरों में निष्क्रिय निवेश पर 4.77 करोड रुपए के ब्याज की हानि।

मण्डल ने बताया (अप्रैल 2005) कि कोई भी ब्याज हानि नहीं हुई क्योंकि 89 इकाइयां एशियन विकास बैंक परियोजना की पूर्णता कार्यक्रम के पूर्व (जून 2006) में ही संस्थापित की जा चुकी थी उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मरों को चालू किए जाने के विलम्ब की अवधि के दौरान वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। जून 2006 तक के समग्र पूर्णता कार्यक्रम से यह तात्पर्य नहीं था कि समस्त उपकरण जून 2006 में चालू किए जाएंगें।

चार अतिरिक्त उच्चदाब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मरों को चालू किए जाने में विलम्ब के निम्नांकित परिहार्य कारण बताए गए:-

(i) एक ट्रांसफॉर्मर (शिवपुरी), के संबंध में विलंब का कारण वित्तीय तंगी एवं एशियन विकास बैंक से विलंब से समझौता था (ii) दूसरे प्रकरण (बैरागढ़) में ढांचा,

स्तंभ एवं सिंगल टेंशन हार्डवेयर की आपूर्ति में विलंब (iii) तीसरे प्रकरण (अलीराजपुर) में भूमि की अधिप्राप्ति में विलंब तथा (iv) चौथे प्रकरण (बीना) में विलंब के कारण सूचित नहीं किए गए। उपर्युक्त कारणों को उपयुक्त योजना बनाकर एवं समयोचित कार्यवाही कर टाला जा सकता था।

ट्रांसफॉर्मरों का प्रदर्शन

3.6.11 ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत ट्रांसफॉर्मरों का जीवन 35 वर्ष तथा वितरण ट्रांसफार्मरों का 25 वर्ष निर्धारित किया (मार्च 1994) था। तथापि मंडल ने ऐसे ट्रांसफॉर्मरों, जो उपयोगी जीवन की अतिजीविता अवधि व्यतीत कर रहे हों, को बदलने हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं की।

वितरण ट्रांसफॉर्मरों की बढ़ती हुई विफलता दर

3.6.12 निम्नांकित तालिका में 2004-05 तक विगत पांच वर्षो के दौरान वितरण ट्रांसफॉर्मरों की विफलता दर में सतत वृद्धि दर्शाई गई है।

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में संस्थापित ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	वर्ष के दौरान विफल ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	संस्थापित ट्रांसफार्मरों के संदर्भ में विफल ट्रांसफॉर्मरों का प्रतिशत
2000-01	155280	22608	14.56
2001-02	156577	28383	18.13
2002-03	162011	32994	20.37
2003-04	166533	40199	24.14
2004-05	169106	38683	22.88

ट्रांसफॉर्मरों की विफलता दर 2003-04 तक बढ़कर 24.14 प्रतिशत तक हो गई। इन चार वर्षो के दौरान आठ संचालन एवं संधारण वृत्तों में प्रतिशत 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक रही।

उपर्युक्त तालिका में दृष्टव्य है कि 2000-04 के दौरान वितरण ट्रांसफार्मरों की विफलता दर में सतत वृद्धि हो रही थी, जो शिथिल एवं अवनत गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की परिचायक है। वर्ष 2000-01 में 14.56 प्रतिशत की विफलता दर बढ़कर वर्ष 2003-04 के दौरान 24.14 प्रतिशत हो गई। कतिपय संचालन एवं संधारण वृत्तों में विफलता दर इससे भी अधिक थी। आठ संचालन एवं संधारण वृत्तों (सतना, भोपाल, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और इंदौर) में इन चार वर्षो के दौरान औसत विफलता दर की प्रवृत्ति सतत रूप में बढ़ते हुए 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की रही। मंडल ने न तो विफलता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने हेतु कोई उपचारात्मक उपाय किए गए न विफलता के कोई मानक अथवा अनुमति सीमा निर्धारित की।

2000-05 के दौरान मण्डल द्वारा की गई वार्षिक समीक्षा के अनुसार वितरण ट्रांसफॉर्मरों के कारण-प्रभाव विश्लेषण नीचे दर्शाए गए है :

क्रम संख्या	विफलता के कारण	विफलता का प्रतिशत			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	नई इकाइयों में निर्माण दोष	19.41	17.87	14.75	16.75
2.	नई मरम्मत की गई इकाइयों में निर्माण दोष	16.16	17.71	18.57	12.70
3.	लाइटनिंग	10.39	11.46	7.09	6.11
4.	इन्सुलेटरों का क्षय	4.76	3.45	6.73	5.73
5.	शॉर्ट सर्किटिंग	8.04	13.08	9.09	7.81
6.	अन्य कारण	14.51	15.75	20.29	18.03
7.	कारण अभी निश्चित किए जाने हैं	8.57	8.83	6.74	11.26
8.	आंतरिक दोष	7.96	4.42	9.66	11.97

टीप : 2004-05 के विवरणों की प्रतीक्षा है।

उपर्युक्त तालिका में दृष्टव्य है कि क्रम संख्या 1 एवं 2 को छोड़कर ट्रांसफॉर्मरों की विफलता के कारणों को उपयुक्त संधारण एवं उपचारात्मक उपाय करते हुए नियंत्रित किया जा सकता था।

अतिरिक्त उच्चदाब ट्रांसफॉर्मरों पर अतिभार

3.6.13 ऊर्जा वित्त निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर पर इसकी क्षमता के 75 से 80 प्रतिशत से अधिक भार नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मरों पर अतिभार के परिणामस्वरूप केवल अधिक पारेषण हानियां ही नहीं होती अपितु समय से पहले ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाते हैं।

निम्नांकित तालिका में 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों में अतिभारित ट्रांसफॉर्मरों की वर्षवार संख्या एवं उनके अतिभारित होने की सीमा भी दर्शाई गई है।

विगत पांच वर्षों के दौरान 211 अतिरिक्त उच्च दाब ट्रांसफॉर्मर 100.02 एवं 124.57 प्रतिशत के मध्य अतिभारित हुए।

वर्ष	अतिभारित अतिरिक्त उच्चदाब ट्रासफॉर्मरों की संख्या	क्षमता के संदर्भ में अतिभार का प्रतिशत
2000-01	30	100.54 to 117.20
2001-02	35	100.6 to 124.37
2002-03	51	100.02 to 119.51
2003-04	41	100.08 to 113.26
2004-05	54	100.75 to 115.03
योग	**211**	

इस प्रकार 2000-05 के दौरान 211 ट्रांसफॉर्मर अतिभारित हुए तथा एक प्रकरण में अतिभार परिकल्पित क्षमता का 124 प्रतिशत था। अतिरिक्त उच्च दाब ट्रांसफॉर्मर एक

अति मंहगे उपकरण होते हैं, जिसका मूल्य 1.25 करोड़ (40 एम वी ए) एवं 4.73 करोड़ रुपए (315 एम वी ए) के मध्य होता है तथा अत्यधिक अतिभार से ये ट्रांसफार्मर समय से पूर्व खराब हो जाते हैं।

मण्डल ने अतिभार के तथ्य को स्वीकार किया तथा आश्वस्त किया (मई 2005); कि उपचारात्मक उपाय किए जायेगा।

ट्रांसफार्मरों की मरम्मत

3.6.14 मण्डल खराब हो चुके ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत; का कार्य बृहद ट्रांसफॉर्मर मरम्मत इकाईयों तथा ठेकेदारों से दर संविदा के माध्यम से करवाता है।

वृहद ट्रांसफॉर्मर मरम्मत इकाई में ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत

3.6.15 मंडल के पास खराब हो चुके विद्युत (अतिरिक्त उच्चदाब वोल्टेज विद्युत ट्रांसफार्मर के अलावा) एवं वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत हेतु जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर (बंद) प्रत्येक में एक मिलाकर कुल तीन बृहद ट्रांसफार्मर मरम्मत इकाइयां थी। 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि हेतु जबलपुर स्थित बृहद ट्रांसफार्मर मरम्मत इकाई के प्रदर्शन की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई।

निम्नांकित तालिका में 2004-05 को समाप्त विगत पांच वर्षो के दौरान संस्थापित क्षमता, लक्ष्य के साथ-साथ ट्रांसफॉर्मरों की उपलब्धियां दर्शाई गई है :

वर्ष	ट्रासफॉर्मरों की स्थापित क्षमता (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धियां (संख्या)	स्थापित क्षमता की तुलना में कमी (संख्या एवं प्रतिशत)	लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि में कमी (संख्या एवं प्रतिशत)
2000-01	2000	900	800	1200 (60)	100 (11.11)
2001-02	2000	900	710	1290 (64.50)	190 (21.11)
2002-03	2000	900	721	1279 (63.95)	179 (19.88)
2003-04	2000	900	652	1348 (67.42)	248 (27.55)
2004-05	2000	900	653	1347 (67.35)	247 (27.44)

मण्डल की आंतरिक ट्रांसफॉर्मर मरम्मत क्षमता का कम उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप बाह्य अभिकरणों से ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत के कारण 5.31 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

उपर्युक्त तालिका में यह दृष्टव्य है कि 2000-01 से 2004-05 के दौरान निर्धारित लक्ष्य, संस्थापित क्षमता की तुलना में अत्यधिक कम थे। संस्थापित क्षमता के उपयोग में कमी 2000-01 में 60 प्रतिशत और 2003-04 में 67.40 प्रतिशत के मध्य रही। इकाई ने निर्धारित साधारण लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं किया तथा लक्ष्यों की उपलब्धि में जो कमी 2000-01 में 11 प्रतिशत थी वह 2004-05 तक के वर्षो में बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई। इस बृहद् ट्रांसफॉर्मर मरम्मत इकाई की संस्थापित क्षमता के अनुपयोग के कारण मण्डल को 2000-05 के दौरान संविदा दर के अंतर्गत बाहर के अभिकरणों से ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत पर 5.31 करोड़ रुपए का व्यय करना पड़ा।

अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री, वृहद् ट्रांसफॉर्मर मरम्मत इकाई, जबलपुर, ने स्वीकार किया (अप्रैल 2005) कि यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में सामग्री/उपकरण उपलब्ध करा दिए गए होते, तो लगभग 2000 से 2500 खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की जा सकती थी।

निजि अभिकरणों से ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत

अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत

3.6.16 खराब हो चुके अतिरिक्त उच्चदाब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मरों के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	खराब हो चुके ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	एम वी ए दरें
2000-01	10	160 एम वी ए 2,40 एम वी ए-2 20 एम वी ए एवं कम-6
2001-02	10	315 एम वी ए-1, 40 एम वी ए-4 20 एम वी ए-5
2002-03	8	40 एम वी ए-4, 20 एम वी ए-4,
2003-04	5	40 एम वी ए-3, 20 एम वी ए-2,
2004-05	6	40एम वी ए-2, 20 एम वी ए-4
योग	**39**	

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत में आया कि (क) मण्डल ने तीन माह से चार वर्षो तक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी 39 खराब हो चुके ट्रांसफॉर्मरों में से 24 की मरम्मत हेतु किसी कार्यवाही की पहल नहीं की।.

खराब हो चुके 40 एम वी ए के ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप नए ट्रांसफार्मरों के क्रय पर 10.62 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

मण्डल ने उक्त अवधि के दौरान 1.18 करोड़ रुपए प्रति इकाई की औसत लागत दर पर 40 एम वी ए के 78 ट्रांसफॉर्मर अधिप्राप्त किए। मंडल द्वारा नौ, 40 एम वी ए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हेतु समय से की गई कार्यवाही से ऐसे ट्रांसफॉर्मरों के क्रय पर व्यय 10.62 करोड़ रुपए बच सकते थे। इसके साथ ही छः माह से पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी 20 एम वी ए क्षमता के 15 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हेतु मण्डल ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 12.00 करोड़ रुपए (80 लाख रुपए X 15 ट्रांसफॉर्मर) की राशि अवरूद्ध हो गई तथा परिणामतः 3.30 करोड़ रुपए (दिसम्बर 2004 तक) के ब्याज की हानि हुई।

मुख्य-यंत्री (योजना) ने बताया (अप्रैल 2005) कि ट्रासफॉर्मरों की मरम्मत एवं उनके संधारण हेतु आबंटित निधियों की उपलब्धता के आधार पर इनकी मरम्मत करवाई गई। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि मरम्मत एवं संधारण हेतु निधियों का आबंटन वार्षिक आवश्यकता के अनुरूप विभाजित किया जाना चाहिए तथा नए क्रय की तुलना में मरम्मत को वरीयता दी जाना चाहिए।

मरम्मत आदेश प्रस्तुत करने में विलंब एवं आदेश प्रस्तुतीकरण के उपरांत मरम्मत हेतु ट्रांसफॉर्मर न उठाने के परिणामस्वरूप मण्डल की 19.73 करोड़ रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई।

(ख) लेखापरीक्षा में आगे यह भी दृष्टिगत हुआ कि 39 खराब हुए अतिरिक्त उच्च दाब वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मरों में से 15 के प्रकरण में मरम्मत करने वाले अभिकरणों, जिन्हें कि मरम्मत आदेश जारी किए गए थे ने 12 ट्रांसफॉर्मर उठाने में (30 दिवस के अलावा) 17 दिवस से दो वर्ष से अधिक तक का विलम्ब किया तथा तीन ट्रांसफॉर्मर जो अगस्त 2002 और नवम्बर 2002 के मध्य खराब हो गए थे, मरम्मत आदेश जारी किए जाने के बावजूद भी उठाए ही नहीं गए। मरम्मत आदेश दिए जाने/मरम्मत करने वाली फर्म द्वारा अतिरिक्त उच्चदाब वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मर उठाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप मण्डल की 19.73 करोड़ रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई परिणामतः मार्च 2005 तक 1.13 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

मण्डल ने विलम्ब को स्वीकार किया (अप्रैल 2005) तथा विलम्ब का कारण विभिन्न तथ्यों को बताया जिन्हें किसी इकाई को खराब घोषित करने एवं इसे मरम्मत करने वाली इकाईयों को हस्तांतरित करने के पूर्व ध्यान में लिया जाना था।

तथापि मण्डल ने मरम्मत करने वाले आभिकरणों को ट्रांसफॉर्मर हस्तांतरित किए जाने के पूर्व पूर्ण किए जाने वाले ऐसे तथ्यों हेतु कोई समय सीमा नहीं दर्शाई।

ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत किए जाने के उपरांत उन्हें चालू किए जाने में विलंब के परिणामस्वरूप 13.63 करोड़ रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई।

(ग) चार मरम्मत किए गए अतिरिक्त उच्च दाब वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मर (चालू किए जाने हेतु दिए गए 30 दिनों के उपरांत) 4 से 154 दिवस पश्चात तक विलंब से चालू किए गए। चालू किए जाने में विलंब के परिणामस्वरूप मण्डल की 13.63 करोड़ रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई परिणामतः मार्च 2005 तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 3.52 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

मुख्य-यंत्री (योजना) ने बताया (अप्रैल 2005) के मरम्मत की गई इकाई को चालू किए जाने हेतु 30 दिवस की अवधि पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने न तो ट्रांसफॉर्मरों को चालू करने हेतु समय सीमा को संशोधित किया था न ही प्रकरणवार विलंब के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे।

मरम्मत आदेश प्रस्तुत करने में विलंब

3.6.17 मण्डल ने ट्रासफॉर्मर खराब हो जाने के दिनांक से उनकी मरम्मत आदेश को अंतिम रूप दिए जाने हेतु कोई समय सीमा/मानक निर्धारित नहीं किए थे, यद्यपि इसने निर्धारित किया था कि खराब हुए ट्रांसफॉर्मर, मरम्मत आदेश को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत तीन माह के भीतर मरम्मत हेतु दे दिए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि ताप विद्युत केन्द्रों में खराब हुए विद्युत/अतिरिक्त उच्चदाब वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में मरम्मत आदेश समय से प्रस्तुत किए जाने हेतु पहले से ध्यान नहीं दिया गया, जैसा कि निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:-

क्रम संख्या	निर्मित/क्रम संख्या	क्षमता एवं खराब होने का स्थान	खराब होने का दिनांक	मरम्मत हेतु दिए जाने का दिनांक	फर्म को ट्रांसफॉर्मर भेजे जाने में विलंब की अवधि (औपचारिकताओं हेतु 3 माह को छोड़कर माह में)	मरम्मत करने वाली फर्म का नाम
1.	एन जी ई एफ 2800034637	63 एम वी ए ए.टी.पी.एस. चचई	4.6.2000	14.2.03	29	आदित्य विद्युत एप्लायंसेस लिमिटेड, ठाणे
2.	वाट्टेम्प 270512	16 एम वी ए एस.जी.टी.पी.एस. बिरसिंहपुर	3.9.2000	18.2.04	38	उपरोक्तानुसार
3.	वाट्टेम्प 270513	16 एम वी ए एस.जी.टी.पी.एस. बिरसिंहपुर	9.5.01	18.2.04	30	उपरोक्तानुसार
4.	ऐपेक्स सीरियल नं.	500 के वी ए ए.टी.पी.एस. चचई	23.10.02	31.1.05 तक निर्गमित नहीं	24 (परीक्षात्मक संख्या)	निर्गमित नहीं
5.	टी ई एल के 1202942	20 एम.वी.ए. एस.जी.टी.पी.एस. बिरसिंहपर	17.6.03	15.5.04	8	आदित्य विद्युत एप्लायंसेस लिमिटेड, ठाणे

उपर्युक्त ट्रांसफार्मरों के अत्यधिक महंगे होने के कारण उनकी मरम्मत हेतु तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता थी। तथापि, ताप विद्युत प्राधिकारियों ने मरम्मत आदेशों को अंतिम रूप दिए जाने एवं मरम्मत हेतु उन्हें भेजे जाने में (तीन माह के उपरांत) 8 से 38 माह का समय लगाया।

ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत पर 24 लाख रुपए का परिहार्य व्यय

3.6.18 इंदौर के उपकेन्द्र का 132 किलोवाट तक आवर्धन किए जाने के कारण, एक 40 एम वी ए, भेल निर्मित कार्यशील अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर (सीरियल नंबर 6004695) बड़वानी स्थित 132 के.वी. उपकेन्द्र में अंतरित किया गया। मंडल ने ट्रांसफार्मर का परिवहन, बिना कोई अनुबंध/ठेका किए एक स्थानीय परिहनकर्त्ता से करवाया ट्रांसफॉर्मर ने 30 मार्च 2003 को चालू किए जाने के एक दिवस उपरांत कार्य करना बंद कर दिया। इसके उपरांत मण्डल ने राजस्थान ट्रांसफॉर्मर एण्ड स्विचगीयस, जयपुर,को 24 लाख रुपए में मरम्मत आदेश दिया (जून 2004)। फर्म द्वारा मरम्मत के उपरांत अभी ट्रांसफॉर्मर लौटाया जाना है (मार्च 2005)।

इस प्रकार मण्डल को ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत पर 24 लाख रुपए का व्यय वहन करना पड़ा जो चालू किए जाने के तुरंत पश्चात यह खराब हो गया क्योंकि संभवतः परिवहन किए जाने के दौरान परिवहनकर्त्ता द्वारा उचित प्रबंधन नहीं करने के कारण हुआ।

अधीक्षण यंत्री (टी एण्ड सी), इंदौर ने भी खराब होने का कारण परिवहन के दौरान ट्रांसफॉर्मर की स्पेयर्स में हुई हानि का होना बताया जिसके कारण वाइंडिंग ढीली हो गई होगी। परिवहनकर्त्ता के साथ कोई ठेका/अनुबंध न किए जाने के कारण मण्डल परिवहनकर्त्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। ट्रांसफॉर्मर का परिवहन करने हेतु बीमा नहीं करवाया गया था। मंडल ने बताया (अप्रैल 2005) कि परिवहनकर्त्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि बड़वानी में ट्रांसफॉर्मर चालू किए जाने के उपरांत यह कुछ समय के लिए कार्यशील था। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि परिवहन के उपरांत कुछ घंटों के लिए ट्रांसफॉर्मर का चलना, सफलतापूर्वक चालू किया जाना नहीं माना जा सकता।

अतिरिक्त उच्चदाब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के परिवर्तन हेतु आदेश प्रस्तुत करने/निष्पादन में विलंब

3.6.19 छिंदवाड़ा में अच्छी स्थिति में कार्यरत सितम्बर 1992 में अतिरिक्त हो गये एक 30 एम वी ए 132/66/11 के वी ई एच वी ट्रांसफॉर्मर की बाइंडिंग को 66 के वी से 33 के वी रेटिंग में परिवर्तित करने का विचार किया गया। तथापि मण्डल ने लगभग नौ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स (प्राइवेट) लिमिटेड मुंबई को ट्रांसफार्मर के उन्नयन/अपरेटिंग हेतु एक आदेश प्रस्तुत किया (जून 2001)। इसके अतिरिक्त तारापुर ट्रांसफार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक स्थल पर ट्रांसफॉर्मर का आरंभिक संयुक्त निरीक्षण कार्य तक नहीं किया अतः इस कारण आज तक (अप्रैल 2005) ट्रांसफॉर्मर उन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सका।

परिवर्तन आदेश के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के साथ ही साथ तारापुर ट्रांसफार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत किए गए आदेश को नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी निरस्त नहीं किए जाने के कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किए गए मंडल ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर 30 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य कर चुका है तथा इसकी कार्यक्षमता जीवन पूर्ण हो चुकी है। उत्तर इस तथ्य के परिपेक्ष में मानने योग्य नहीं है कि जब ट्रांसफार्मर 1992 में बदला गया तथा इसे अतिरिक्त समझा गया था तब इसे अच्छी कार्यशील स्थिति में एवं परिवर्तन हेतु उपयुक्त माना गया था। ऐसा लगता है कि आदेश प्रस्तुत किए जाने में विलंब तथा फर्म द्वारा आदेश निष्पादित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसा महंगा उपकरण निष्क्रिय रहा जो ऐसी दीर्घ अवधि व्यतीत हो जाने के कारण अपनी उपयोगिता खो चुका है। इसके साथ ही विवरणों के अभाव में हानि की गणना नहीं की जा सकी।

20 एम वी ए ई एम सी ओ ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में विलंब

3.6.20 इटारसी उपकेन्द्र पर संस्थापित एक 20 एम वी ए ट्रांसफार्मर जो 1991 में खराब हो गया था एवं अक्टूबर 1999 तक निष्क्रिय रहा, मरम्मत के उपरांत 12 नवम्बर 2001 को 132 के वी उप केन्द्र बालाघाट में चालू किया गया।

बालाघाट उपकेन्द्र का आवर्धन किए जाने के कारण 20 एम वी ए ट्रांसफॉर्मर को निकाल लिया गया (जुलाई 2003) तथा इसे मण्डला में अंतरित किया गया, जहां इसे

6 दिसम्बर 2003 को पुनः चालू किया गया। ट्रांसफॉर्मर, मरम्मत करने वाली फर्म (स्टार डेल्टा, भोपाल) द्वारा दी गई 36 माह की निष्पादन गारंटी अवधि में से 149 दिवस (जुलाई से दिसम्बर 2003 तक) तक अप्रयुक्त रहा।

तदनुसार ट्रांसफार्मर 12 नवंबर 2004 तक निष्पादन गारंटी अवधि अधीन था। कतिपय तकनीकी समस्या के कारण, 12 नवम्बर 2004 को निष्पादन गारंटी अवधि समाप्त होने के आठ दिवस के उपरांत 20 नवम्बर 2004 को ट्रांसफार्मर ने कार्य करना बंद कर दिया तथा तबसे ट्रांसफॉर्मर निष्क्रिय पड़ा है (मई 2005)। यदि ट्रांसफॉर्मर को समयावधि (30 दिवस में) मण्डला में अंतरित करवाकर पुनः चालू कर दिया गया होता तो मण्डल ने निष्पादन गारंटी अवधि में इसकी निःशुल्क मरम्मत करवा ली होती। मण्डल ने ट्रांसफॉमर को मण्डला में पुनः चालू करवाए जाने में विलम्ब को स्वीकार किया (अप्रैल 2005)।

3.6.21 मण्डल ने एक 16 एम वी ए ट्रांसफार्मर की 8.00 लाख रुपए की लागत पर मरम्मत हेतु राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्विचगीयर्स, जयपुर को आदेश प्रस्तुत किया। मरम्मत आदेश के अनुसार मरम्मत किया गया ट्रांसफॉर्मर संतोषजनक प्रदर्शन के लिए चालू किए जाने के दिनांक से 36 माह की अवधि तक की गारंटी में थी।

26 सितम्बर 2001 को 132 के वी उपकेन्द्र कटनी में मरम्मत किया हुआ,चालू किया गया ट्रासफॉर्मर 14 सितम्बर को खराब हो गया जबकि यह 25 सितम्बर 2004 तक निष्पादन गारंटी के अधीन था। मण्डल ने इसकी मरम्मत हेतु 27 अक्टूबर 2004 को अर्थात निष्पादन गारंटी की समाप्ति के दिनांक से लगभग डेढ़ माह के विलंब के उपरांत राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्विचगीयर्स जयपुर को इसके खराब होने के संबंध में सूचित किया (27 अक्टूबर 2004)। फर्म ने मण्डल का यह दावा स्वीकार नहीं किया कि ट्रांसफॉर्मर निष्पादन गारंटी अवधि में खराब हो गया था क्योंकि इसके खराब होने की जानकारी निष्पादन गारंटी अवधि की समाप्ति के उपरांत दी गई थी।

इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर खराब होने की जानकारी फर्म को विलंब से दिए जाने के परिणामस्वरूप मण्डल ने लगभग 8.00 लाख रुपए की मरम्मत लागत बचाने के अवसर को खो दिया जिसके कारण मण्डल को भविष्य में इसकी मरम्मत लागत को वहन करना पड़ा।

मण्डल ने फर्म को इकाई खराब होने संबंध सूचना दिए जाने में हुए विलंब को स्वीकार किया (अप्रैल 2005) तथा बताया कि प्रकरण पर फर्म के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

3.6.22 मण्डल ने ई एच वी ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हेतु मूल्य वैभिन्य की धारा रहित निश्चित मूल्य आधार पर 1999 में ठेका दर को अंतिम रूप दिया तथा इसके उपरांत ऐसे ट्रासंफार्मरों की मरम्मत हेतु विभिन्न आदेश प्रस्तुत किए।

18 मई 2001 को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, एक 40 एम वी ए विद्युत ट्रांसफॉर्मर की राजस्थान टांसफॉर्मर एण्ड स्वीचगीयर्स जयपुर से 16.80 लाख रुपए के निश्चित मूल्य पर उपर्युकत ठेका दर पर मरम्मत करवाई गई।

बाद में जब भारत बिजली लिमिटेड, मुंबई के खराब हुए 40 एम वी ए के दो ट्रासफॉर्मर्स राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्विचगीयर्स के पास मरम्मत हेतु भेजे गए तब इसने आगे मरम्मत कार्य करने हेतु विचार करने के लिए निम्नांकित शर्ते रखी (अगस्त 2002)

- परिवहन, लदान एवं उतारने के प्रभारों की समीक्षा की जाये अथवा ट्रांसफॉर्मर उनके कार्यस्थलों पर सौंपे जायें।

- वाइंडिंग संयोजन में काम में लाई गई इंसुलेशन सामग्री हेतु प्रभारों पर पुनर्विचार किया जायें।

फर्म के अनुरोधानुसार दरों की समीक्षा करने के बजाय मण्डल ने उक्त दो ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत हेतु एकल परीक्षण पर एवं दरों का उत्तरदायित्व निर्धारित किए बिना ही 42.52 लाख रुपए (लाने ले जाने के परिवहन, ई.डी./एस.डी. को छोड़कर) की लागत पर भारत बिजली लिमिटेड, मुंबई को मरम्मत का एक आदेश प्रस्तुत किया (अगस्त 2002)। भारत बिजली लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रभारित दरें परिवहन व्यय को छोड़कर 4.46 लाख रुपए प्रति ट्रांसफॉर्मर तक अधिक थी परिणामस्वरूप 8.92 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मण्डल ने बताया (अप्रैल 2005) कि भारत बिजली लिमिटेड मुंबई द्वारा दो ट्रांसफॉर्मरों की समय पर मरम्मत किए जाने से मण्डल को क्षेत्र में भार प्रबंधन समस्या को सुलझाने एवं निर्बाध बिद्युत आपूर्ति में सहायता मिल गई। उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि राजस्थान ट्रांसफार्मर्स एण्ड स्विचगीयर्स जो कि स्वीकृत दर संविदाधीन थे, ये भी समय पर ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत कर रहे थे तथा मण्डल द्वारा असामान्य रूप में विलंब से भुगतान किए जाने के कारण बिलंब हुआ।

गारंटी की धारा को क्रियान्वित न करना तथा अन्य फर्म को मरम्मत आदेश प्रस्तुत करना

3.6.23 संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बीरसिंहपुर में मूलतः संस्थापित (अक्टूबर 1991) जून 1996 में खराब हुआ एक 20 एम वी ए 220/33 के वी ए निर्मित (टी ई एल के) ट्रांसफॉर्मर की दो बार तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स, मुंबई से मरम्मत करवाई गई तथा इसे टोन्स हायड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, सिरमौर में अंतरित किया गया जहां इसे 5 अक्टूबर 2003 को चालू किया गया। मरम्मत आदेश के गारंटी की धारा के अनुसार स्पष्टतः यह निर्धारित था कि मरम्मत किया गया ट्रांसफॉर्मर चालू किए जाने के दिनांक से 12 माह में अथवा कार्यस्थल से भेजे जाने वाले दिनांक से 18 माह के भीतर जो भी पहले हो, की अवधि में खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को ठेके के अनुसार उसकी मरम्मत करनी होगी; इसमें विफल रहने पर चूककर्त्ता ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से मरम्मत कार्य करवाया जायेगा एवं 2.26 लाख

गारंटी अवधि में ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत करवाने में मंडल की विफलता के परिणामस्वरूप 44.15 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय

रुपए की सुरक्षा जमा राजसात कर ली जावेगी। ट्रांसफॉर्मर चालू किए जाने के ठीक तीन माह के उपरांत 10 जनवरी 2004 को खराब हो गया। प्रकरण को गारंटी की धारा के अंतर्गत ट्रांसफार्मर की पुनः मरम्मत करने हेतु तारापुर ट्रांसफार्मर्स की ओर नहीं भेजा गया तथा अंततः कर एवं शुल्कों को छोड़कर 44.15 लाख रुपए की मरम्मत लागत पर मरम्मत करवाने हेतु ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, केरल को आदेश प्रस्तुत किया गया (मार्च 2005)। यदि गारंटी की धारा को क्रियान्वित करने हेतु कहा गया होता तो उपर्युक्त राशि बचा ली गई होती। मंहगे ई एच वी ट्रांसफॉर्मर्स विगत डेड. वर्ष से बिना मरम्मत के पड़े हैं।

विद्युत ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत् में बिलम्ब के परिणामस्वरूप निधियों का अवरूद्ध होना

3.6.24 लेखापरीक्षा संविक्षा में प्रकट हुआ कि 7.98 करोड़ रुपए मूल्य के (1.6, 3.15 एवं 5 एम वी ए) 196 ट्रांसफॉर्मर (179 गारंटी अवधि के उपरांत खराब हुए : 7.13 करोड़ रुपए एवं 17 गारंटी अवधि में खराब हुए 85.00 लाख रुपए) 28 फरवरी 2005 तक निष्क्रिय पड़ें थे। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि

- गारण्टी अवधि के उपरांत खराब हुए 179 ट्रांसफॉर्मर तीन क्षेत्रीय भण्डारगृहों (छिंदवाडा, इटारसी एवं सतना) में 2 से 106 माह तक निष्क्रिय पडें रहे। गारंटी अवधि के उपरांत खराब हुए ट्रांसफॉर्मर, सतना में (6 फुंके ट्रांसफॉर्मरों सहित) 2 माह से 106 माह तक, इटारसी में 5 से 17 माह तक एवं छिंदवाड़ा में 11 से 29 माह तक बिना देखरेख पड़े थे। मंडल ने न तो ट्रासंफॉर्मरों की मरम्मत करवाने हेतु किसी कार्यवाही की पहल की न इसने निकट भविष्य में इनकी मरम्मत हेतु कोई कार्य योजना ही तैयार की।

- मण्डल के परिपत्र (जुलाई 1999) के अनुसार गारंटी अवधि में खराब हुए ट्रांसफॉर्मर, फर्म को ट्रांसफॉर्मरों का खराब होना सूचित किए जाने के दिनांक से छः माह के भीतर निःशुल्क मरम्मत करना था। 12 लाख रुपए का एक खराब हुआ विद्युत ट्रांसफॉर्मर (3.15 एम वी ए) नवम्बर 2003 के उपरांत क्षेत्रीय भण्डार गृह इटारसी में पड़ा था तथा इसे खराब होने के उपरांत दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी फर्म ने उठाया नहीं था। फर्म द्वारा मरम्मत हेतु जनवरी 2003 में उठाया गया 3.28 लाख रुपए मूल्य का एक विद्युत ट्रांसफॉर्मर (1.6 एम वी ए) उसी के पास पड़ा था और अब तक वह वापस नहीं किया गया ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत करवाने में विलम्ब के कारण न तो अभिलेख में दर्शाए गए न लेखापरीक्षा को बताए गए। अन्य भण्डार गृहों में पड़े शेष 15 ट्रांसफॉर्मरों (गारंटी अवधि में खराब हुए) के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखापरीक्षा में यह भी दृष्टिगत हुआ कि युनाइटेड इलेक्टिकल्स भोपाल ने क्षेत्रीय भण्डार गृह, इटारसी से दिसम्बर 1999 में 4.43 लाख रुपए मूल्य का एक 2.5 एम वी ए 33/11 के वी का एन इ आई निर्मित विद्युत ट्रांसफॉर्मर (आर वी 2280/01) उठाया। फर्म ने ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत नहीं की, परंतु मण्डल ने फर्म के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही आरंभ नहीं की (मई 2005)।

196 विद्युत ट्रांसफॉर्मरों (गारंटी अवधि के उपरांत एवं गारंटी अवधि के दौरान दोनो ही) की मरम्मत करवाने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप 7.98 करोड़ रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई।

इस प्रकार 196 ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत हेतु विलम्ब/उचित कार्यवाही की पहल न करने के परिणामस्वरूप मण्डल की 7.98 करोड़ रुपए की निधियां अवरूद्ध हो गई और इसके परिणामतः 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 95.73 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई। इसके साथ ही, मण्डल को खराब ट्रांसफॉर्मरों के बदले नए ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत न करना

गारंटी अवधि में खराब हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर

3.6.25 लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि 48.41 करोड़ रुपए मूल्य के गारंटी अवधि के दौरान खराब हुए 14170 ट्रांसफॉर्मर (25 के वी ए-434, 63 के वी ए-7159, 100 के वी ए-5711, 200 के वी ए-791 तथा 315 के वी ए-75) फरवरी 2005 के अनुसार या तो क्षेत्रीय भण्डार गृह में अथवा फर्म के पास बिना मरम्मत किए पड़े थे। यह देखा गया कि :

11.45 करोड़ रुपए मूल्य के 2845 नये ट्रांसफॉर्मर जो गारण्टी अवधि में खराब हो गए, उनमें से 1426 एवं 1419 ट्रांसफॉर्मर फरवरी 2005 के अंत में क्रमशः क्षेत्रीय भण्डार गृह तथा मरम्मत करने वाली फर्म के पास पडें थे।

इस प्रकार 36.65 करोड़ रुपए मूल्य के 11325 ट्रांसफॉर्मर जो दर संविदा के अंतर्गत उनके मरम्मतोपरांत गारंटी अवधि में खराब हो गए, उनमें से फरवरी 2005 के अंत में क्रमशः 4912 एवं 6413 ट्रांसफॉर्मर क्षेत्रीय भण्डारगृह एवं मरम्मत करने वाली फर्म के पास पड़े थे।

इस प्रकार खराब हो चुके ट्रांसफॉर्मर क्षेत्रीय भण्डारगृह में 1 माह से 19 वर्ष से अधिक की अवधि तक तथा फर्म के पास 1 माह से 16 वर्ष की अवधि तक बिना ध्यान दिए पड़े थे। मण्डल ने चूककर्त्ता फर्मों के विरूद्ध किसी कार्यवाही की पहल नहीं की।

14170 गारंटी अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत हेतु कार्यवाही की पहल करने में मंडल की विफलता के परिणामस्वरूप 48.41 लाख रुपए के ट्रांसफॉर्मर निष्क्रिय पड़े रहे।

गारंटी अवधि में ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत करवाने हेतु समय पर कार्यवाही किए जाने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप 48.41 करोड़ रुपए के ट्रांसफॉर्मर निष्क्रिय पड़े रहें। इसके अलावा ऐसे खराब हुए ट्रांसफॉर्मरों की निःशुल्क मरम्मत किए जाने का लाभ गंवाने के साथ मण्डल को 5.81 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज की हानि भी उठानी पड़ी क्योंकि ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत में विलंब के परिणामस्वरूप उधार ली गई निधियों से नए ट्रांसफॉर्मरों का क्रय करना पड़ा।

गारंटी अवधि के उपरांत खराब हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर

गारंटी अवधि के उपरांत खराब हुए 13104 ट्रांसफॉर्मरों की समय पर मरम्मत करवाने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप 31.74 करोड़ रुपये के ट्रांसफॉर्मर निष्क्रिय पड़े रहे।

3.6.26 28 फरवरी 2005 के अनुसार गारंटी अवधि के उपरांत खराब हुए 31.74 करोड़ रुपए मूल्य के 315 के वी ए तक के 13104[♦] ट्रांसफॉर्मर या तो विभिन्न क्षेत्रीय भण्डारगृहो[♠] में अथवा फर्मों[@] के पास पड़ी थी। इन ट्रांसफॉर्मरों के अवधिवार विवरण न तो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए न अभिलेख में दर्ज थे। तथापि 4 क्षेत्रीय भण्डारगृहों (सतना, छिंदवाड़ा, इटारसी एवं सागर) में दृष्टिगत हुआ कि मण्डल ने ऐसे ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत करवाने हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की। अवधि वार विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा दौरा विलम्ब की अवधि की गणना नहीं की जा सकी। ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत हेतु समय पर कार्यवाही की पहल करने में मण्डल की विफलता के परिणामस्वरूप 31.74 करोड़ रुपए मूल्य के निष्क्रिय ट्रांसफॉर्मरों का ढेर लग गया, परिणामतः 3.81 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के ब्याज की हानि हुई।

4.99 करोड़ रुपए मूल्य के ट्रांसफॉर्मर आग में फुंक गए

3.6.27 क्षेत्रीय भण्डारगृह सतना में 11 अप्रैल 2004 को एक बड़ी आग लगने की दुर्घटना हुई। इसमें 2.22 करोड़ रुपए मूल्य के 570 ट्रांसफॉर्मर जल गए जो गारंटी अवधि के दौरान खराब हो गए थे एवं आपूर्तिकर्त्ताओं की लागत पर मरम्मत किए जाने/बदले जाने हेतु उनके द्वारा उठाए जाने के लिए भण्डार गृह में पड़े थे। इसके साथ ही 1971 मरम्मत न हो सकने वाले 25 के वी ए 8 ट्रांसफॉर्मर तथा 270 अन्य छांटे गए आकार के 2.77 करोड़ रुपए मूल्य के वितरण ट्रांसफॉर्मर भी आग में जल गए।

आग के कारण की जांच (जनवरी 2005) में प्रकट हुआ कि अनुपयुक्त झोल/भार के साथ-साथ क्षेत्र के ऊपर गुजरने वाले उच्चदाब एवं निम्नदाब लाइन के मध्य असुरक्षित स्तर के संवहन एवं निम्नदाब लाइन के टाप कंडक्टर के अतिभार के परिणामस्वरूप शार्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण भण्डारगृह में बडी आग लग गई।

इस प्रकार भारतीय विद्युत आपूर्ति नियमावली 1956 के उल्लंघन एवं आवश्यक सावधानी के उपायों के अभाव के परिणामस्वरूप बड़ी आग लगी जिसके कारण मण्डल को अन्य हानियों के साथ-साथ 4.99 करोड़ रुपए मूल्य के ट्रांसफॉर्मरों 2.22 करोड़ रुपए मूल्य के नए ट्रांसफॉर्मरों सहित, की हानि वहन करनी पड़ी। निरीक्षण दल के प्रतिवेदन पर अंतिम कार्यवाही अब तक नहीं की गई (मई 2005)।

♦ 25 के वी ए-5338, 63 के वी ए-4640, 100 के वी ए-2531, 200 के वी ए-545, 315 के वी ए-50

♠ 25 के वी ए-5208, 63 के वी ए-2174, 100 के वी ए-930, 200 के वी ए-152, 313 के वी ए-41

@ 25 के वी ए-130, 63 के वी ए-2466, 100 के वी ए-1601, 200 के वी ए-393, 315 के वी ए-3

निष्कर्ष

2000-05 की अवधि के दौरान ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति, निष्पादन एवं संधारण के संबंध में मण्डल का निष्पादन कार्य इष्टतम नहीं था। मण्डल ने उक्त कार्य को खण्डित रूप में किया, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति, मरम्मत एवं संधारण के साथ भंडार प्रबंधन के साथ ही ट्रांसफॉर्मरों के संबंध में दोषपूर्ण योजना, अप्रभावकारी ठेका प्रबंधन से हानि हुई। इन कार्यों को मण्डल द्वारा अव्यावसायिक रूप में किये जाने के परिणामस्वरूप पारेषण एवं वितरण की अधिक हानियों एवं परिहार्य अतिरिक्त लागत को कम करने में मण्डल की विफलता ही नहीं रही बल्कि उपभोक्ताओं को भी गुणवत्ता युक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी।

अनुशंसाएं

मण्डल को निम्नांकित हेतु तुरंत कार्यवाही करना चाहिए

- संबद्ध भार के साथ-साथ उप रूपांतरण एवं वितरण रूपांतरण क्षमता की वृद्धि के बीच असंतुलन को दूर करना ;
- अधिक पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना ;
- निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब को टालने मूल्यांकन की प्रणाली में कमी तथा दरों की उपयुक्ता हेतु ट्रांसफॉर्मरों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को पुननिर्धारित किया जाना ;
- क्रय आदेश प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित करना।
- खराब हुए ट्रांसफॉर्मरों की समय पर मरम्मत हेतु एक विश्वसनीय नीति का गठन करना तथा ;
- रद्दी ट्रांसफॉर्मरों की पहचान करना एवं उनका निर्वर्तन करना।

अध्याय चार

लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

प्रस्तावना

राज्य सरकार की कंपनियों तथा सांविधिक निगमों द्वारा किए गए लेन देनों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस अध्याय में समाविष्ट किए गए हैं।

सरकारी कंपनियां

मध्य प्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज निगम मर्यादित

परिवहन ठेकेदारों को किया गया अधिक भुगतान।

परिवहन ठेकेदारों द्वारा नहीं किए गए कार्य-अंश के लिए भुगतान के परिणामस्वरूप 7.49 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय

4.1 मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज निगम मर्यादित (कंपनी) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मध्याह्न भोजन योजना आदि के माध्यम से राज्य में खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य करता है। खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम के मुख्य गोदाम से उठाया जाता है और भंडारण के लिए विभिन्न भंडारण एजेंसियों के भंडार-गृहों को परिवहन किया जाता है जब तक कि उसकी आपूर्ति उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से नहीं हो जाती है।

2000-03 के दौरान जारी की गई निविदाओं की जांच में प्रकट हुआ कि खाद्यान्नों के परिवहन के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय कंपनी ने ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कार्य की मदों में हम्माली* के अंश को भी सम्मिलित किया था और ठेकेदार द्वारा बताई गई दरों में भारतीय खाद्य निगम के मुख्य गोदाम पर कार्य की इस मद की लागत समाविष्ट की। तदनुसार हम्माली सहित दरें (2 रुपए प्रति क्विंटल की दर से) प्राप्त हो गई थी और कंपनी द्वारा दरों को स्वीकार कर लिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि, हम्माली का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी स्वयं की लागत से किया गया था। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कंपनी ने सम्भावित वितरण हेतु उपर्युक्त योजना के माध्यम से 2000-03 के दौरान 374.47

---

* *हम्माली-ढेर हटाने, वजन तुलवाने एवं माल चढ़ाने वाले स्थल पर खाद्यानों को चढ़ाने के लिये किये गये हस्तन व्यय।*

लाख क्विंटल खाद्यान्नों के परिवहन के लिए दो रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम्माली प्रभारों का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 7.49 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2004) के निविदा प्रपत्रों में सुझावों, परिवहनकर्त्ताओं की शिकायतों एवं विवाचन अधिनिर्णय के आधार पर समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब भारतीय खाद्य निगम ने 22 जुलाई 2002 को पूर्व में भी यह स्पष्ट कर दिया था कि निगम खाद्यान्नों की बोरी की थप्पी, ढेर को हटाने, खाद्यान्नों को ट्रकों में चढ़ाने तथा गोदामों के परिसरों में ही 100 प्रतिशत वजन तुलाई की व्यवस्था करता है। निविदाएं तदनुसार ही आमंत्रित की जानी चाहिये थी। अन्तोगत्वा, 2003-04 के दौरान परिवहन के लिए आमंत्रित की गई निविदाओं के सम्बन्ध में कंपनी ने तुरंत एक शर्त जोड़ी कि ठेकेदार अपनी दरें हम्माली को छोड़कर देवें क्योंकि भारतीय खाद्य निगम कार्य की इन मदों को अपनी स्वयं की लागत पर करता है।

इस प्रकार 2002-03 के दौरान लागत के इस अंश को छोड़ने से जो कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की जा रही थी, कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप परिवहन ठेकेदारों को 7.49* करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

मामला सरकार को भेजा गया था (मई 2005); इसका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)

अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ की अधिप्राप्ति के कारण हानि

अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 1.37 करोड़ रुपए की हानि

4.2 मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज निगम मार्यादित (कंपनी), भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए गेहूँ विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अधीन, अधिप्राप्त कर रहा था। इस प्रकार वितरित किए गए गेहूँ पर कंपनी अधिप्राप्ति के मितव्ययी मूल्य एवं ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से प्राप्त वास्तविक दरों के मध्य अंतर के तुल्य दर भिन्नता की हकदार थी। इसकी शर्त यह थी कि इस योजना के अन्तर्गत अधिप्राप्त गेहूँ अच्छी औसत गुणवत्ता वाला होना चाहिए।

---

* *उठाई गई मात्रा (374.47 लाख क्विंटल X हम्माली प्रभार (2 रुपये प्रति क्विंटल)=748.94 लाख रुपये)*

कंपनी की सतना जिले की इकाई ने 24375 मैट्रिक टन गेहूँ, 2003-04 में रबी मौसम की मंडी के दौरान 5390 मैट्रिक टन की अनुमानिक मात्रा के विरूद्ध अधिप्राप्त किया। इसमें से 3948 मैट्रिक टन गेहूँ अनुचित औसत गुणवत्ता वाला निकला। इस अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ पर कंपनी दर भिन्नता की हकदार नहीं थी। कंपनी ने तथापि, राज्य सरकार को अनुचित औसत गुणवत्ता वाले 3948 मैट्रिक टन गेहूँ पर 1.37 करोड़ रुपए की दर भिन्नता सहित 70.23 करोड़ रुपए के लिये अपना अनन्तिम दर भिन्नता का दावा प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2003)। राज्य सरकार ने कंपनी को अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ के लिए किए गए दावे को वापस लेने के लिए निर्देशित किया (फरवरी 2004) तदनुसार, इसने 1.37 करोड़ रुपए घटाकर संशोधित दावा प्रस्तुत किया (फरवरी 2004)।

इस प्रकार, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की जानकारी होने के बावजूद भी कंपनी द्वारा अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप 1.37 करोड़ रुपए की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ पर भारत सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता का दावा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं दावा राज्य सरकार से अनुमति मिलने पर प्रस्तुत किया जावेगा।

उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि, अनुचित औसत गुणवत्ता वाले गेहूँ पर दर भिन्नता के लिए कंपनी का दावा आधारहीन था क्योंकि वह उस पर आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं थी।

मामला सरकार को भेजा गया (मई 2005); इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मार्यादित

विक्रय पर परिहार्य हानि

तार छड़ (वायर रॉड) के विक्रय पर कंपनी द्वारा प्रोत्साहन को सहसा वापस लेने के परिणामस्वरूप 19.66 लाख रुपए के राजस्व की हानि।

4.3 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित (कंपनी) का इन्दौर स्थित गोदाम विजाग इस्पात संयत्र से इस्पात की अधिप्राप्ति कर रहा था तथा 550 रुपए प्रति मैट्रिक टन की रियायत एवं 125 रुपए प्रति मैट्रिक टन की कुल विक्री छूट, जो कि माल की सहमत मात्रा को उठाने एवं उसकी आपूर्ति लघु उद्योग इकाइयों को करने का लाभ प्राप्त कर

रहा था। अधिक विक्रय बढाने के लिए, कंपनी ने इस रियायत के कुछ अंश* का लघु उद्योग इकाइयों को क्रमशः 100 मैट्रिक टन एवं 500 मैट्रिक टन प्रति माह स्पात उठाने के लिए प्रदाय कर दिया। यद्यपि इस प्रोत्साहन का 2002-03 के कंपनी के कुल विक्रय 94.64 मैट्रिक टन (16.99 लाख) से 2003-04 में 2863.12 मैट्रिक टन (छह करोड़ रुपए) की वृद्धि में योगदान रहा। कंपनी ने बिना किसी नोटिस के अप्रैल **2004** से इस रियायत को वापस ले लिया।

इस बीच 2004-05 के लिए इन्दौर स्थित दो लघु उद्योग इकाइयों[$] ने क्रमशः **8125** मैट्रिक टन एवं 3600 मैट्रिक टन हाई कार्बन वायर की मांग प्रस्तुत की। भण्डार को भी विजाग इस्पात संयंत्र से सात दिवस की वैधता सहित 7892 मैट्रिक टन हाई कार्बन वायर रौड की आपूर्ति करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए (जून एवं जुलाई **2004**, महाप्रबन्धक ने तुरन्त अपने मुख्यालय भोपाल से संपर्क किया (जून 2004) और बताया कि इन लघु उद्योग इकाइयों का विजाग इस्पात संयंत्र से दीर्घावधि अनुबन्ध था कि यदि सीधे ही उनसे अधिप्राप्त की जाती है तो उन्हें 200 रुपए प्रति मैट्रिक टन की रियायत की पात्रता थी। गोदाम ने, इसलिए कंपनी की दरों को और आकर्षक बनाने के लिए प्रोत्साहन को 450/- रुपए प्रति मैट्रिक टन तक फिर से चालू करने तथा उसे बढ़ाने की भी अनुशंसा की (जून 2004)। मुख्यालय ने 250 रुपए प्रति मैट्रिक टन के प्रोत्साहन के अनुमोदन में तीन माह का विलंब कर दिया, उस समय तक प्रस्तावों की सात दिन की बैधता पूर्व में भी कालातीत हो चुकी थी। परिणामस्वरूप कोई सामग्री न तो अधिप्राप्त की गई और न ही विक्रय ही हुई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि, कंपनी द्वारा प्रोत्साहन को पुनः चालू करने के परिणामस्वरूप सितम्बर 2004 में उठाई गई हाई कार्बन रौड के विक्रय में वृद्धि हुई क्योंकि गौदाम में 15 सितम्बर 2004 तक **293.75** मैट्रिक टन इस्पात का विक्रय किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रोत्साहन को वापस लेने का निर्णय कंपनी के अधिक हित में नहीं था।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा कार्बन वायर रौड पर प्रोत्साहन को सहसा वापस लेने एवं उसको पुनः चालू करने के निर्णय में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल से अगस्त 2004 तक के दौरान 19.66 लाख@ रुपए की हानि हुई।

मामला सरकार/कंपनी को भेजा गया था (मई 2005); उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)

---

* *200 रुपये प्रति मैट्री टन (फरवरी 2002 तक) तथा 300 रुपये एवं 350 रुपये प्रति मैट्रीक टन (मार्च 2002 से)*

$ *(i) वोरा वायर्स इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड एवं (ii) सौरभ ट्यूब्स प्रायवेट लिमिटेड*

@ *अवधि के दौरान मांग को प्रति मैट्रीक टन (425 प्रति मैट्रीक टन) राजस्व की हानि से गुणा करके 19,65,625 रुपये बिना किसी प्रोत्साहन के (4625 मैट्रीक टन)*

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित

अनियमित व्यय

कंपनी द्वारा अधिकृत नहीं किए गए कोटि उन्नयन/सुधार कार्य के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 1.84 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय

4.4 मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) मर्यादित (कंपनी) को राऊ-पीथमपुर रोड़ की सवारी गुणवत्ता के उन्नयन/सुधार के अनुमानों के लिए 1.34 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई (नवम्बर 2002)। कंपनी ने तुरंत निविदाएं आमंत्रित की और अनुमोदन हेतु धारक कंपनी** को प्रस्तुत की। धारक कंपनी ने तथापि इस कंपनी को यह कहते हुए कि राज्य सरकार के आदेशो (सितम्बर 2002) के अनुसार कार्य को केवल बूट (BOOT)@ के आधार पर निजी क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाना था, कार्य के लिए निविदाओं को निरस्त करने के लिए निर्देश दिया (जनवरी 2003)। तदनुसार कंपनी ने निविदाएं निरस्त कर दी (जनवरी 2003)।

बूट आधार पर बोलियां आमंत्रित करने के स्थान पर कंपनी ने 2.15 करोड़ रुपए के नवीन प्राक्कलन पुनः उसी काम के लिए तैयार किए। धारक कम्पनी ने सरकार के आदेशों की पुनरूक्ति (मई 2003) करते हुए बोलीदारों की पूर्व अर्हता के लिए निविदाएं जारी करने के लिए निर्देशित किया न कि कार्य के लिए। परन्तु कंपनी ने दर अनुसूची से 22.22 प्रतिशत कम पर न्यूनतम निविदाकर्त्ता को कार्य सौंप दिया (अगस्त 2003) कार्य पूर्ण किया गया और ठेकेदार को 1.84 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी द्वारा, अनभिप्रेत किए गए काम को हाथ में लेना एवं कार्यान्वित करना राज्य सरकार के निर्देशों के विरूद्ध था। इसके परिणामस्वरूप 1.84 करोड़ रुपए का अनियमित व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2005) के बरसात के कारण सड़क की दशा विगड़ने से अनुमान को संशोधित कर 2.15 करोड़ रुपए किया गया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस कार्य पर कंपनी द्वारा व्यय करने का कोई औचित्य ही नहीं था।

मामला सरकार को भेजा गया (जुलाई 2005) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

** *मध्यप्रेदश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित*

@ ***Build, Own, Operate & Transfer***

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित

इंटर-कॉरपोरेट कर्जे

4.5 मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित ने अपनी कंपनियों के पास जमा अपनी निधियों को अधिक आय अर्जित करने हेतु बाजार दरों से अधिक ब्याज दरें पर इन्टर-कॉरपोरेट डिपोजिट के रूप में देने एवं यथावश्यक निधियों को वापस लेने का निश्चय किया। 2000-2004 के दौरान कंपनी ने 33 औद्योगिक इकाइयों को **339.98** करोड़ रुपये के कर्जे दिए जो 31 मार्च 2004 के अनुसार 410.71 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 702.39 करोड़ रुपए की चूककर्ता थी।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत संवीक्षा हेतु इन 33 औद्योगिक इकाइयों में से दस अर्थात **50** प्रतिशत इकाइयों का चयन किया जो मूलधन एवं ब्याज के प्रतिभुगतान की चूककर्ता रहीं।

इन्टर-कॉरपोरेट कर्जों का स्वीकारना एवं नियोजन

इन्टर-कॉरपोरेट डिपोजिट हेतु विचारित योजना की इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के रूप में प्रबंधन किया जा रहा था। निम्नांकित तालिका 31 मार्च 2004 तक छः वर्षो के अंत में कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए एवं नियोजित इन्टर-कॉरपोरेट कर्जे दर्शाती है:

(राशि: करोड़ रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-05	Total
स्वीकृत इंटर-कॉरपोरेट कर्जे	115	272.08	56.52	63.84	1.56	निरंक	509
कंपनियों/बैंकों की संख्या जिनसे स्वीकृत किए गए	3	10	5	4	4	निरंक	12*
नियोजित इंटर-कॉरपोरेट कर्जे	101.35	182.20	50.53	5.90	निरंक	निरंक	339.98
कंपनियों की संख्या जिनके साथ नियोजन किया गया	13	27	10	3	निरंक	निरंक	33*

* *कंपनियों की यह वास्तविक संख्या है जिनसे निधियां स्वीकृत की गई/जिनमें कर्जे नियोजित किए गए।*

सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए बिना, कर्ज ग्रहीताओं से सुरक्षित जमा लिए बिना एवं वित्तीय स्थिति का सत्यापन किए बिना इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो का नियोजन।

कंपनी के ज्ञापन एवं अनुच्छेद की धारा 110(10) के अनुसार किसी विशिष्ट संस्था को 15 करोड़ रुपये से अधिक अनुदान गारंटी अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता दिए जाने

हेतु राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इन्टर-कॉरपोरेट कर्जे नियोजित करते समय कंपनी को अपने हित की सुरक्षा की दृष्टि से औद्योगिक इकाई की वित्तीय स्थिति का सत्यापन करना तथा संबंधित इकाई से पर्याप्त सुरक्षा जमा प्राप्त करना भी आवश्यक था।

अनुच्छेद का उल्लंघन करते हुए सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए बिना एवं/अथवा पर्याप्त सुरक्षा जमा प्राप्त किए बिना तथा इकाइयों की वित्तीय सुदृढ़ता का सत्यापन किए बिना कंपनी ने छः* औद्योगिक इकाइयों को 115.50 करोड़ रुपये का नियोजन किया जिनसे सितंबर 2004 को 290.31 करोड़ रुपये मूलधन 148.25 करोड़ रुपये तथा ब्याज 116.11 करोड़ रुपये) बकाया थे।

इंदुज इनरटेक लिमिटेड (भूतपूर्व कुमार पावर कॉर्पोरेशन)

4.5.1 कंपनी ने जनवरी 1999 और जनवरी 2000 के मध्य इंदुज इनरटेक लिमिटेड (उधार गृहीता) के साथ तीन से पांच वर्षो की अवधि के उपरांत प्रतिभुगतान योग्य 18 और 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विभिन्न ब्याज दरों पर 44.75 करोड़ रुपये के छः इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के नियोजन किए जबकि स्वीकृत व्यवहार अवधि एक वर्ष थी। उधार गृहीता ने इन निधियों का उसकी सहायक इकाई महेश्वर हायडल पावर कारपोरेशन में 400 मेगावाट की हायडल पावर परियोजना की स्थापना हेतु उपयोग किया।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि, यद्यपि इकाई ने सितंबर 2001 तक इससे प्राप्तव्य 24.35 करोड़ रुपये में से केवल 3.60 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया था फिर भी कम्पनी ने इससे वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

कंपनी को यह अवगत था कि (क) उधारगृहीता से प्राप्तव्यों की वसूली हेतु उसके पास कोई पर्याप्त सुरक्षा जमा नहीं थी तथा (ख) प्राप्तव्यों के प्रतिभुगतान हेतु उधारगृहीता के पास परिसंपत्तियों को आधार साथ ही साथ आय सृजन क्षमता पर्याप्त नहीं थी। तथापि कंपनी के मण्डल ने मासिक किश्तों में प्रतिभुगतान के एकल अवधि व्यवस्थापन को स्वीकृति दी जिसमें 25.95 करोड़ रुपये की राशि का त्याग कर दिया गया।

3.87 करोड़ रुपये के मासिक भुगतान के विरूद्ध एकल अवधि व्यवस्थापन स्वीकृत किए जाने जाने पर भी उधारगृहीता ने केवल 25 लाख रुपए का प्रेषण किया। कंपनी ने तहसीलदार जिला इंदौर को उधारगृहीता के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के अंतर्गत कार्यवाही न करने का अनुरोध किया (अगस्त 2004) तथा साथ ही 3.62 करोड़ रुपये की मासिक कमी हेतु कोई कार्यवाही करने में वह विफल रही।

- कंपनी को यह अवगत था कि कंपनी ने पहले ही यह प्रस्तावित किया था कि जैसे और जब भी उनकी विद्युत परियोजना से लाभ अर्जित होने लगेगा उसके लाभ में से कर्ज का प्रतिभुगतान किया जावेगा, जबकि तथ्य यह है कि

---

* *इंदुज इनरटेक लिमिटेड, सूर्या एग्रो ऑइल्स लिमिटेड, जीके एग्जिम लिमिटेड, स्नोसेम इंडिया लिमिटेड, प्रोग्रेसिव एक्स्ट्रेक्शनस एण्ड एक्सपोर्टस (प्रायवेट) लिमिटेड तथा किलिक्स निक्सन लिमिटेड*

परियोजना अगले आठ से दस वर्षो तक लाभ अर्जित नहीं कर सकेगी। फिर भी कंपनी ने उधारगृहीता से इंटर-कॉरपोरेट कर्जो हेतु सुरक्षित जमा, व्यक्तिगत गारंटी अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त नहीं की।

- निधियां जारी करने से पूर्व कंपनी ने उन स्त्रोतो की जानकारी नहीं ली जिससे उधार ली गई निधियों एवं ब्याज का भुगतान किया जा सकेगा।

उधारगृहीता से प्रतिभूति जमा प्राप्त किए बिना तथा उसकी वित्तीय स्थिति सुनिश्चित किए बिना इंटर कॉरपोरेट कर्जो को नियोजित करने के कारण 25.95 करोड़ रूपए की हानि हुई।

इस प्रकार उधारगृहीता से पर्याप्त प्रतिभूति जमा प्राप्त किए बिना इंटर-कॉरपोरेट कर्जो का अनियमित नियोजन किए जाने, वित्तीय स्थिति अथवा प्रतिभुगतान क्षमता का निर्धारण किए बिना किस्तों में प्रतिभुगतान करने की एकल अवधि व्यवस्थापन सुविधा देने के परिणामस्वरूप 25.95 करोड़ रुपये की हानि के साथ साथ प्रतिभुगतान में 3.62 करोड़ रुपये की संचयी मासिक कमीं एवं 9.5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के ब्याज की हानि के साथ 68.38 करोड़ रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई। इसके कारण एकल अवधि व्यवस्थापन की सुविधा दिए जाने का उद्देश्य विफल हो गया तथा ब्याज सहित कर्ज की वसूली की संभावना भी कम हो गयी।

प्रबंधक ने बताया (जुलाई 2005) कि यद्यपि एकल अवधि व्यवस्थापन के अनुसार प्रतिभुगतान समान किश्तों में किया जाना था तथापि उधारगृहीता की रोकड़ आगम समस्याओं के कारण कंपनी ने अनियमित भुगतानों को स्वीकार किया। यह भी बताया गया कि उधारगृहीता विलंबित अवधि से किए जाने वाले भुगतान की कमी हेतु ब्याज का भुगतान करने पर सहमत हो गया तथा वह 80.04 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान करेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उधारगृहीता ने एकल अवधि व्यवस्थापन के उपरांत भी भुगतान समय सारणी का पालन नहीं किया तथा कंपनी के पास वसूली सुनिश्चित करने हेतु कोई सुरक्षा प्रतिभूति नहीं है।

सूर्या एग्रो ऑइल्स लिमिटेड

4.5.2 कंपनी ने सूर्या एग्रो ऑइल्स लिमिटेड (उधार ग्रहीता) को 18.5 एवं 17.5 प्रतिशत की विभिन्न दरों के ब्याज पर जून 1999 और जून 2000 के मध्य (मार्च 2001 और अक्टूबर 2004 के मध्य प्रतिभुगतानयोग्य) 29.75 करोड़ रुपये का इंटर-कॉरपोरेट कर्ज नियोजित किया।

यह दृष्टिगत हुआ कि

- भारतीय स्टेट बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर जिन्होंने उधारग्रहीता को कर्ज दिए थे, उन्होंने वसूली हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण में पहले ही प्रकरण दायर कर दिया था (1998)।

- प्राप्त इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो में से उधारग्रहीता ने प्रवर्तको को सात करोड़ रुपए का प्रतिभुगतान किया।

- फरवरी और मई 2001 के मध्य जारी उधारग्रहीता के 11.47 करोड़ रुपए के आठ चैक अनादृत हो जाने के बावजूद भी कंपनी ने विनिमय-साध्य पत्र अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की।

कंपनी इंटर-कॉरपोरेट कर्ज नियोजित करने के पूर्व उधारग्रहीता की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने में विफल रहने के कारण 29.75 करोड़ रुपये की राशि अवरूद्ध हो गई तथा परिणामतः 32.45 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार इन्टर-कॉरपोरेट नियोजित करने के पहले उधारग्रहीता की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने तथा वसूली हेतु प्रभावकारी कार्यवाही करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 29.75 करोड़ रुपए की राशि अवरूद्ध हो गई तथा परिणामतः 32.45 करोड़ रुपए के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधको ने बताया कि (जुलाई 2005) कि राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के अंतर्गत इसकी कार्यवाही को राजस्व मण्डल ने निरस्त किया तथा उच्च न्यायालय जबलपुर में इस पर अपील लंबित है।

जी के एग्जिम लिमिटेड

4.5.3 कंपनी ने जी के एग्जिम लिमिटेड (उधारग्रहीता) को 18.5 एवं 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विभिन्न ब्याज दरों पर (अगस्त 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य) तीन वर्षो पश्चात (अगस्त 2002 एवं अक्टूबर 2004 के मध्य) प्रतिभुगतानयोग्य कुल मिलाकर 24 करोड़ रुपए के इन्टर-कॉरपोरेट कर्ज नियोजित किए।

यह दृष्टिगत हुआ कि:

- कंपनी उधारग्रहीता की विश्वसनीयता एवं वित्तीय स्थिति का सत्यापन करने में विफल रही क्योंकि 1999 में उधारग्रहीता के 242.48 करोड़ रुपए के बकाया ऋण थे। इसके साथ ही इसके समापन हेतु कई प्रकरण मई 1997 में लंबित थे।

- इसने अनादृत चैकों अथवा वसूली हेतु कोई प्रभावकारी अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की।

- उधारग्रहीता की सहायक इकाई (तिरुमल इंपेक्स लिमिटेड) द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए गए परिसंपत्तियों के गिरवी विलेख दोषपूर्ण पाए गए तथा उनकी त्रुटियों का सुधार नहीं हुआ।

बिना किसी प्रतिभूति के इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के नियोजन साथ ही वसूली हेतु कार्यवाही करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 51.21 करोड़ रुपए की हानि हुई।

इस प्रकार बिना किसी पर्याप्त प्रतिभूति के इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के नियोजन साथ ही वसूली हेतु कंपनी द्वारा कार्यवाही किए जाने में विफलता के परिणामस्वरूप 51.21 करोड़ रुपए की हानि हुई।

प्रबंधक ने दोषपूर्ण विलेख का सुधार न किए जाने की पुष्टि (जनवरी 2005) करते हुए बताया कि कोई कार्यवाही संभव नहीं थी क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक विघटनकर्ता को नियुक्त कर दिया था।

स्नोसेम इंडिया लिमिटेड

4.5.4 कंपनी ने स्नोसेम इंडिया लिमिटेड (उधारग्रहीता) को मई 2001 एवं अक्टूबर 2004 के मध्य भुगतानयोग्य हेतु 19 एवं 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विभिन्न ब्याज दरों पर 28 करोड़ रुपए के इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो का मई 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य नियोजन किया।

यह दृष्टिगत हुआ कि

- यद्यपि कंपनी द्वारा भेजी गयी राजस्व वसूली प्रमाणपत्र की सूचना बिना सौंपे लौटा दी गई थी (अप्रैल 2003) परंतु इसके उपरांत कंपनी ने बकाया की वसूली हेतु न तो कोई कार्यवाही की न इसने कोई विधिक परामर्श ही प्राप्त किया।
- कंपनी व्यपगत अंशो के संबंध में अंतरण विलेख को पुनर्वैधीकृत करवाने में भी विफल रही।
- कंपनी कर्जो हेतु प्रर्वतकों की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त करने में विफल रही।

बिना किसी प्रतिभूति के इन्टर-कॉरपोरेट कर्जे जारी किए जाने एवं अनुवर्ती कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप 61.04 करोड़ रुपए की हानि हुई।

इस प्रकार बिना कोई प्रतिभूति प्राप्त किए कर्जो को अनियमित रूप में जारी किए जाने, उधारग्रहीता को दीर्घ अवधि की इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के बारबार नियोजन तथा वसूली हेतु प्रभावकारी अनुवर्ती कार्यवाही करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 61.04 करोड़ रुपए की हानि हुई क्योंकि वसूली की संभावनाएं अत्यंत क्षीण है।

कंपनी ने बताया (जनवरी 2005) कि अप्रैल 2003 में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के अंतर्गत एक सूचना भेज दी गई थी परंतु विधियामी कार्यवाही संभव नहीं थी क्योंकि उधारग्रहीता का प्रकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण मण्डल की ओर भेजा गया है। उत्तर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि कंपनी ने 2001 एवं 2004 के मध्य बकाया वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि उधारग्रहीता ने नवंबर 2001 से भुगतान को रोक दिया था तथा इसका प्रकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण मण्डल की ओर फरवरी 2004 में भेजा गया था।

प्रोग्रेसिव एक्स्ट्रेकशनस एवं एस्कोर्टस (प्रायवेट) लिमिटेड

4.5.5 कंपनी ने प्रोग्रेसिव एक्स्ट्रेकशनस एवं एस्कोर्टस (प्रायवेट) लिमिटेड (उधारगृहीता) को 18.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज पर मार्च 2001 में भुगतानयोग्य कुल 6.75 करोड़ रुपए के चार इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो को नियोजित किया (जून से नवंबर 1999)।

यह दृष्टिगत हुआ कि, यद्यपि उधारग्रहीता द्वारा जारी किए गए उत्तर दिनांकित चैक अनादृत हो गए थे फिर भी कंपनी ने विनियम-साध्य पत्र अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की। एक वर्ष के विलंब के उपरांत इसने अप्रैल 2002 में

राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के अंतर्गत सूचना जारी की। उसे भी विधिक गलत प्रावधान के अंतर्गत दायर किए जाने के कारण राजस्व मण्डल ने निरस्त कर दिया।

इस बीच मध्यप्रदेश वित्त निगम, जिसने भी उधारग्रहीता को वित्तपोषण किया था, ने इकाई को ले लिया (सितम्बर 2004) तथा 9.10 करोड़ रुपए में इसका निर्वर्तन कर दिया। तत्पश्चात कंपनी ने अतिशेष राशि इसे दिए जाने का अनुरोध किया (नवम्बर 2004) तथापि मध्यप्रदेश वित्त निगम ने अब तक (मार्च 2005) कंपनी को कोई राशि नहीं दी

बिना किसी प्रतिभूति के इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के नियोजन के कारण 14.47 करोड़ रुपए की हानि हुई।

इस प्रकार पर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त किए बिना इन्टर कॉरपोरेट कर्जो के नियोजन एवं बकाया की वसूली हेतु कोई कार्यवाही किए जाने में कंपनी के विलंब के परिणामस्वरूप 14.47 करोड़ रुपए की हानि हुई।

प्रबंधको ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत होते हुए बताया कि इसने राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध अपील दायर की है तथा यह उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। इसके साथ ही निधियां जारी किए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश वित्त निगम को निर्देश दिए जाने हेतु उच्च न्यायालय में इसने अनुरोध किया था। इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

किलिक्स निक्सन लिमिटेड

4.5.6 कंपनी ने किलिक्स निक्सन लिमिटेड मुंबई (उधारग्रहीता) को नवंबर 2001 और अक्टूबर 2004 के मध्य भुगतान किया जाने वाला 18 से 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मध्य विभिन्न ब्याज दरों पर कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए के तीन इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो का नियोजन (मार्च 1998 से जनवरी 2000 तक) किया।

बिना प्रतिभूति के इन्टर-कॉरपोरेट कर्जे देने एवं अनुवर्ती कार्यवाही करने में विफलता के कारण 33.01 करोड़ रुपए की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि, उधारग्रहीता से चूक हुई परंतु कंपनी ने अप्रैल 2004 तक जब इसने राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के अंतर्गत सूचना जारी की थी, बकाया की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी। तथापि उधारग्रहीता चूक करता रहा तथा प्रतिभुगतान हेतु इसने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। उधारग्रहीता मई 2004 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमार्ण मण्डल में पंजीकृत हुआ। 31 दिसंबर 2004 तक बकाया कुल मिलाकर 33.01 करोड़ रुपए (मूलधन 15.00 करोड़ रुपए, 18.01 करोड़ रुपए) हो गया था।

इस प्रकार बिना कोई प्रतिभूति प्राप्त किए कंपनी द्वारा इन्टर-कॉरपोरेट कर्जे दिए जाना तथा वसूली हेतु समय से कार्यवाही की पहल करने में इसकी विफलता के परिणामस्वरूप 33.01 करोड़ रुपए की हानि हुई।

कंपनी ने बताया (जनवरी 2005) कि (क) अंशपत्रों एवं मांग वचनपत्रों के रूप में प्रतिभूति प्राप्त की गई थी (ख) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के अंतर्गत अप्रैल 2004 में कार्यवाही की गई थी तथा (ग) अब कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि (क) गिरवी रखे गए अंशपत्रों का पुनर्वैधीकरण नहीं करवाया गया था (ख) मांग वचनपत्र वैध नहीं थे तथा (ग) 2001 से 2004 तक जब उधारग्रहीता मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने में चूक गया तब तीन वर्षो तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसके साथ ही सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना एवं/अथवा पर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त किए बिना तथा इकाइयों की वित्तीय सुदृढ़ता का सत्यापन किए बिना भी कंपनी ने इन्टर-कॉरपोरेट कर्जे नियोजित कर अर्न्तनियम के धाराओं का उल्लंघन किया।

सरकार के महंगे कर्जे के भुगतान में विफलता

4.5.7 कंपनी ने राज्य सरकार से 18.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज एवं तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष दाण्डिक ब्याज की दर वाले 1992-93 (5.72 करोड़ रुपए) तथा 1993-94 (4.56 करोड़ रुपए) के दौरान 10.28 करोड़ रुपए के कर्जे प्राप्त किए। राज्य सरकार द्वारा समायोजित 11.41 लाख रुपए को छोड़कर कंपनी ने कर्जे अथवा ब्याज का प्रतिभुगतान नहीं किया तथा 31 मार्च 2004 को सरकार को देय बकाया राशि 21.75 करोड़ रुपए (मूलधन 10.16 करोड़ रुपए, ब्याज 11.59 करोड़ रुपए) संगणित की गई।

महंगे कर्जो के भुगतान में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 4.06 करोड़ रुपए के ब्याज की अतिरिक्त देयता।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि कंपनी ने औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश पाठयपुस्तक निगम से इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के रूप में (क्रमशः अप्रैल 1999 में 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 14.38 करोड़ रुपए एवं अगस्त 1999 में 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 10.50 करोड़ रुपए) 24.88 करोड़ रुपए के कर्जे लिए। यदि इन निधियों को सरकार के कर्जे चुकाने हेतु उपयोग में लाया गया होता तो कंपनी ने 4.06 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ब्याज देयता को बचा लिया होता। इसके साथ ही अन्य कंपनियों को इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के रूप में नियोजित निधियां वस्तुतः नष्ट हो गईं क्योंकि अधिकांश उधारग्रहीता चूककर्ता हो गए है।

कंपनी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए स्वीकार किया (जुलाई 2005) कि सूर्या ऑइल्स लिमिटेड एवं प्रोग्रेसिव एक्स्ट्रेक्शनस लिमिटेड में ऊंची दरों के ब्याज पर निवेश का उनका निर्णय गलत सिद्ध हुआ क्योंकि इन कंपनियों से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है।

सावधि कर्ज क्रियाकलाप हेतु प्राप्त निधियों का कार्यशील पूंजी में व्यपवर्तन

4.5.8 सावधि कर्ज क्रियाकलाप आरंभ करने एवं उस पर आकस्मिक देयताओं को पूरा करने की दृष्टि से कंपनी ने सिंडिकेट बैंक को 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया (जून 2000)। औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं गिरवी विलेख प्रस्तुत करने के उपरांत (जुलाई 2001) इसमें 12.5 प्रतिशत के मूल कर्ज दर पर तथा तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज जिसे अक्टूबर 2001 से संशोधित कर 13.5 प्रतिशत तथा तीन प्रतिशत

अतिरिक्त प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 12 करोड़ रुपए के मांग कर्ज एवं तीन करोड रुपए के प्रतिभूति अधिविर्कष प्राप्त किए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने इस महंगी उधारी को निम्नांकित कार्यो में उपयोग में लिया

- मध्यप्रदेश पाठक पुस्तक निगम के (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर वाले एक करोड़ रुपए के) एवं औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर के (13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर वाले 65 लाख रुपए के) कम लागत वाले इन्टर कॉरपोरेट विलेखों के विमोचन में।
- बैंक खाते में ऋणात्मक शेष (नौ करोड़ रुपए) के समायोजन में।
- तीन सहकारी बैंकों* मध्यप्रदेश प्रदेश पाठय पुस्तक निगम को इन्टर- कॉरपोरेट कर्जो पर ब्याज का भुगतान।

उंची लागत की निधियों को कम लागत की निधियों के विलेखों विमोचित करने में कंपनी के द्वारा उपयोग किए जाने के कारण 14.89 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार उंची लागत की निधियों का कम लागत की निधियों को इन्टर-कॉरपोरेट विलेखों के विमोचन हेतु उपयोग में लाए जाने के परिणामस्वरूप 14.89 लाख# रुपए की हानि हुई। इसके साथ ही कंपनी ने उंची लागत की निधियों का किसी भी आय सर्जक क्रियाकलापों में उपयोग नही किया। सावधि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियां ब्याज के भुगतान में उपयोग में लाई गई जिसका भुगतान निवेशों से प्राप्त आय से किया जाना चाहिए था। 12 करोड़ रुपए के मांग कर्ज के व्यपवर्तनों के परिणामस्वरूप इस कर्ज पर 1.86 करोड़ रुपए के ब्याज का संचयी वार्षिक व्यय हो गया।

कंपनी ने बताया (जनवरी 2003) कि इसने एम्बी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को इन्टर-कॉरपोरेट विलेख के रूप में 50 लाख रुपए नियोजित किए तथा कुछ राशियां उधारगृहीता को भुगतान एवं प्रशासन व्यय हेतु उपयोग में लाई गई।

उत्तर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस समय तक मांग कर्जे जमा किए गए थे (जुलाई 2001) तब तक कंपनी पहले ही बैंकों से 9.02 करोड़ रुपए की राशि का अधिक आहरण कर चुकी थी। इसके साथ ही एम्बी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पहले ही चूककर्ता हो गई थी तथा उससे कंपनी को कोई ब्याज प्राप्त नहीं हो सकता था।

---

* मुंबई जिला सहकारी बैंक, एपेक्स सहकारी बैंक, गोवा एवं उत्तरप्रदेश राज्य कृषि सहकारी बैंक।

\# 100 लाख रुपए गुणित 2.5 प्रतिशत (16.5-14.0 X 3(वर्ष))=7.50 लाख रुपए

65 लाख रुपए गुणित 3.5 प्रतिशत (16.5-13.0X 3¼(वर्ष))=7.39 लाख रुपए

14.89 लाख रुपए

परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार उपलब्ध होने के बावजूद वसूली की कार्यवाही में विफलता।

4.5.9 कंपनी ने मालनपुर लेदर लिमिटेड, ग्वालियर (उधारगृहीता) को उनकी प्रस्तावित नई चर्म निर्माण इकाई हेतु निम्नांकित शर्तो पर 90 लाख रुपए का सावधि कर्ज एवं 7.50 लाख रुपए के इक्विटी अंशदान जारी किए (सितम्बर 1991)

- सावधि कर्ज उधारगृहीता की वर्तमान तथा भविष्य की सम्पूर्ण अचल परिसम्पत्तियों, मशीनरी, उपकरण एवं सहायक सामग्रियों पर प्रथम प्रभार के रूप में प्रतिभूत रहेगा।
- 25 प्रतिशत सावधि कर्ज हेतु साम्यबंधक करना।
- शेष परिसम्पत्तियों पर अस्थाई प्रभार।
- प्रवर्तकों एवं निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी।

कर्ज राशि का दो वर्षो की प्रारंभिक छूट कलावधि के साथ 19.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर ब्याज सहित 7.50 लाख रुपए प्रत्येक की 12 अर्द्धवार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना था।

उधारगृहीता ने वार्द्धित कार्यशील पूंजी सुविधाओं हेतु इसे भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में द्वितीय प्रभार के सृजन की एवं भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में समरूप प्रभार की भी अनुमति मांगी। यद्यपि नवम्बर 1994 में देय द्वितीय किस्त के भुगतान में उधारगृहीता चूककर्ता था तथापि कंपनी ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया एवं द्वितीय प्रभार के सृजन की अनुमति प्रदान कर दी (नवम्बर 1994)।

बार-बार समय बढ़ाए जाने के बावजूद उधारगृहीता निरंतर चूक करता रहा। लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि, उधारगृहीता की परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार रखने तथा गारंटियों के बावजूद कंपनी बकाया की वसूली हेतु प्रभार की मांग करने में विफल रही। इस बीच उधारगृहीता का प्रकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल की ओर भेजा गया (जनवरी 1999) तथा भारतीय स्टेट बैंक, जिसने उधारगृहीता को 2.40 करोड़ रुपए का अग्रिम दिया था, ने ब्याज सहित 4.98 करोड़ रुपए की उसकी बकाया की वसूली हेतु औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण मण्डल से अपने अनुकूल आदेश प्राप्त कर लिया (फरवरी 1999) तथा भारतीय स्टेट बैंक उधारगृहीता की संपत्ति का निर्वतन करने का अधिकारी भी हो गई। औद्योगिक एवं पुनर्निमाण मण्डल ने उधारगृहीता कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया (अगस्त,2000) क्योंकि उसे अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद भी पुनर्स्थापन प्रस्ताव नहीं रखा। कंपनी ने विधिक सम्मति प्राप्त कर (अक्टूबर 2000) राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत उधारगृहीता को सूचनापत्र जारी करने का निश्चय किया।

प्रथम प्रभार भारित रखने के बावजूद कंपनी उसे मांगने में विफल रही जिसके कारण इसे 1.76 करोड़ रुपए की हानि हुई।

इस प्रकार परिसम्पत्तियों पर प्रभार एवं साथ ही गारंटियां मांगने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप इसे 1.76 करोड़ रुपए (मूलधन 75.00 लाख रुपए, ब्याज 93.93 लाख रुपए एवं इक्विटी 7.50 लाख रुपए) की हानि हुई।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2005) कि राज्य वित्त निगम अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही नहीं की गई तथा इसने प्रवर्तकों के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र की सूचना जारी कर दी है जो प्रक्रियाधीन है।

उत्तर बकाया कि वसूली हेतु कंपनी की अवास्तविक पहल दर्शाती है।

प्रकरण सरकार की ओर भेजा गया (मई 2005); उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

सारांश

इन्टर-कॉरपोरेट जमाओं हेतु बनाई गई योजना का इन्टर-कॉरपोरेट कर्जो के रूप में प्रबंधन किया जा रहा है। संस्था के अंतर्नियमों का उल्लंघन करते हुए एक औद्योगिक इकाई को 15 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। निधियों देने के पूर्व औद्योगिक इकाईयों की वित्तीय स्थिति, साख क्षमता एवं पुनर्भुगतान क्षमता सुनिश्चित नहीं की गई। यद्यपि इन्टर-कॉरपोरेट कर्जे मध्यम अवधि हेतु दिए गए परंतु कम्पनी के वित्तीय हित की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रतिभूति नहीं ली गई। अल्पावधि जमाओं के रूप में आरंभ में नियोजित इन्टर कॉरपोरेट कर्जे निश्चित ब्याज दर पर तीन से पांच वर्षो की अवधि तक जारी रखे गये। तब या तो बकाया की वसूली हेतु अनुवर्ती कार्यवही विशेषकर जब उधारगृहीता के चैक अनादृत हुए नहीं की गई अथवा यह अप्रभावकारी थी।

अतः इन्टर-कॉरपोरेट कर्जे नियोजित करने की प्रणाली को सुधारने हेतु कंपनी को कर्जो हेतु प्रतिभूति सुनिश्चित करते हुए, उधारगृहीता के प्रतिभुगतानों का परिवीक्षण करते हुए तथा कर्जों की वसूली हेतु प्रभावकारी एवं त्वरित अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए अनुकूल प्रयास करने चाहिए।

उपर्युक्त प्रकरण सरकार की ओर भेजा गया (मई 2005); उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

विघटनप्राय कंपनियों को बन्द करने में विलम्ब

कम्पनियों के समापन के लिए सांविधिक प्रावधान

4.6 ऐसी कम्पनियां जो बन्द करने के आदेश अथवा अन्य कारणों से कार्य करना रोक देती है, उनका समापन करना अपेक्षित होता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के

अधीन विभिन्न धाराओं* में समापना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनिदिष्ट किया गया है यथा

- सम्पन्नता घोषणापत्र तैयार करना
- समापन के लिए विशेष संकल्प पारित करना
- संकल्प का प्रकाशन
- विघटनकर्त्ता की नियुक्ति एवं उसका प्रकाशन
- समापन के लेखे तैयार करना एवं उसकी एक प्रति शासकीय विघटनकर्त्ता को प्रस्तुत करना

31 मार्च 2005 को, मध्य प्रदेश में नौ अकार्यशील सरकारी कम्पनियां थी जो कि समापन की प्रतीक्षा में थी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है

- 1992 के पूर्व बन्द की गई तीन कम्पनियां एवं 1994 में बन्द की गई एक कम्पनी ने अंतिम समापन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था।
- 1992 एवं 2002 के मध्य बन्द करने के लिए आदेशित की गई चार कंपनियों ने अभी तक विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है।
- शेष बची एक कम्पनी ने अपने कार्य कलापों को न तो पुनर्जीवित किया और न ही इसके बन्दे करने के कोई आदेश प्राप्त किये है।

बन्द/विघटन के अधीन आठ कंपनियों एवं एक कंपनी जो न पुनर्जीवित हो सकी और न ही बन्द हुई, के विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-20*** में दिए गए हैं।

चूंकि विघटन की पूर्णता में कोई भी विलम्ब का परिणाम स्थापना पर निष्क्रय व्यय एवं सम्बन्धित क्रियाकलापों पर होता है, विघटनाधीन इन कम्पनियों के बन्द होने में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा में एक प्रयास किया गया था। लेखापरीक्षा की अभ्यूक्तियों के परिणामों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

सम्पन्नता - घोषणापत्र तैयार करने में विलम्ब

सम्पन्नता घोषणापत्र के तैयार करने में विलम्ब के कारण समापन में विलम्ब हुआ।

4.6.1 कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 488 (1) में कंपनी के अधिकांश संचालकों से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है कि कम्पनी के पास कोई ऋण नहीं है अथवा समापन की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से अधिकतम तीन वर्षो में ऋणों का भुगतान करने में सक्षम होगी। उप धारा 488(2)(क) एवं (ख) में भी अपेक्षा की जाती है कि स्वैच्छिक समापन के लिए घोषणा संकल्प के पांच सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए। घोषणपत्र कंपनी रजिस्ट्रार को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति

---

* *धाराएँ 484 से 486, 488, 492, 493, 496, 497, 516 एवं 553*

सहित प्रेषित की जाना चाहिए जिसमें उस दिनांक को कंपनी का तुलन-पत्रक एवं परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण समाविष्ट हो।

तथापि यह देखा गया कि, इस प्रकार का घोषणापत्र या तो तैयार नहीं किया गया अथवा कंपनियों के द्वारा विलम्ब से तैयार किए जाने से कंपनी के समापन में विलम्ब हुआ जिसका विवरण ***परिशिष्ट - 21*** में दिया गया है।

लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब

4.6.2 ***परिशिष्ट-22*** में दर्शाए गए आठ कंपनियों के लेखे तैयार होने के लिए बकाया थे जिसके कारण घोषणापत्र दायर करने एवं समापन में विलम्ब हुआ।

लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विघटन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने/पूर्ण करने में विलंब हुआ।

परिशिष्ट से यह दृष्टव्य होता है कि सम्पन्नता की घोषणा करते समय बकाया लेखाओं को अन्तिम रूप देने हेतु 9 से 87 माह लगे जिसके परिणामस्वरूप आगे के लेखे अंतिम रूप देने के लिए देय हो गए थे। चार कम्पनियों द्वारा (सरल क्र. 5 से 8) अंतिम लेखाओं के अंततिम रूप देने में विलम्ब 8 से 104 माहों तक का हुआ। 31 मार्च 2005 तक, सात कंपनियों के लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने में बकायाओं की सीमा 1 से 15 वर्ष तक थी। उनको अंतिम रूप दिए जाने में किसी भी प्रकार का विलम्ब विघटन की प्रक्रिया के प्रारंभ/सम्पूर्णता में और विलम्ब करेगा। लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारणों में अप्रर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी एवं निधियां, अगंभीर उपागम, विगत वर्ष के लेखा इत्यादि में विलम्ब थे।

समापन के लिए संकल्प पारित करने में विलम्ब

समय पर समापन के लिये संकल्प पारित करने में कंपनियां विफल रहीं।

4.6.3 अधिनियम की धारा 484(1(ख)) में कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक समापन के लिए विशेष संकल्प पारित करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि कंपनियों द्वारा संकल्प को पारित करने में 11 से 156 माह की परिसीमा तक विलम्ब हुआ जिसके कारण समापन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में विलम्ब हुआ। संकल्प को पारित करने सम्बन्धी विलम्ब के विवरण ***परिशिष्ट-23*** में दर्शाए गए हैं।

समापन के संकल्प का प्रकाशन करने में विलंब

समापन संकल्प के प्रकाशन में विलंब हुआ।

4.6.4 अधिनियम की धारा 485(1) के अनुसार स्वैच्छिक समापन के लिए संकल्प का प्रकाशन सरकारी गजट में एवं जिले में प्रसारित समाचार पत्रों में संकल्प पारित होने के 14 दिन के भीतर होना चाहिए। तथापि यह देखा गया कि, मध्य प्रदेश पंचायती राज के मामले में समापन का संकल्प 26 अगस्त 1991 को लिया गया था परन्तु उसका प्रकाशन सरकारी गजट में अभी भी होना है। आगे मध्य प्रदेश डेयरी के मामले में बंद करने के लिए संकल्प 20 मार्च 1984 को लिया गया था परन्तु उसका प्रकाशन भी 2 सितम्बर 1988 को अर्थात 4 वर्षों के विलम्ब के पश्चात हुआ।

विघटनकर्त्ता के रिक्त स्थान को भरने में विलंब

विघटनकर्ता की नियुक्ति में विलंब के कारण समापन में विलंब हुआ।

4.6.5 अधिनियम की धारा 492(1) के अनुसार विघटनकर्त्ता के कार्यालय में **किसी भी** कारण से हुई, रिक्तता को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में भरा जाना चाहिए। **दो*** कंपनियों ने विघटनकर्ता की रिक्ति को नहीं भरा था जिस समय क्रमशः 1 अक्टूबर 1985 एवं 19 जनवरी 1999 को पदभार में परिवर्तन हुआ था।

यद्यपि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदल गए थे तो भी विघटनकर्ताओं की नियुक्ति कंपनियों की साधारण सभा में नहीं की गई।

सरकार एवं कंपनियों के प्रबन्धन के द्वारा लिया गया असंगत निर्णय

4.6.6 प्रबन्धन एवं सरकार द्वारा उठाई गई असंगत निर्णय के कारण दो** कंपनियों विद्यटन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाई जिसके कारण उनका समापन भी नहीं हुआ।

कम्पनी के असंगत निर्णय के कारण समापन दुष्प्रभावित हुआ।

मध्य प्रदेश पंचायती राज अगस्त 1991 से पूर्व से भी विघटनाधीन था। समापन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के स्थान पर कंपनी ने इसके पुनरुत्थान के लिए अगस्त 1996 में एक संकल्प पारित किया तथा राज्य सरकार से आगामी कार्यवाही के लिए निवेदन किया। सरकार से आदेशों की प्राप्ति को लंबित रखते हुए, कंपनी ने 23 फरवरी 2004 की आमसभा में समापन के लिए पुनः एक संकल्प पारित किया। राज्य सरकार ने, तदनन्तर कंपनी के विघटन के लिए आदेश दिए (अप्रैल 2004)। यद्यपि एक विघटनकर्ता की नियुक्ति हुई थी तो भी कंपनी का समापन होना बाकी था (अप्रैल 2005)।

राज्य सरकार के निर्णय के कारण कम्पनी की स्थिति की अनिश्चितता।

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित को बन्द करने के आदेश मार्च 1992 से दिए। यद्यपि कंपनी ने समापन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रयास नहीं किए, तो भी राज्य सरकार ने कंपनी द्वारा कार्यान्वित किए गए निर्माण कार्य एवं समस्त अनुबन्धों का एक नई कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम मार्यादित को इसके उत्तराधिकारी एवं अधिन्यासी के रूप में स्थानांतरित करने के लिए आदेश स्थानांतरण के प्रश्चात् कंपनी की स्थिति को इंगित किए बिना ही दिए (जुलाई 2004)।

स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता

4.6.7 ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (ऑप्टेल) ने अपने उत्पादन क्रियाकलापों को जून 2000 से बंद कर दिया जिसका कारण 31 मार्च 2004 को 107.70 करोड़ रुपए (अनन्तिम लेखे) की वृह्द तथा संचित हानियां की।

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (धारक कम्पनी) ने ऑप्टेल में अपने हिस्सेदारी का विनिवेश करने का अनुमोदन किया (जनवरी 2001) तथा

---

* *मध्यप्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम।*

** *मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित।*

स्टेट बैंक इंडिया कैप को विनिवेश के लिए सलाहकार एवं " लिटिल एण्ड कम्पनी " को विनिवेश प्रक्रिया के विधिक सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया (जनवरी 2001) धारक कंपनी ने स्टेट बैंक आफ इंडिया कैप को 25 लाख रुपए का भुगतान किया। स्टेट बैंक आफ इंडिया कैप की नियुक्ति की शर्तो के अनुसार विनिवेश की प्रक्रिया अगस्त 2001 में पूर्ण होनी थी। 31 मार्च 2005 को तथापि कंपनी ने न तो अपने कार्योत्पादन को पुनर्जीवित किया और न ही विनिवेश किया। यह देखा गया कि (मार्च 2005) कि यद्यपि ऑप्टेल ने जून 2000 से अपना कार्योत्पादन बंद कर दिया था, तो भी धारक कंपनी ने जनवरी 2002 में केवल अभिरूचियों की अभिव्यक्ति के लिए बोलियां तथा अगस्त 2003 में अंतिम बोलियां आमंत्रित की। एकमात्र प्राप्त बोली को खोला नहीं गया था एवं धारक कंपनी के 15 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी (65.45 प्रतिशत) के विनिवेश के लिए अनुमति राज्य सरकार ने ही मई 2002 में प्रदान की।

कम्पनी के भविष्य का निर्णय करने में सरकार/नियंत्रक कंपनी की भूमिका में अनिश्चितता थी।

विनिवेश के सलाहकारों ने प्रस्तावित किया कि यदि सहायक कंपनियों को राज्य सरकार का 17.12 करोड़ रुपए का ऋण अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाय और विक्रय कर के दायित्व का अधित्याग कर दिया जाय तो और प्रस्ताव प्राप्त होगें। कोर समूह* ने यद्यपि इस प्रस्ताव को प्रारंभ में ही निरस्त कर दिया था (मई 2003) तो भी बाद में (जुलाई 2004) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप से निर्णीत करने की अनुशंसा की।

इस प्रकार विनिवेश को प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में धारक कंपनी एवं सरकार की विफलता को विनिवेश की निरन्तरता को अनिश्चितता की ओर बढ़ा दिया।

बंद कंपनियों के समापन में विलम्ब का प्रभाव

कंपनियों के समापन में विलंब ने 43.20 करोड़ रुपए के परिहार्य स्थापना व्यय को बढ़ा दिया।

4.6.8 चूंकि इन कंपनियों को समापन नहीं हुआ का अतः वेतन एवं प्रशासकीय व्ययों ने राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार बढ़ा दिया। इन कंपनियों के समापन में विलंब के परिणामस्वरूप 43.20 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ। ***परिशिष्ट-24*** में इन कंपनियों द्वारा किए गए स्थापना व्ययों एवं निधियों के स्त्रोतों आदि के विस्तृत विवरण को दर्शाया गया है।

परिहार्य स्थापना व्यय के अतिरिक्त मध्य प्रदेश लिफ्ट के समापन में विलंब के परिणामस्वरूप कर्मचारियों (जिसमें से एक की मृत्यु हो गई) 5.96 लाख रुपए के बकायाओं की एवं ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं से वसूली योग्य 10.91 लाख रुपए की वसूली न हो सकी।

विघटन प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के निर्णय को कार्यान्वित करने में विफलता

4.6.9 मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित एवं मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित के विघटन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा

---

* *कोर समूह- सचिव वित्त एवं वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग एवं प्रबंध निदेशक मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं ऑप्टेल की सम्मिहित समिति।*

करने के लिए 29 मार्च 2004 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया

- छह माह में बंद करने एवं प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 15 दिन में एक मार्ग-मानचित्र तैयार करना।
- 15 जून 2004 तक प्रत्येक कंपनी में कोर कर्मचारियों की सेवाओं को भंग करना।
- मध्य प्रदेश चर्म, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम एवं मध्यप्रदेश वस्त्रोद्योग के बंद के दायित्व को हस्तगत करने एवं परिसम्पत्तियों/प्रबन्धन के निराकरण उत्तरदायित्व को क्रमशः मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग, मध्यंप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित एवं मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मार्यादित को करने के लिए परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के विवरण संबंधित प्रशासकीय विभागों को भेजने एवं आगे वित्त विभाग को संप्रेषित करना।

प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के समिति के निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि, उपर्युक्त कंपनियों द्वारा निर्णयों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005)।

सारांश

सरकार द्वारा कंपनियों को बंद करने एवं क्रियाकलापों को भी रोकने के आदेशों के बावजूद नौ कम्पनियों का समापन नहीं हुआ था। यद्यपि चार कम्पनियों द्वारा 10 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी समापन की प्रक्रिया के पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब हुआ था, तो भी चार कम्पनियों ने समापन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की थी। उनके समापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप, उनकों बन्द करने के उद्येश्य के विफल हो जाने के अतिरिक्त, वेतन एवं अन्य व्ययों पर परिहार्य निष्क्रिय व्यय हुआ।

आगे और निष्फल व्यय को टालने के दृष्टिकोण से इन कंपनियों एवं सरकार को समापन की प्रक्रिया को शीघ्र निपटाने के लिए समय-सीमा में सम्मिलित प्रयास करने चाहिए।

मध्यप्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में कॉरपोरेट गर्वनेन्स

प्रस्तावना

4.7 कॉरपोरेट गर्वनेन्स ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अधिकतम पारदर्शिता, बेहतर एवं यथासमय वित्तीय प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हितलाभ के लिए निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। कॉरपोरेट गर्वनेन्स के चार तथ्य हैं उत्तरदायित्व, सहभागिता, पूर्वकथनीयता एवं पारदिर्शता। संचालक मंडल कम्पनियों के गर्वनेन्स के लिए उत्तरदायित्व है। कम्पनी

अधिनियम 1956 (अधिनियम) में 217 की उपधारा 2 ए ए को सन्निविष्ट करते हुए दिसम्बर 2000 में संशोधन किया गया जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि मंडल के प्रतिवेदन में संचालकों के उत्तरदायित्व के विवरण पत्रक को सम्मिलित किया जाये। संचालकों के उत्तरदायित्व के विवरण पत्रक में, अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का संकेत होना चाहिए कि संचालक मंडल ने लेखा अभिलेखों के संधारण में, कंपनी के परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने एवं कपटपूर्णता की रोकथाम एवं पता लगाने में समुचित एवं प्रर्याप्त सावधानी रखी है।

दिसम्बर 2000 में अधिसूचित किए गए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292(ए) के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए से कम न हो, को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन, मंडल के स्तर पर करना चाहिए। वहीं अधिनियम की धारा 291 (ए) में यह भी अपेक्षा की जाती है कि

- प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट विचारार्थ विषय के अनुसार कार्य करेगी।
- लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन संचालक होगें जिसमें से ऐसे संचालकों की कुल संख्या में से दो-तिहाई संचालक ऐसे होगें जो कि प्रबंध संचालकों अथवा पूर्णकालिक संचालकों को अतिरिक्त होगें।
- लेखापरीक्षा समिति के सदस्य परस्पर अध्यक्ष का चुनाव करेंगें।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, के होने की स्थिति में एवं संचालक वित्त प्रभार, को बिना मताधिकार के लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों में उपस्थित एवं सहभागी होना चाहिए।

परिशिष्ट - 25 में दिए गए विवरण के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु 10 सार्वजनिक उपक्रमों का समावेशन किया गया जिसका उद्देश्य इन कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन का स्तर निर्धारित करना था जो कॉरपोरेट गर्वनेन्स एवं उससे संबंधित मामलों को प्रभारित करते हैं। इनमें से कोई भी सार्वजनिक उपक्रम शेयर बाजार की सूची में नहीं है।

लेखापरीक्षा में, इसके साथ-साथ, दो प्रमुख घटकों जो कॉरपोरेट गर्वनेन्स के तन्त्र का गठन करते हैं का समावेशन किया गया यथा

- संचालक मंडल से संबंधित मामले
- लेखापरीक्षा समितियों का गठन

यद्यपि लेखापरीक्षा विश्लेषण का मुख्य उद्योश्य कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विनियमित की आवश्यकता के अनुपालन पर केन्द्रित करना था तथापि इस अनुपालन/अनपालन के प्रभावी विश्लेषण, यथासम्भावित का भी प्रयास किया गया है।

संचालक मंडल से संबंधित मामले

संचालकों की नियुक्ति में विलम्ब

4.7.1 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 252(1) के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के अपने संचालक मंडल में कम से कम तीन संचालक होगें। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति में उस समय विलम्ब किया गया जबकि पूर्व के संचालक सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा उनमें से कतिपय कंपनियों में संचालक मंडल अपूर्ण था। इनमें से आधी कंपनिया* में संचालकों/सरकारी संचालकों को छः तक की संख्या में पद 31 मार्च 2005 को समाप्य चार वर्षो की अवधि के दौरान एक से लेकर चार वर्षो की अवधि तक रिक्त रहे।

यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 252 के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सरकार की अगंभीरता का सूचक है। वर्ष 2001-02 में संचालक मंडल की संख्या घटकर दो रह गई थी। 22 अक्टूबर 2001 को आयोजित बैठक में यही दो संचालक उपस्थित हुए थे जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 252(1) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

मंडल की बैठकों की पर्याप्तता

4.7.2 लेखापरीक्षित दस कम्पनियों** में से आठ में यह अवलोकन किया गया कि कतिपय वर्षो के दौरान संचालक मंडल की केवल एक से तीन तक बैठकें आयोजित की गई थी। इस प्रकार यह कम्पनियां अधिनियम की धारा 285 के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहीं जिसमें वर्ष के दौरान न्यूनतम चार ऐसी बैठकें आयोजित करना निर्धारित किया गया है, जो कि अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में उच्च कार्यपालकों के अगंभीर उपागम का सूचक है। प्रबन्धन की कम साझेदारी के परिणामस्वरूप कम्पनियों की क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव को वर्जित नहीं किया जा सकता।

---

* *मध्य प्रदेश राज्य खनिज - 1 पद 2001-02 से, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम - 4 से 5 पद 2004-05 में, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम - 3 पद 2004-05 में*

** *मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम- 2001-02 में 4, 2002-03 में 3 एवं 2003-04 में 2, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम 2001-02 में 5, 2002-03 में एवं 2003-04 में 6 तथा 2004-05 में 6 से 9।*

प्रत्येक की एक बैठक- मध्यप्रदोश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम (2001-02) एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (2003-04);

प्रत्येक दो बैठक- मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (2001-02 एवं 2004-05), मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (2003-04), मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (2004-05)

प्रत्येक तीन बैठक- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, एवं मध्यप्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (2001-02), मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम, मध्यप्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम एवं मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (2003-04) एवं मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम (2004-05)

मंडल की बैठकों में संचालकों की उपस्थित

4.7.3 मंडल में दो प्रकार के संचालक हैं यथा कार्यपालक एवं अकार्यपालक संचालक। अकार्यपालक संचालक कूट-नीति, निष्पादन एवं आचरण के मानकों के विषय में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मंडल के अध्यक्ष से कंपनी से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शन के प्रभावी योगदान एवं नियंत्रण हेतु यह अपेक्षा की जाती है कि वह संचालको के प्रभावी उपस्थिति को सुनिश्चित करें।

छह कम्पनियों में मंडल की बैठकों में संचालकों की उपस्थिति नियमित नहीं थी जैसा कि ***परिशिष्ट - 26*** में दी गई सारणी से स्पष्ट है।

इस प्रकार मंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहे संचालक अपने कर्त्तव्यों के निष्ठापूर्ण निवहन में असफल रहे तथा कंपनियों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके स्वतंत्र विचारों से वंचित होना पड़ा।

चूंकि संचालक मंडल जन-जीवन एवं सामाजिक विकास से संबंधित नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित एवं अधिनियमित करता है अतः मंडल में उनकी नियुक्ति किए जाने का उद्देश्य, उनके अनुपस्थित रहने के कारण, विफल हो गया।

वार्षिक साधारण बैठकों में उपस्थिति

4.7.4 कम्पनियों की वार्षिक साधारण बैठकों में संचालकों की उपस्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। अधिकांशतः सात कंपनियों* में कतिपय वर्षो में वार्षिक साधारण बैठकों में मंडल के संचालकों की कुल सुख्या में से उपस्थित में 50 प्रतिशत से भी कम से लेकर निरंक तक की विभिन्नता थी।

संचालकों का प्रतिवेदन

4.7.5 मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के वार्षिक लेखाओं में संलग्न संचालकों के प्रतिवेदन में 31 मार्च 2005 को सभाव्य समस्त चार वर्षो में संचालकों के उत्तरदायित्व का विवरण पत्रक नहीं था जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए) में अपेक्षित है। संचालकों के प्रतिवेदनों में संचालकों के उत्तरदायित्व के विवरण-पत्रकों को सम्मिलित न किए जाने के तथ्य से यह इंगित होता है कि प्रबन्धन ने सुशासन सुनिश्चित नहीं किया।

---

* *50 प्रतिशत से कम- मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम (चार वार्षिक साधारण बैठकें) एवं मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (तीन); तीस प्रतिशत से कम- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एक), मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (प्रत्येक में तीन); निरंक- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एक) मध्यप्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योग विकास निगम (तीन)*

लेखापरीक्षा समितियां

लेखापरीक्षा समितियों का गठन

4.7.6 लेखापरीक्षा समिति के गठन एवं कार्यो को लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन 13 दिसम्बर 2000 से प्रभावी किया गया। 10 कम्पनियों में से केवल एक कम्पनी (मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम) को लेखापरीक्षा समिति गठन करने के लिए सांविधिक रूप से आदेशित किया गया। इसने समिति का गठन 27 मार्च 2001 को स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के बावजूद तीन महीने के विलम्ब से किया।

लेखापरीक्षा समिति का संघटन

4.7.7 समिति के ही सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करने के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुल छः बैठकों में से केवल एक बैठक का आयोजन एक स्वतंत्र संचालक (अशासकीय) की अध्यक्षता में किया गया तथा शेष पांच बैठकों का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध संचालक की अध्यक्षता में किया गया। इससे लेखापरीक्षा समिति की स्वतंत्रता के साथ समझौता किया गया जो कि उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के अभाव का सूचक है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

4.7.8 विचारार्थ विषय के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की लेखापरीक्षा समिति को एक वर्ष में तीन बार बैठकों का आयोजन करना था। इसके विपरीत प्रत्येक वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में समिति की केवल दो बैठकों का आयोजन किया गया।

बैठकों में लेखापरीक्षकों की उपस्थिति।

4.7.9 तदैव अधिनियम की धारा 292(ए)(5) के अनुसार वाह्य लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षक, यदि कोई हों, को प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित होना एवं भाग लेना चाहिए।

तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के वाह्य लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई कुल छह बैठकों में से एक तिहाई में भी उपस्थित नहीं हुए। लेखापरीक्षकों की अनुपस्थिति से कंपनी के लेखापरीक्षा निष्पादन पर विचार विमर्श करने एवं सुधार करने का मूल उद्धेश्य ही विफल हो गया।

निष्कर्ष

जैसा कि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है, इन कम्पनियों में गर्वनेन्स मनोभावना का वृहदाभाव है। अतः स्वतंत्र लेखापरीक्षकों, लेखापरीक्षण एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण वातावरण को विकसित करने के क्षेत्रों में कॉरपोरेट गर्वनेन्स के सिद्धान्तों के क्रमिक विकास की आवश्यकता है।

सांविधिक निगम

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल

आधार हेतु इस्पात प्राप्त करने पर परिहार्य व्यय

दरों के समझौते पर मंडल का आग्रह, प्रस्तावों के औचित्य की उपेक्षा एवं बाजार की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 4.34 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय

4.8 मध्यप्रदेश विद्युत मंडल (मंडल) ने एशियन डैवलपमेन्ट बैंक द्वारा वित्त-पोषित अपने मध्य प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिए दो पैकेजों में आधार हेतु इस्पात के लिए निविदाएं (दिसम्बर 2002) आमंत्रित की।

निविदाएं खोले जाने पर (15 फरवरी 2003) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड एवं यूनिक स्ट्रक्चर्स टावर्स लिमिटेड की दरें पैकेज 1 के लिए क्रमशः(15117 मैट्रिक टन के लिए 28.58 करोड़ रुपए) एवं पैकेज -2 (4435 मैट्रिक टन के लिए 7.23 करोड़ रुपए) न्यूनतम पाई गई। यद्यपि न्यूनतम प्रस्ताव अनुमानिक लागत (35.19 करोड़ रुपए) की तुलना में उचित थी एवं बाजार में इस्पात की दरों में हो रही वृद्धि के बावजूद मंडल ने इन दरों की तुलना सितम्बर 2002 में प्राप्त दरों से की और यह निष्कर्ष निकाला कि बोली की दरें ऊंची थी। मंडल ने न्यूनतम बोलीदार से सौदेबाजी के लिए एशियन डैवलपमेन्ट बैंक से अनुमति मांगी (अप्रैल 2003)।

एशियन डैवलपमेन्ट बैंक ने, तथापि सौदेबाजी करने की प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया और सुझाव दिया कि न्यूनतम बोलीदारों को आदेश प्रदाय किया जाये। इसी बीच पैकेज-2 के प्रस्ताव की वैधता पूर्व में ही कालातीत हो गई थी एवं बोलीदारों ने इसे बढ़ाने से मना कर दिया।

मंडल ने सामग्री की मात्रा को दो नवनिर्मित पैकेजों 2089 मैट्रिक टन एवं 2346 मैट्रिक टन में विभाजित कर दिया एवं नई निविदाएं (जनवरी 2004) आमंत्रित की। पैकेज -1 के लिए न्यूनतम प्राप्त दर 5.66 करोड़ रुपए एवं पैकेज-2 के लिए 6.39 करोड़ रुपए थी जो कि पूर्व में दोनों पैकेजों के लिए प्राप्त बाजार दर 7.23 करोड़ रुपये की तुलना में उच्चतर थी। निविदत्त मात्रा की अधिप्राप्ति 90 प्रतिशत तक करने के पश्चात मंडल

ने 10.85 करोड़ मूल्य की 3991.5 मैट्रिक टन की आपूर्ति के लिए न्यूनतम **बोलीदारों** को आदेश जारी किया (सितम्बर 2004)। इस प्रकार बाजार की बढ़ती **हुई प्रवृत्ति से** सम्बद्ध प्रस्तावों की औचित्यतता की अवहेलना करके दरों के वार्तालाप में **मंडल का** आग्रह, निविदाओं के मूल्यांकन में विलम्ब एवं एशियन विकास बैंक के साथ **प्रकरण में** अपर्याप्त अनुवर्तन के परिणामस्वरूप 4.34* करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मंडल ने बताया (जुलाई 2005) के प्राप्त की गई दरें सितम्बर 2002 में प्राप्त दरों की तुलना में उच्चतर थीं, जिसके कारण मंडल को इस मामले को एशियन विकास बैंक के समक्ष उठाना पड़ा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, मंडल को स्टील के दरों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की जानकारी थी, अतः फर्म के साथ वार्तालाप करने के स्थान पर विशेषतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राप्त दरें उनके अपने अनुमानों की तुलना में निम्नतर थी, फर्म को आदेश जारी कर देना चाहिए था।

मामला सरकार की ओर भेजा गया (अप्रैल 2005); इसका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)

पवन ऊर्जा के चक्रण में लाइन हानि के लिए अपर्याप्त क्षतिपूर्ति के कारण हानि

मंडल की पारेषण एवं वितरण लाइनों के माध्यम से निजी पवन ऊर्जा उत्पादकों द्वारा उत्पादित बिजली के चक्रण से लाइन-हानि के लिए केवल चार प्रतिशत क्षतिपूर्ति के प्रावधान के कारण 2.47 करोड़ रुपए की हानि हुई।

4.9 मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में गैर-परंपरागत स्त्रोतों से ऊर्जा-उत्पादन के लिए नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों को लगाने हेतु प्रोत्साहन योजना की घोषणा की (सितम्बर 1994)। निजी पार्टियों के पास मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (मंडल) को बिजली का विक्रय 2.25 रुपए प्रति किलोवाट की दर से, सम्मिलित दूरी को ध्यान में न रखते हुए चक्रण प्रभारों के लिए दो प्रतिशत का भुगतान मंडल को करने का विकल्प था। योजना के अनुसार मण्डल द्वारा चक्रित बिजली की चार प्रतिशत की लाइन-हानि की दर से राज्य सरकार द्वारा मंडल की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए थी।

योजना के अन्तर्गत, पांच फर्मो ने बिजली के चक्रण के लिए मंडल के साथ पृथक से एक अनुबन्ध करने के पश्चात देवास जिले में 27.33 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले पवन-ऊर्जा जेनरेटरों की प्रतिष्ठापना (1995-96 से आगे) की एवं उत्पादित बिजली को मंडल के ग्रिड में प्रदाय किया।

---

* *10.85 करोड़ रुपये - 6.51 करोड़ रुपये (7.23 करोड़ रुपये का 90 प्रतिशत)*

2001-04 के दौरान, मण्डल की उच्च दाब प्रणाली में वास्तविक पारेषण हानि 17.26 एवं 19.73 प्रतिशत के मध्य थी। राज्य सरकार ने परंपरागत स्त्रोतों से उत्पादित ऊर्जा के लिए चक्रण प्रभारों को गणना हेतु भिन्न मानदण्ड अपनाए (फरवरी 2001)। यह 15 मैगावाट तक की चक्रण शक्ति के लिए 7 से तेरह प्रतिशत (औसत 10 प्रतिशत) एवं 15 मैगावाट से अधिक की चक्रण शक्ति के लिए 10 से 17 प्रतिशत (औसत 13.5 प्रतिशत) था, जो कि तय की जानेवाली दूरी पर निर्भर था। इस प्रकार मण्डल 1995 के बाद से पवन ऊर्जा उत्पादकों द्वारा उत्पादित ऊर्जा के चक्रण के माध्यम से हानि उठाता रहा।

2001 से 2005 तक की अवधि के दौरान (जनवरी 2005 तक) मंडल ने अपने ग्रिड में पवन ऊर्जा उत्पादकों से 1154.99 लाख यूनिट बिजली का चक्रण किया, एवं अतिरिक्त पारेषण हानि (13.54 प्रतिशत) के कारण 2.47 करोड़ रुपए की हानि उठाई।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अनुबन्ध में शक्ति-समर्थ करने वाले प्रावधानों के अभाव के कारण मंडल न तो पवन ऊर्जा उत्पादक फर्मो के द्वारा वास्तविक लाइन-हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सका और न ही पारेषण में ऊर्जा की हानि के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति हतु मामले को सरकार के समक्ष उठा पाया। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निश्चित किए गए अनुसार 1995 से 2004 तक की अवधि के लिए (नवम्बर 2004 तक) 1.73 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए मण्डल के दावे का निपटारा नहीं हुआ था (जनवरी 2005)।

मामला सरकार/मण्डल की ओर प्रेषित किया गया (जून 2005) ; उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

दरों का अनियमित संशोधन

दरों के अनियमित संशोधन के कारण ठेकेदार को 1.66 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान।

4.10 मंडल ने सिलपारा में विद्युत गृह-2 (2x15 मेगावाट) टोमस् की जल विद्युत परियोजना की स्थापना एवं अधिसंरचना के निर्माण का कार्य स्टील एवं सीमेन्ट की लागत रहित एक निजी ठेकदार को सौंपा (नवम्बर 1994) जिसके ठेके की कीमत 8.54 करोड़ रुपए थी। कार्य 29 मार्च 1998 तक पूर्ण होना नियत था।

ठेकेदार को 30 नवम्बर 1994 को स्थल सौंप दिया गया लेकिन धीमी गति के कारण, ठेकेदार ने कार्य पूर्ण होने की निर्दिष्ट अवधि के दौरान कार्य का केवल 29.2 प्रतिशत हिस्सा (2.49 करोड़ रुपए मूल्य का) ही पूर्ण किया।

कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए मंडल द्वारा नक्शे प्रदाय करने, स्टील एवं सीमेन्ट की अप्रर्याप्त आपूर्ति एवं बिलों के भुगतान में विलम्ब को उत्तरदायी ठहराते हुए ठेकेदार ने

मंडल से 4.24 करोड रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा किया (सितम्बर 1998) तथा शेष बचे कार्य के पूर्ण करने के लिए दरों में संशोधन करने का आग्रह किया।

मंडल ने क्षतिपूर्ति के दावे को अस्वीकार कर दिया (अक्टूबर 1998) लेकिन अप्रैल 1998 से, शेष बचे हुए कार्य के लिए, दरों में 29 प्रतिशत की वृद्धि, बढ़े हुए भुगतान के अतिरिक्त, की अनुमति प्रदान कर दी, यद्यपि दरों में इस वृद्धि को किसी संविदात्मक प्रावधान के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था।

ठेकेदार ने कार्य 31 दिसम्बर 2002 को पूर्ण कर दिया तथा कार्य के लिए कुल भुगतान की गई कीमत 9.89 करोड़ रुपए थी (दरों में वृद्धि को छोड़कर) जिसमें 1.66 करोड़* रुपए की दरों में वृद्धि सम्मिलित थी।

यद्यपि कार्य में हुए विलम्ब के कारणों में ठेकेदार उत्तरदायी नहीं था तथापि अनुबन्ध के अन्तर्गत दरों में वृद्धि की धारा के संदर्भ में उसे उपयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। बढ़ाई गई समयावधि के दौरान दरों में वृद्धि के अतिरिक्त की गई वृद्धि अप्रधिकृत थी जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 1.66 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मामला सरकार/मंडल की ओर भेजा गया (मई 2005), उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

देय धन का अनियमित अधित्याग

एक उपभोक्ता के 94.88 लाख रुपए के देय धन का अधित्याग करने से मंडल को हुई हानि के अतिरिक्त अनुचित समर्थन प्रदान करना।

4.11 मध्य प्रदेश विद्युत मंडल (मंडल) के एक उच्च दाब उपभोक्ता, सौरभ मेटल्स (प्रायवेट) लिमिटेड, मंडीदीप न्यायालय के निर्देश एवं मंडल द्वारा कई बार रियायतें देने के बावजूद भी भुगतान में चूक करते रहे। मंडल यह आग्रह करता रहा कि कोई राहत नहीं दी जा सकती थी जब तक कि राज्य सरकार हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सहमत नहीं हो जाती है क्योंकि मंडल पूर्व में भी उपभोक्ता को अनेक रियायतें दे चुका था। इसके पश्चात उपभोक्ता का पंजीकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान मंडल में हो गया था, जिसने 31 मार्च 1995 को उपभोक्ता के विरूद्ध 94.88 लाख रुपए के बकाया देय धन को अधित्याग करने का संकेत देते हुए एक योजना संस्वीकृत की (21 अगस्त 1996) तथा मंडल को निदेशित किया (31 मई 2000) के वह उपभोक्ता को कथित राहत/रियायत की अनुज्ञा दे।

**989.39 लाख रुपए-249.47 लाख रुपए=739.92 लाख रुपए X रुपए 29 भागित=166.34 लाख रुपए*

मंडल ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान मंडल के आदेशों के विरूद्ध, मनमाने निर्णय को चुनौती देते हुए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय अधिकरण, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान, ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्मान मंडल के आदेशों को निरस्त करते हुए यह बताया (19 फरवरी 2001) के औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान मंडल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को दाण्डिक प्रभारों के अधित्याग करने के लिए दिशा-निर्देश का कृत्य अनुपयुक्त था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान मण्डल को इस सम्बन्ध में बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल से कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, उपभोक्ता ने अपीलीय अधिकरण, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान के निर्णय के विरूद्ध मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका दायर की।

तथापि, मंडल ने, उपभोक्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी बैठक (10 जुलाई 2003) में उपभोक्ता से वसूली योग्य बनाया देय धन का अधित्याग करने का निर्णय इस आधार पर लिया कि उपभोक्ता चालू बिलों का भुगतान नियमित रूप से करता रहा था तथा उद्योग के चालू रहने तक भविष्य में भी भुगतान करता रहेगा। मंडल ने बताया (जुलाई 2005) के मंडल द्वारा देय धन का अधित्याग करने का निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान को सरकार द्वारा यह वचनबद्धता प्रदान की गई थी कि मध्य प्रदेश के वित्तीय मामलों की समिति द्वारा अधित्याग के लिए निर्णय लिया गया था, तथा मंडल द्वारा संकल्प पारित करके यह निर्णय लिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, देय धन के अधित्याग के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के बावजूद भी मंडल, सरकार से क्षतिपूर्ति के लिए आग्रह करता रहा था। मंडल को मंत्रिमंडलीय उप समिति को विश्वास दिलाया जाना चाहिए था कि मंडल को अपीलीय अधिकरण, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान से समर्थित पंचाट प्राप्त हो गया था तथा उपभोक्ता को देय धन का किसी भी प्रकार का अधित्याग का प्रभाव समर्थित पंचाट को धोखा देना तथा नकारना होगा।

इस प्रकार, अपीलीय अधिकरण, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमान से अपने समर्थन में प्राप्त निर्णय की उपेक्षा करके क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में सरकार से किसी प्रकार का आश्वासन प्राप्त किए बिना तथा न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना, मंडल द्वारा बकाया देय धन का अधित्याग करने के कृत्य की परिणिति उपभोक्ता को अनुचित समर्थन प्रदान करने तथा 94.88 लाख रुपए की राशि की मंडल को हानि के रूप में हुई।

मामला सरकार को भेजा गया (दिसम्बर 2004); उत्तर अभी तक अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

अविवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन

आवश्यकता से अधिक रोकड़ शेष रखने के परिणामस्वरूप मंडल को 50.97 लाख रुपए के ब्याज की हानि।

4.12 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (मंडल) के स्थानिक लेखा अधिकारियों द्वारा विभिन्न भुगतानों को करने हेतु अपेक्षित निधियों के लिए मासिक मांग-पत्र प्रस्तुत किया जाता है। इस मांग-पत्रों के आधार पर मंडल स्थानिक लेखा अधिकारियों को निधियों को आवंटन करता है। स्थानिक लेखा अधिकारी इन निधियों को अपने चालू खातों में रखते हैं और आवश्यकता के अनुरूप उसमें से आहरण करते हैं। मंडल ने स्थानिक लेखा अधिकारियों को केवल न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए एवं अधिक रोकड शेष को त्वरित रूप से मुख्यालय को भेजने हेतु अनुदेशित किया क्योंकि मंडल गंभीर रोकड़ संकट का सामना कर रहा था।

इन अनुदेशों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए स्थानिक लेखा अधिकारी, ग्वालियर ने आवश्यकता से बहुत अधिक निधियों की मांग की तथा उसे चालू खाते में रखा। स्थानिक लेखा अधिकारी ने प्रत्येक माह के अन्त में दो से पांच लाख रुपए की आवश्यकता के विरूद्ध 2002-03 में 87 लाख रुपए, 2003-04 में 1.90 करोड़ रुपए तथा 2004-05 में 1.46 करोड़ रुपए का औसत मासिक रोकड़ शेष रखा। निधियों की अधिक एवं अतिरिक्त निधियों को मुख्यालय को वापस न करने के कारण मंडल को 50.97 लाख रुपए के ब्याज के राजस्व की निरन्तर हानि उठानी पड़ी।

स्थानिक लेखा अधिकारी, ग्वालियर ने बताया (फरवरी 2005) कि शेष राशि को या तो मुख्यालय को भेज दी गई थी अथवा आगामी माह में चेक जारी कर दिए गए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, मुख्यालय को केवल छोटी राशियों ही भेजी गई थी जबकि वृद्धि शेषों को रखा गया था। न तो वास्तविकता के आधार मासिक मांग-पत्र तैयार किए गए थे और न ही मुख्य इंजीनियर, ग्वालियर एवं संयुक्त निदेशक (बी एण्ड सी एम) जबलपुर द्वारा क्रमशः जून 2001 एवं जुलाई 2002 में जारी की गई चेतावनी का संज्ञान लिया।

मामला सरकार/मंडल को भेजा गया था (जुलाई 2005); उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

एक ग्राहक को अनुचित लाभ

मंडल के कर्मचारियों द्वारा अकर्मव्यता के कारण एक ग्राहक को 40.89 लाख रुपए का अनुचित लाभ देना।

4.13 मंडल के कर्मचारियों के एक विशेष दल ने मुरैना जिले में 100 अश्वशक्ति के भार के एक निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ता के परिसर में छापे के दौरान विद्युत ऊर्जा की चोरी का पता लगाया (11 सितम्बर 2000)। विद्युत आपूर्ति काट दी गई एवं सितम्बर 1999 से अगस्त 2000 तक की अवधि के लिए (प्रतिमाह औसत यूनिट 21,416) 256952 यूनिटों को खपत का निर्धारण करने के बाद 206647 यूनिटों की ऊर्जा की चोरी के लिए 23.96 लाख रुपए की मांग 18 सितम्बर 2000 को प्रस्तुत की गई।

उपभोक्ता नें विवाद की मध्यस्तता के लिए अधीक्षक इंजीनियर (प्रचालन एवं संधारण) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उपभोक्ता ने मांग के विरूद्ध 5.25 लाख रुपए (19 सितम्बर 2004) एवं 2.32 लाख रुपए (21 दिसम्बर 2000) का आंशिक भुगतान किया। अधीक्षक इंजीनियर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तथा उपभोक्ता ने जबलपुर उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेन्च में एक रिट याचिका दायर की (8 जनवरी 2001) न्यायालय ने आदेश दिया (11 जनवरी 2001) कि

- याचिकाकर्त्ता को बिजली की आपूर्ति नहीं काटी जाएगी।
- याचिकाकर्त्ता मंडल को 20 लाख रुपए की राशि की सम्पन्नता प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा।
- याचिकाकर्त्ता बिजली के उपभोग के लिए आगे बिलों का भुगतान करना जारी रखेगा।

न्यायालय ने अधीक्षक इंजीनियर को भी 19 फरवरी 2001 अथवा उसके पूर्ण व्यक्तिगत रूप से विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया (15 जनवरी 2001) जिसमें असफल रहने पर याचिका पर सुनवाई की जायेगी एवं एक पक्षीय निर्णय दिया जाएगा। उपभोक्ता ने 20 लाख रुपए का सम्पन्नता प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी लेकिन न्यायालय द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार अधीक्षक इंजीनियर ने तब तक विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी।

इस प्रकार उपभोक्ता के अभ्यावेदन पर कर्मचारियों की अकर्मण्यता एवं न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने के कारण 15.68 लाख रुपए की राशि सितम्बर 2000 से वसूली हेतु लंबित रही। जिसके परिणामस्वरूप मंडल को ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि 19 सितम्बर 2000 को आंतरिक भुगतान के बाद विद्युत आपूर्ति पुनः प्रतिस्थापित करने पर अक्टूबर 2000 में वास्तविक खपत 20217 यूनिट दर्ज की गई। आगामी माह[Ψ] से खपत में प्रबल रूप से कमी आई। अक्टूबर 2000 से जुलाई 2004 तक कुल खत 307585 यूनिट (6687 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत) के लिए बिल दिया गया। 21416 यूनिट की औसत मासिक खपत के आधार पर 985136 यूनिट (21416 X 46) की संगणना किए जाने के परिणामस्वरूप कम बिल तैयार करने एवं उपभोक्ता को 677534 यूनिट (985136 - 307585) के लिए 25.20* लाख रुपए का अनुचित लाभ मंडल के कर्मचारियों द्वारा दिया गया मंडल के कर्मचारियों ने खपत में आई इस कमी के कारणों की जांच पड़ताल नहीं की, जबकि सहायक इंजीनियर स्तर के एक कर्मचारी द्वारा मासिक वाचन किया गया। मंडल ने कर्मचारियों ने अप्रैल 2003 में एक जांच की और बिजल चोरी का पता लगाया तथा मंडल ने 2.54 लाख रुपए की राशि की मांग की जिसका भुगतान उपभोक्ता ने बिना किसी प्रतिवाद के कर दिया।

इस प्रकार मंडल कर्मचारियों की ओर से अकर्मण्यता के कारण न केवल 15.69 लाख रुपए की राशि की वसूल इतने लम्बे समय तक लंबित रही अपितु आपूर्ति बहाल करने के माह के तुरंत बाद के माह में मासिक वायन में अचानक कमी का ध्यान रखने में विफल रहने के परिणामस्वरूप कम बिल तैयार करने के कारण उपभोक्ता को 25.20 लाख रुपए का अनुचित लाभ दिया गया।

मंडल ने बताया (जून 2005) के अधीक्षक इंजीनियर ने उपभोक्ता के अभ्यावेदन की प्रतिक्रिया स्वरूप बिजली आपूर्ति पुनः प्रतिस्थापित कर दी थी, एवं न्यायालयीन प्रकरण में उचित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही इस कारण से न किए जाने से की उच्च न्यायालय ने मंडल कर्मचारियों के विरूद्ध अवज्ञा की कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी जो कि सम्पन्नता प्रतिभूति के विरूद्ध बैंक गारंटी के लिए बल दे रहे थे।

उत्तर मान्य नहीं है। जब अवज्ञा का प्रकरण चल रहा था तब मंडल ने उपभोक्ता द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए दायर प्रकरण में रूचि नहीं दिखाई। इस प्रकार मंडल कर्मचारियों की ओर से विभिन्न स्तरों पर अकर्मण्यता के कारण उपभोक्ता को अनुचित लाभ मिला तथा मंडल को हानि हुई।

मामला सरकार को भेजा गया (मार्च 2005); उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

Ψ नवम्बर 2000-7536 यूनिट, दिसम्बर 2000-4400 यूनिट, जनवरी 2001-4605 यूनिट इत्यादि।

** 3.72 रुपये प्रति यूनिट की दर से संगणित (औसत आधार पर)*

परिहार्य व्यय

निःशुल्क रकम प्रेषण सुविधा का लाभ न उठ पाने के कारण मंडल को 29.16 लाख रुपए का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

4.14 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (मंडल) के पास भारतीय स्टेट बैंक एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपने वितरण केन्द्रों के द्वारा संग्रहण एवं स्थानिक लेखा अधिकारियों को मंडल के जबलपुर स्थित मुख्य खाते में " सममूल्य पर" पारप्रेषण सुविधा (निःशुल्क रकम भेजना) की व्यवस्था उपलब्ध थी। अवर मुख्य इंजीनियर (बी एण्ड सी एम) ने भी अनुदेश जारी किए थे कि क्षेत्रीय कार्यालयों को " समतुल्य पर" सुविधा का लाभ उठाना चाहिए तथा भुगतान किए गए बैंक को प्रभार, यदि कोई हों, तो वह बैंक से वापस प्राप्त किए जाने चाहिए।

स्थानिक लेखा अधिकारी, बीरसिंहपुर ने तथापि, 2002-04 में इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया तथा बैंक प्रभारों के लिए 26.96 लाख रुपए का व्यय किया। इसी प्रकार स्थानिक लेखा अधिकारी, ग्वालियर के अधीन दतिया शहरी, दतिया ग्रामीण, मुरार, डबरा शहरी एवं डबरा ग्रामीण स्थित वितरण केन्द्रों ने बैंक प्रभारों के रूप में 2002-04 में 4.20 लाख रुपए का व्यय किया।

लेखापरीक्षा में इंगित जाने पर (मार्च 2005) स्थानिक लेखा अधिकारी, बीरसिंहपुर ने बताया (मार्च 2005) के बैंक ने केवल प्रभारणीय कमीशन का केवल 50 प्रतिशत प्रभार ही वसूल किया है तथा स्थानिक लेखा अधिकारियों को बैंक से " समतुल्य पर" उपलब्ध सुविधा की जानकारी नहीं थी। स्थानिक लेखा अधिकारी, ग्वालियर ने बताया कि वितरण केन्द्रों को कवेल भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं पर डिमान्ड ड्राफ्टों को आहरण करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंडल के अनुदेशों के अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप 29.16 लाख* रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला सरकार/मंडल को भेजा गया था (मई 2005); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

---

* *24.96 लाख रुपए+ 4.20 लाख रुपए=29.16 लाख रुपए*

अतिरेक प्रभारों का (ओवर रन चार्जेज) का भुगतान

ठेकेदार को 26.08 लाख रुपए के अतिरेक प्रभारों का परिहार्य भुगतान।

4.15 मंडल ने शहडोल जिले के देवलेन्ड में बाणसागर जल विद्युत परियोजना के 320 मेगावाट के बिजलीघर III के लिए, 3.75 करोड़ रुपए की लागत से, जल विद्युत उत्पादन परियोजना के परिवहन, संयोजन, सृजन, चालू करने एवं परीक्षण करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नागपुर (ठेकेदार) को आदेश जारी किए (फरवरी 1999) कार्य आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुबद्ध था कि यदि 25 माह की अवधि के बाद कार्य के पूर्ण होने में, उसके प्रारंभ होने के दिनांक से तीन महीने की अनुकम्पा - अवधि सहित किसी ऐसे कारण से जिसके लिए ठेकेदार आरोपणीय नहीं होगा, यदि कोई रूकावट आती है तो 3.50 लाख रुपए प्रतिमाह की दर से अतिरेक प्रभार का भुगतान करना होगा।

ठेकेदार ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया (10 दिसम्बर 1999)। प्रथम चरण 9 अक्टूबर 2001 को पूर्ण होना था। स्टेटर की मरम्मत एवं जल विद्युत उत्पादन उपकरणों के संयोजन, सृजन एवं चालू करने के लिए अपेक्षित कतिपय सामग्री की आपूर्ति के लिए मंडल ने भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल (आपूर्तिकर्त्ता) को तीन विभिन्न आदेश मार्च एवं जुलाई 2001 के मध्य जारी किए, जो कि चार माह में 2.27 करोड़ रुपए की कुल लागत के थे, साथ ही आपूर्ति यथासम्भव जल्दी करने का निवेदन किया। परन्तु सामग्री की आपूर्ति एवं स्टेटर की मरम्मत में बिलम्ब (नौ माह) के कारण बिजली घर की यूनिट III के यांत्रिक सृजन में विलम्ब हुआ तथा उपकरण 16 अगस्त 2002 को नहर में पानी की उपलब्धता के पश्चात ही चालू हो सके (2 सितम्बर 2002)।

इस प्रकार सामग्री की मांग का समय से निर्धारण करने में, स्टेटर की मरम्मत करके चालू करने में, आपूर्ति आदेश जारी करने आदि में विलम्ब एवं अत्यावश्यक आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता पर जोर न देने के परिणामस्वरूप उपकरणों को चालू करने में मंडल द्वारा विफलता के कारण मंडल को 26.08 लाख रुपए के परिहार्य अतिरेक प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

मंडल ने बताया (मई 2005) के यूनिट III 2001 के मानसून के मौसम में समकालिक न हो सका क्योंकि जब तक मानसून समाप्त हुंआ तब तक जलाशय के जल का स्तर न्यूनतम खींचे जा सकने वाले स्तर के नीचे तक खाली हो गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, मरम्मत में विलम्ब का कारण मांग के निर्धारण में विलम्ब एवं कार्य आदेश जारी करने में हुआ विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप यूनिट III को चालू करने में समग्र विलम्ब हुआ तथा ठेकेदार को अतिरेक प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला सरकार को भेजा गया (मई 2005); इसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2005)।

प्रभारों की वसूली न होना

दो कोलोनाइजरों से प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभारों एवं आंशिक पर्यवेक्षण प्रभारों का संग्रहण करने में विफल रहने के कारण मंडल को 16.52 लाख रुपए की हानि।

4.16 महावीर हाऊसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कटनी, जिसका सम्बद्ध भार 558 किलोवाट था, ने अपनी सोसायटी, जिसमें 190 भूखंड थे, को वाह्य विद्युतीकरण के लिए आवेदन किया (31 मार्च 2001) एवं मंडल के पास पर्यवेक्षण प्रभारों के रूप में 1.42 लाख रुपए जमा कराए (31 मार्च 2001)।

मुख्य इंजीनियर, जबलपुर क्षेत्र ने 13.94 लाख रुपए के अनुमानिक कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2003)। कोलोनाइजर को "ए" श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से 1.82 लाख रुपए के पर्यवेक्षण प्रभारों को अग्रिम जमा कराने के पश्चात एवं 2300 रुपए प्रति किलोवाट की दर से प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभारों का भुगतान मण्डल को करने के बाद कार्य प्रारंभ करना पड़ा।

अवर अधीक्षक इंजीनियर (प्रचालन एवं संधारण) कटनी ने प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभारों की राशि 12.83 लाख (2300 रुपए X 558 किलोवाट) एवं पर्यवेक्षण प्रभारो की शेष राशि 0.40 लाख रुपए (1.82 लाख रुपए - 1.42 लाख रुपए) की वसूली किए बिना ही कार्य आदेश जारी कर दिया (अक्टूबर 2003)।

इसी प्रकार, अन्य प्रकरण में (कटनी की बरगवां कालोनी) 143 किलोवाट के सम्बद्ध भार के लिए प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 2003) परन्तु कालोनारजर से 3.29 लाख रुपए के प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभारों (143 किलोवाट X 2300 रुपये) की वसूली नहीं की गई।

इस प्रकार प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप 16.52 लाख* रुपए की हानि हुई।

मामला सरकार/मंडल को भेजा गया (मार्च 2005); उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नही हुए हैं (सितम्बर 2005)।

---

* *12.83 लाख + 0.40 लाख + 3.29 लाख*

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में पर्यावरणीय प्रबन्धन

प्रस्तावना

4.17.1 विकासात्मक गतिविधियां एवं आर्थिक विकास, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। परिष्कृत विनिर्माण प्रकियाओं पर बढ़ती निर्भरता विशेषतः रसायन का उपयोग, प्रदूषण फैलाने व इससे जुड़ी हुई समस्याओं को जन्म देती हैं, जिससे पर्यावरण के मूल तत्वों यथा जल, वायु एवं पृथ्वी को क्षति पहुँचती है। वातावरण के महत्वपूर्ण तत्वों को क्षति से परिस्थितिक संतुलन दुष्प्रभावित हुआ है एवं जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों को असीमित हानि हुई है।

प्रत्येक संगठन के प्रबन्धन को, संगठन के परिवेश के पर्यावरण की देख-रेख एवं उससे जुड़े कर्तव्य एवं दायित्वों के लिए एक पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली का विकास करना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल नीतियों को अपनाने का उत्तरदायित्व एवं पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करने के लिए कार्य योजनाएं प्रारंभ करना प्रणाली का अभिन्न अंग होना चाहिए।

विधिक ढांचा

4.17.2 प्रदूषण नियंत्रण के प्रथम प्रयास के रूप में भारत सरकार ने जल (प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 प्रस्तुत किया, उसके बाद वायु (प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लाया गया। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के आने से पर्यावरण सुरक्षा गतिविधियों को बल मिला।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ऐसी एजेंसी हैं जो मध्य प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को लागू करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रदूषण नियंत्रण की उपयोगिता का निर्धारण किए बिना व्यय।

4.17.3 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पास तीन ताप विद्युत स्टेशन यथा सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन एवं संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन हैं।

ताप विद्युत स्टेशनों ने 2000-05 के दौरान पर्यावरणीय प्रदूषण के स्तर को निर्धारित मानदण्डों तक नीचे लाने के लिए कार्य योजना के बाहर जाकर 1.24 करोड़[ψ] रुपए का व्यय कर दिया था। तथापि प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में वास्तविक रूप से प्राप्त लाभों की विवेचना मंडल के संयत्र प्राधिकारियों ने नहीं की।

इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर्स की कार्यप्रणाली।

4.17.4 इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर्स ताप विद्युत स्टेशनों में प्रज्वलित कोयले से चलने वाले वॉयलरों की चिमनी में गैसों के सस्पेन्डेड पार्टीकुलेट मैटर (एस पी एम) की मात्रा को कम करते हैं। अधिक सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर न केवल वायुमंडलीय प्रदूषण फैलाते हैं अपितु इन्डयूस्ड ड्राफ्ट फैन्स इम्पैलर का अपरदन करते हैं, जो कि इसके बदले में ताप विद्युत केन्द्रों का प्रचालन घटाए हुए भार पर करने के लिए बाध्य करता है जिससे उत्पादन की हानि होती है। मंडल ने मार्च 2005 तक ताप विद्युत स्टेशनों में 15[♦] इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स प्रतिष्पापित किए। इसके बाद, अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन में चार बैग फिल्टर्स[▲] (प्रत्येक 2 यूनिटों में दो) भी प्रतिष्ठापित किए गए। मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जित स्तर के अभिकल्पित मानदन्डों, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मानदण्डों एवं मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान वास्तविक उत्सर्जन के स्तरों का विवरण ***परिशिष्ट - 27, 28, 29*** में दिया गया है।

सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी एवं अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चचई पर वास्तविक उत्सर्जन के स्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 150 एन एम 3 के मानदण्डों तथा अभिकल्पित मानदण्डों की तुलना में उच्चतर थे। अधिकतम उत्सर्जन का स्तर सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पर 2004-05 के दौरान (यूनिट-7) 911 एन एम 3, अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन (यूनिट-2) पर 2003-04 के दौरान 1250 एन एम 3 एवं संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (यूनिट-1) पर 2004-05 के दौरान 252 एन एम 3 था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारणी एवं अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई को अननुपालन विद्युत स्टेशन घोषित किया। तथापि मंडल ने सांविधिक शर्तो को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की (सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन को छोड़कर)। उत्सर्जित गैसों में सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन की चार इकाइयों में जहां संवर्धन का कार्य किया गया था, अपेक्षित सुधार नहीं हुआ था।

[ψ] *अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चेचई - 68 लाख रुपये, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी- 56 लाख रुपये, सारणी - 56 लाख रुपये, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन विरसिंगपुर - निरंक*

[♦] *सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन - 9, अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन -2 एवं संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन - 4*

[▲] *बैग फिल्टर एक ऐसी तकनीक है जो ताप विद्युत स्टेशनों में प्रज्वलित कोयले से चलने वाले वायलरों से राख के कणों में सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर को कम करती है, जिसका उपयोग अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन 1 में दिया गया है।*

इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रौसिपिटेटर्स की प्रस्थिति

4.17.5 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कर्मचारियों ने फरवरी 2001 के दौरान, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन का निरीक्षण किया एवं वर्ष 1998 से दोषपूर्ण होना पाया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिशा-निर्देशों के आधार पर, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन के यूनिट 6 से 9 में 150 एम जी/एन एम 3 के उत्सर्जन के मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोसेटिक प्रौसिपिटेटर्स के संवर्धन हेतु एक कार्य योजना तैयार की (सितम्बर 2001)। इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिप्रिटेटर्स के संवर्धन का सम्पूर्ण कार्य तीन चरणों में पूरा होना था।

कार्य योजना के अनुसार मंडल ने उत्सर्जन स्तर को 150 एम एल/एन एम तक नीचे लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिप्रिटेटर्स के संशोधन एवं सुधार हेतु उपकरणों एवं सहायक सामग्रियों की आपूर्ति एवं स्थापित करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को आदेश जारी किए (नवम्बर 2001) जिसकी कुल लागत 4.51 करोड़ रुपए थी।

तथापि, कार्य आठ से दस माह की निदिष्ट अवधि में पूरा नहीं हुआ। मंडल ने 4.75 करोड़ रुपए व्यय करने के पश्चात केवल इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रौसिपिटेटर्स 6 एवं 8 (2002-03) इलेक्ट्रो स्टेटिकप्रैसिपिटेटर्स 9 (2003-04) से सम्बन्धित कार्य को पूर्ण किया। इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रौसिपिटेटर्स 7 से सम्बन्धित कार्य लंबित रहा (मार्च 2005)।

आगे संशोधन सुधार कार्य के पश्चात भी, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी की यूनिट 6, 8 एवं 9 के ढेर उत्सर्जन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। यद्यपि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने उत्सर्जन के विद्यमान स्तर को 20 प्रतिशत तक कम करने की गारंटी दी थी, परन्तु यह केन्द्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण मंडल के यथा अभिकल्पित मानदण्डों की तुलना में उच्चतर रहे थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

ढेर उत्सर्जन का स्तर

यूनिट संख्या	न्यूनतम स्तर		अधिकतम स्तर	
	संशोधन पूर्व	संशोधन पश्चात	संशोधन पूर्व	संशोधन पश्चात
	(Mg/Nm^3 में)			
यूनिट 6	320	330	860	691
यूनिट 8	360	384	780	906
यूनिट 9	362	515	810	817

मंडल ने बताया (मई 2005) के भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स द्वारा किए गए सुधार कार्यों से ढेर उत्सर्जन में कुछ सीमा तक सुधार हुआ था तथा उनके द्वारा किए गए परीक्षण से यह इंगित हुआ कि युनिट-8 में 38 प्रतिशत तक की सीमा में सुधार हुआ था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, यूनिट-8 में उत्सर्जन के स्तर में 2001-02 में 780 एम जी/एन एम 3 से 2004-05 में 906 एम जी/एन एम 3 तक की वृद्धि हुई थी। तथापि मंडल ने भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के विरूद्ध गारंटी की धारा का स्मरण नहीं किया तथा यूनिट 6 एवं 9 के सम्बन्ध में उनके द्वारा निष्पादन गारंटी परीक्षणों के लिए अभी तक (मई 2005) आग्रह नहीं किया।

चूंकि कार्य योजना का प्रथम चरण अपूर्ण रह गया था, योजना के बाद के चरणों का कार्य मंडल द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था (मई 2005)। मार्च 2005 के अन्त तक पांच वर्षो के दौरान, तथापि सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रौसिपिटेटर्स के नियमित संधारण पर 7.01 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इसके बावजूद भी, उत्सर्जन के स्तर में किसी भी सुधार का पता नहीं चला जो कि ताप विद्युत स्टेशन में अभिकल्पित मानदण्डों से ऊपर था।

इन्डूयज्ड ड्राफ्ट फैन के प्रचालन न करने से विद्युत उत्पादन में हानि।

4.17.6 इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रौसिपिटेटर्स का उपयोग ताप विद्युत सेशनों में कोयले से प्रज्वलित बॉयलरों की चिमनी में से गैसो के उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक बॉयलर में दो इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट फैन होते हैं, उसमें से यदि कोई भी फैन अधिक धूल उत्सर्जन के कारण निष्क्रिय हो जाता है तो बिजली उत्पादन स्वतः ही 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है। 2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान, तीन विद्युत स्टेशनों के बायलरों में से अत्यधिक धूल उत्सर्जन के परिणामस्वरूप फैन समय-समय पर निष्क्रिय हो जाने के कारण बिजली उत्पादन में स्वतः कमी आ गई जिससे मंडल को 520.4 मिलियन यूनिट्स के बिजली उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 104 करोड़ रुपए होता है।

मंडल ने उत्तर दिया (मई 2005) कि सम्बन्धित विद्युत स्टेशन से विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। आगामी अवधि के लिए उत्पादन की हानि के विस्तृत विवरण, जो कि समीक्षाधीन हैं भी प्रतीक्षित है।

प्रदूषण परिवीक्षण उपकरण

4.17.7 पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कारपोरेट का उत्तरदायितव का घोषणापत्र (चार्टर) तीनों ताप विद्युत स्टेशनों में 31 दिसम्बर 2004 तक उचित अंशशोधन प्रणाली सहित अपारदर्शिता मीटरों के प्रतिष्पापन/क्रियाशीलता पर सतत परिवीक्षण विर्निदिष्ट करता है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि संजय गांधी ताप स्टेशन एवं सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशनों में क्रमशः 42.90 लाख रुपए एवं 40 लाख रुपए मूल्य के प्रतिष्ठापित किए गए ऑन लाइन उपकरण काफी समय तक निष्क्रिय पड़े रहे थे तथा उत्सर्जन का कोई परिवीक्षण नहीं किया गया था।

मुख्य इंजीनियर (पी एण्ड आर) के उत्तर दिया (मार्च 2005) कि सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी की समस्त इकाइयाँ, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बीरिसंहपुर की दो इकाइयों एवं अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चचई की दो इकाइयों की लिए ऑनलाइन

ढेर परिवीक्षण प्रणाली के प्रतिष्पापन की योजना अनुमोदन हेतु मंडल को प्रस्तुत की गई, जिसके विरूद्ध विद्युत वित्त निगम द्वारा 63.50 लाख रुपए का ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। तथापि मंडल ने योजना का अनुमोदन नहीं किया (अप्रैल 2005)।

कॉरपोरेट का सामाजिक दायित्व

वृक्षारोपण

4.17.8 मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ताप विद्युत स्टेशनों की परिधि के साथ-साथ हरियाली पट्टी विकसित करने का निर्णय लिया साथ ही इस उद्देश्य के लिए खुली जगह का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए था। यह देखा गया कि 2000-05 के दौरान 23.65 लाख* रुपए की लागत से 58000 वृक्षों का रोपण किया गया परन्तु इन वृक्षों के अवशेषों के बारे में कुछ भी अभिलिखित नहीं था।

अवशिष्ट पौधों के किसी भी नियतकालिक प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में वास्तव में अवशिष्ट वृक्षों के संख्या एवं पर्यावणीय प्रदूषण का कम होना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

पर्यावरणीय परिवीक्षण प्रयोगशाला की संस्थापना

4.17.9 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी एवं मंडल की एक बैठक में यह सुझाव दिया कि एक पर्यावरण कक्ष प्रभाग का गठन मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के मुख्यालय में किया जाये तथा पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं ताप विद्युत स्टेशनों पर विकसित की जांए ताकि प्रदूषण नियंत्रण एवं परिवीक्षण के कार्य को वांछित प्रोत्साहन मिल सके। यह भी निश्चित किया गया कि परिवीक्षण का कार्य निजी संस्थाओं को देने का कार्य मंडल द्वारा रोक देना चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए अपेक्षित यंत्रों उपकरणों की सूची प्रदान की। यद्यपि प्रत्येक ताप विद्युत स्टेशन पर पृथक पर्यावरण परिवीक्षण कक्ष निर्मित किए गए थे, तो भी प्रयोगशाला सुविधाओं की संस्थापना अभी तक नहीं की गई थी (मई 2005) जिसके परिणामस्वरूप मंडल द्वारा ताप विद्युत स्टेशनों में प्रदूषण नियंत्रण के उचित परिवीक्षण का कार्यान्वयन न हो सका। मण्डल प्रदूषण परिवीक्षण का कार्य निजी संस्थाओं के माध्यम से कराता रहा था। समीक्षा अवधि के

---

* *सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन : 42000 : 16.63 लाख रुपए, अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन : 2000 01.11 लाख रुपए एवं संजयगांधी ताप विद्युत स्टेशन 14000 : 5.91 लाख रुपए*

दौरान मंडल ने प्रदूषण परिवीक्षण के कार्य पर 19.82[▲] लाख रुपए का व्यय कर दिया था।

वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जल विश्लेषण

4.17.10 ताप विद्युत स्टेशनों के लिए अनिवार्य उत्सर्जन एवं निस्सारण मानकों को केन्द्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण मंडल द्वारा तैयार किया गया था एवं भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था। राज्य प्रदूषण एवं नियंत्रण मंडल ने समस्त ताप विद्युत परियोजनाओं द्वारा इन मानकों का पालन करने के लिए प्रचारित किया। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकार एवं राष्ट्रीय कार्य वल का गठन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चत करने के लिए किया गया था और इन्होंने ताप विद्युत स्टेशनों का समय समय पर निरीक्षण किया।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रण मंडल ने सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन,अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन एवं संजय गॉधी ताप विद्युत स्टेशनों का निरीक्षण जनवरी से दिसम्बर 2004 के मध्य किया था एवं 2004-05 के दौरान वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जल आपूर्ति का विश्लेषण किया और पाया कि सस्पेन्डेट पार्टिकुलेट मैटर निर्धारित सीमा से अधिक था। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित व्यवस्थाएं नही थी एवं प्रतिष्ठापित उपकरणों को उचित रूप से प्रचालित नही किया जा रहा था। अपशिष्ट जल के नमूनों के विश्लेषण से भी यह प्रकट हुआ था कि सस्पेन्डेट सॉलिड्स निर्धारित सीमा से अधिक थे। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बताया कि विद्युत स्टेशनों में निस्सरणों के उपचार के लिए उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाएं या तो उपयुक्त नहीं थी अथवा उचित रूप से प्रचालित नहीं थी। प्रबन्धन को निस्सरण उपचार संयंत्रों की उपचार कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु निदेशित किया गया।

इस प्रकार बिजली घर प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे थे।

सारांश

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ताप विद्युत स्टेशनों का निरीक्षण करने के बाद बताया कि सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन के एक यूनिट के सिवाय तीनों ताप विद्युत स्टेशनों की समस्त यूनिटें उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा नहीं कर रही थी। मंडल के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रैसपिटेटर्स के संवर्धन को प्राप्त करने के लिए, सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन स्तर को नीचे लाने के लिए, विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण व्यय के लाभों को बढ़ाने के लिए, निस्सरण उपचार संयंत्रों की कार्यकुशलता बढ़ाने एवं प्रदूषण परिवीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण के लिए आवश्यकय कंदम उठाने होंगे।

[▲] *संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन 2003-05 के दौरान 7.71 लाख रुपए, अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन 2003-04 में 3.23 लाख रुपए एवं सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन 2003-04 में 8.88 लाख रुपए।*

मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन

वित्तीय रूप से अव्यवहारिक परियोजना पर परिहार्य व्यय।

दो मंजिला परियोजना के निर्माण में व्यपहार्यता का निर्धारण किया बिना लिए गए अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 76.08 लाख रूपये का परिहार्य व्यय।

4.18 छिन्दवाडा स्थित वर्तमान गोदाम को दो मंजिला गोदाम में परिवर्तित कर 3600 मैट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता तैयार करने के उद्धेश्य से रूपांकन, सृजन, पेन्टिग, आपूर्ति एवं इंजीनियरिंग प्रणाली के निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन (निगम) ने वर्धमान प्रैसिशन प्रोफाइल्स एण्ड ट्यूवस (प्रायवेट) लिमिटेड (ठेकेदार) को 2.50 करोड़ रूपए में प्रदान किया (25 जून 2002)। निर्माण कार्य स्वचलित आधार पर वर्तमान ढॉचे को ध्वस्त किए बिना एवं गोदाम में रखे हुए माल को स्थानांतरित किए बिना ही करना था। तथापि, निगम ने निर्माण कार्य को देने के पूर्व ऐसे निर्माण की व्यवहार्यता का निर्धारण नही किया।

जिस समय निर्माण कार्य प्रगत्याधीन था, प्रबन्धन ने परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता की जॉच की (जनवरी 2003) तथा ठेकेदार को उस समय कार्य बन्द करने को कहा गया (जुलाई 2003) जबकि 19.08 लाख रूपए की लागत का कार्य पूर्ण हो चुका था तथा 60 लाख रूपए मूल्य का लोहे का ढॉचा निर्माण स्थल पर लाया जा चुका था। ठेकेदार ने निर्माण पूर्व सामग्री स्थापना व्यय, भुगतान में बिलम्ब के लिए ब्याज तथा लाभ इत्यादि की हानि के लिए 3.99 करोड़ रूपए के भुगतान की मांग की। विरोधाभासी विधिक मत के दृष्टिकोण के कारण (जुलाई 2004), निगम ने निर्माण कार्य को चालू रखने का निर्णय लिया (जुलाई 2004), लेकिन मूल अनुबन्ध के साथ परिशिष्ट जोड़ा कि नवीन दो मंजिला गोदाम का निर्माण सटे हुए स्थल पर किया जावेगा।

मंडल ने नए स्थल पर अतिरक्त निर्माण कार्य (ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य को छोडकर) की लागत 36.83 लाख रूपए तथा संशोधित लागत 3.07 करोड़ रूपए निर्धारित की तथापि, कार्य पूरा नही हो सका था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि (i) मंडल ने अपनी भंडारण क्षमता का निर्धारण वास्तविक आधार पर नहीं किया (ii) कार्य प्रदान करने के पूर्व, इस प्रकार के निर्माण के लिए लागत-सुलाभ विश्लेषण करने में विफल रहा (iii) ठेकेदार के साथ किए गए अनुबन्ध में बर्हिगमन की धारा सम्मिलित नही थी जिसमें की मंडल ऐसी परिस्थिति में अन्य विकल्प के योग्य होता (iv) यद्यपि मौलिक कार्य के बड़े व्यय को दृष्टिगत रखते हुए रोक दिया गया था, अनुबन्ध में जोड़े गए परिशिष्ट के फलस्वरूप लागत में 3.07 करोड़ रूपए की और वृद्धि हुई एवं (v) भारतीय मानक IS : 607 के अनुसार, 1000 रूपए मैट्रिक टन से अधिक की क्षमता वाले गोदाम के निर्माण की मानकीय लागत 1500 मैट्रिक टन थी, जिसके विरूद्ध मंडल को 5164 रूपए मैट्रिक टन का व्यय, भूमि की लागत को छोड़कर करना पड़ेगा, जिसमें औचित्य का अभाव है।

इस प्रकार बिना किसी लागत-सुलाभ विश्लेषण के दो मंजिला परियोजना को प्रारंभ करने के मंडल के निर्णय के परिणामस्वरूप 19.08 लाख रूपए का निष्फल व्यय पूर्व के स्थल पर हुआ। आगे मंडल को परियोजना को बढ़ी हुई लागत के अनुसार 57 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

मामला सरकार/मंडल को भेजा गया (जून 2005); उनका उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

माल के बीमे से संबंधित निर्णय का कार्यान्वयन करने में विफलता

मण्डल के निर्णय का कार्यान्वयन करने में विफलता के परिणामस्वरूप बीमा-किस्त के लिए 61.97 लाख रूपए का परिहार्य व्यय।

4.19 मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्ट्क्स कारपोरेशन (निगम) अपने माल गोदामों में भंडारित माल का बीमा जमा करने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए करता है। इस उद्धेश्य के लिए इसने स्व-क्षतिपूर्ति निधि के लिए अपने लाभ का 25 प्रतिशत अलग रख दिया (2000-01)। निदेशक मंडल की कार्यवाही समिति ने निर्णय लिया (नवम्बर 2001) कि 2002-03 से कम जोखिम वाले माल को स्व-क्षतिपूर्ति निधि के अंतर्गत एवं अधिक जोखिम वाले माल को अल्पकालिक बीमा-पत्र के द्वारा रक्षित किया जाय, जैसा कि सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा था।

तथापि, प्रबन्धन ने 2002-04 के दौरान गोदामों में माल को अलग-अलग किए बिना रखा। इतना ही नही, भूतकाल में अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या को ध्यान में न रखते हुए अग्नि इत्यादि के द्वारा सम्पत्ति की सम्भावित हानि के लिए लाभ के एक अंश को अलग रखे जाने के बावजूद निगम ने बीमा सुरक्षा ली एवं बीमा किश्त (प्रीमियम) का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि (दिसम्बर 2004) विगत चार वर्षो के दौरान (2000-04), केवल पॉच अग्नि दुर्घटना हुई थी जिससे 1.05 करोड़ रूपए की हानि हुई और उसके विरूद्ध निगम को बीमा कंपनी से केवल 23.10 लाख रूपए का दावा मिला तथा शेष 81.93 लाख रूपए की राशि को निगम को वहन करना पड़ा।

यदि प्रबन्धन ने माल को जोखिमवार अलग-अलग किया होता और अपनी निधियों का उपयोग केवल जोखिम रहित माल के लिए किया होता तथा केवल जोखिमपूर्ण माल का बीमा किया होता तो व्यय को न्यूनतम किया जा सकता था। इस निर्णय का कार्यान्वयन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप जोखिम-रहित माल के बीमे पर 61.97* लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2004) कि स्वः क्षतिपूर्ति निधि की राशि केवल 10-11 करोड़ रूपए थी, जो कि जमाकत्ताओं के माल की तुलना में जिसका मूल्य 500-600 करोड़ रूपए था, नगण्य थी।

** 2002-04 के दौरान निगम द्वारा जोखिमपूर्ण एवं जोखिम रहित माल को भण्डारण के आधार पर निकाला गया।*

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लेने के पूर्व इन तथ्यों को ध्यान में रखा था।

मामला सरकार को भेजा गया था (मई 2005); इसका उत्तर अभी अप्राप्त है (सितम्बर 2005)

मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम

राजस्व की हानि

निगम द्वारा वित्तदाताओं को अपने भुगतानों की बाध्यता का सम्मान करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1.46 करोड़ रूपए के निवल सम्भावित राजस्व का पूर्ववर्ती होना

4.20 मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम (निगम) ने 78.64 करोड़ रूपए मूल्य की 837 बसों के भाड़ा क्रय/पट्टा आधार पर अधिप्राप्ति के लिए वित्तदाता कम्पनियों से अनुबन्ध किया (जुलाई 1996 से फरवरी 2002) इसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-30*** में दिया गया है। अनुबन्ध की शर्तों में यह विनिर्दिष्ट था कि मासिक प्राप्त धन के भुगतान में चूक होने की दशा में वित्तदाता बकाया राशि पर तीन प्रतिशत प्रतिमाह के मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हकदार होगा। निगम ने तथापि वित्तदाताओं को प्राप्यधन का भुगतान नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (फरवरी 2005) कि अरिहन्त हायर परचेज कम्पनी, गुवाहाटी, वित्तदाताओं में से एक ने 31 दिसम्बर, 2004 को 1.32 करोड़ रूपए के मासिक प्राप्य धन के भुगतान में चूक के लिए 11 बसें जब्त कर ली (अगस्त 2003 में 10 एवं अगस्त 2004 में एक) निगम द्वारा समस्त 15 वित्तदाताओं को भुगतान किया गया कुल प्राप्य धन 31 मार्च 2005 के 50.24 करोड़ रूपए संगणित किया गया।

इस प्रकार निगम द्वारा अपने भुगतानों की बाध्यता का सम्मान करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप अगस्त 2003 से मार्च 2005 के दौरान 11 जब्त बसों से 1.46 करोड़ रूपए के निवल राजस्व के पूर्ववर्ती होने से अतिरिक्त वाहनों के स्वामित्व के विकल्प को खोना पड़ा तथा आगे निगम को प्राप्य धन का भुगतान 3 प्रतिशत प्रतिमाह के दांडिक ब्याज सहित करना होगा।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2005) कि वित्तीय संकट के कारण पुर्नभुगतान नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों कि निगम को इस बात की जानकारी थी कि चूक के कारण वाहनों की जब्ती होगी इसलिए बसों के बेड़े का आवश्यक प्रचालन के लिए वित्तीय बचनबद्धता को पूरा करने की व्यवस्थाय करनी चाहिए थी।

मामला सरकार को भेजा गया था (जून 2005); इसका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (सितम्बर 2005)

अतिरिक्त मांग प्रभार एवं शास्ति का परिहार्य व्यय

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर संविदा मांग को विनियमन में एवं शुल्क दर (टेरिफ)अनुसूची के अनुसार पावर फैक्टर के संधारण में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप 22.12 लाख रूपए का परिहार्य व्यय।

4.21 मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम (निगम) का संभागीय कार्यालय, जबलपुर अप्रैल 1999 से अपने करमेटा स्थित कारखाने में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) से 235 के.वी.ए.संविदा मांग के अनुसार उच्च दाव विद्युत आपूर्ति का लाभ उठा रहा था। मंडल की शुल्क दर अनुसूची में न्यूनतम 90 प्रतिशत औसत मासिक पावर फैक्टर को संधारित करने की अपेक्षा थी जिसमें विफल रहने पर शास्ति का प्रावधान लागू होना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मार्च 2004 से जुलाई 2004) कि संभाग ने (अप्रैल से मई 2004 तक) केवल 39 से 73 प्रतिशत की परिसीमा में पावर फैक्टर का संधारण किया, जिसके परिणामस्वरूप निम्न पावर फैक्टर के लिए 16.23 लाख रूपए की शास्ती का भुगतान किया। आगे पूर्वकथित अवधि के दौरान वास्तविक मांग 44 के.वी.ए.से 98 के.वी.ए. की परिसीमा में रही जिसके परिणामस्वरूप संभाग ने न्यूनतम मांग प्रभारों के लिए (वास्तविकता से अधिक) 5.89 लाख रुपये मूल्य का भुगतान किया।

इस प्रकार, वास्तविक आवश्यकता के अनुसार संविदा मांग का विनियमन करने में निगम की विफलता के परिणाम स्वरूप 22.12 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ। संभाग ने बताया (मार्च एवं जुलाई 2004) कि 50 के.वी.ए. तक की संविदा मांग को घटाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि निगम ने मार्च 2004 में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की थी।

मामले को सरकार/निगम के पास भेजा गया (जून 2005); उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (सितम्बर 2005)।

सामान्य

निरीक्षण प्रतिवेदनों प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के प्रत्युत्तर

4.22 लेखापरीक्षा के दौरान स्थल पर निराकृत नहीं की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुखों एवं राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों को भेजी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को छः सप्ताह की अवधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से भिजवाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के 28 उपक्रमों से संबंधित मार्च 2005 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रकट हुआ कि सितम्बर 2005 के अंत तक 2040 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 5492 कंडिकाएं बकाया रहीं। इनमें से 4711

कंडिकाओं सहित 1893 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर एक वर्ष से 19 वर्ष तक की अवधि में नहीं दिए गए हैं ***(परिशिष्ट -31)***

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिकाएं एवं समीक्षाएं संबंधित प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्ध शासकीय पत्रों के माध्यम से तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि तथा उन पर अपनी टिप्पणियॉ छः सप्ताह की अविध में प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जाती है। तथापि यह देखा गया कि दिसम्बर 2004 एवं जुलाई 2005 के मध्य विभिन्न विभागों को जारी किए गए समस्त 21 प्रारूप कंडिकाओं एवं तीन प्रारूप समीक्षाओं जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है के उत्तर प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2005)।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर निर्धारित समय सीमा में भेजने में विफल रहे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रक्रिया विद्यमान है

(ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली, समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार करने हेतु कार्यवाही की जाये, एवं (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का प्रत्युत्तर देने की प्रणाली के स्वरूप में सुधार लाया जाये।

जय नारायण

(जय नारायण गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

ग्वालियर
दिनांक 12 MAR 2006

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. न. कौल

(विजयेन्द्र एन.कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 21 MAR 2006

परिशिष्ट-1

(कंडिका 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.17 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2005 को बका ऋणों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण-पत्रक

(स्तम्भ 3(क) से 4(च) में आँकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	चालू वित्त वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण	2004-05 के अंत में बकाया ऋण			2004-05 के लिए ऋण-अंशपूंजी अनुपात (विगत वर्ष) 4च/3ड
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकारी	धारक कम्पनी	अन्य	कुल	अंशपूंजी	ऋण	अन्य ऋण	सरकार	अन्य	कुल	
1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
	सरकारी कम्पिनयाँ												
	कार्यशील												
(क)	**कृषि एवं सम्बद्ध**												
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	209.50	120.00	--	--	329.50	--	--	--	197.16	--	197.16	0.60:1 (0.60:1)
	योग (क)	**209.50**	**120.00**	--	--	**329.50**	--	--	--	**197.16**	--	**197.16**	**0.60:1 (0.60:1)**
(ख)	**उद्योग**												
2.	म.प्र.ट्रेड एण्ड इण्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन मर्यादित	80.25	--	--	--	80.25	--	--	--	--	--	--	--
3.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	267.75	15.00	--	--	282.75	--	--	--	--	--	--	--
4.	पिथमपुर ऑटोक्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	--	--	--	1.00	1.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	**348.00**	**15.00**	--	**1.00**	**364.00**	--	--	--	--	--	--	--
(ग)	**इलेक्ट्रॉनिक्स**												
5.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित	2191.25	--	--	--	2191.25	--	--	--	--	--	--	--
6.	क्रिस्टल आई.टी. पार्क इंदौर मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ग)	**2191.25**	--	**5.00**	--	**2196.25**	--	--	--	--	--	--	--

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
(घ)	**हाथकरघा एवं हस्तशिल्प**												
7..	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित	1.70	52.00	72.46	--	126.16	--	--	73.75	6.00	348.69	354.69	2.81:1 (3.04:1)
	योग (घ)	**1.70**	**52.00**	**72.46**	**--**	**126.16**	**--**	**--**	**73.75**	**6.00**	**348.69**	**354.69**	**2.81:1 (3.04:1)**
(ङ)	**वन**												
8.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित	3793.16	138.60	--	--	3931.76	--	--	--	--	900.00	900.00	0.23:1 (0.23:1)
	योग (ङ)	**3793.16**	**138.60**	**--**	**--**	**3931.76**	**--**	**--**	**--**	**--**	**900.00**	**900.00**	0.23:1 (0.23:1)
(च)	**खनन**												
9.	म.प्र. राज्य खनन निगम मर्यादित	219.59	--	--	--	219.59	--	--	--	--	--	--	--
	योग (च)	**219.59**	**--**	**--**	**--**	**219.59**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
(छ)	**निर्माण**												
10.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	600.00	--	--	--	600.00	--	428.25	--	--	641.39	641.39	1.07:1 (3.04:1)
11.	म.प्र. रोड़ डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1000.00	--	--	--	1000.00	1000.00	--	--	--	--	--	--
	योग (छ)	**1600.00**	**--**	**--**	**--**	**1600.00**	**1000.00**	**428.25**	**--**	**--**	**641.39**	**641.39**	**0.40:1 (3.04:1)**
(ज)	**क्षेत्र विकास**												
12	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित	--	--	135.01	--	135.01	-	--	--	--	--	--	--
13.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित	--	--	165.00	--	165.00	--	--	30500.00	--	30500.00	30500.00	184.51:1
14.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित	--	--	133.11	0.01	133.12	--	--	--	--	--	--	-- --
15.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित	--	--	80.00	--	80.00	--	--	--	71.29	75.00	146.29	1.83:1 (2.14:1)
16.	इण्डस्ट्रीयल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ग्वालियर) मर्यादित	--	--	75.00	--	75.00	--	--	--	--	--	--	-- --
17.	एरा.ई.जेड. इंदौर लिमिटेड	--	--	1497.40	--	1497.40		--	--	--	--	--	--
	योग (ज)	--	--	**2085.52**	**0.01**	**2085.53**		--	**30500.00**	**71.29**	**30575.00**	**30646.29**	**14.69:1 (0.29:1)**
(झ)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास**												
18.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	674.85	--	--	--	674.85	30.00	--	325.00	57.80	3318.46	3376.26	5.00:1 (4.92:1)

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
19.	म.प्र. आदिवासी वित्त एव विकास निगम मर्यादित	1067.00	769.00	--	--	1836.00	--		--	--	3060.46	3060.46	1.67:1 (-)
	योग (झ)	**1741.85**	**769.00**	--	--	**2510.85**	**30.00**	--	**325.00**	**57.80**	**6378.92**	**6436.72**	**2.56:1 1.28:1**
(ञ)	**सार्वजनिक वितरण**												
20.	म.प्र. रिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	1200.00	--	--	--	1200.00	--	--	--	--	--	--	-- --
	योग (ञ)	**1200.00**	--	--	--	**1200.00**	--	--	--	--	--	--	-- --
(ट)	**पर्यटन**												
21.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	2497.29	--	--	--	2497.29	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ट)	**2497.29**	--	--	--	**2497.29**	--	--	--	--	--	--	--
(ठ)	**वित्त**												
22.	दी प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित	49.26	--	--	0.40	49.66	--	--	--	--	--	--	--
23.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	8109.18	--	--	--	8109.18	--	--	--	1364.27	33917.11	35281.38	4.35:1 (4.35:1)
	योग (ठ)	**8158.44**	--	--	**0.40**	**8158.84**	--	--	--	**1364.27**	**33917.11**	**35281.38**	**4.32:1 (4.32:1)**
(ड)	**विविध**												
24.	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	68.92	--	--	--	68.92	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ड)	**68.92**	--	--	--	**68.92**	--	--	--	--	--	--	--
(ढ)	**ऊर्जा**												
25.	म.प्र. विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित	5.01	--	--	--	5.01	--	--	--	--	--	--	--
26.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	5.01	--	--	--	5.01	--	--	---	--	--	--	--
27.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	5.01	--	---	--	5.01	--	--	--	--	7.22	7.22	1.44:1 (1.44:1)
28.	म.प्र. विद्युत निर्माण कंपनी मर्यादित	5.01	--	--	--	5.01	--	--	--	--	--	--	--
29.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	5.01	--	--	--	5.01	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ढ)	**25.05**	--	--	--	**25.05**	--	--	--	--	**7.22**	**7.22**	**0.29:1 (--)**
	योग-(क)	**22054.75**	**1094.60**	**2162.98**	**1.41**	**25313.74**	**1030.00**	**428.25**	**30898.75**	**1696.52**	**72768.33**	**74464.85**	**2.94:1 (1.84:1)**

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
ख	**सांविधिक निगम**												
1	म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड	16961.71	--	--	--	16961.71	--	37144.11	--	92975.99	285910.02	378886.01	22.34:1 (20.56:1)
2.	म.प्र. राइक परिवहन निगम	10995.53	3185.35	--	--	14180.88	--	400.00	--	2149.60	2102.73	4252.33	0.30:1 (0.30:1)
3.	म.प्र. वित्त निगम	5427.84	--	--	2101.15	7528.99	150.00	--	--	142.65	41218.22	41360.87	5.49:1 (4.94:1)
4	म.प्र. वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन	428.08	--	--	378.08	806.16	--	--	4.00	--	4.00	4.00	0.01:1 (-)
	योग-ख	**33813.16**	**3185.35**	**--**	**2479.23**	**39477.74**	**150.00**	**37544.11**	**4.00**	**95268.24**	**329234.97**	**424503.21**	**10.75:1 (9.90:1)**
	योग-क+ख	**55867.91**	**4279.95**	**2162.98**	**2480.64**	**64791.48**	**1180.00**	**37972.36**	**30902.75**	**96964.76**	**402003.30**	**498968.06**	**7.70:1 (6.94:1)**
ग. अकार्यशील कम्पनियाँ													
(क)	**कृषि एवं संबंद्ध**												
1	म.प्र. उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित	592.29	--	--	--	592.29	--	--	--	--	--	--	--
2.	म.प्र. राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	**592.29**	--	--	--	**592.29**	--	--	--	--	--	--	--
(ख)	**उद्योग**												
3.	म.प्र. चर्म विकास निगम मर्यादित	154.29	--	--	--	154.29	--	--	--	--	--	--	--
4.	म.प्र. फिल्म विकास निगम मर्यादित	103.84	--	--	--	103.84	--	--	--	--	--	--	--
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	1511.67	--	--	--	1511.67	--	--	--	3254.46	--	3254.46	2.15:1 (2.14:1)
	योग (ख)	**1769.80**	--	--	--	**1769.80**	--	--	--	**3254.46**	--	**3254.46**	**1.84:1 (1.83:1)**
(ग)	**इलेक्ट्रोनिक्स**												
6.	आप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड	--	--	1500.00	896.72	2396.72	--	--	2515.36	--	4601.22	4601.22	1.92:1 (10.78:1)
	योग (ग)	--	--	**1500.00**	**896.72**	**2396.72**	--	--	**2515.36**	--	**4601.22**	**4601.22**	**1.92:1 (0.87:1)**
(घ)	**वस्त्र**												
7.	म.प्र. स्टेट वस्त्र निगम, मर्यादित	685.95	--	--	--	685.95	--	--	--	8481.98	110.20	8592.18	12.53:1 (12.53:1)
	योग (घ)	**685.95**	--	--	--	**685.95**	--	--	--	**8481.98**	**110.20**	**8592.18**	**12.53:1 (12.53:1)**

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
(ड़)	निर्माण												
8.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ड़)	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--	--	--
(च)	वित्त												
9.	म.प्र. पंचायतीराज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम, मर्यादित	27.25	--	--	15.67	42.92	--	--	--	--	--	--	--
	योग (च)	27.25	--	--	15.67	42.92	--	--	--	--	--	--	--
	महायोग ग	3575.29	--	1500.00	912.39	5987.68	--	--	2515.36	117.36.44	4711.42	16447.86	2.75:1 (2.32:1)
	महायोग (क+ख+ग)##	59443.20	4279.95	3662.98	3393.03	70779.16	1180.00	37972.36	33418.11	108701.20	406714.72	515415.92	7.28:1 (6.54:1)

टिप्पणी: *उन कम्पनियों को जिन्होंने वर्ष 2004-05 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है (क्रम संख्या क्र. 20, 25, 26, 28 एवं स्व 3, 4) को छोड़कर जानकारी अनन्तिम है और कम्पनियों/निगमों द्वारा दिये गये है।*

** *2004-05 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों को प्रदर्शित करते है।*

@ *इन राशियों में बंधपत्र, ऋणपत्र, इन्टर कारपोरेट डिपोजिट आदि शामिल है।*

$ *वर्ष के अंत में निर्माणाधीन कार्य के विरूद्ध समायोजन किया गया है।*

\# *चूंकि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 2004-05 के लिये कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं अतः विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के लिये स्वीकार कर लिया गया है।*

\## *सरकारी उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 1681.44 करोड़ रुपये (अन्य का 4180.51 करोड़ रुपये) है। वित्त लेखे के अनुसार निवेश 3531.76 करोड़ रुपये है। अन्तर का समायोजन किया जा रहा है।*

परिशिष्ट-2

(कंडिका क्रमांक 1.6,1.7,1.13,1.19 एवं 1.20 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश

(स्तंभ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपयों में)

क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूंजी (क)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (ख)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	बकाया रहे लेखाओं की अवधि वर्षों में	कुल बिक्री	जनशक्ति
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
सरकार कंपनियां														
कार्यशील														
कृषि एवं सम्बद्ध														
म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	कृषि	21-03-1969	2001-02	2004-05	(+)48.22	--	329.50	(-)32.15	1662.88	(+)70.97	4.27	03	20876.12	582
योग (क)					**(+)48.22**	--	**329.50**	**(-)32.15**	**1662.88**	**(+)70.97**	4.27	**03**	**20876.12**	**582**
उद्योग														
म.प्र.ट्रेड एण्ड इण्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	14-02-1977	2003-04	2005-06	(+)68.70	--	80.25	(+)502.41	582.67	(+)68.70	11.79	01	9459.31	12
म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-12-1961	2002-03	2004-05	(+)79.83	--	282.75	(+)1065.85	1168.86	(+)79.83	6.83	01	3286.46	387
पिथमपुर ऑटोक्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	27.12.2004	प्रथम लेखे तैयार नहीं हुये है।										-	-
योग (ख)					**(+)148.53**	--	**363.00**	**(+)1568.26**	**1751.53**	**148.53**	**8.42**	**02**	**12745.77**	**399**
इलेक्ट्रोनिक्स														
म.प्र. राज्य इलेक्टॉनिक्स विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	18-11-1983	2003-04	2005-06	(-)56.19	-	2191.25	(+)765.41	3198.49	(-)56.19	--	01	237.52	73
क्रिस्टल आई.टी. पार्क इंदौर लिगिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.09.2004	प्रथम लेखे तैयार नहीं हुये है।										-	-
योग (ग)					**(-)56.19**	-	**2191.25**	**(+)765.41**	**3198.49**	**(-)56.19**	--	**01**	**237.52**	**73**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
(घ)	**हाथकरघा एवं हस्तशिल्प**														
7.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित	ग्राम उद्योग विभाग	18-11-1981	2003-04	2005-06	(-)11.89	--	106.16	(-)208.64	1261.96	(+)4.63	0.37	04	1691.63	34
	योग (घ)					**(-)11.89**	--	**106.16**	**(-)208.64**	**1261.96**	**(+)4.63**	**0.37**	**04**	**1691.63**	**34**
(ङ)	**वन**														
8.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	24-07-1975	2003-04	2004-05	(+)227.44	--	3931.76	(+)784.42	5695.40	(+)227.47	3.99	01	1649.72	119
	योग (ङ)					**(+)130.23**	**23.46**	**3931.76**	**(+)784.42**	**5695.40**	**(+)227.47**	**3.99**	**01**	**1649.72**	**119**
(च)	**खनन**														
9	म.प्र. राज्य खनन निगम मर्यादित	खनिज संसाधन विभाग	19-01-1962	2003-04	2005-06	(+)472.98	--	219.59	(+)998.06	1069.29	(+)472.98	44.23	01	2356.18	45
	योग (च)					**(+)472.98**	--	**219.59**	**(+)998.06**	**1069.29**	**(+)472.98**	**44.23**	**01**	**2356.18**	**45**
(छ)	**निर्माण**														
10.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	गृह (पुलिस)	31-03-1981	2003-04	2005-06	(+)17.03	--	600.00	(-)78.08	2552.12	(+)17.03	0.67	01	111.64	14
11	म.प्र. रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी.	14.07.2004	प्रथम लेखे तैयार नहीं हुये है।											
	योग (छ)					**(+)17.03**	--	**600.00**	**(-)78.08**	**2552.12**	**(+)17.03**	**0.67**	**01**	**111.64**	**14**
(ज)	**क्षेत्र विकास**														
12.	म.प्र. औद्यो. विकास निगम (भोपाल) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-10-1987	2002-03	2004-05	(-)47.12	(-)12.09	135.01	(+)137.55	272.56	(-)47.12	--	02	267.88	273
13.	म.प्र. औद्यो. विकास (इंदौर) निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2002-03	2005-06	(+)77.19	--	165.00	(+)456.96	5119.53	(+)95.99	1.87	02	670.91	217
14.	म.प्र. औद्यो. विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2003-04	2005-06	(-)10.68	--	133.12	(+)643.19	773.45	(-)10.68	--	01	47.26	70
15.	म.प्र. औद्यो. विकास निगम (शैवा) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2002-03	2005-06	(+)457.20	-	80.00	(-)41.49	447.87	(+)469.20	104.76	02	--	99
16.	इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ग्वालियर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-05-1985	2002-03	2004-05	(+)0.92	--	75.00	(+)108.28	187.70	(+)1.03	0.55	02	0.74	160

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
17.	एस.ई.जेड. इंदौर लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	20.02.2003	प्रथम लेखे तैयार नहीं हुये है।									02		
	योग (ज)					**(+)477.51**	--	**588.13**	**(+)1304.49**	**6801.11**	**(+)508.42**	**7.48**	**11**	**986.79**	**819**
(झ)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास**														
18.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	29-09-1994	1998-99	2004-05	(+)9.23	--	354.17	(-)7.21	1931.30	(+)55.12	2.85	06	19.90	23
19.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	29-09-1994	2000-01	2004-05	(-)14.66	--	1577.00	(+)72.30	4637.14	(+)220.99	4.76	04	195.83	117
	योग (झ)					**(-)5.43**	--	**1931.17**	**(+)65.09**	**6568.44**	**(+)276.11**	**4.20**	**10**	**215.73**	**140**
	सार्वजनिक वितरण														
20	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	03-04-1974	2004-05	2005-06	(+)1968.62	--	1200.00	(+)2057.54	6976.35	(+)2775.60	39.79	--	68246.77	922
	योग (ञ)					**(+)1968.62**	--	**1200.00**	**(+)2057.54**	**6976.35**	**(+)2775.60**	**39.79**	**--**	**68246.77**	**922**
(ट)	**पर्यटन**														
21.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	पर्यटन	24-05-1978	2002-03	2005-06	(+)27.31	--	2497.29	(-)1223.51	4507.88	(+)27.41	0.61	02	971.63	782
	योग(ट)					**(+)27.31**	--	**2497.29**	**(-)1223.51**	**4507.88**	**(+)27.41**	**0.61**	**02**	**971.63**	**782**
(ठ)	**वित्त**														
22.	दि प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित	वित्त	04-12-1926	2003-04	2005-06	(+)180.31	-	49.66	(+)604.89	343.08	(+)180.31	52.56	01	288.31	26
23.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	13-09-1965	2003-04	2004-05	(-)6022.56	--	8109.18	(-)64867.92	63318.54	(-)2823.72	--	01	387.73	104
	योग (ठ)					**(-)5842.25**	-	**8158.84**	**(-)64263.03**	**63661.62**	**(-)2643.41**	**--**	**02**	**676.04**	**130**
(ड)	**विविध**														
24	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	ऊर्जा	25-08-1982	2003-04	2004-05	(-)268.31	--	68.92	(+)125.42	266.32	(-)268.31	--	01	6.66	242
	योग (ड)					**(-)268.31**	--	**68.92**	**(+)125.42**	**266.32**	**(-)268.31**	**--**	**01**	**6.66**	**242**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	
(द)	ऊर्जा														
25.	म.प्र. पारेषण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	22-11-01	2004-05	2005-06	--	--	5.01	--	(-)2.03	--	--	--	--	--
26.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2004-05	2005-06	--	--	5.01	--	4.82	--	--	--	--	--
27.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2003-04	2004-05	--	--	5.01	--	(-)2.03	--	--	01	--	--
28	म.प्र. विद्युत निर्माण कंपनी मर्यादित	ऊर्जा	22-11-01	2004-05	2005-06	--	--	5.01	--	(-)4.51	--	--	--	--	--
29	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2003-04	2004-05	--	--	5.01	--	(-)1.70	--	--	01	--	--
	योग (द)					--	--	**25.05**	--	**(-)5.45**	--	--	**02**	--	--
	योग-क					**(-)2796.43**	--	**22210.66**	**(-)58136.72**	**105967.94**	**(+)1561.24**	**1.41**	**41**	**110772.2**	**6228**
ख	**सांविधिक निगम**														
1.	म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	01-04-1957	2003-04	2005-06	(-)15105.34	--	16961.71	(-)236139.10	64470.22	(-)53429.35	82.87	01	496285.00	5923
2.	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	21-05-1962	2003-04	2005-06	(-)4759.69	--	14180.88	(-)73589.50	58973.46	(-)3593.42	--	01	18861.00	1064
3.	म.प्र. वित्त निगम	वित्त	30-06-1955	2004-05	2005-06	(-)638.95	--	7814.29	(-)22193.56	47569.85	(+)2738.73	5.75	--	3273.62	295
4.	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	19-02-1958	2004-05	2005-06	(-)537.75	--	806.16	(+)6554.07	8518.42	(+)800.50	9.40	--	3471.24	1531
	योग-ख					**(+)10244.47**	--	**39763.04**	**(-)325368.09**	**179531.95**	**(+)53375.16**	**29.73**	**02**	**521890.86**	**7170**
	महायोग (क+ख)					**(+)7448.04**	--	**61973.70**	**(-)383504.81**	**285499.89**	**(+)54936.40**	**19.24**	**43**	**632740.74**	**7793**
ग	**अकार्यशील कंपनियां**														
(क)	**कृषि**														
1.	म.प्र. उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित	जल संसाधन विभाग	13-07-1976	1992-93	2005-06	(-)5.34	--	592.29	(-)629.73	(-)32.50	(-)5.34	--	12	--	
2	म.प्र. राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित	कृषि	22-03-1975	2001-02	2002-03	**चूंकि अप्रैल 1983 से सभी परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को मध्यप्रदेश दुग्ध सहकारी संघ द्वारा अधिग्रहीत किया गया है इसलिये लाभ-हानि खाता तैयार नहीं किया गया।**							**3**		
	योग (क)					**(-)5.34**	--	**592.29**	**(-)629.73**	**(-)32.50**	**(-)5.34**	--	**15**	--	
(ख)	**उद्योग**														
3.	म.प्र. चर्म* विकास निगम मर्यादित	जल संसाधन विभाग	25-11-1981	1994-95	2002-03	(+)2.54	(-)0.54	71.79	(+)34.54	(+)717.68	(+)2.85	0.40	10	65.11	1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	
4.	म.प्र. फिल्म विकास निगम मर्यादित	संस्कृति विभाग	16-12-1981	2003-04	2004-05	चूंकि दिसंबर 1998 से कंपनी स्वैच्छिक रूप से बंद हो गई अतः लाभ-हानि खाते तैयार नहीं किये गये।							01	--	
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	11-04-1961	2002-03	2004-05	(-)355.04	--	1511.67	(-)4883.40	(+)965.85	(-)334.24	--	02	230.17	
योग (ख)						**(-)352.50**	**(-)0.54**	**1583.46**	**(-)4848.86**	**(+)1683.53**	**(-)331.39**	-	**13**	**295.28**	
(ग)	**इलेक्ट्रॉनिक्स**														
6	ऑप्टेल टेलीकम्युनीकेशन लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	23-12-1988	2003-04	2005-06	(-)592.12	--	2396.72	(-)7073.06	(+)4443.76	(-)554.02	--	01	--	
योग (ग)						**(-)592.12**	--	**2396.72**	**(-)7073.06**	**(+)4443.76**	**(-)554.02**	--	**01**	--	
(घ)	**वस्त्र**														
7	म.प्र. राज्य वस्त्र उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	27-11-1970	2003-04	2004-05	(-)492.26	--	685.95	(-)10021.07	(-)284.96	(-)863.01	--	01	1.86	
योग (घ)						**(-)492.26**	--	**685.95**	**(-)10021.07**	**(-)284.96**	**(-)863.01**	--	**01**	**1.86**	
(ङ)	**निर्माण**														
8.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	पी.डब्ल्यू.डी	04-10-1978	1989-90	1993-94	(-)112.99	-	500.00	(-)215.04	(+) 286.90	(-)112.99	-	15		
योग (ङ)						**(-)112.99**	-	**500.00**	**(-)215.04**	**(+) 286.90**	**(-)112.99**	-	**15**		
(च)	**वित्त**														
9.	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30-03-1981	2003-04	2004-05	(+)4.89	--	42.92	(+)44.24	(+)88.14	(+)4.89	5.55	01	6.41	
योग (च)						**(+)4.89**	--	**42.92**	**(+)44.24**	**(+)88.14**	**(+)4.89**	**5.55**	**01**	**6.41**	
योग ग						**(-)1550.32**	-	**5801.34**	**(-)22743.52**	**(+)6184.87**	**(-)1861.86**	--	**46**	**303.55**	71
महायोग (क+ख+ग)						**(+)5897.72**	--	**67775.04**	**(-)406248.33**	**291684.76**	**(+)53074.54**	**18.20**	**89**	**633044.29**	78

(A) *नियोजित पूंजी शुद्ध परिसम्पत्तियों (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) एवं कार्यचालन पूंजी, उन वित्तपोषी कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, स्वतंत्र आरक्षित निधियों, बंधपत्रों, जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष के योग के औसत रूप में परिगणित की जाती है, को प्रदर्शित करती है।*

(B) *नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है या हानि से घटाया गया है।*

* *कम्पनी ने अपने लेखे लेखापरीक्षा के कथन पर पुनरीक्षित किये।*

** *पूर्व में मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित के रूप में जाना जाता था।*

पा शिष्ट-3

(कंडिका 1.5 एवं 1.17 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन तथा मार्च 2005 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बका गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम्भ 3 (क) से 7 में आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां*					वर्ष के दौरान छोड़े गये बकाया गारंटियां*				ऋण जिन पर स्थगन की अनुमति दी गई	वर्ष के दौरान ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंक से नगद साख्	अन्य स्त्रोतों से ऋण	आयातों के संबंध में बैंकों द्वारा खोले गये साख पत्र	विदेशी पपामर्शियों अथवा संविदाकतओं के साथ अनुबंध के अधीन भुगतान दायित्व	योग	ऋणों के प्रति भुगतान का अपलेखन	छोड़े गये ब्याज	छोड़ा गया दाण्डिक ब्याज	योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क	**कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
(क)	**कृषि एवं सम्बद्ध**															
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	136.50 (1.00)	235.80 (-)	- -	372.30 (1.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (क)	**310.16 (1.00)**	**235.80 (-)**	- -	**372.30 (1.00)**	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	**उद्योग**															
2	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	- (17.54)	- -		- (17.54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	(1665.00)	-	-	(1665.00)											
	योग (ख)	- **(1682.54)**	-	-	- **(1682.54)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	**हाथकरघा एवं हस्तशिल्प**															
4.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित	- (80.57)	- (640.99)		- (721.56)	-	73.75 (601.31)			73.75 (601.31)	-	-	-	-	-	-
	योग (ग)	- **(80.57)**	- **(640.99)**		- **(721.56)**	-	**73.75 (601.31)**	-	-	**73.75 (601.31)**	-	-	-	-	-	-

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
(घ)	**निर्माण**															
5.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम	13462.82 (-)	--	--	13462.82	-	-- (641.39)	-	-	-- (641.39)	-	-	-	-	-	-
6.	म.प्र. रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	--	5053.90 (10761.00)		5053.90 (10761.00)	--										
	योग (घ)	**13462.82 (-)**	**5053.90 (10761.00)**	--	**18516.72 (10761.00)**	-	-- **(641.39)**	-	-	-- **(641.39)**	-	-	-	-	-	-
(ङ)	**क्षेत्र विकास**															
7.	म.प्र. औ.के.वि.नि. (इंदौर) मर्यादित	- (1589.49)	- (185.01)	-	- (1774.50)	--	- (--)	-	-	-- (--)	-	-	-	-	-	-
8.	म.प्र.औ.के.वि.नि. (जबलपुर) मर्यादित	17.27 (--)	100.00 (--)	--	117.27 (--)		-- (298.26)			-- (298.26)						
9.	इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	552.89 (--)	-- (--)		552.89 (--)	- -	(-)	-	-	-- (-)	-	-	-	-	-	-
10.	म.प्र.औ.के.वि.नि. (भोपाल) मर्यादित	- (80.00)	- (20.00)		- (100.00)											
	योग (ङ)	**570.16 (1669.49)**	**100.00 (205.01)**		**670.16 (1874.50)**	- -	-- **(298.26)**	- -	- -	-- **(298.26)**	-	-	-	-	-	-
(च)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास**															
11.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	- -	- -	- -	- -	- -	3318.46 (3318.46)	- -	- -	3318.46 (3318.46)						
12.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	- -	- (100.00)-	- -	- (100.00)-	- -	-- --	- -	- -	-- --						
	योग (च)	- -	- **(100.00)**	- -	- **(100.00)**	- -	**3318.46 (3318.46)**	- -	- -	**3318.46 (3318.46)**						
(छ)	**सार्वजनिक वितरण**															
13.	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन मर्यादित	12845.40 (--)	2677.00 (--)	- -	15522.40 (-)	1500.00	-	-	-	1500.00	-	-	-	-	-	
	योग (छ)	**12845.40 (--)**	**2677.00 (--)**	- -	**15522.40 (-)**	**1500.00**	-	-	-	**1500.00**	-	-	-	-	-	-
	पर्यटन															
14.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	937.30 (14.00)	447.87 (415.83)	- -	13851.17-- (429.83))	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
	योग (ज)	**937.30 (14.00)**	**447.87 (415.83)**	- -	**13851.17-- (429.83))**	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
(झ)	वित्त															
15.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	2035.00 (--)	--	--	2035.00 (--)	-- --	-- (1819.50)	--	--	-- (1819.50)						
	योग (झ)	**2035.00 (--)**	--	--	**2035.00 (--)**	--	-- **(1819.50)**	--	--	-- **(1819.50)**						
(ञ)	**विविध**															
16	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	48.31 (--)	677.00 (--)		725.31 (--)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ञ)	**48.31 (--)**	**677.00 (--)**		**725.31 (--)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (क)	**30035.49 (3447.60)**	**9191.57 (12122.83)**	- --	**39227.06 (15469.63)**	**1500.00**	**3392.21 (6678.92)**	--	--	**4892.21 (6678.92)**	--	--	--	--	--	--
B.	**कार्यशील सांविधिक निगम**															
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल**	- -	81839.32 (2692.66)	- -	81839.32 (2692.66)	- -	-	- -	- -	--						
2.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	-	--	- -	--	-- (154.84)	-- (1321.92)	-	-	-- (1476.76)						
3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	-	1.00 (-)	-	1.00 (-)	1500.00 (56479.76)	-	-	-	1500.00 (56479.76)						
	योग (ख)	--	**81840.32 (2692.66)**		**81840.32 (2692.66)**	**1500.00 (56634.60)**	-- **(1321.92)**			**1500.00 (57956.52)**						
	योग (क+ख)	**30035.49 (3447.60)**	**91031.89 (14815.49)**		**121067.38 (18162.29)**	**3000.00 (56634.60)**	**3392.21 (8000.84)**			**6392.21 (64635.44)**						--

* *कालम 3(क) से 3(घ) तक प्रकोष्ठों में दिये गये आंकडे अनुदान तथा कॉलम 4(क) से 4(ङ) तक के प्रकोष्ठों में दिये गये आंकड़े वर्ष के अंत में बकाया गारंटियाँ दर्शाते है।*

** *मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने 2004-2005 के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये है।*

परिशिष्ट-4

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

कार्यशील सांविधिक निगम			
1. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल			
	2001-02	**2002-03**	**2003-04**
क- देयताएं			
अंशपूंजी	169.62	169.62	169.62
सरकार से ऋण	390.62	581.28	929.76
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बंधपत्रों सहित)	3749.29	3492.67	3510.72
आरक्षित निधियाँ एवं आधिक्य	--	---	--
चालू देयताएं तथा प्रावधान	8522.21	9679.39	11835.86
योग (क)	**12831.74**	**13922.96**	**16445.96**
ख- परिसम्पत्तियाँ			
सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	9106.21	9819.19	11022.18
घटाएं-मूल्य ह्रास	4113.73	4598.45	5074.64
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	4992.48	5220.74	5947.54
प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य	1965.20	2098.52	2842.30
अस्थगित मूल्य	1.33	1.27	1.27
चालू परिसम्पत्तियाँ	3789.65	4355.94	5226.40
निवेश	194.05	218.13	290.25
लाभ-हानि खाता	1889.03	2028.36	2138.20
योग-(ख)	**12831.74**	**13922.96**	**16445.96**
ग- नियोजित पूंजी**	**5044.87**	**5545.24**	**2180.38**
2. म.प्र. सड़क परिवहन निगम			
	2001-02	**2002-03**	**2003-04**
क- देयताएं			
पूंजी (पूंजीगत ऋण तथा अंशपूंजी सहित)	182.37	141.82	141.82
उधारियाँ (सरकारी) (अन्य)	22.50 122.26	17.50 142.31	17.50 142.04
निधियाँ$	547.74	428.12	430.29
व्यापारिक दायित्व तथा अन्य चालू देयताऐं (प्रावधान सहित)	666.81	553.66	617.71
योग (क)	**1541.68**	**1283.41**	**1349.35**
ख- परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	634.52	461.07	458.01

** *नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाइ परिसम्पत्तयाँ एवं (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) कार्यशील पूंजी के जोड़ को प्रदर्शित करती है। कार्यशील पूंजी की गणना करते समय अस्थगित मूल्य तथा निवेश को चालू परिसम्पत्तियों से अलग रखा गया है।*

$ *मूल्य ह्रास निधियों को छोड़कर*

घटाएं- मूल्य ह्रास	77.87	55.20	53.69
निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	556.65	405.87	404.32
प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य (चेसिस की लागत मूल्य सहित)	4.65	3.44	3.23
निवेश	0.12	0.09	0.09
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	199.72	185.72	205.82
संचित हानि	780.54	688.29	735.89
योग-ख	**1541.68**	**1283.41**	1349.35
ग- नियोजित पूंजी#	**94.21**	**41.37**	**4.34**

3. मध्यप्रदेश वित्त निगम

	2002-03	2003-04	2004-05
क- देयताऐं			
प्रदत्त पूंजी	88.08	73.78	75.29
शेयर आवेदन राशि	--	--	--
आरक्षित निधियाँ तथा अन्य आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य	10.04	9.27	9.13
उधारियाँ			
(i) बंधपत्र एवं ऋणपत्र	282.60	228.62	220.40
(ii) सांविधिक जमा			
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	159.45	132.64	190.36
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	--	6.19	--
(v) शेयर पूंजी के लिए ऋणः (क) राज्य सरकार (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1.73 1.74	1.43 1.43	1.43 1.43
(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	--		
अन्य देयताऐं एवं प्रावधान	5.57	3.39	8.73
योग- क	**549.21**	**456.75**	**506.77**
ख- परिसम्पत्तियाँ			
नकद तथा बैंक शेष	5.36	15.59	17.70
निवेश	3.25	2.67	2.27
ऋण तथा अग्रिम	287.28	209.87	252.75
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	9.76	8.76	8.57
अन्य परिसम्पत्तियाँ	4.84	4.32	3.54
विविध व्यय	238.72	215.54	221.94
योग-ख	**549.21**	**456.75**	**506.77**
ग- नियोजित पूंजी*	**545.20**	**498.50**	**475.70**

 # नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) तथा कार्यशील पूंजी के जोड़ को प्रदर्शित करती है।

** नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, पूंजी के स्थान पर ऋण, सीडमनी, ऋण पत्र, आरक्षित निधि (उनके अतिरिक्त जिनके लिये विशेष रूप से निधियों की व्यवस्था की जाती है और जिनमें बाहय निवेश से सहयोग प्राप्त होता है) बंध पत्र, निक्षेप तथा उधारियों (पुनर्वित्त पोषण संहित) के आरंभिक तथा अंतशेष के कुल योग का औसत प्रदर्शित करती है।*

4. मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन			
	2002-03	**2003-04**	**2004-05**
क- देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	6.56	8.06	**8.06**
पूंजी के विरूद्ध अग्रिम	--		
आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य	65.57	72.73	**76.42**
उधारियाँ सरकार अन्य	 1.33 --	 -- 00	 -- **0.04**
व्यापारिक दायित्व तथा चालू देयताऐं (प्रावधानो सहित)	12.27	16.96	**25.10**
योग-क	**85.73**	**97.75**	**109.62**
ख- परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	93.68	99.29	**101.17**
घटाएं- मूल्य ह्रास	31.05	34.69	**38.32**
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियॉ	62.63	64.60	**62.85**
प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य	2.87	0.02	**1.36**
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	20.23	33.13	**45.41**
योग- ख	**85.73**	**97.75**	**109.62**
ग- नियोजित पूंजी	**73.46**	**80.79**	**84.49**

परिशिष्ट - 5

(कण्डिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

क - कार्यशील सांविधिक निगम				
1.	**मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल**			
	विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	4637.00	4794.50	5688.42
	(ख) सरकार से आर्थिक सहायता/परिदान	542.96	668.00	818.39
	योग	**5179.96**	**5462.50**	**6506.81**
2	राजस्व व्यय (पूंजी में परिणित शुद्ध व्यय) अमूर्त परिसम्पत्तियों के अपलेखन सहित परन्तु ह्रासमूल्य तथा ब्याज को छोड़कर	5452.55	4788.48	5591.43
3	वर्ष हेतु सकल आधिक्य(+)/घाटा(-)	(-)272.59	674.02	915.38
4	पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन	567.37	(-)0.08	95.57
5	वर्ष हेतु अंतिम सकल आधिकय(+)/घाटा(-)	(-)294.78	673.94	1010.95
6	विनियोजन			
	(क) ह्रासमूल्य (पूंजीगत को छोड़कर)	540.15	487.53	476.68
	(ख) सरकारी ऋणों पर ब्याज	206.07	62.77	87.34
	(ग) अन्य ब्याज, बंधपत्रों एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	732.24	746.05	826.61
	(घ) ऋण पर कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (ख+ग)	938.31	808.82	913.95
	(ड.) घटाएं पूंजीगत ब्याज	379.74	468.03	530.71
	(च) राजस्व को प्रभारित शुद्ध ब्याज (घ-ड.)	558.57	340.79	383.24
	(छ) कुल विनियोजन (क+च)	1098.72	828.32	859.92
7	राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के लेखांकन से पूव की अधिक्य (+)/घाटा(-) (5-6(छ)-1(ख))	(-)1646.90	(-)822.38	(-)667.36
8	शुद्ध आधिक्य(+)/घाटा(-)(5-6(छ))	(-)803.93	(-)154.38	(-)151.03
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(-)333.38	(-)279.30	(+)232.21
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत		–	**10.65**

** नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल आधिक्य/घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज (पूंजीगत ब्याज को छोड़कर) के योग को प्रदर्शित करता है ।*

2.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम**				
		2002-03 से 31-12-2002)	2002-03 (1-1-03 से 31-03-03)	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
1	परिचालन				
	(क) राजस्व	172.77	48.64	175.03	138.56
	(ख) व्यय	251.48	61.72	209.25	164.68
	(ग) बचत(+)/घाटा(-)	(-)78.71	(-)13.08	(-)34.22	(-)26.12
2	गैर परिचालन				
	(क) राजस्व	3.96	1.38	4.97	6.65
	(ख) व्यय	9.23	4.34	15.75	34.12
	(ग) बचत(+)/घाटा(-)	(-)5.27	(-)2.96	(-)10.78	(-)27.45
3	**योग**				
	(क) राजस्व	176.73	50.02	180.00	145.23
	(ख) व्यय	260.71	66.06	225.00	198.80
	(ग) शुद्ध व्यय	(-)83.98	(-)16.04	(-)45.00	(-)53.57
4	पूंजी तथा ऋण पर ब्याज	12.15	2.96	11.00	–
5	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ**	**(-)71.83**	**(-)13.08**	**(-)34.00**	**(-)53.57**
3.	**मध्यप्रदेश वित्त निगम**				
			2002-03	**2003-04**	**2004-05**
1	**आय**				
	(क) ऋण पर ब्याज		36.34	27.05	**29.66**
	(ख) अन्य आय		2.19	1.26	3.07
	योग - 1		**38.53**	**28.31**	**32.73**
2	**व्यय**				
	(क) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज		49.02	29.10	**28.21**
	(ख) अनिष्पादित परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान		5.90	3.97	**6.21**
	(ग) अन्य व्यय		7.41	6.75	**8.53**
	योग - 2		**62.33**	**39.82**	**42.95**
3	कर पूर्व लाभ (1-2)		23.80	11.51	**10.22**
4	कर हेतु प्रावधान		--	--	–
5	अन्य विनियोग		4.32	0.25	**(-)3.83**

** *31 दिसम्बर 2002 से मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच बंटवारे के कारण म.प्र.राज्य **सड़कम** परिवहन निगम ने वर्ष 2002-03 के लेखे दो चरणों, एक 31 दिसम्बर 2002 तक एवं दूसरा **1 जनवरी से** 31 मार्च 2003 तक में बनया है ।*

*नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल आधिक्य/घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल **ब्याज (पूंजीगत** ब्याज को छोड़कर) के योग को प्रदर्शित करता है ।*

6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि**	--	--	--
7	भुगतान हेतु लाभांश	47.29	38.90	38.90
8	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ**	**30.35**	**15.55**	**17.99**
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	5.58	3.12	3.78
4.	**मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन**			
		2002-03	**2003-04**	**2004-05**
	आय			
	(क) वेयर हाऊसिंग प्रभार (ख) अन्य आय	35.11 0.34	32.64 0.68	34.71 1.15
	योग	**35.45**	**33.32**	**35.86**
	व्यय			
	(क) स्थापन्न प्रभार	12.57	13.74	14.91
	(ख) अन्य प्रभार	9.28	8.75	12.21
	योग	**21.85**	**22.49**	**27.12**
	कर पूर्व लाभ (+)/हानि(-)	13.60	10.83	8.74
	अन्य विनियोग@	12.24	10.56	8.44
	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	1.36	0.27	0.30
	वर्ष हेतु लाभांश	1.36	0.27	0.30
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	**13.74**	**10.91**	**11.36**
	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	18.70	13.50	13.45

** *चालू वर्ष का लाभ विशिष्ट आरक्षित निधियों एवं करों के प्रावधान के उपरान्त लाभांश हेतु उपलब्ध लाभ को दर्शाती है ।*

@ *इसमें अवधि पूर्व समायोजन समाविष्ट नहीं है ।*

परिशिष्ट - 6

(कंडिका 1.12 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(क) कार्यशील सांविधिक निगम

1. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
	अधिष्ठापित क्षमता		**मेगावाट**	
(क)	ताप	2147.500	2147.500	2147.500
(ख)	जल	792.959	842.955	842.955
(ग)	गैस	--	--	
(घ)	अन्य	--	--	
	योग	**2940.459**	**2990.455**	**2990.455**
	सामान्य अधिकतम मांग	4632.000	4769.000	5662.000
	उत्पादित क्षमता :		(मेगा किलोवाट घण्टे)	
(क)	ताप	11288.861	13680.860	13168.440
(ख)	जल	2372.191	1890.550	2632.720
(ग)	गैस	--	--	--
(घ)	अन्य	--	--	--
	योग	**13661.052**	**15571.410**	**15801.160**
	घटाएं सहायक बंचत	--	--	--
(क)	ताप	1109.507	1315.050	1302.090
	(प्रतिशत)	(99.45)	(99.65)	(99.56)
(ख)	जल	6.121	4.610	5.700
	(प्रतिशत)	(0.55)	(0.35)	(0.44)
(ग)	गैस	--	--	--
	(प्रतिशत)	--	--	--
(घ)	अन्य	--	--	--
	(प्रतिशत)	--	--	--
	योग	**1115 628**	**1319.660**	**1307.790**
	(प्रतिशत)	**(8.17)**	**(9.66)**	**(8.28)**
	निवल उत्पादित विद्युत	12545.425	14251.750	14493.370
	क्रय की गई विद्युत	13124.575	12926.340	14000.130
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत	25670.00	27178.090	28493.500
	विक्रीत विद्युत	14730.138	15280.403	15996.060
	पारेषण तथा वितरण हानियाँ	10939.861	11897.687	12497.440
	लोड फैक्टर (प्रतिशत)	62.90	73.14	70.21

क्रम संख्या	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत की तुलना में पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशत	42.62	43.59	43.86
	विद्युतीकृत ग्रामों/नगरों की संख्या	50306	50400	50474
	विद्युतीकृत पम्प सैटों/कुओं की संख्या	1273195	1320923	1325092
	उपकेन्द्रों की संख्या	अनुपलब्ध	165066	172670
	पारेषण/वितरण लाइनें (कि.मी.में)			
(क)	उच्च/मध्यम विद्युत दाब (वोल्टेज)	अनुपलब्ध	185984	191898
(ख)	निम्न विद्युत दाब (वोल्टेज)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	335062
	सम्बद्ध भार (मेगावाट में)	8719	8624	8678
	उपभोक्ताओं की संख्या	6403122	6395646	6442961
	कर्मचारियों की संख्या	62077	60299	58774
	उपभोक्ताओं/कर्मचारियों का अनुपात	103.1	106:1	110:1
	वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपयों में)	768.01	814.25	1024.48
	कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिशतता	12.47	14.50	14.81
	विक्रीत यूनिट	**(मेगा किलोवाट घण्टे)**		
(क)	कृषि	4185.420	4974.183	5347.00
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(28.08)	(32.36)	33.10
(ख)	औद्योगिक	4154.416	4171.096	5617.000
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(27.88)	(27.14)	34.77
(ग)	वाणिज्यिक	596.787	651.589	608.000
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(4.00)	(4.24)	4.26
(घ)	घरेलू	3210.758	3243.067	3311.000
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(21.54)	(21.09)	20.50
(ङ)	अन्य	2757.663	2333.741	1190.956
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(18.50)	(15.19)	7.37
	योग	**14905.044**	**15373.676**	**16153.956**
		(पैसे प्रति किलोवाट)		
(क)	राजस्व (सरकार से आर्थिक सहायता छोड़कर)	290	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(ख)	व्यय*	349	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(ग)	लाभ(+)/हानि(-)	(-)59	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(घ)	सरकार से माँगी गई औसत आर्थिक सहायता (रुपयों में)	0.40	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(ङ)	औसत ब्याज प्रभार (रुपयों में)	0.65	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

* *राजस्व व्यय में मूल्यह्रास सम्मिलित है परन्तु दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज सम्मिलित नहीं है ।*

2.	**मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम**				
क्रम संख्या	**विवरण**	**2001-02**	**2002-03**		**2003-04**
			(31-12-02 तक)	**(01-01-03 से 31-03-03)**	
	धारित वाहनों की औसत संख्या	2547	1747	1745	1690
	मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या	1876	1435	1417	1269
	वाहनों के उपयोग का प्रतिशत	74	82	81	75
	कर्मचारियों की संख्या	14695	11199	11204	10665
	कर्मचारी वाहन अनुपात	6:1	6:1	8:1	8:1
	वर्ष के अंत में परिचालित मार्गो की संख्या	1376	अनुपलब्ध	1033	1033
	मार्ग किलोमीटर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	206561	206561
	परिचालित किलोमीटर (लाख में)				
(क)	सकल	2040.23	1396.10	380.32	1389.96
(ख)	प्रभावी	1976.16	1358.64	369.84	1351.49
(ग)	निष्क्रिय	61.07	37.46	10.48	38.47
	सकल कि.मी.की तुलना में निष्क्रिय कि.मी.की प्रतिशतता	2.99	2.68	2.76	2.76
	प्रतिदिन प्रति बस द्वारा औसत किलोमीटर	213	220	264	250
	प्रति कि.मी.परिचालन राजस्व (पैसे) पिछले वर्ष की आय की तुलना में (प्रतिशत)	1237 (-)3.66	1360 9.94	1538 11.00	1633 6.18
	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	1964	2044	2031	2045
	लाभ(+)/हानि(-) प्रति किलोमीटर (पैसे)	(-)727	(-)684	(-)493	(-)412
	प्ररिचालित आगारों की संख्या	57	57	47	47
	प्रति लाख कि.मी.पर कार्यभंग की औसत संख्या	6.90	7.00	8.90	6.90
	प्रति लाख कि.मी.पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.15	0.15	0.13	0.13
	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	607.48	600.00	553.54	391.94
	आकुपैन्सी अनुपात	60	61	62	60
	प्रतिलिटर परिचालित किलोमीटर	--	--	--	--
(क)	डीजल तेल	4.07	4.05	4.06	4.05
(ख)	इंजन तेल	609	605	605	6.50

(राशिः करोड़ रुपयों में)

3.	मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन			
	विवरण	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
	समाविष्ट केन्द्रों की संख्या	219	229	230
	वर्ष के अंत में सृजित भंडारण क्षमता (लाख टन में)			
	(क) स्वगोदाम	9.51	9.63	9.65
	(ख) किराये के गोदाम	2.28	2.04	2.13
	(ग) योग	**11.79**	**11.67**	**11.78**
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई औसत क्षमता (लाख टन में)	9.49	9.05	9.22
	उपयोग की प्रतिशतता	81	77	78
	प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रुपए)	373.61	368.18	388.93
	प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रुपए)	230.28	248.48	294.15

4.	मध्यप्रदेश वित्त निगम						
	विवरण	**2002-03**		**2003-04**		**2004-05**	
		संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
	वर्ष के प्रारंभ में लंबित आवेदन	15	16.36	13	2.37	14	5.20
	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	204	104.15	155	68.72	556	177.54
	योग	**219**	**120.51**	**168**	**71.09**	**570**	**182.74**
	संस्वीकृत आवेदन	180	107.02	136	54.95	515	162.23
	निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन	26	5.58	18	10.94	--	--
	वर्ष के अंत में लंबित किये गये आवेदन	13	2.37	14	5.20	41	9.83
	संवितरित ऋण	153	0.75	95	41.83	388	110.01
	वर्ष के अंत में बकाया ऋण*	3439	563.45	2733	452.91	2033	395.40
	वर्ष के अंत में वसूली हेतु अधिदेय राशिः						
	(क) मूलधन		120.63		105.82		93.54
	(ख) ब्याज		21.78		17.79		15.13
	योग		**142.41**		**123.61**		**108.67**
	वसूली प्रमाण पत्रों के प्रकरण में निहित राशि	-	-		--		
	योग	-	-		--		
	कुल बकाया ऋणों की तुलना में चूक का प्रतिशत		25.27		27.29		27.48

* *ब्याज सहित*

परिशिष्ट-7

(संदर्भ कंडिका 2.1.6)

31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों में मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाने वाले विवरणपत्र

(राशि लाख में)

	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां			
		वास्तविक (हितग्राही)	वित्तीय (रुपए)	वास्तविक (हितग्राही)	प्रतिशत	वित्तीय (रुपए)	प्रतिशत
(क)	राष्ट्रीय अनुसूचित आदिवासी वित्त एवं विकास निगम						
	2000-01	*850*	1255.00	558	66	557.37	44
	2001-02	570	1045.00	216	38	354.08	34
	2002-03	570	563.00	116	20	149.69	27
	2003-04	570	620.50	195	34	216.71	35
	2004-05	570	513.00	59	10	56.38	11
	योग (क)	**3130**	**3996.50**	**1144**	**36**	**1334.23**	**33**
(ख)	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम						
	2000-01	50	25.00	32	64	15.12	60
	2001-02	50	25.00	10	20	4.85	19
	2002-03	50	25.00	13	26	5.55	22
	2003-04	200	120.00	15	7.5	6.59	5
	2004-05	200	100.00	3	1.5	1.50	--
	योग (ख)	**550**	**295.00**	**73**	**13**	**33.61**	**11**
(ग)	राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक						
(i)	लागत						
	2000-01	*10000*	2500.00	*6928*	69	1413.32	57
	2001-02	*6475*	*1618.75*	5323	82	1037.76	64
	2002-03	*6475*	1618.75	6941	107	1986.08	122
	2003-04	*6500*	1950.00	5502	85	1542.77	79
	2004-05	*6500*	1430.00	231	04	54.22	04
	योग (ग)(i)	***35950***	**9117.50**	**24925**	**69**	**6034.15**	**66**
(ii)	*आर्थिक सहायता*						
	2000-01		600.00			391.86	65
	2001-02		388.50			242.65	62
	2002-03		*647.50*			724.82	112
	2003-04		750.00			563.20	75
	2004-05		1170.00			40.85	3
	योग (ग)(ii)		**3556.00**			**1963.38**	

परिशिष्ट - 8

(संदर्भ कंडिका 2.2.6, 2.2.7 एवं 2.2.10)

31 मार्च 2005 के अनुसार अधिप्राप्त भूमि, आबंटन योग्य भूमि, अधिप्राप्ति एवं विकास की अवधि तथा उस पर किया गया व्यय

(राशि लाख रुपए में)

औद्योगक केन्द्र विकास निगम का नाम	विकास केन्द्र का नाम	31.03.05 तक अधिप्राप्त भूमि (हेक्टेयर)	आवंटनीय भूमि (हेक्टेयर)	31.03.05 तक आवंटित भूमि (हेक्टेयर)	अनावंटित भूमि (हेक्टेयर)	कुल भूमि की तुलना में आबंटनीय भूमि का प्रतिशत	आवंटित योग्य भूमि की तुलना में आवंटित भूमि का प्रतिशत	आवंटित योग्य भूमि की तुलना में अनावंटित भूमि का प्रतिशत	अधिप्राप्ति की अवधि	विकास की अवधि	विकास पर व्यय	अधिप्राप्त भूमि की लागत	अवांटनीय की भूमि प्रति हेक्टेयर विकास लागत	अनावंटित भूमि पर व्यय	प्रति हेक्टेयर अधिप्राप्ति लागत	अनावंटित भूमि की अधिप्राप्ति लागत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
भोपाल	मंडीदीप I	777.843	545.00	536.260	8.740	70	98.4	1.6	दिस.1983	--	1283.78	109.00	2.36	20.63	0.20	1.75
	पेलूखेडी	228.000	160.00	78.570	81.430	70	49	51	अप्रैल 1987	--	1004.64	72.46	6.28	511.38	0.45	36.64
	मण्डीदीप II	324.403	227.400	निरंक	227.400	70	निरंक	100	अक्टूबर 1996	--	1322.91	93.90	5.817	1322.91	0.41	93.23
		1330.246	**932.400**	**614.830**	**317.570**	**70**	**66**	**34**			**3611.33**	**275.36**		**1854.92**		**131.62**
ग्वालियर	मालनपुर	1446.097	803.340	356.056	447.290	55.6	43.3	55.7	1985-92	--	5495.12	757.00	6.84	3059.46	0.94	420.45
	घिरोगीबामोर															
	चैनपुरा	289.000	239.360	181.136	58.224	82.8	75.7	24.3	1989	--	439.62	95.97	1.84	107.13	0.40	23.29
	प्रतापपुरा	340.097	118.220	97.320	20.900	34.8	82.3	17.7	1990-99	--	435.94	108.00	3.69	77.12	0.91	19.02
		90.000	31.080	8.120	22.960	34.5	26.1	73.9	1988-89	--	137.32	Nil	4.42	101.48	--	--
		2165.194	**1192.000**	**642.626**	**549.374**	**55**	**54**	**46**	-	-	**6508.00**	**960.97**	-	**3345.19**		**462.76**
इंदौर	पीथमपुरा	1876.280	1313.400	1135.680	177.720	70	86.5	13.5	1984-88	1984-90	788.80	निरंक	0.60	106.63	निरंक	निरंक
	खेड़ा देवास II	182.200	156.000	98.730	57.270	85.6	63.39	36.6	1992	1992-96	756.85		4.85	277.76		
	मक्सी	121.740	97.770	97.070	0.700	80.3	99.3	0.7	1982	1982-85	213.40		2.18	1.53		
	मेघनगर	88.850	66.640	64.860	1.780	75	97.3	2.7	1984	1984-87	36.92		0.55	0.98		
		223.750	167.810	35.000	132.810	75.00	20.9	79.1	1984	1984-87	150.12		0.89	118.20		
		2492.82	1801.62	1431.34	370.28	72.3	79.4	20.6			1446.09			508.64		
जबलपुर	मनेरी	517.270	236.259	54.090	182.169	45.7	22.9	77.1	1986-87	--	431.42	33.20	1.83	333.37	0.14	25.50
	बोरगांव	271.900	155.250	73.260	81.99	57	47.2	52.8	1987		1630.21	82.24	10.50	852.27	0.53	43.02
		789.170	**391.509**	**127.350**	**264.159**	**49.6**	**32.5**	**67.5**			**2061.63**	**115.44**		**1185.64**		**68.52**
महायोग		**6777.43**	**4317.529**	**2816.146**	**1501.383**	**63.7**	**65.2**	**34.8**			**14127.05**	**1351.77**	-	**6894.39**		**662.90**

परिशिष्ट - 9

(संदर्भ कंडिका 2.2.8)

नीव की परिकल्पना में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त व्यय के विवरण दर्शाने वाला विवरणपत्र

(क) मिट्टी कार्य की मात्रा में वृद्धि

विवरण	इकाई	सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क			जेम ज्वेलर्स पार्क			दर प्रति घन मीटर (रुपए)	अतिरिक्त व्यय		
									साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क (रुपए)	जेम ज्वेलर्स पार्क (रुपए)	योग (रुपए)
		अनुमानित मात्रा	वास्तविक मात्रा	वृद्धि	अनुमानित मात्रा	वास्तविक मात्रा	वृद्धि				
50 मीटर तक नीव हेतु मिट्टी खुदाई का कार्य, निजलन इत्यादि पूर्ण	एम 3	41996	66357.84	24361.84	15649.00	33694.76	18045.76	41.00	998835	739876	1738711
यांत्रिक रूप में पूर्णतः सहत चयनित उपलब्ध मिट्टी का भरण	एम 3	20000	38221.59	18221.59	12000.00	18433.40	6433.40	41.00	747085	263769	1010854
योग		**61996.00**	**104579.43**	**42583.43**	**27649.00**	**52128.16**	**24479.16**		**1745920**	**1003645**	**2749566**

(ख) मदें अनुमानपत्रक में नहीं दर्शाई गई परंतु उनका निष्पादन किया गया

मिट्टी का परिवहन (खाई भरने हेतु प्रस्तावित)	एम 3	--	16011.66	16011.66	--	12847.38	12847.38	54.35	870233	698255	1568488
मिट्टी का परिवहन (खाई भरने हेतु प्रस्तावित)	एम 3	--	20730.07	20730.07	--	14261.05	14261.05	54.35	1126679	775088	1901767
खोदी गई मिट्टी का खाई भरने हेतु परिवहन	एम 3	--	28221.59	28221.51	-	18433.40	18433.40	54.35	1533843	1001855	2535698
योग						45541.83	45541.83		3530755	2475198	6005953
महायोग			**64963.32**	**64963.32**					**5276675**	**3478843**	**8755518**

परिशिष्ट - 10

(संदर्भ कंडिका 2.2.9)

निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने में विलंब हेतु शास्ति वसूल किए जाने में विफलता के कारण राजस्व की हानियॉ दर्शाने वाला विवरणपत्र

(राशि लाख रुपए में)

क्रम संख्या	औद्योगिक विकास निगम का नाम	अनुबंध क्रमांक	निर्माण कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	ठेका मूल्य रुपए	कार्यादेश का दिनांक	दिया गया समय	पूर्णता का निर्धारित दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	31.03.05 निर्माण काय का मूल्य रुपए	विलंब के कुल माह	विलम्ब हेतु शास्ति	
												अधिकतम शास्ति	राशि रुपए
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	इंदौर	148/01-02	बाटरबाऊन्ड रोड़ का निर्माण (एयरपोर्ट से पीथमपुर)	मेसर्स प्रकाश चन्द्र अग्रवाल	254.00	21.12.01	वर्षा के मौसम सहित छः माह	20.06.02	28.03.05	203.20	33	निर्माण कार्य के मूल्य का 10 प्रतिशत	20.32
2.	"	181/01-02	बाटरबाऊन्ड रोड़ का निर्माण (आई आई डी निगरानी)	मेसर्स नावल्टी एण्टर प्राईसेस	70.35	13.02.02	ग्यारह माह	12.01.03	05.1.03	30.74	9	तदैव	3.07
3.	"	25/02-03	बाटरबाउन्ड रोड़ का निर्माण (आई/ए निगरानी)	मेसर्स नावाल्टी एण्टर प्राइसेस	67.93	27.04.02	ग्यारह माह	26.03.02	05.11.03	38.23	7	तदैव	3.82
4.	"	83/02-03	पुल पुलियाओं का निर्माण (एयरपोर्ट से पीथमपुर)	मेसर्स ओ.पी.एच. मित्तल	82-36	23.09.02	वर्षा के मौसम सहित छः माह	22.03.03	(31.03.05) को अधिकांशतः पूर्ण	82.90	24	तदैव	8.29
5.	"	84/02-03	रोड का डामरीकरण (पीथमपुर से एयरपोर्ट)	मेसर्स प्रकाश एस फाल्टिग एण्ड टॉल हाइवेज	263.27	28.09.02	वर्षा के मौसम सहित छः माह	27.03.03	31.03.05	229.66	24	तदैव	22.97
6.	"	99/02-03	सड़कों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण (आई/ए देवास)	मेसर्स टी आर त्रेहन कन्स्ट्रक्शन कंपनी	121.51	24.12.02	वर्षा के मौसम सहित छः माह	26.06.03	15.06.04	113.49	12	तदैव	11.35
7.	"	22/03-04	विद्यमान बी.टी.रोड़ का डामरीकरण (आई/ए पीथमपुर)	मेसर्स प्रकाश एस पाल्टिग एण्ड टोल हाईवेज	54.67	30.06.03	वर्षा के मौसम सहित दो माह	29.08.03	27.02.04	58.11	6	तदैव	5.81
8.	"	36/03-04	टालरोड़ का उन्नयन/आधारभूत निर्माण कार्य	श्री अरूण जैन	215.00	4.08.03	वर्षा के मौसम सहित चार माह	03.12.03	09.06.04	183.71	7	तदैव	18.37
9.	"	178/01-02	शीतागार का निर्माण (खाद्य प्रसंस्करण पार्क)	मेसर्स विरदी ब्रादर्स इंदौर	237.73	31.01.01	नौ माह	30.10.01	16.01.04	237.49	26	निर्माण कार्य के मूल्य का पांच प्रतिशत	11.87
											योग		**105.87**

परिशिष्ट - 11

(संदर्भ कंडिका 2.2.10)

2001-04 में संयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में जारी आशय पत्र पर दिए गए प्रीमियम में छूट (40 प्रतिशत) का विवरणपत्र

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का नाम	वर्ष	जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या	छूट के साथ जारी आशय पत्रों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि 60 प्रतिशत (लाख रुपए में)	आशय पत्रों से छूट के साथ जारी अशय पत्र का प्रतिशत	दिए गए छूट की (40 प्रतिशत) राशि (लाख रुपए में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
भोपाल	2001-02	9	8	7.31	89	4.87
	2002-03	11	9	9.03	82	6.02
	2003-04	6	4	10.03	67	6.69
	योग	**26**	**21**	**26.37**	**81**	**17.58**
ग्वालियर	2001-02	4	2	8.32	50	5.55
	2002-03	12	11	9.91	92	6.60
	2003-04	3	3	8.89	84	5.93
	योग	**19**	**16**	**27.12**	**84**	**18.08**
इंदौर	2001-02	28	25	118.01	89	78.67
	2002-03	22	17	59.15	77	39.43
	2003-04	38	18	67.77	47	45.18
	योग	**88**	**60**	**244.93**	**68**	**163.28**
जबलपुर	2001-02	5	2	0.98	40	0.65
	2002-03	3	--	--	--	--
	2003-04	5	--	--	--	--
	योग	**13**	**2**	**0.98**	**15**	**0.65**
वर्षवार	2001-02	46	37	134.62	80	89.75
	2002-03	48	37	78.09	77	52.06
	2003-04	52	25	86.69	48	57.80
	योग	**146**	**99**	**299.40**	**68**	**199.61**
औद्योगिक केन्द्र विकास निगमवार	भोपाल	26	21	26.37	81	17.58
	ग्वालियर	19	16	27.12	84	18.08
	इंदौर	88	60	244.93	68	163.28
	जबलपुर	13	2	0.98	15	0.65
महायोग		**146**	**99**	**299.40**	**68**	**199.61**

1. (199.61 लाख रुपए पर 8 प्रतिशत की दर पर) अप्रभारित स्टाम्प शुल्क राशि 15.98 रुपये लाख
2. अप्रभारित पंजीयन शुल्क (स्टाम्प शुल्क का 75 प्रतिशत) राशि 11.99 रुपये लाख

कुल राशि 27.99 रुपये लाख

परिशिष्ट 12

(संदर्भ कंडिका 2.2.11)

कोने के एवं 80 फीट अथवा अधिक की चौड़ी सड़कों पर स्थित भूखण्डों में अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित न किए जाने/कम प्रभारित किए जाने का विवरणपत्र

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का नाम	क्रम संख्या	औद्योगिक इकाई का नाम	आबंटित क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रीमियम की राशि (रुपए)	प्रीमियम के 20 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जाने वाला अतिरिक्त प्रीमियम	वस्तुतः प्रभारित अतिरिक्त प्रीमियम (रुपए)	अंतर रुपए
जबलपुर	1.	रेमण्ड वूलन मिल्स लिमिटेड	40.485	6072900	1214580	निरंक	1214580
	2.	के.क. पेटदिया	6.4	1920000	384000	निरंक	384000
	3.	हनुमान क्रोमोकोटस	1.6	480000	96000	निरंक	96000
योग							**1694580**
ग्वालियर	1.	मेसर्स एटलस सायकल	4176	2505600	501120	250560	250560
			2.0234	1214058	242812	121406	121406
	2.	मेसर्स स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज	7.84	4704000	940800	470400	470400
	3.	मेसर्स विक्रम वूलन्स	8.214	4928400	985680	492840	492840
	4.	मेसर्स सूर्या रोशनी	6.747	2361450	472290	236145	236145
	5.	मेसर्स सुप्रीम विनायल	84464	3096252	619250	309625	309625
							2178596
इंदौर	1.	सुशीला राठी।	3.5	2520000	630000	378000	252000
	2.	पूनम चंद राठी।	4.00	2880000	720000	288000	432000
	3.	मेसर्स भारत पेट्रो प्रॉडक्ट्स कम्पनी	0.46	207000	51750	6298	45452
	4.	मेसर्स शिवागी इस्टेट्स	2.5	1125000	281200	168750	112500
	5.	इंडो माइक्रो न्यूट्रिएण्ट्स लिमिटेड	2.05	1025000	256250	153750	102500
							944452
						महायोग	**4520008**

* **40 प्रतिशत की छूट के उपरांत कुछ प्रीमियम का 60 प्रतिशत**

परिशिष्ट - 13

(संदर्भ कंडिका 2.2.12)

31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पांच वर्षो के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम पर वसूल नहीं किए गए पट्टा भाड़ा एवं संधारण प्रभारों के विवरण दर्शाने वाला विवरणपत्र

वर्ष	राशि	दो प्रतिशत की दर पर वार्षिक भाड़ा एवं 2.5 की दर पर मासिक प्रभार (रुपए)	वर्षो की संख्या	2000-05 के दौरान कम वसूल किया गया पट्टा भाड़ा एवं संधारण प्रभार (रुपए)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)(3x4)*
2000-01 के पूर्व जारी आशयपत्रों पर अतिरिक्त प्रीमियम जिस पर 2000-05 के दौरान वार्षिक रूप में पट्टा भाड़ा एवं संधारण प्रभार वसूल नहीं किया गया	5647577	254140	6	1524840
2000-01	167072	7518	6	45108
2001-02	109868	4944	5	24720
2002-03	66969	3014	4	12056
2003-04	163829	7372	3	22116
2004-05	525602	23652	2	47304
2005-06 (अगस्त 2005 तक)	7100079	319503	1	319503
महायोग	**13780996**	**621143**		**1995647**

नोट: पट्टा भाड़ा एवं संधारण प्रभार प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को बकाया हो जाता है तथा अग्रिम रूप में जमा किया जाता है।

परिशिष्ट - 14

(संदर्भ कंडिका 2.2.16)

औद्योगिक इकाइयों से बकाया राशि के विवरण दर्शाने वाला विवरणपत्र

(राशि लाख रुपए में)

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का नाम	निम्न से वसूली हेतु बकाया					योग
	बंद इकाइयां		मध्यप्रदेश वित्त निगम मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा ली गई इकाइयां		वर्तमान इकाइयां	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
भोपाल	492	139.78	12	17.35	119.47	276.60
ग्वालियर	62	169.55	--	--	451.40	620.95
इंदौर	--	--	33	53.38	134.69	188.07
जबलपुर	--	--	--	--	19.40	19.40
रीवा	अनुपलब्ध	9.39	अनुपलब्ध	1.77	5.86	17.02
महायोग	**554**	**318.72**	**45**	**72.50**	**730.82**	**1122.04**

परिशिष्ट - 15

(संदर्भ कंडिका 2.2.18)

विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र योजना के संबंध में अधिप्राप्त, विकसित भूमि एवं आबंटित भूखण्डों के विवरण दर्शाने वाला विवरणपत्र

(भूमि हेक्टेयर में राशि लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	चरण I			चरण II			योग		
		शासकीय	निजी	योग	शासकीय	निजी	योग	शासकीय	निजी	योग
1.	जो अधिप्राप्त की जनी थी	138.00	--	138.00	221.426	678.074	900.00	359.926	678.074	1038.00
2.	वस्तुतः अधिप्राप्त भूमि	138.00	--	138.00	200.00	344.00	544.00	338.00	344.00	682.00
3.	भूमि अभी अधिप्राप्त करना है	निरंक	निरंक	निरंक	21.926	334.074	356.00	21.926	334.074	356.00
4.	आवंटन योग्य अधिप्राप्त भूमि	105	--	105	--	--	308.00	--	--	413.00
5.	कुल अधिप्राप्त भूमि का मूल्य	84.24	--	84.24	120.00	1996.00	2116.00	22.24	1996.00	2198.24
6.	भूमि की विकास लागत			1413.25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध			1413.25
7.	आवंटन योग्य भूमि की प्रति हेक्टेयर अधिप्राप्ति लागत (5/4)	0.80	--	0.80	--	--	6.87	0.80	6.87	--
8.	आवंटन योग्य भूमि का प्रति हेक्टेयर विकास व्यय (6/4)	--	--	13.46	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	--	13.46
9.	आबंटित	51.374	--	51.374	--	--	19.840	--	--	71.214
10	अनाबंटित भूमि	53.626	--	53.626	--	--	288.16	--	--	314.767
11.	अनाबंटित भूमि की अधिप्राप्ति लागत	42.90	--	42.90	--	--	1979.66	--	--	2022.56
12.	अनाबंटित भूमि का विकास लागत	--	--	721.80	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	--	721.80
	महायोग	**2135.05**								

परिशिष्ट - 16

संदर्भ कंडिका 2.2.19)

विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र इंदौर में इकाइयों के संबंध में प्रीमियम की छूट के कारण राजस्व की हानि दशाने वाल विवरणपत्र

(राशि लाख रुपए में)

क्रम संख्या	आबंटिती का नाम	आवेदन दिनांक	आशय पत्र का दिनांक	आबंटित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	छूट के उपरांत प्रति वग मीटर प्रीमियम	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम	प्रति वर्ग मीटर अंतर	प्रीमियम की हानि रुपये 5 X 8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	इंडस्ट्रियल अनविंग पेकेजिंग	18-12-02	01-02-03	500	500	1030	530	2.65
2.	फ्लेक्सी टफ इंटरनेशल	22-01-03	11-02-03	52,200	400	825	425	226.10
3.	अमूल एक्सपोर्ट लिमिटेड	19-05-03	26-05-03	8000	400	1030	630	50.40
4.	एमाल्ड दाबे को (प्राइवेट) लिमिटेड	08-05-03	26-05-03	8000	400	1030	630	50.40
5.	महागौरी फूड्स लिमिटेड	18-06-03	30-08-03	4050	400	1030	630	25.51
6.	मेसर्स सॉसर्स फार्मास्यूटिकल्स	21-08-03	28-08-03	4050	400	1030	630	25.51
7.	एस.आर.एम. लिमिटेड	13-09-03	05-07-04	60672	400	825	425	257.86
8.	इकोस्प्राइफ फार्मास्यूटिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	16-10-03	12-11-03	4000	425	1030	605	24.20
9.	एशियन मशीन सर्विस	18-12-03	24-12-03	1000	500	1030	530	5.30
10.	ख्याजी फूड्स लिमिटेड	18-08-04	14-12-04	2000	450	1030	580	11.60
11.	आई.पी.सी.ए. लेबोरेटरीज	02-09-04	29-01-05	198366	400	825	425	843.05
12.	निकोलस पीरामल	25-11-04	04-03-05	88800	400	825	425	377.40
13.	आइशर मोटर्स लिमिटेड	27-11-04	04-03-05	40000	400	825	425	170.00
14.	आई.आई.टी.सी इंडिया (प्रायवेट) लिमिटेड	19-01-05	19-01-05	16000	400	1030	630	100.80
15.	भास्कर एक्सिम लिमिटेड	16-01-04	27-01-04	2000	600	4950	4350	87.00
						महायोग	औद्योगिक वाणिज्यिक	**2170.78** **87.00**
								2257.78

परिशिष्ट - 17

(संदर्भ कंडिका 2.2.20)

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर द्वारा विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में कोने के एवं 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड के संबंध में अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित करने में विफलता के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि दर्शाने वाला विवरणपत्र

(राशि लाख रुपए में)

क्रम संख्या	आवंटिती का नाम	आवेदन पत्र का दिनांक	आशयपत्र का दिनांक	आवंटित भूखंड के विवरण (विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र चरण- I)		प्रीमियम (वर्ग मीटर)	कुल प्रीमियम	कोने के भूखंडों पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम	80 फीट चौड़ी सड़क हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम	योग
				भूखंड क्रमांक	आबंटित क्षेत्र (वर्गमीटर)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	फ्लेक्सीटफ इंटरनेशनल (चार बगल की सड़क)	22-01-03	11-02-03	C 41 to 50	53200	400	212.80	31.92	21.28	53.20
2	अमूल्या एक्स्पोर्ट लिमिटेड (तीन बगल की सड़क)	19-05-03	26-05-03	C 9 to 15, 16	8000	400	32.00	4.80	3.20	8.00
3.	एमराल्ड टावे को लिमिटेड (चार बाजू की सड़क)	08-05-03	26-05-03	C 31, 32	8000	400	32.00	4.80	3.20	8.00
4.	मेसर्स एस.आर.एफ.(चौर बाजू की सड़क)	13-09-03	05-07-04	C 1 to 18	60672	400	242.69	36.40	24.27	60.67
5.	एशियन मेरिन सर्विस (तीन बाजू की सड़क)	18-12-03	24-12-03	D 68	1000	500	5.00	0.75	0.50	1.25
6.	निकोलसपरीमल लेब लिमिटेड	25-11-04	04-03-05	C 17 to 20	88800	400	355.20	53.28	35.52	88.80
7.	आयशरपरीमल लिमिटेड	27-11-04	04-03-05	A 1 to 3	40000	400	160.00	24.00	16.00	40.00
8.	आर्गेनिक इंडिया लिमिटेड	19-01-05	29-01-05	B 15 to 18	16000	400	64.00	9.60	6.40	16.00
	योग						**1103.69**	**165.55**	**110.37**	**275.92**

परिशिष्ट - 18

संदर्भ कंडिका 2.2.22)

खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्को के विवरण दर्शानेवाला विवरणपत्र

क्रम संख्या	विवरण	जग्गाखेड़ी (मंदसौर) औधिगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर	निमारनी (खरगौन) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर	बाबई पिपरिया (होशंगाबाद) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल	बोरगांव (छिंदवाड़ा) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, केन्द्र	मनेरी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर
1.	भारत सरकार द्वारा संस्वीकृति	दिसम्बर 2000	सितम्बर 2001	जनतरी 2002	मार्च 2002	मार्च 2003
2.	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	8.15	8.66	8.21	8.44	8.33
3.	निधि व्यवस्था भारत सरकार/राज्य/औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (करोड़ रुपए में)	4.00 4.15	4.00 4.66	4.00 4.21	4.00 4.44	4.00 4.33
4.	भारत सरकार से प्राप्तियां (करोड़ रुपए में)	3.82	2.00	2.00	3.29	2.00
5.	उद्यान हेतु विकसित भूमि (एकड़)	50	67	32- पिपरिया 18- बाबई	50	50
6.	पार्क मूल्य (करोड़ रुपए में)	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
7.	मार्च 2005 तक व्यय	7.45	5.53	6.76	7.82	3.70
8.	सामान्य सुविधाएं शीतागार भण्डार गृह परीक्षण प्रयोगशाला	पूर्ण पूर्ण पूर्ण	केवल भवन पूर्ण पूर्ण पूर्ण	पूर्ण पूर्ण अपूर्ण	पूर्ण पूर्ण पूर्ण	अपूर्ण अपूर्ण अपूर्ण
9.	शीतागार द्वारा प्रत्याशित अर्जन (लाख रुपए में) 2003 2004 2005	97.75 109.97 109.97	58.18 184.89 184.89	-- 102.55 115.37	126.55 142.37 142.37	निरंक 72.74 133.64
	योग	**217.69**	**427.96**	**217.92**	**611.29**	**86.38**
	उपलब्धियां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	उच्चदाब क्नेक्शन हेतु प्रावधान	--	प्रावधान नहीं	प्रावधान नहीं	--	--
11.	पूर्णता का निधारित दिनांक	अप्रैल 2002	सितम्बर 2002	मार्च 2003	मार्च 2003	निरंक
12.	पूर्णता का दिनांक	जनवरी 2004	अपूर्ण	पूर्ण	फरवरी 2004	--
13.	पूर्णता हेतु लगाया गया समय (माह)	35	--	23	24	--

परिशिष्ट - 19

(संदर्भ कंडिका 2.2.31)

एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्रों के विवरण दर्शानेवाला विवरणपत्र

(राशि : करोड़ रुपए में)

		औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर		आद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर		
क्रम संख्या	विवरण	जग्गाखेड़ी	निमारानी	लामतारा	नौगांव	उडेरुआ	प्रतापपुरा
1.	भारत सरकार द्वारा संस्वीकृति	सितम्बर 2000	सितम्बर 2000	जुलाई 2003	जून 2002	नवम्बर 2003	नवम्बर 2003
2.	भूमि (हेक्टेयर)	39.085	101.30	41.30	41.30	25.00	21.45
3.	परियोजना लागत (रुपए)	3.91	5.11	1.86	3.60	2.07	2.77
4.	योजजना के अनुसार निधिव्यवस्था (रुपए)						
i	भारत सरकार	1.56	2.00	0.74	1.44	0.83	1.11
ii	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	2.35	3.00	1.12	2.16	1.24	1.66
iii	राज्य सरकार	--	0.11	निरंक	निरंक	निरंक	निरक
	योग	**3.91**	**5.11**	**1.86**	**3.60**	**2.07**	**2.77**
5.	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निधि व्यवस्था						
i	भारत सरकार	1.56	2.00	0.74	1.44	0.83	1.11
ii	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	2.35	3.00	1.12	निरंक	निरंक	निरंक
iii	राज्य सरकार	निरंक	0.11	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
iv	आंतरिक संचय	निरक	निरंक	निरंक	2.16	1.24	1.66
	योग	**3.99**	**5.11**	**1.86**	**3.60**	**2.07**	**2.77**
6.	(मार्च 2005 तक) व्यय (रुपए)	1.97	1.16	0.44	2.27	0.36	0.51
7.	निम्नांकित प्राप्तियां						
i	भारत सरकार (रुपए)	0.67	0.41	0.17	1.24	0.33	0.45
ii	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
iii	राज्य सरकार (रुपए)	--	--	0.34			
iv	आंतरिक संचय (रुपए)	1.30	0.75	(-)0.07	1.03	0.03	0.06
8	भारत सरकार के अप्राप्त अनुदान (रुपए)	0.89	1.59	0.57	0.20	0.50	0.66
9	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से अप्राप्त कर्ज रुपये	2.35	3.00	1.12	निरंक	निरंक	निरंक
10	सृजन हेतु भूखण्ड	146	261	199	358	112	128
11	सृजित भूखंड	146	261	199	358	112	128
12.	आबंटित भूखंड	निरंक	निरंक	निरंक	2	--	1
13.	रोजगार सृजन (व्यक्ति)	3700	6000	1483	1500 न्यूनतम	1500 न्यूनतम	1500 न्यूनतम
14.	पूंजीगत निवेश (रुपए)	90.00	अनुपलब्ध	29.66			
15.	प्रत्याशित राजस्व 2000-05 (रुपए)	3.58	6.07	0.26	1.05	0.33	0.76
16.	अर्जित वास्तविक राजस्व (रुपए)	निरंक	निरक	निरंक	0.08	निरंक	0.04

परिशिष्ट - 20

(संदर्भ कंडिका 4.6)

बंद कंपनियों के विवरण दर्शानेवाला विवरण पत्र

क्र.स.	कम्पनी का नाम	कंपनी के बंद होने/विघटन के आदेश
1.	मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित (म.प्र.डेयरी)	संचालक मण्डल का विघटन आदेश दिनांक 3 जनवरी 1983
2.	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (मध्यप्रदेश फिल्म)	सरकार का आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 1994
3.	मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित (म.प्र.पंचायती राज)	सरकार का आदेश दिनांक 28 जून 1990
4.	मध्य प्रदेश उद्वहन सिंचाई लिमिटेड(म.प्र.उद्वहन)	सरकार का आदेश दिनांक 16 अगस्त 1982
5.	मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम मर्यादित (म.प्र.चर्म)	सरकार का आदेश दिनांक 23 अप्रैल 1998
6.	मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित (म.प्र.रा.उ.वि.निगम)	सरकार का आदेश दिनांक 6 अगस्त 2002
7.	मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित (म.प्र.सेतु)	सरकार का आदेश दिनांक 12 मार्च 1992
8.	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित (म.प्र.वस्त्रोद्योग)	सरकार का आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2000
9.	आप्टेल टेलिक्म्युनिकेशन लिमिटेड(आप्टेल)	जून 2000 में उत्पादन बंद हुआ

परिशिष्ट-21

(संदर्भ कंडिका 4.6.1)

शोधक्षम घोषित किए जाने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रमांक	कम्पनी का नाम	बंद किए जाने के आदेश का दिनांक	शोधक्षम घोषित किए जाने का दिनांक	विलंब (माह में)
1.	म.प्र.डेयरी	3 जनवरी 1983	20 मार्च 1984	13
2.	म.प्र. फिल्म	15 दिसम्बर 1994	21 दिसम्बर 1998	47
3.	म.प्र.पंचायती	28 जून 1990	20 अगस्त1991	13
4.	म.प्र.उद्वहन	16 अगस्त 1982	5जनवरी 1988	64
5.	म.प्र.चर्म	23 अप्रैल 1998	नत्थी नहीं	83
6	म.प्र.रा.उद्योग	6 अगस्त 2002	नत्थी नही	31
7.	म.प्र.सेतु	12 मार्च 1992	नत्थी नही	156
8.	म.प्र.वस्त्रोद्योग	31 अक्टूबर 2000	नत्थी नही	53
9.	ऑप्टेल	जून 2000 (क्रिया कलाप बंद होना)	नत्थी नही	57

टिप्पणीः-क्रम संख्या 5 से 9 तक की कंपनियों के संबंध में 31 मार्च 2005 तक शोध क्षमता घोषित किए जाने में विलंब दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-22

(संदर्भ कंडिका 4.6.2)

लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वह वर्ष जब तक शोधक्षमता घोषित किए जाते समय लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	अंतिम रूप दिये जाने का माह	विलंब माहों में	अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की वर्तमान स्थिति	अंतिम रूप दिए जाने का माह	विलंब (माहों में)	31मार्च 2005 के अंत में अंतिम रूप दिए जाने हेतु नियत लेखाओं की संख्या
1	म.प्र.डेयरी	1979-80	मार्च 1984	41	2001-02	--	--	3
2.	म.प्र.फिल्म	1996-97	जुलाई 1998	9	2003-04 (18 जनवरी 2004 तक)	--	--	1
3.	म.प्र.पंचायती राज	1985-86	अगस्त 1991	58	2003-04	--	--	1
4.	म.प्र.उद्‌वहन	1979-80	जनवरी1988	87	1991-92	--	--	13
5.	म.प्र.चर्म	--	--	--	1994-95	जून 2004	104	10
6.	म.प्र.रा.उ.नि.	--	--	--	2001-02	जुलाई 2003	9	3
7.	म.प्र.सेतु।	--	--	--	1989-90	मार्च 1993	29	15
8.	म.प्र.वस्त्रोद्योग	--	--	--	2002-03	जून 2004	8	2

*** 27 दिसम्बर 2000 से नया निगम गठित किया गया।**

परिशिष्ट-23

(संदर्भ कंडिका 4.6.3)

बंद किए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किए जाने में विलंब

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	बंद करने का दिनांक	ए.जी.एम द्वारा प्रस्ताव का दिनांक	विलंब (माह में)
1.	म.प्र.डेयरी	31 मार्च 1983	20 मार्च 1984	11
2.	म.प्र.फिल्म	15 दिसम्बर 1994	19जनवरी 1999	48
3.	म.प्र.पंचायतीराज	28 जून 1990	26 अगस्त 1991	13
4.	म.प्र.उद्‌वहन	16 अगस्त 1982	4 फरवरी 1988	65
5.	म.प्र.चर्म	23 अप्रैल 1998	अभी पारित नही	83
6.	म.प्र.रा.उ.नि.	6 अगस्त 2002	अभी पारित नही	31
7.	म.प्र.सेतु	12 मार्च 1992	अभी पारित नही	156
8.	म.प्र.वस्त्रोद्योग	31 अक्टूबर 2000	अभी पारित नही	53
9.	आप्टेल	जून 2000	अभी पारित नही	57

टिप्पणीः-क्रम संख्या 1 से 4 तक की कम्पनियों के संबध में विलंब प्रस्ताव के दिनांक अनुसार एवं क्रम संख्या 5 से 9 तक की कम्पनियों के संबंध में विलंब 31 मार्च 2005 तक दर्शाया गया है।

परिशिष्ट -24

(संदर्भ कंडिका 4.6.8)

बंद कंपनियों के बंद किए जाने में विलंब का प्रभाव दर्शाने वाला विवरण पत्र

(राशि लाख रूपए मे)

क्र.संख्या	कंपनी का नाम	स्त्रोत	अवधि	राशि
1.	म.प्र.डेयरी	डेयरी महासंध द्वारा व्यय वहन किया गया	1983-84 से 2001-02 तक	1.25
2.	म.प्र.फिल्म	कर्मचारियो की जमा पर ब्याज एवं वसूली	1995-96 से 2004-05 तक	24.01
3.	म.प्र.पंचायतीराज	बैंक ब्याज	1990-91 से 2004-05 तक	51.79
4.	म.प्र.उद्वहन	स्वय के स्त्रोत एवं ब्याज	1982-83 से 2004-05 तक	265.92
5.	म.प्र.चर्म	सरकारी अनुदान एवं चालू परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्तियॉ	1999-2000 से 2004-05 तक	244.55
6.	म.प्र.रा.उ.नि	आंतरिक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति निधि	2002-03 से 2004-05 तक	588.41
7.	म.प्र.वस्त्रोद्योग	विक्रय ब्याज एवं अन्य प्राप्तियॉ,स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति निधि (मुख्य कर्मचारी वृंद)	2001-02 से 2003-04 तक	671.17
8.	ऑप्टेल	विक्रय सेवा प्रभार, अन्य आय एवं धारक कंपनी से कर्ज	2000-01 से 2004-05 तक	2473.00
			योग	**4320.10**

टिप्पणी-आंकडे प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है क्योंकि कतिपय कंपनियों ने अपनी नवीनतम लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है।

परिशिष्ट-25

(संदर्भ कडिका 4.7)

लेखापरीक्षा में परीक्षण की गई सरकारी कम्पनियों की सूची दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	कंपनी का नाम
1	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित
2	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित
3	मध्य प्रदेश राज्य सिविल सपलाईज निगम
4	मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित
5	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित
6	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित
7	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित
8	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित
9	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित
10	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित

परिशिष्ट-26

(कंडिका 4.7.3 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों के संचालक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति का विवरण पत्रक।

कंपनी	वर्ष	आयोजित बैठकों की संस्था	संचालक मण्डल की संख्या	संचालक मण्डल की उपस्थिति
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	2001-02 2002-03 2003-04	3 4 2	8 8 6	3-5 4-6 3-5
मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	1 5 3 6	13 9-13 9-13 6-9	5 7-8 3-7 3
मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	4 4 4 3	11 11 6-8 8	4-9 8 5-6 4-6
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम	2002-03 2003-04 2004-05	4 5 5	4-5 4-7 5	3 3-5 4
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	7 5 1 2	8-9 9 9 8	5 4-6 6 4
मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	3 4 1 5	12 12 12 12	7-9 4-8 5 3-4

परिशिष्ट-27

(कंडिका 4.17.4 में संदर्भित)

सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी में उत्सर्जन का स्तर दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्रमांक	इकाई संख्या	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPPV Mg.NM3)	निर्दिष्ट मानदण्ड मूल इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स	ससपेण्डेड पार्टिकुलेट मैटर (निलंबित अणु द्रव्य) का न्यूनतम एवं अधिकतम स्तर									
				मार्च 2001 के वर्ष के अंत तक		मार्च 2002 के वर्ष के अंत तक		मार्च 2003 के वर्ष के अंत तक		मार्च 2004 के वर्ष के अंत तक		मार्च 2005 के वर्ष के अंत तक	
				न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
01	1	150 mg/NM3	150 mg/NM3	135 (6-1-2000)	160 (3-1-01)	160 (5-7-01)	250 (5-2-02)	132 (25-2-03)	184 (15-4-02)	124 (15-4-03)	180 (2-7-03)	138 (3-5-04)	162 (14-12-04)
02	2	150 mg/NM3	150 mg/NM3	148 (9-2-01)	243 (7-9-2000)	138 (8-10-01)	210 (2-11-01)	150 (3-2-03)	188 (30-5-02)	120 (5-11-03)	182 (2-4-03)	142 (18-5-04)	155 (16-12-04)
03	3	150 mg/NM3	150 mg/NM3	135 (3-6-2000)	190 (5-12-2000)	140 (4-9-01)	210 (5-4-01)	132 (5-11-02)	242 (23-5-02)	100 (3-12-03)	300 (23-10-03)	130 (3-5-04)	154 (12-1-01)
04	4	150 mg/NM3	150 mg/NM3	132 (14-9-2000)	230 (16-12-2000)	140 (5-9-01)	190 (6-4-01)	140 (19-6-02)	200 (3-10-02)	136 (3-10-03)	164 (3-7-03)	136 (20-4-04)	163 (3-11-04)
05	5	150 mg/NM3	150 mg/NM3	140 (31-10-2000)	170 (10-8-2000)	122 (10-10-01)	290 (9-4-01)	122 (22-5-02)	160 (31-10-01)	130 (26-6-03)	182 (29-11-03)	136 (15-7-04)	169 (16-4-04)
06	6	150 mg/NM3	390mg/NM3	368 (8-5-2000)	860 (16-3-01)	320 (13-7-01)	620 (23-8-01)	510 (11-5-02)	660 (19-4-02)	330 (29-9-03)	600 (4-8-03)	340 (8-6-04)	691 (7-12-04)
07	7	150 mg/NM3	390 mg/NM3	375 (7-8-2000)	510 (30-3-01)	307 (13-7-01)	710 (5-12-01)	500 (19-4-02)	800 (3-11-02)	538 (26-8-03)	750 (11-10-03)	604 (10-5-04)	911 (21-1-05)
08	8	150 mg/NM3	390 mg/NM3	360 (24-5-2000)	560 (11-1-01)	390 (8-6-01)	780 (26-3-02)	500 (12-8-02)	780 (4-7-02)	390 (25-3-04)	740 (28-7-03)	384 (22-4-04)	906 (14-2-05)
09	9	150 mg/NM3	390 mg/NM3	362 (28-8-2000)	520 (9-12-2000)	400 (11-8-01)	760 (3-12-01)	460 (3-5-02)	810 (18-6-02)	522 (6-10-03)	760 (30-4-03)	515 (10-8-04)	817 (3-1-05)

(कंडिका 4.17.4 में संदर्भित)

अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पर उत्सर्जन के स्तर का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र।

क्रमांक	ताप विद्युत स्टेशन की इकाइ का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)	कार्य प्रारंभ करने का माह एवं वर्ष	क्या इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स/बैग फिल्टर बदले गए थे यदि हां तो माह/वर्ष	उत्सर्जन का स्तर			
					मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्ड		उत्सर्जन का न्यूनतम एवं अधिकतम स्तर	
					वर्ष	मि.ग्रा./ NM^3	न्यूनतम	अधिकतम
01	अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन # 1	30	अप्रैल 1965	बॉयलर नं.1 में बैग अक्टूबर 1997	2000-01	150	112	962
					2001-02	150	102	144
					2002-03	150	228	647
					2003-04	150	141	353
					2004-05	150	111	121
				बॉयलर नं.2 में बैग जुलाई 1997	2000-01	150	910	988
					2001-02	150	U/S	U/S
					2002-03	150	110	654
					2003-04	150	132	360
					2004-05	150	111	124
02	अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन # 2	20 (कम क्षमता)	अप्रैल 1965	बॉयलर नं.3 में बैग सितम्बर 1997	2000-01	150	128	940
					2001-02	150	126	892
					2002-03	150	116	160
					2003-04	150	141	355
					2004-05	150	115	132
				बॉयलर नं. 4 में बैग फिल्टर 2003	2000-01	150	820	998
					2001-02	150	820	938
					2002-03	150	357	686
					2003-04	150	145	1250
					2004-05	150	114	140
03	अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन # 3	120	सितम्बर 1977	बॉयलर नं. 5 में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपेटर्स अक्टूबर 1991	2000-01	150	102	138
					2001-02	150	120	182
					2002-03	150	125	360
					2003-04	150	121	142
					2004-05	150	132	144
04	अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन # 4	120	मार्च 1978	बॉयलर नं. 6 में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटटर्स दिसम्बर 1991	2000-01	150	110	124
					2001-02	150	106	140
					2002-03	150	121	339
					2003-04	150	116	141
					2004-05	150	131	144

परिशिष्ट-29

(कंडिका 4.17.4 में संदर्भित)

संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर पर उत्सर्जन के स्तर को विस्तृत विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्र।

क्रमांक	ताप विद्युत स्टेशन का नाम इकाई सहित	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट में)	कार्य प्रारंभ करने का माह/वर्ष	उत्सर्जन का स्तर									
					उत्सर्जन का स्तर								
				मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोड के मानदण्ड	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
					न्यूनतम T	अधिकतम T	न्यूनतम T	अधिकतम T	न्यूनतम T	अधिकतम T	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकत
1.	संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन इकाई-I	210	मार्च 1993	150	139.4	169.8	105.4	159.7	40.0	149.0	126.0	172.0	22.8	252.0
2.	संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन इकाई-II	210	मार्च 1994	150	139.5	178.0	144.3	182.4	101.2	150.0	129.0	150.0	130.0	190.0
3.	संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन इकाई-III	210	फरवरी 99	150	50.0	141.3	132.0	148.0	140.0	246.0	82.0	176.0	92.0	148.0
4.	संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन इकाई-IV	210	नवम्बर 99	150	80.0	149.7	122.9	210.2	92.0	147.7	48.0	157.0	100.0	145.0

परिशिष्ट-30

(कंडिका 4.20 में संदर्भित)

भाड़ा क्रय/पट्टा आधार पर मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों की अधिप्राप्ति हेतु वित्त-पोषण प्रदान करने वाली कंपनियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक।

(राशि लाख रुपये में)

सरल क्रमांक	वित्त पोषक का नाम	बसों की संख्या	राशि	31 मार्च 2005 को बकाया राशि
1.	फायनेंस लायड्स लिमिटेड इंदौर	110	984.63	535.63
2.	एल एण्ड टी फायनेंस लिमिटेड	38	209.91	81.95
3.	निक्को-यूको फायनेंशियल सर्विसेज, कोलकाता	87	753.81	638.94
4.	फेड बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	21	252.00	142.59
5.	अशोक लीलेण्ड फायेनंस लिमिटेड, इंदौर	12	380.41	308.38
6.	फर्स्ट लीजिंग कंपनी आफ (आई) लिमिटेड, चमई	113	1202.60	603.80
7.	ऑरिक्स, आडिट फायनेंस लिमिटेड, दिल्ली	83	729.00	409.20
8.	अपोलो फिनवर्ट इंडिया लिमिटेड	22	232.22	116.64
9.	हरिता फायनेंस लिमिटेड, चैन्नई	45	176.00	85.01
10.	एस.आर.ई.आई. इंटरनेशनल फायनेंस लिमिटेड	121	650.00	367.12
11.	बैंक ऑफ मदुरई, चैन्नई	32	295.55	209.84
12.	मैगमा लीजिंग लिमिटेड, कोलकाता	82	1004.94	704.93
13.	टेलको/बी.एच.पी.एल.	23	259.85	233.54
14.	अरिंहत हायर परचेज लिमिटेड, इंदौर	20	249.41	131.58
15.	अशोक लीलेण्ड	28	484.09	455.31
	योग	**837**	**7864.42**	**5024.46**

परिशिष्ट-31

(कंडिका 4.22 में संदर्भित)

प्रतीक्षित उत्तरों वाले बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों, कंडिकाओं एवं प्रारुप कंडिकाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सरल क्रमांक	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	बकाया कंडिकाओं का प्रारंभिक वर्ष
1.	ऊर्जा	02	1546	3618	1985-86
2.	परिवहन	01	337	1021	1986-87
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	12	69	318	1992-93
4.	खनिज संसाधन	01	06	36	1997-98
5.	आदिवासी कल्याण	01	07	44	1994-95
6.	पर्यटन	01	07	38	1993-94
7.	गृह	01	11	77	1993-94
8.	ग्रामीण उद्योग	02	16	83	1988-89
9.	कृषि	01	9	64	1990-91
10.	अल्प संख्यक कल्याण	01	04	17	2000-01
11.	वन	01	06	56	1997-98
12.	खाद्य एवं लोक वितरण	02	16	91	1992-93
13.	वित्त	02	06	29	1999-2000
	योग	**28**	**2040**	**5492**	

प्रारुप कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है।

सरल क्रमांक	विभाग का नाम	प्रारुप कंडिकाओं की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	ऊर्जा	10	दिसंबर 2004 से जुलाई 2005
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	05	मई से जुलाई 2005
3.	खाद्य एवं सिविल आपूर्ति	04	मई एवं जून 2005
4.	परिवहन	02	जून 2005
	योग	**21**	